खण्ड-467, अंक-3
बुधवार, 24 माघ, शक संवत् 1929
(13 फरवरी, 2008 ई0)

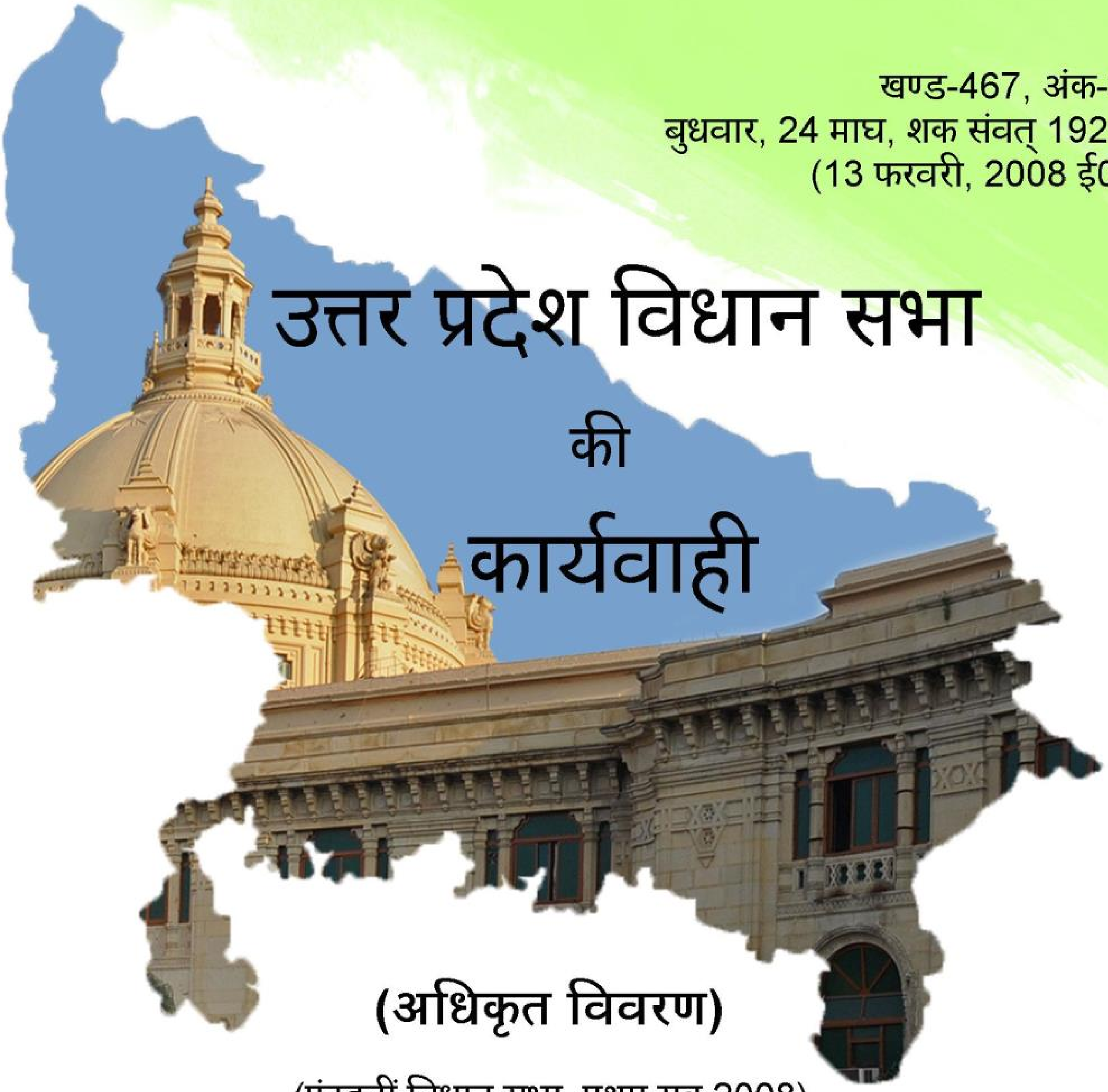

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	1-2
बजट भाषण के समय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर वित्त मंत्री द्वारा उन्हें नजर अन्दाज करते हुए बजट भाषण जारी रखने पर व्यवस्था का प्रश्न	2-6
प्रश्नोत्तर (जारी)	6-18
श्री इमरान मसूद को सदन की सेवा से सम्पूर्ण सत्र के लिए निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	19-27
प्रश्नोत्तर	27-89
श्री इमरान मसूद को सदन की सेवा से सम्पूर्ण सत्र के लिए किये गये निलम्बन को वापस लिये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	90
नियम 300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	90
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री त्रिलोक चन्द्र (पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा), बीजू पटनायक, मोहम्मद शकील अहमद, शिव कैलाश, शमशाद अहमद हाजी, डा0 श्याम किशोर, श्री भोला सिंह, श्री अब्दुल हलीम खां तथा श्री बृजपाल सिंह यादव के निधन पर शोकोद्गार ...	91-94
पाकिस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो के निधन पर शोकोद्गार ...	94-98
श्री अमर मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को जिला कारागार, गोरखपुर में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	98-99
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	99-101
नियम-311 की विभिन्न सूचनाओं को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव से पूर्व सुने जाने की मांग ...	101-104
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	104-137
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	137
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षों के अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	138

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के पुराने महानगर के घोसियाने मोहल्ले में अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति से फैले संक्रामक रोग को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों के कतिपय गांवों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने एवं गुणवत्ता में मनमानी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139-140
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद सन्तकबीर नगर के मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत सांड़े का पुल एवं गोड़हा घाट पर बने अधूरे पुलों का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
उन्नाव की सदर तहसील के ग्राम घनश्याम खेड़ा मजरा पोटरिहा में विगत बीस वर्षों से निवास कर रहें लोगों को घरों से बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
आगरा जनपद में सैया फतेहाबाद रोड के लिए शमसाबाद नगर पालिका के बाहर बाईपास बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
फैजाबाद में राजकीय इण्टर कालेज के पास रेलवे क्रासिंग पर ओबर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
गोरखपुर में श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए भवन की व्यवस्था तथा पीठासीन अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	142-143
इलाहाबाद के नया कटरा मोहल्ले में स्थित लीला कुंज अपार्टमेन्ट के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकने तथा पीड़ितों को पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143-144
नियम-311 के अर्न्तत सूचनाएं	144
बुन्देलखण्ड में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना	144-160

विषय				पृष्ठ-संख्या
सरकार द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के आश्वासन के बाद भी अभी तक भुगतान न किये जाने के कारण गन्ना किसानों की हो रही दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना			...	160-177
बागपत में दिनांक 26 जनवरी, 2008 को अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ कहा-सुनी के बाद हाजी इश्तियाक के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा रासुका तामील किये जाने विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना			...	177-182
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)			...	182-183
उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 (जैसा कि इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था) (पुनः पारित)	...	...	...	183-185
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	185-187
नत्थियां	...	...	...	188-278

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-358

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — कन्नौज
अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर

अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद

ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद तारीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यशपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (भोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेशधर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरिओम, श्री	जालौन
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :-भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा), तथा लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सम्बन्धी नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, नियम-311 में हम लोगों ने एक सूचना गन्ना किसानों के सम्बन्ध में दी है। प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान शीघ्र कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा गर्दन-वर्दन को कन्ट्रोल कीजिए और हमारी बात को भी सुनिये।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, हमारी गर्दन ठीक है।

(श्री उदयराज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 उदय राज जी, कृपया बैठ जायें।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या प्रदेश की सबसे ज्वलन्त समस्या है।

श्री राम विशुन आजाद-

आज तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

इतनी अच्छी तन्दुरुस्ती, फिर पता नहीं कहां से प्रवेश कर गई गुस्सा।

(भा0ज0पा0 के नेता श्री ओम प्रकाश जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश जी बैठ जायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में बहुत विषम स्थिति पैदा हो गई है, वहां लोग भूख से मर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर अनुरोध है कि इन माननीय सदस्यों को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हमारी सभी दलो के नेताओं से, जो विपक्ष में हैं बात हुई थी और यह तय हुआ था कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय नियम-56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

और 311 नहीं लिये जायेंगे। लेकिन आप लोगों के भी कुछ सुझाव आये कि जैसे गन्ना किसानों या दूसरे अन्य मामले हैं, उन्हें भी ले लिया जाये। सही भी है कि आप 19 तारीख तक कुछ नहीं कर पायेंगे, इसलिए मैंने इसे स्वीकार भी किया और कहा कि मैं कुछ सूचनाओं पर सुनता रहूंगा। केवल यही मैंने अनुरोध किया था कि जो भी विपक्ष की सूचनायें आयेंगी, उन्हीं को मैं सुनूंगा। केवल समय की थोड़ी बचत कर लें ताकि हमारे जो नये माननीय सदस्य हैं उन्हें भी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने का मौका मिल जाये। समय की पाबन्दी के लिए मैंने कहा था कि 10-10 मिनट एक-दो महत्वपूर्ण नेता बोल देंगे, उनको भी सुन लेंगे और जो समय बचेगा उसमें अभिभाषण पर हमारे नये माननीय सदस्य भी भाग ले लेंगे। इसलिए आप बैठें, मैं सुन लूंगा।

बजट भाषण के समय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर वित्त मंत्री द्वारा उन्हें नजर अन्दाज करते हुए बजट भाषण जारी रखने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, एक परम्परा रही है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बोलने के लिए कोई समय-सीमा नहीं रही है, वह जब चाहे बोल सकते हैं और यह सदन में हरदम हुआ कि जब सदन में नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो चाहे कोई भी मंत्री रहा हो, वह बैठ गया आदर के साथ और उनकी बात सुन ली। कल श्रीमन्, जब मा0 वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए कुछ बात कहने के लिए। मान्यवर, बड़ी तकलीफ है कि नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए कुछ बात कहने के लिए और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने संसदीय परम्पराओं का भी पालन नहीं किया और कोई मंत्री होता तो एक बार मान लेते लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी जो संसदीय आचरणों को यहां रखते हैं, उन्होंने बैठने की जुर्रत नहीं की और विरोध में मा0 नेता प्रतिपक्ष को और हम लोगों को सदन का त्याग करना पड़ा। श्रीमन्, यह गलत परम्परा है और अगर यह परम्परा पड़ती गई तो फिर इस सदन की गरिमा कहां रह जायेगी ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस पर मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

दो लोगों के एक-साथ बोलने की परम्परा नहीं है। अगर परम्परा की बात कही जा रही है तो प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की परम्परा कहां रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं भी जानता हूं, मैंने भी नियमावली के नियमों को पढ़ा है लेकिन यह बड़ा गम्भीर प्रश्न था कि मुझे मजबूर होकर इसे प्रश्नकाल में उठाना पड़ा। मान्यवर, अगर संसदीय परम्पराएं टूट जायेंगी तो बड़ी दिक्कतें आयेंगी क्योंकि इस सदन का आचरण, यहां की मर्यादा, यहां की परम्परा को लोकसभा भी वहन करती है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर व्यवस्था देने से पहले कृपापूर्वक पहले मुझे सुन लें और संसदीय कार्य मंत्री जी को बाद में सुन लेंगे। मान्यवर, मेरा एक आग्रह है, यह सदन की परम्परा ही नहीं है बल्कि यह सदन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब आप पीठ पर खड़े हो जाते हैं तो सभी बैठ जाते हैं चाहे नेता सदन हों या नेता प्रतिपक्ष हों। परन्तु अन्य परिस्थितियों में जब नेता सदन या नेता विरोधी दल को यह अधिकार है वह किसी समय इण्टरवीन कर सकते हैं, किसी समय अपनी बात कह सकते हैं। कल जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो 11.00 बजे का समय महामहिम राज्यपाल जी की ओर से निर्धारित था, आप कह सकते थे लेकिन आपने नाम पुकारा भी नहीं था वित्त मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी कल कुछ ज्यादा ही उत्सुक थे, बिना आपके पुकारे ही खड़े हो गये और मा0 नेता विरोधी दल लगातार आग्रह करते रहे कि उनकी बात सुन ली जाए। परन्तु नेता विरोधी दल के खड़े होने के बावजूद भी संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे नहीं। मेरे ख्याल से आप यथासमय नेता विरोधी दल को सुनना भी चाहें लेकिन वित्त मंत्री जी खड़े हो गये। आप यह कह सकते हैं और मैं जानता हूं कि श्री राज्यपाल जी के द्वारा समय निर्धारित होता है आप खड़े हो गये समय का पालन हो गया लेकिन उसके बाद बजट सत्र में राज्यपाल जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि 11.00 बजे से लेकर जब तक वित्त मंत्री जी का भाषण समाप्त नहीं हो जायेगा तब तक आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप 11.00 बजे खड़े हो जाते और खड़े होने का मतलब है कि बजट प्रस्तुत माना जाता। उसके बाद नेता विरोधी दल को आपको सुनना चाहिए था और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। आपको 1-2 मिनट या 5 मिनट का समय मा0 नेता विरोधी दल को देना चाहिए था जो होता, वह अपनी बात कह लेते अन्यथा यह परम्परा बन जायेगी। अब मा0 नेता सदन कभी खड़े हों, दूसरे लोग न बोलने का अवसर दें, यह उचित नहीं होगा। मान्यवर, मैं समझता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ उससे नेता विरोधी दल के पद का अपमान हुआ है, नेता विरोधी दल के पद का अपमान पूरे सदन का अपमान होता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जब कभी मा0 नेता सदन और नेता विरोधी दल खड़े हों तो उन्हें ससम्मान सुना जाना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालाजी वर्मा)-

मान्यवर, हम सब लोग परम्पराओं को मानने वाले लोग हैं। नियमावली में भी है और मा0 नरेश जी और मा0 प्रमोद तिवारी जी ने इस बात का जिक्र किया कि जब मा0 अध्यक्ष खड़े हों तो सबको बैठ जाना चाहिए। मा0 नेता विरोधी दल खड़े हुए, उस समय मैं नहीं खड़ा था जब आपने खड़े होकर कुछ सूचना दी और सूचना देने के बाद आपने मुझे पुकारा, उसके बाद मैं खड़ा हुआ और बजट के लिए महामहिम राज्यपाल जी ने समय निर्धारित किया था इसलिए उसके आधार पर मैंने उस समय खड़े होने का काम किया जब आपने मुझे पुकारा। दूसरी तरफ मान्यवर, आप भी जब खड़े थे, मैंने इस बात को भी देखा कि आप खड़े होकर सूचना दे रहे थे ऐसी स्थिति में भी मा0 नेता प्रतिपक्ष खड़े रहे और अपनी बात कहते रहे तो निश्चित रूप से जो परम्परायें हैं.....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी मा0 नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं। यह सरासर आरोप है कि आपके खड़े होने पर भी नेता प्रतिपक्ष खड़े रहे और अपनी बात कहते रहे। संसदीय कार्य मंत्री जी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई आरोप नहीं है। मा0 अग्रवाल साहब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि हम सब पूरी तरह से परम्पराओं का निर्वहन करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम परम्पराओं और आपके आदेशों का हमेशा पालन करेंगे ऐसा विश्वास दिलाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के प्रति जो परम्परायें हैं उनका पालन होता रहे, यही गरिमा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आपके आदेशों का पालन नहीं करने का प्रश्न आज नहीं उठा है। जो औचित्य का प्रश्न उठा है वह आपके आदेशों की अवज्ञा का नहीं है, परम्पराओं के निर्वाह और परम्पराओं की मर्यादा और सम्मान है। श्रीमन्, अगर बैठे-बैठे काइ बात कहने को संसदीय कार्य मंत्री जी अगर मार्यादा कहते हैं तो मैं इसे नहीं समझता, विद्वान हैं, मंत्री हैं इसलिए ज्यादा विद्वता उनमें आ गयी है।

श्री अध्यक्ष-

हम सभी लोग कभी न कभी विद्वान रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मा0 अध्यक्ष जी 11.00 बजे अगर उन्होंने बजट प्रस्तुत कर दिया, उसका एक निश्चित समय था तो वह बात हो सकती थी, लेकिन उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को अवसर नहीं दिया जाना, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कल आपके भाषण के बीच में ही रोककर किसी दूसरे सदस्य को सुनने के समय भाषण की पवित्रता नष्ट नहीं हुई, आपके बजट भाषण की पवित्रता नष्ट नहीं हुई अगर बीच में रुक गये और किसी दूसरे सदस्य ने कोई बात कही। नेता प्रतिपक्ष के किसी एक वाक्य पर अगर इनके भाषण की पवित्रता नष्ट हो रही थी तो मान्यवर, ऐसा नहीं है और यह सचमुच में चिंता की बात है और हम आपसे यह कहना चाहते हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान अगर नहीं होगा तो इस सदन की गरिमा नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आपको संरक्षक होने के नाते इस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

अध्यक्ष महोदय, परम्पराएं अतीत से बनती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है माननीय नरेश अग्रवाल जी और प्रमोद तिवारी जी यहां बैठते थे, हुकुम सिंह जी उस जगह बैठते थे, जहां वर्मा जी हैं। जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं यह 1987 में नेता प्रतिपक्ष थे। नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिये खड़े हुये और प्रमोद तिवारी जी मेज थपथपा रहे थे नेता प्रतिपक्ष खड़े हुये और 36 विभागों के बजट मात्र 30 मिनट में पास करके यहां से चले गये थे इस तरह की परम्पराएं रही हैं। यह परम्परायें इनके द्वारा डाली गई हैं। हम भी थोड़ा बहुत इनसे सीख लेते हैं। जैसा-जैसा यह सिखाते जाएं हम उस परम्परा का पालन करते जाएंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह दुःखद बात है एक वरिष्ठ सदस्य अगर इस तरह की परम्परा सीख कर उसको लागू करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा दुःखद और क्या बात हो सकती है। वर्ष 1987 से आज तक यह यही सीखे, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे सदन की छवि खराब हुई हो उनको भूल जाना चाहिये लेकिन अगर उन्हीं गलत परम्पराओं को लागू करना चाहते हैं तो इनकी महानता को प्रणाम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी जो 30 मिनट वाली बात मंत्री जी ने कही कि उस समय हुकुम सिंह जी वहां बैठते थे नरेश जी और हम उधर बैठते थे लेकिन मंत्री जी को तो यह याद भी नहीं होगा कि वह कहां बैठे थे क्योंकि कोई ऐसा दल और ऐसी सरकार नहीं रही है जिसमें इन्होंने अपने को सुशोभित न किया हो। इनको यह याद है कि जब सदन चला करता था तो नेता विरोधी दल

बोला करते थे और मैं मेजें थपथपा रहा था तो यह तो संसदीय परम्परा ही है कि जब नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो मेजें थपथपाई जाती हैं इसमें कोई अशोभनीय बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब आपकी बात आ गई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

30 मिनट में बजट पारित हो गया तो यह जिस सरकार में थे उसमें तो तीन मिनट में बजट पारित हो गया था।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैंने अग्रवाल जी को सुना, प्रमोद तिवारी को सुना अम्बिका चौधरी को सुना। यह परम्परा है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान होना चाहिये यही सदन की गरिमा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था में यह जरूर उल्लेख करवा दें कि जिस परम्परा और घटना का उल्लेख मंत्री जी ने किया है वह सदन की परम्पराएं नहीं हैं दुर्भाग्यवश अगर कोई ऐसी बात हो गई तो वह परम्परा नहीं बन जाएगी, यह व्यवस्था में जरूर शामिल करवा दें कि यह जो बात मंत्री जी ने कही यह सदन की परम्पराएं नहीं हैं। मंत्री जी को इस बात को परम्परा के रूप में उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अग्रवाल जी को सुना, प्रमोद तिवारी जी को सुना, अम्बिका चौधरी को सुना। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सदन को रखना चाहिये। जिस दृष्टांत का उल्लेख मंत्री जी ने किया उसको परम्परा के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करने की परम्परा है यही सदन की गरिमा है उसी का पालन करना चाहिये। इसी के साथ इसे निस्तारित किया जाता है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री आरिफ अनवर हाशमी तथा श्री मदन चौहान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी चीनी मिलों पर वर्ष 2006-2007 के गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य रद्द करने वाले मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या अन्तरिम रोक लगा दी गई है जिससे बकाये मूल्य का भुगतान

बाध्यकारी हो गया है ? क्या उक्त आदेश के आलोक में सभी बकाये का भुगतान गन्ना किसानों को अविलम्ब कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश कि अनुपालन में निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2006-07 के समस्त अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य परामर्शित मूल्य पर कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 28-01-2008 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2006-07 में कुल देय बकाया गन्ना मूल्य रु0 11011.15 करोड़ के सापेक्ष रु0 10046.59 का भुगतान कराया गया है एवं कुल रु0 964.56 करोड़ बकाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यह जो बताया है यह कल तक का है। आज की तारीख में 646.72 करोड़ बकाया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है उस आदेश की तिथि क्या है ? और उस तिथि तक गन्ना किसानों का कुल कितना रुपया बकाया था और इस आदेश के अनुपालन में अब तक कितना भुगतान कराया गया है ? अब तक जो बकाया है उसका भुगतान कराने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? और उसके लिये कोई टाइम बाउन्ड तिथि आपने निश्चित की है कि अमुक तिथि तक अवश्य भुगतान हो जाना चाहिये ? और अगर भुगतान नहीं होता है तो जो नियमों में है कि उन कृषकों को भुगतान के साथ ब्याज का भी भुगतान होगा। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको भुगतान ब्याज सहित हो ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18-1-2008 को जो उच्च न्यायालय ने जो 19-12-2007 को आदेश किया था कि एस0एम0पी0 भुगतान किया जाय उस पर रोक लगाई थी और जहां तक ब्याज का सवाल है एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ब्याज का भी भुगतान दबाव डालकर कराया जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, शायद मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को सुना नहीं या सुनना नहीं चाहते। मैं पुनः अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूँ कि यह जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है उस आदेश की तिथि क्या है ? माननीय मंत्री जी ने तिथि बता थी। मैंने प्रश्न किया कि उस तिथि तक गन्ना किसानों का कुल कितना रुपया बकाया था और इस आदेश के अनुपालन में अब तक कितना भुगतान कराया गया है ? अब तक जो बकाया है उसका भुगतान कराने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? और उसके लिये कोई टाइम बाउन्ड तिथि आपने निश्चित की है कि अमुक तिथि तक अवश्य भुगतान हो जाना चाहिये ? और अगर भुगतान नहीं होता है तो जो नियमों में है कि उन कृषकों को भुगतान के साथ ब्याज का भी भुगतान होगा। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको भुगतान ब्याज सहित हो ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ब्याज के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कि जैसे ऐक्ट में प्राविधान है उसके अनुसार किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जनवरी, 2008 में 232.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और अभी फरवरी, 2008 में 218.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। मान्यवर, जो उच्च न्यायालय ने 110 रुपये का फैसला किया है क्या उसका परिपालन पूरे प्रदेश में हो रहा है ? आप मेरी बात सही माने। हमारे यहां महाराजगंज जनपद में गरौरा जे0डी0एस0 शुगर फैक्ट्री 88 रुपये आज की तारीख में पेमेन्ट कर रही है और पिछली 13 मार्च, से 1 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है जिसका कि पेमेन्ट नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करायेंगे ? उस मिल मालिक के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मिल की बात कही है। यह पहली सरकार ऐसी है बहन कुमारी मायावती जी की.....

(कुछ सदस्यों के एक साथ कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को क्या कष्ट हो रहा है ? ओझा जी आप उत्तर सुन लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर सुन लें। यह पहली सरकार है कि जिन मिल मालिकों ने कम भुगतान किया उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर गम्भीर धारा-3/7 की धारा दर्ज करके पहली बार कार्यवाही की है। जिस मिल की बात ओझा जी ने बताई है आज ही दिखवा लूंगा, अगर एक भी प्रमाण यह

दे देंगे और प्रमाण सिद्ध हो जाएगा तो उस मिल मालिक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मंत्री जी ने सबूत मांगा है मैं इसी क्षण अगर मेरी बात सही न हो तो इसी वक्त सदन से त्याग-पत्र देकर चला जाऊंगा। कल किसानों ने धरना दिया था। किसानों ने बताया कि आज की तारीख में 88 रुपया 53 पैसे दे रहे हैं। उनकी पर्ची पर लिखा हुआ है अब इससे ज्यादा सबूत और क्या होगा ? 13 मार्च, 2007 में जब तक फैक्ट्री बन्द नहीं हुई है रुपया आज भी बाकी है आप दिखवा लें। मुझे प्रसन्नता होगी अगर उस मिल मालिक के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पर्ची उपलब्ध करा दें मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके जेल भेजा जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपका ध्यान भी चाहता हूं और मंत्री जी का भी ध्यान चाहता हूं। प्रश्न जो है यह 2006-2007 के पेराई सत्र के सम्बन्ध में है। यही इसमें लिखा है जो आपने उत्तर दिया उसमें लिखा है कि-'सभी चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2006-2007 के समस्त अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य परामर्शित मूल्य पर कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह बता रहे हैं दिनांक 28-1-2008 तक की स्थिति, प्रश्न है 2006-07 के बारे में। 28-1-08 को 2006-07 का जो पेराई सत्र था उसकी स्थिति बतायें। रु0 11 हजार करोड़ का अवशेष 2006-07 का नहीं हो सकता है 28-1-08 को। मैं थोड़ा संरक्षण चाहूंगा। 2006-07 का 28-1-08 आपने तारीख दी है। 28-1-2008 को पेराई सत्र 2006-07 का कितना मूल्य बकाया था मैं यह पूछना चाहता हूं ? अगर यह 2006-07 का है तब तो भगवान ही मालिक है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो यह सन् की बात आप कर रहे हैं यह उत्तर में है 2006-07 का भुगतान 28-1-08 के बाद जो बचा है वह बताया है जो 964.56 करोड़ बताया है वह 2006-07 की स्थिति बताई है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने 28/1 तारीख दी है, 28-01-2008 को पेराई सत्र 2006-2007 का कितना गन्ना मूल्य बकाया था, मैं यह सुनना चाहता हूं। अगर यह 11 हजार करोड़ 2006-2007 का है तो फिर मैं कहता हूं कि भगवान रक्षा करेगा, आपकी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आप जिस सत्र की बात कर रहे हैं, यह उत्तर में है, 2006-2007 का जो भुगतान है, यह 28-01-2008 तक होने के बाद जो बचा है, वह बताया आपको। जो 964.56 करोड़ बकाया है, वह 2006-2007 की स्थिति बतायी है।

श्री हुकुम सिंह-

आप देखें, इसमें दिया है, दिनांक 28-1-2008 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2006-07 में कुल देय बकाया गन्ना मूल्य, कुल देय बकाया, बकाया वह होता है, जो अवशेष होता है, जिसका भुगतान उससे पहले हो चुका है, वह बकाया नहीं होता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, 'कुल बकाया में से' है ?

श्री हुकुम सिंह-

'कुल बकाया में से'' कहा है, कुल देय बकाया, 'में से' नहीं है। जो आपके उत्तर में है, कुल देय बकाया गन्ना मूल्य रु0 11011.15 करोड़ के सापेक्ष रु0 10046.59 का भुगतान कराया गया है, क्या यह 11 हजार करोड़ रुपया 2006-2007 का 28-01-2008 में बकाया था ? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मिस प्रिंट है, मैं उसको दुरुस्त करता हूं, बकाया वही था, 964.56 करोड़।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, आपने ठीक कर लिया। मिस प्रिंट हो गया, मशीन आजकल इनकी खराब चल रही है। आपने अभी ओझा जी के उत्तर में कहा है कि कड़ी कार्यवाही की जायेगी, आपने कहा है है कि सम्बन्धित जनपदों के जिलधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। अभी तक बकाया का जो अवशेष है, भुगतान न करने के फलस्वरूप कोई मिल मालिक जेल भेजा गया है ? आपने कहा कि 3/7 में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी है। मान्यवर, पहली सरकार और भी थी यहां पर, जिन्होंने सबसे वरिष्ठ मिल मालिकों को भुगतान न करने के कारण जेल भेजा था और जेल भेजने के बाद सारे किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी चर्चा के बाद भी एक भी मिल मालिक उत्तर प्रदेश का जेल भेजा, आपने ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं अपने बड़े भाई को इतना कहूंगा कि 'तुमने गैरों पर तो इल्जाम लगा रखे हैं, अपने दामन के मगर दाग छुपा रखें हैं।' ये कब तक छिपाये रहेंगे, मान्यवर, और यह कहते हैं, उदाहरण बतायें। मान्यवर, कुशी नगर में, कप्तानगंज में चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और लगभग वह 2 माह जेल में रहा।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसी सदन में मा0 गन्ना मंत्री जी ने बड़े विशाल हृदय का परिचय देते हुए पिछले सदन में कहा था कि 31/8 तक गन्ना किसानों के समस्त बकाये का भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान बिल्कुल परेशान है, चारों तरफ उसकी बदहाली है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब आया कि धारा 3/7 आईपीसी ऐक्ट के तहत् मिल मालिकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, लेकिन यह पूरा उत्तर नहीं है कि किन-किन मिल मालिकों पर एम0आई0आर0 दर्ज की गयी है और कितने को जेल भेजा गया और जो गन्ना मूल्य बकाया दिया गया, क्या उस पर गवर्नमेन्ट से निर्धारित ब्याज भी लगाया गया और ब्याज दिया गया ? मान्यवर, जब किसान बैंक से थोड़ा सा कर्ज लेता है तो बैंक उससे कैसे वसूल करते हैं और उस पर कितना ब्याज लगाते हैं, यह पूरा सदन गवाह है, इसलिए जो बकाये का भुगतान किया गया है उस पर ब्याज लगाकर भुगतान किया गया है या नहीं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी थी, वह कप्तानगंज के अध्यासी और श्री अनिल शर्मा और अन्य चार के विरुद्ध की गयी थी। जो अन्य चार हैं, उनकी डिटेल हमारे पास नहीं है, मा0 सदस्य चाहेंगे तो उनको दे देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक जानकारी मैं चाहूंगा, अभी मंत्री जी ने बताया कि मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही की गयी। कप्तानगंज की बात आपने कही और मेरी जानकारी के अनुसार जो आपने बताया वह तथ्यों से परे है। वह मिल मालिक कौन है, उनका नाम बता दें। आपने किसी मैनेजर को पकड़ कर बन्द कर दिया, जी0 एम0 को बन्द कर दिया, मिल मालिक को पकड़ने की हैसियत आपकी है ही नहीं। आप उस मिल मालिक का नाम बता दें, कहो तो मैं बताऊं। वह अपनी कोठी में आराम कर रहा है, वहां जाकर यह चाय-नाश्ता करते हैं। (हंसी)

मान्यवर, इस सरकार में न जाने कितने अपराधी हैं जो बाहर हैं और उनके प्राक्सी जेल में बंद होते हैं। मिल का मैनेजर मालिक की प्राक्सी में बंद कर दिया गया। मैनेजर भी खुश है और आप भी खुश है। दुखी है तो सिर्फ किसान है या जनता है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, बकाये पर ब्याज सहित भुगतान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

करा दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐक्ट के अनुरूप हमें करना है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, यह अभी नहीं कहा है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अवशेष पर ब्याज सहित पेमेंट कराएंगे ? मान्यवर, आज 964 करोड़ और 56 लाख का बैंलेंस है इसमें ब्याज कितना लम्बित है ? दूसरी बात यह कि जिन किसानों का अभी तक बकाये का भुगतान नहीं हुआ है क्या उनसे राजस्व वसूली या दूसरे कर्ज चाहे वह किसी भी प्रकार के हैं उसका स्थगन करने की कृपा करेंगे और उसके ब्याज को माफ भी करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आज की स्थिति में 964.56 करोड़ नहीं है बल्कि यह 28-01-08 की स्थिति है। आज की स्थिति में 646.72 करोड़ है और जहां तक ब्याज की बात है तो ऐक्ट के अनुसार करेंगे, उसमें गन्ना देने के 14 दिन के बाद ब्याज देय हो जाता है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, वह रकम राशि बताने की कृपा करें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, ऐक्ट में प्राविधान है कि गन्ना देने के 14 दिन बाद ब्याज देय हो जाता है इसलिए उसके अनुसार जो बनता होगा वह दिलाया जाएगा। और मान्वयर, आज की स्थिति यह पूछ रहे हैं। आज की स्थिति के बारे में हमें केलकुलेटर लेकर बैठना होगा तब हम बता पाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बैठ जाइये और मदन चौहान जी भी बैठ जाइये।

(हँसी)

प्रदेश में यूरिया खाद में मिलावट एवं उसकी काला बाजारी को रोकने के उपाय

**श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यूरिया खाद में मिलावट तथा उसकी कालाबाजारी रोकने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मांग के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी हां।

प्रदेश में यूरिया खाद में मिलावट एवं कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा ठोस कार्यवाही करते हुए जनपद में उर्वरकों के वितरण का उत्तरदायित्व जिलाधिकारियों को

दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। प्रदेश के सम्बन्धित जनपदों में मुख्यालय से अधिकारी भेज कर दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 से दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के मध्य सघन जांच करायी गयी तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में कृषकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अन्य उर्वरकों में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रवर्तन की कड़ी कार्यवाही की गयी। दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1.	आयोजित छापे	24305
2.	ग्रहित एवं विश्लेषित उर्वरक नमूने	9214
3.	पाये गये अमानक नमूने	588

अमानक नमूनों से सम्बन्धित दोषी व्यवसाइयों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

क	निरस्त उर्वरक विक्रय प्रमाण-पत्र	364
ख	सील किए गए उर्वरक प्रतिष्ठान	117
ग	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के तहत दर्ज एफ0आई0आर0	76
घ	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के तहत जेल भेजे गये उर्वरक व्यवसायी	17
ङ	अनियमित बिक्री के सन्देह में रोका गया उर्वरक स्टाक (मी0टन में)	48.60

दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश में 22.75 लाख मी0 टन यूरिया की उपलब्धता बिक्री केन्द्रों पर सुनिश्चित की गयी जिसमें से 18.61 लाख मी0 टन का वितरण हो चुका है। इस प्रकार प्रदेश में यूरिया की कहीं कोई कमी नहीं है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि, यह जो कार्यवाही की गयी है यह 14 दिसम्बर तक की बतायी गयी है, और 14 दिसम्बर के बाद यूरिया की ज्यादा आवश्यकता पड़ी है, इसके पहले डी0ए0पी0 खाद की आवश्यकता थी। डी0ए0पी0 खाद में किसानों के साथ

क्या-क्या नहीं हुआ। किसान दो-दो, तीन-तीन दिन तक गाड़ी लेकर खड़ा रहता था, उसको खाद नहीं मिली। पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 और यूरिया ब्लैक में मिली। मैंने यह पूछा था कि डी0ए0पी0 का कितना लक्ष्य था, कितना प्राप्त हुआ और कितना वितरण हुआ ? यूरिया का कितना लक्ष्य था और कितना प्राप्त हुआ ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय सिरोही जी ने जो बात कही थी, जो कार्यवाही की है वह 31 दिसम्बर तक की ही है। जो व्यापक छापे की बात है वह 11 से 14 दिसम्बर तक की है। हमारे प्रदेश में यूरिया का लक्ष्य तीस लाख मीट्रिक टन है, इसमें 11 तारीख तक पच्चीस लाख एक हजार मीट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, बुलन्दशहर में भी जो लक्ष्य रखा गया था वह 81.368 मीट्रिक टन रखा गया और उसके सापेक्ष 11 दिसम्बर तक छप्पन हजार मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो चुकी है। मेरठ मण्डल की बात कर रहा हूं इसका लक्ष्य दो लाख इक्कीस हजार चार सौ अट्ठासी मीट्रिक टन था इसके विरुद्ध एक लाख सत्तर हजार चार सौ छियानवे हजार मीट्रिक टन पहुंच चुकी है और जहां भी माननीय सदस्य आदेश करें उसे पूरा कराने के लिए हम तत्पर रहेंगे।

नेता, विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि डी0ए0पी0 की 14 दिसम्बर तक आवश्यकता थी, तो क्या पूरे किसानों को मिली ? क्या यह सही है कि दो बोरे के लिए लाइन में घंटो लगे रहते थे और उन पर लाठी चार्ज हुआ है और प्रदेश में कई जगह हुआ है ? क्या यह डी0ए0पी0 खाद दे चुके थे और अगर नहीं दे रहे थे तो यूरिया जितनी भी दे देंगे, जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जायेगी इसके लिए इन्होंने क्या किया ? तो अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छापा मारने से या जेल भेज दिया, तो क्या डी0ए0पी0 मिल गयी, किसान इससे संतुष्ट हो गया यह कृपा करके बतायें ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्रश्न है वह यूरिया के सम्बन्ध में पूछा गया था, माननीय सदस्य ने डी0ए0पी0 का जिक्र किया है। इसके सम्बन्ध में अनुरोध करूंगा कि 2006-07 में डी0ए0पी0 का लक्ष्य दस लाख पचास हजार मीट्रिक टन था और उपलब्ध हुआ आठ लाख अट्ठानबे हजार मीट्रिक टन। हमारा लक्ष्य था 2007-08 का वह दस लाख पचास हजार मीट्रिक टन और उपलब्ध हुआ नौ लाख नब्बे हजार मीट्रिक टन। मैं यह कह सकता हूं कि कहीं वितरण व्यवस्था में कमी रही है इसके लिए कोई बात हो, इसलिए मैं बड़े विनम्र से अनुरोध करना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष औ सभी सम्मानित सदस्य से कि वह पिछले साल और इस वर्ष के नवम्बर, दिसम्बर के अखबार उठाकर देख लें तो इस वर्ष से ज्यादा

पिछले वर्ष दस गुनी जगह लाठीचार्ज हुआ होगा और रास्ता जाम हुआ होगा। हमने प्रयास किया है कि कहीं खाद की कमी न रहे। इस समय हमारे बफर स्टाक में यूरिया उपलब्ध है।

जिस माननीय सदस्य के क्षेत्र में या जिसके जिले में यूरिया की कमी हो वह बता दें ? मैं 48 घण्टे में उसकी पूर्ति कराने को तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस पर चर्चा करा दी जाये। जिससे यह मालूम पड़े कि पिछली साल से ज्यादा दी है या कम दी है। इनका जो लक्ष्य था वह इन्होंने ला करके पूरी बांट दी है और वह किसानों तक पहुंची हो, इसकी भी सबको जानकारी हो जाये। चर्चा के बाद अगर आप इससे सबको संतुष्ट कर लेंगे तो ठीक है नहीं तो आप जांच करा दें। तो पता चलेगा कि किसानों को डी0ए0पी0 खाद कितनी मिली है ? और बहुत सारी चीजें हैं जिनका उत्तर हम नहीं देना चाहते हैं। हमारा सवाल है कि क्या किसानों तक समय से पर्याप्त मात्रा में डी0ए0पी0 खाद पहुंची ? इस पर आप चर्चा करा लीजिये नहीं तो एक जांच कमेटी बैठा दीजिये तब हम मानेंगे कि खाद गई। किसान इतना हाय-हाय करता रहा और आप अधिकारियों के द्वारा दिये गये आंकड़ों पर बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकल व्यवहार देखिये। आप अपने ही जिले में पता लगा लीजिये कि आपके जिले में डी0ए0पी0 खाद किसानों को समय पर पूरी तरह से मिल पाई है। कोई भी बता दे पूरे सदन में किसी के यहां पर्याप्त मात्रा में समय पर किसानों को डी0ए0पी0 खाद मिली हो। किसी के यहां नहीं मिली। यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन इनको सच बताने की हिम्मत ही नहीं है। तो इसलिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर चर्चा करा दीजिये और अगर चर्चा नहीं करा सकते तो इस पर सदन की कमेटी बैठा दीजिये। तब हम मानेंगे और आपके सामने स्वीकार करेंगे, मंत्री सही थे हम गलत थे।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, पहले तो आज का जो प्रश्न है उसमें डी0ए0पी0 का कही जिक्र ही नहीं है यूरिया का है और उसके बावजूद भी मैं पुनः कह रहा हूँ कि आज भी यूरिया की पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी जिले में किसी क्षेत्र में कमी हो, 48 घण्टे से ज्यादा यदि हो जाये पूर्ति में तो हम जिम्मेदार होंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैंने डी0ए0पी0 समय से न मिलने की बात कही है और यह यूरिया उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। बगैर डी0ए0पी0 के अगर यूरिया दिलाई गई तो उर्वरा शक्ति खेत की खत्म हो जायेगी। और यूरिया ही लगातार देते रहे तो उसके बाद पैदावार होगी ही नहीं यह आप भी जानते हैं, विदेशों में भी लोग बाकायदा कृषि में पहले डी0ए0पी0 खाद इस्तेमाल करने की, हरी खाद इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। यूरिया खाद अब इस्तेमाल करने के

लिए बहुत सारे किसान यहां भी और विदेशों में भी लोग इसको बंद करना चाहते हैं। आज सवाल डी0ए0पी0 का है जब डी0ए0पी0 नहीं मिलेगी और यूरिया दे देंगे तब तो खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो ही जायेगी। यूरिया से खेत तो हरा-भरा हो जायेगा लेकिन उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जायेगी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न जो पूछा है वह यह है-क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यूरिया खाद में मिलावट तथा उसकी कालाबाजारी रोकने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, इसी में आगे है-क्या सरकार मांग के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न की केवल यूरिया खाद से सम्बन्धित है और यूरिया खाद के सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि अगर किसी क्षेत्र में भी खाद की कमी है क्योंकि आज यूरिया की ही जरूरत है मान्यवर, तो उस स्थिति में मैं 48 घण्टे में पूरी तरह से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने जवाब में डी0ए0पी0 का भी उल्लेख किया है और उन्होंने कहा भी है कि डी0ए0पी0 की कितनी मांग थी, कितनी हमको उपलब्ध हुई ? श्रीमन् जब उन्होंने सदन में जवाब दे ही दिया, तो यह सदन की प्रापर्टी हो गई, अंश हो गया, उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष ने उस चीज को पूछा तो संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना कि यूरिया से सम्बन्धित सवाल है इसलिए उसको नहीं पूछा जा सकता है। यह सही नहीं है। यह पूरे प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित सवाल है और श्रीमन् यदि डी0ए0पी0 नहीं मिली तो यूरिया क्या करेगा कृषक ? आज भी मैं कह सकता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पूरे प्रदेश में मालूम कर लीजिए यूरिया खाद भी ब्लैक में उपलब्ध हो रही है किसी किसान को सही दाम पर नहीं मिल रही है। उसके बाद यहां पर इस तरह का जवाब दे रहे हैं, श्रीमन् यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर इन्होंने बयान में कहा था और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसका उत्तर सही तरीके से दिलवायें और इनसे कहें कि इसको गम्भीरता से लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डी0ए0पी0 के बारे में बताया कि इतना लक्ष्य था, इसे बता दिया, लाठी चार्ज की बात आयी, उधर के लोगों ने मेजें भी थपथपा दीं। आप किसानों की बात कर रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाये तो पता चल जायेगा कि

यूरिया की खाद, या डी0ए0पी0 की क्या स्थिति रही, क्या नकली खाद किसानों को नहीं दी गयी ? क्या कीटनाशक दवायें फर्जी कम्पनियों को नहीं दी गयी है, उससे खेत की बर्बादी हुई है, क्या ठीक बीज किसानों को दिये गये हैं ? यह किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। यूरिया और डी0ए0पी0 खाद कितनी पहुंची इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते हैं जब किसानों के प्रश्न को प्राथमिकता पर मानते हैं। चाहे यह डी0ए0पी0 खाद की बात हो, कीटनाशक दवाओं की बात हों या बीज की बात हो इसकी उपलब्धता क्या रही, इन सारे प्रश्नों पर चर्चा हो जाये। यह सब बातें आपकी जानकारी में आ जायें। मैं यह उम्मीद तो नहीं करूंगा कि चर्चा के बाद आप कोई जांच करायेंगे ? आज हम जब सदन में आये हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाये। किसानों से जुड़ा सवाल है। पिछले साल की जो बात है जांच में आ जायेगा कि लाठीचार्ज कहां-कहां हुआ ? आपने दस गुना अधिक की बात कही है, इसलिए इन सब बातों पर चर्चा हो जाये तो आपको पता चल जायेगा कि कितनी बार लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाठीचार्ज हुआ है दो-दो बार गोलीबारी हुई है। जब आपके पास इतनी खाद थी तो वह ब्लैक में क्यों गयी ? आपका यह जवाब आयेगा कि इतनी गिरफ्तारी कर ली गयी, क्या किसानों को जेल नहीं भेजा गया ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कोई भी अनुपूरक प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से निकलता है। अगर लिखित प्रश्न से माननीय सदस्य संतुष्ट हैं तो वह फिर अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछेंगे ? मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के जवाब में डी0ए0पी0 खाद के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया। फिर उस पर अनुपूरक प्रश्न उठे और उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपना हस्तक्षेप किया, उन्होंने प्रश्न क्या था, वह पढ़कर सुनाया और उत्तर के बारे में बताया, आपने कहा कि डी0ए0पी0 खाद के बारे में प्रश्न नहीं था ? मान्यवर, शायद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मानसिक रूप से यहां पर नहीं थे जब उत्तर दिया जा रहा था। मंत्री जी ने डी0ए0पी0 की स्थिति और उसके लक्ष्य आदि के बारे में बता दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपसे यह आग्रह किया था कि इस पर चर्चा करा दी जाये। यह किसानों के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। नेता प्रतिपक्ष जी ने एक सुझाव दिया और उस पर आप तकनीकी बात कहकर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। आपने मूल प्रश्न और उत्तर पढ़कर बता दिया कि इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रश्न पर मान्यवर चर्चा नहीं होगी तो फिर चर्चा किस पर होगी। सिर्फ आपकी बात सुनने के लिये तो नहीं आये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है मान्यवर कि जो अनुरोध आया है आप इस पर चर्चा स्वीकार, कर लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, प्रक्रिया-नियमावली में सदस्यों के प्रश्न पूछने की रीति नीति बनी हुई है और यह भी दिया हुआ है कि माननीय मंत्रीगण उत्तर कैसे देंगे ? यहां पर कुछ माननीय मंत्रीगण

अपना विशद ज्ञान दिखाना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो अभी कह रहे थे यदि यह प्रश्न उस समय उठाया होता कि यह प्रश्न यूरिया से संबंधित है डी0ए0पी0 का जवाब हम नहीं देंगे तो मान्यवर प्रश्न नहीं बनता है। जब यहां पर एक प्रश्न पूछा गया और मंत्री जी का जवाब आ गया तो अब वह सदन की सम्पत्ति बन गया है। अब सदन से मंत्री जी उससे भाग नहीं सकते हैं। अब जब प्रश्न डी0ए0पी0 का बन गया तो उस पर सप्लीमेंटरी बनेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। चर्चा ही तो मांगी है आपको चर्चा की स्वीकृति देनी चाहिये। मान्यवर, आप भी किसान हैं। किसानों से सम्बन्धित यह प्रश्न है।

या तो फिर उस समय जब प्रश्न उठा था तो कह देते कि यह यूरिया से संबंधित सवाल है डी0ए0पी0 का सवाल नहीं है तो फिर डी0ए0पी0 के बारे में प्रश्न नहीं आता। अब जब जवाब मंत्री जी ने दिया है तो वह सदन की सम्पत्ति बन गया है और फिर हमें सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का राइट हो गया। उसके बाद अब आप उससे भागना चाहते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है वह चर्चा करा ली जाये। अब यह प्रश्न आपके पास है।

नियम 49 में चर्चा न कराई जाय इसका उत्तर कृपया आप दे दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उस पर अनुपूरक हो सकता है। अगर अनुपूरक का जवाब देने में माननीय मंत्री जी द्वारा कोई कमी रह जाती है तो अगर वह स्पष्ट नहीं हो पाता है तभी चर्चा का विषय उठता है। अगर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया और उसके बाद कोई अनुपूरक नहीं आया उस सम्बन्ध में तो फिर चर्चा का प्रश्न कहां से बनता है ? कोई अनुपूरक नहीं आया। मान्यवर, यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, केवल नारा देने वाली सरकार नहीं है। कुछ लोग किसान के नाम पर नारा जरूर देते हैं लेकिन जैसी यह सरकार किसानों की हितैषी है ऐसी कोई दूसरी सरकार नहीं रही है। यह वास्तव में किसानों की हितैषी सरकार है और किसानों के पूरे हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार है। यह सरकार की पूरी मंशा है कि किसान को उसके बीज और उर्वरक की कमी न रहने पाये उसके लिये पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारा लगाते हुये सदन के वेल में आ गये)

(सदन की वेल में आये हुये सदस्यों में से श्री इमरान मसूद रिपोर्ट्स टेबिल पर चढ़कर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री इमरान मसूद को सदन की सेवा से सम्पूर्ण सत्र के लिये निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

इनको ऊपर से नीचे कर दो।

मैं इन्हें इंगित करता हूँ, मैं श्री इमरान मसूद जी हमारे रिपोर्ट्स के टेबिल पर चढ़े हैं। मैं इनको इंगित करता हूँ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इनको पूरे सत्र के लिये निष्कासित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं इंगित करता हूं। कृपया शांत रहें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आप द्वारा इंगित किये गये श्री इमरान मसूद के लिये, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको सदन की सेवा से सत्रकाल के लिये निष्कासित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सदस्य श्री इमरान जी ने रिपोर्टर की टेबिल पर चढ़कर जो प्रदर्शन किया है जिनको मैंने इंगित किया है से सम्बन्धित, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो प्रस्ताव लाये हैं, यह सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(तत्पश्चात् सपा के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठे गये।)

(घोर व्यवधान)

(सदन की वेल में आये हुये अन्य सदस्य नारे लगाते हुये रिपोर्ट्स की टेबिल पर चढ़ने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री उदय राज जी आप नीचे आ जाइये, यह प्रदर्शन अच्छा नहीं है, मैं ऐसे प्रदर्शन के पक्ष में नहीं हूँ।

मैं इन सभी माननीय सदस्यों को इंगित कर रहा हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने जिन माननीय सदस्यों को इंगित किया है मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उन सभी सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिये सदन से निलम्बित किया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं यह प्रदर्शन पसन्द नहीं करूँगा। कोई दबाव में काम नहीं हो पायेगा। जो परम्परा है उसको कायम, करवाने की मैने गारन्टी दी है उस परम्परा के खिलाफ चलेंगे ? यह सदन किसी के दबाव में चलने वाला नहीं है। यह परम्पराओं से चलेगा नियम से चलेगा। यह मैं साफ बता दे रहा हूँ। यहां परम्परा को कायम रखना पड़ेगा। ऐसी परम्परा को मैंने कभी नहीं देखा है, जिस तरह की परम्परा यह कायम हो रही है। मैं परम्परा का पालन करूँगा, मैं सबका आदर करूँगा। लेकिन परम्परा कोई तोड़ेगा तो दबाव में सदन नहीं चलेगा। सदन चलेगा तो परम्पराओं और नियमों से सदन चलेगा।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से यह कहने पर, कि पूरी समाजवादी पार्टी को निकालो-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगर सदन चलेगा तो नियमों, परम्पराओं से चलेगा। आप हमसे जितना कहिये, मैं करने के लिये तैयार हूँ। अभी बात चल ही रही है, ठीक है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी या कोई मंत्री जी अपनी बात कहें। आप लोग शान्त रहिये. देखिये नेता प्रतिपक्ष जी क्या कह रहे हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मुझे यही कहना है कि हटाओ सबको। पूरी समाजवादी पार्टी को या जिसको निकालना है, निकालो। सवाल यह है कि मैंने आपसे समय मांगा आपने तुरन्त उनको खड़ा कर दिया, जब आप योजना बनाकर आये ही हैं....

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई योजना नहीं है। हमारे लिये सब बराबर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव

नहीं, बिल्कुल योजना है। अगर योजना नहीं है तो जब मैं खड़ा हो गया था, उस समय आपने उनको मौका क्यों दे दिया ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदर करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि जब संसदीय कार्य मंत्री खड़े नहीं हुये, उनसे पहले मैं खड़ा हो गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप चाहते हो तो निकाल दो पूरे सदन को। लेकिन यह सब होता रहा है। सवाल यह है कि जब पूरा विपक्ष एक हो गया और पूरा विपक्ष एक होने के बाद कभी भी इस तरह का सवाल आया है सदन के अन्दर, तो उसको स्वीकार किया है अध्यक्ष ने।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो हम अपनी व्यवस्था दिये ही नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपने बीच में ही निकालना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह जो प्रदर्शन हुआ है, यह ठीक नहीं है। आपके रिपोर्टर हैं, आपके भाई हैं, आपके ही भाई-बहन बैठे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं चाहता हूँ कि सब कार्यवाही में हिस्सा लें। लेकिन जो इमरान को पूरे सत्र के लिये निकाला गया है, उसको आप वापस लीजिये। अगर वापस नहीं लेना है तो सबको निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह रिपोर्टर आपके ही भाई-बहन बैठे हैं। टेबिल पर जब चढ़ गये तो मैंने यह कहा कि यह प्रदर्शन हमको अच्छा नहीं लगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप ही सुझाव दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं हमें भी निकालो। आप ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे भी निकालिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मैं तो नहीं निकालूँगा। यह मुझे शोभा नहीं देगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं मैं इसके लिये जिम्मेदार हूँ।

श्री अध्यक्ष-

एक बात आप मेरी सुन लीजिये, मैं आपकी पूरी सुनूँगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं ऐसा हुआ है और निकाला गया है, आप मुझे भी निकालिये। हम लोगों को निकाल के भी देख लो, हम अपने क्षेत्र में जायेंगे और जाकर सरकार की हैसियत बता देंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा-व्यवधान)

यह सब खड़े हो गये, रोजाना अपमान करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, आपका सम्मान है, मैं एकपक्षीय नहीं हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं केवल इसलिये नहीं आया हूँ कि [× × ×]

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बर्दाश्त नहीं होगा। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष के प्रति यदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो यह संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के उल्लंघन का प्रश्न है। मान्यवर, कोई भी व्यक्ति नियमों और मर्यादा से ऊपर नहीं है। अगर माननीय अध्यक्ष के ऊपर भी आक्षेप लगाया जायेगा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई हो नहीं सकती। मान्यवर, इसको किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, निश्चित तौर पर मैं यह चाहूँगा कि इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिये और जिन भी माननीय सदस्यों ने आपके ऊपर आक्षेप लगाया है। निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये। कोई भी व्यक्ति सदन से बड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सदन की मर्यादा से बड़ा नहीं है। चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो ? मान्यवर, हमने भी देखा है लोगों ने किस तरह सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम लोग मर्यादा को मानने वाले लोग हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में बैठ गये)

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम खड़े हो गये, उसके बाद भी हमें समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

जब सदन व्यवस्थित ही नहीं है तो मैं किसको बुलाऊँ ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आदर कर-कर के जब हम सीमा पार कर गये हैं और जब पूरा हाउस एक हो गया और जब हम खड़े हो गये तो आपने उनको बुला लिया।

श्री अध्यक्ष-

जब संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये मैं उनको कैसे रोकता ? मैं अभी व्यवस्था देने जा रहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम सदन को चलाना चाहते थे, इसलिये खड़े हुये और आपने मेरी ओर देख करके भी उनको बुलवा लिया।

नोट :- [× × ×] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं देख करके नहीं, हमारी बात भी सुन लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप सभी को निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

परम्पराओं को बहुत बता रहे हैं, आप जितना बोलना चाहते हैं सदन को व्यवस्थित करके उसमें कहीं भी हमारी तरफ से चूक हुई हो या हमारी ओर से कोई कोताही हुई हो तो बतायें। संसदीय कार्य मंत्री बीच में खड़े हुये कुछ तर्क रखने के लिये और अभी मैं व्यवस्था तक नहीं दे पाया था। नेता प्रतिपक्ष की ओर से बोलने में कही मेरी तरफ से इस तरह की बात नहीं आयी, तब भी आरोप मेरे ऊपर लगाये गये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं सदन को चलाना चाहता था इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से पहले खड़ा हो गया लेकिन आपने मुझे मौका न दे करके उन्हें मौका दे दिया, यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

हम कभी पक्षपात नहीं करते हैं, हमारी कभी पक्षपात की जहनियत नहीं रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है कि कैसे सदन की कार्यवाही चले ? मान्यवर, पीठ पर कभी आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है और मान्यवर, अगर इस प्रकार से परम्परा का हनन होगा कि पीठ पर भी आक्षेप लगाया जाये और वह भी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा तो यह कदाचित उचित नहीं होगा और कोई भी सदस्य इसको तर्कसंगत सिद्ध नहीं कर सकता। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और माननीय अध्यक्ष, सभी की अपने-अपने स्थान पर गरिमा है। माननीय अध्यक्ष से असहमत और सहमत होने के बावजूद भी जो सदन की नियमावली है जो परम्पराएं हैं, उसके अनुसार मा0 अध्यक्ष पर आक्षेप नहीं लगाये जा सकते हैं। मान्यवर, आज क्या इस तरह की भी स्थिति हो सकती है, जिस प्रकार से आपके ऊपर आक्षेप लगाये जा रहे हैं क्या यह उचित होगा, मेरी समझ से मान्यवर, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मान्यवर, आपने व्यवस्था दिया, कुछ सदस्य सदन में रिपोर्टर्स की मेज पर चढ़े, आपने इंगित किया और मैंने प्रस्ताव किया और अब यदि आपके आदेश का पालन नहीं होता है तो सदन में कोई परिपाटी सार्थक नहीं हो पायेगी, इसलिए सर्वप्रथम आपके आदेश का परिपालन होना चाहिए। आपके आदेश के पालन के उपरान्त ही हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, इससे पहले कोई पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अभी हम लोग प्रश्नकाल में परम्परा, गरिमा तथा शालीनता की बात बहुत अधिक कर रहे थे। मान्यवर, मेरे दो सुझाव हैं, एक तो आपके निर्णय के अनुसार, आपके विवेक के अनुसार जो कुछ अशोभनीय आपत्तिजनक शब्द हैं, उन्हें आप कार्यवाही से निकाल दें। दूसरा, एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना और अप्रत्याशित निर्णय हुआ है। मैं समझता हूं कि बजट सत्र का पूरा कार्यकाल अभी बाकी है, वह भी शालीनता और शान्ति से चले, सद्भावना और सहयोग से चले, इलिए मेरा सुझाव है कि आप सदन को पांच मिनट के लिए स्थगित कर दें और सभी नेताओं को बुलाकर अपने चैम्बर में बात कर लें ताकि इसका सद्भावनापूर्ण समाधान किया जा सके। क्योंकि जो कुछ आपका दृष्टिकोण और संसदीय कार्य मंत्री जी का दृष्टिकोण था वह भी सामने आ गया है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। सदन का पूरा सत्र सद्भावना से चले यह आवश्यक है क्योंकि दोनों पक्षों की बहस से कोई चीज पास होगी तो इनके लिए भी सम्मानजनक होगा। पूरा प्रमुख विपक्षी दल इस सत्र के लिए निष्कासित कर दिया जाये और आप बजट पास कर लें तो यह भी बहुत शालीन और मर्यादित परिस्थिति इस सदन के लिए नहीं होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि पांच मिनट के लिए सदन स्थगित कर दें और सभी दलों के नेता बैठ करके इसका कोई सद्भावनापूर्ण समाधान निकाल लें, यह मेरा सुझाव है और निर्णय आप ले सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब एक किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति हो जाती है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस समय जो परिस्थिति आ गयी है, परिस्थिति दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, यह सत्र की शुरुआत है, बजट सत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र होता है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी चर्चा चल रही है, बजट पर भी चर्चा चलेगी, बजट पारित होगा, इस प्रकार बहुत लम्बा सत्र है। मैं इसे सबसे पहले कह देना चाहता हूं कि आपकी पीठ सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसका आदर कहीं से भी कम नहीं किया जा सकता है, आपका सब सम्मान करते हैं, बहुत ही सम्मानित पीठ है। आप पर यह निर्णय छोड़ देते हैं, कि जो कुछ भी अभी तक घटित हुआ है, आप कार्यवाही मंगाकर देख लें आपको जो लगता हो कि आपकी अनुमति के बगैर कोई बात कही गयी हो, असंसदीय या अनुचित हो तो उसको कार्यवाही से निकाल दें। यह भी आग्रह करता हूं कि आपकी पीठ के बाद अगर कोई आदरणीय सीट है तो वह मा0 नेता सदन और मा0 नेता प्रतिपक्ष की होती है। एक स्थिति ऐसी बन गयी है, आपसे विनम्रतापूर्वक मैं एक आग्रह करूंगा कि आप सदन को स्थगित कर दें, आपके कक्ष में सत्तापक्ष से संसदीय कार्य मंत्री को, मा0 नेता विरोधी दल से मैं भी हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि वह भी चलें, हम लोग भी चले चलते हैं, किसी के पास कोई रेडीमेड साल्यूशन नहीं है लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर सबसे बड़े विरोधी दल को सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर देंगें, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपसे भी विनम्र अनुरोध कर

रहा हूं कि फिर सदन की गरिमा क्या रह जायेगी ? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सदन के दो पहिये हैं, अगर विरोधी दल को तब निष्कासित किया जाता है जब परिस्थितियां इतनी अपरिहार्य हो जांए कि उसके बाद कोई दूसरा रास्ता न बचे। अगर आज ऐसी परिस्थिति जो आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो इसे भी वापस लेने का प्राविधान भी इसी नियम में है। आपने जो पारित कराया है उसे वापस लेने पर विचार हो सकता है। मेरा विनम्र आग्रह है कि 5 मिनट या 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दें और बैठकर बात कर लें। अगर 10 मिनट का समय निकल जाने देंगे तो जैसे सोडा की बोतल होती है थोड़ी देर के लिए गैस निकल जाए तो काफी कुछ विराम लग जाता है। तो अब बहुत कुछ हो गया है, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सदन की गरिमा के लिए आप जो निर्णय लेंगें, मैं आपका आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप जो निर्णय लेंगे शिरोधार्य होगा। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने जो सुझाव दिया मैं उसका समर्थन करता हूं। नेता विरोधी दल के पद की गरिमा रहे, सम्मानित विरोधी दल के सदस्य भी कार्यवाही में हिस्सा लें। इसलिए मान्यवर, आप अपने कक्ष में बुला लें और बैठ करके वार्ता हो। इन सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर मिले ऐसा कोई रास्ता ढूंढ़ लें। अगर कोई बात असंसदीय लगी हो तो उसे कार्यवाही से निकाल दें और जहां तक विषय था उसके लिए मैंने सुझाव दिया है चर्चा का, वह आपके सामने है नियम-49 का उस पर विचार कर लें। आप सबसे पहले इनको सुन लें लेकिन इसका कोई न कोई समाधान निकालें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हम मजबूर हो गये। कल भी [× × ×] मुझे अपमानित किया गया। मैं आपका हमेशा आदर करता रहा हूं, कहा भी सदन के अन्दर, आदर करता हूं। लेकिन मैंने इतना आपसे आग्रह किया कि अब बजट तो पेश हो ही गया है और बजट पेश होने के बाद यह परम्परा यहां की नहीं संसद की है। संसद में चिदम्बरम साहब वित्तमंत्री थे वह बजट पेश कर रहे थे हम उस समय खड़े हो गए तो 20 मिनट तक उनका भाषण रुका रहा उन्होंने हंसकर जवाब दिया क्योंकि भाषण में धान, गेहूं, कपास आदि का तो जिक्र था लेकिन आलू का जिक्र नहीं था और आलू हापुड़ में सड़ रहा था। मालिकों ने नोटिस दे दिया था कि आलू तुरन्त उठा ले जाइए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। हमने इस समस्या पर संसद में अपनी बात रखी और इस पर अन्य नेताओं को भी सुना गया, 20 मिनट तक भाषण रुका रहा। इसके बाद वित्त मंत्री ने सकारात्मक जवाब भी दिया। अध्यक्ष जी कल हम जब खड़े हुए तो हमने आपको आग्रह किया, कार्यवाही में लिखा होगा। अब बजट तो पेश हो गया है अब मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। हमने अनुमति मांगी। आपने अनुमति नहीं दी, मैं चला गया। मैं इधर-उधर रहा, रात में आपके कई फोन गये। यह सच है कि मैं आना नहीं चाहता था। आते भी तो बोलते नहीं। लेकिन आपने

नोट :- [× × ×] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहा कि आप आइए। हमने कहा कि हमें आपसे भी कुछ शिकायत है लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं आ रहा हूं। आज जैसे ही यह अन्दर जाने लगे सब अन्दर भी नहीं गए थे मैं खड़ा हो गया। मैं अपनी बात कह भी नहीं पाया था कि आपने इंगित करके वोट भी करवा दिया। निकालना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, 52 विधायक एक महीने के लिए निकल चुके हैं उसका परिणाम भी मिल गया था। हम असली जनता के बीच चले गए जो चुनकर भेजते हैं उनके बीच चला गया और उसका परिणाम मिल गया। जनता ने हमें चुनकर भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, जब परम्पराएं टूटेंगी तो पीठ पर कोई न कोई इशारा होगा। पीठ को समझाने की कोशिश भी की जाती है। जब सारे नेता एक हो गए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब सारे नेता एक हो जाते हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उनकी बात मानी जाती है। नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दी जाती तो इसमें क्या मुश्किल थी ? जब कोई निर्णय नहीं लेंगे तो मजबूरी में इस तरह के शब्द निकलते हैं। इसे पक्षपात कहो या और कुछ कहो अध्यक्ष महोदय, हम कभी भी सदन में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं डालते हैं न ही मैं इस पक्ष में हूं। मैं खड़ा हो गया था लेकिन आपने तुरन्त इंगित कर दिया ओर इंगित ही नहीं निष्कासित भी कर दिया और वोट भी डलवा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह जो निष्कासन हुआ है इसको वापस लिया जाय। हम इस सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर निकालना है तो सबको निकलवा दीजिए। जो नेताओं ने बात कहीं है मैं उससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष-

शुरू में ही नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेताओं, सदस्यों ने मुझे विश्वास दिया था और सभी के विश्वास से मैं यहां बैठा हूं। मैंने शुरू में ही यह कहा था कि मैं एक पक्षीय कभी नहीं होऊंगा। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि आपके सुझाव हमारे लिए आर्शीवाद के रूप में हैं। इस बात को मैंने शुरू में ही माननीय नेता प्रतिपक्ष व अन्य दलीय नेताओं से कहा था कि मेरी तरफ से कभी भी एक पक्षीय होने की कोशिश नहीं रहेगी हो सकता है कि कहीं पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मैं हर दल के नेताओं की भावनाओं पर खरा नहीं उतर पाता हूं। लेकिन मैं बाद में उसका प्रायश्चित भी करता हूं। अपने कक्ष में मैं श्याम देव राय चौधरी साहब से यही बात कह रहा था कि वहां थोड़ा सा असंतुलन हो गया तो उन्होंने कहा भी कि यह अच्छी बात है कि आप प्रायश्चित कर रहे हैं मैं इस भावना का हूं। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं आपका लम्बा अनुभव है लोक सभा से लेकर विधान सभा तक का लम्बा अनुभव है आपके अनुभव से नए सदस्य भी सीखते हैं। जो यूरिया से सम्बन्धित प्रश्न था उस पर नियम-49 के तहत चर्चा की मांग की गई मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न की परिधि में ही उत्तर देंगे। अभी हमारा निर्णय भी नहीं आया था।

आज जो इस तरह से रिपोर्ट्स टेबिल पर चढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी हमको भी कष्ट होता है कि बहुत कुछ करें। यह हमारे भाई बहिन जो यहां बैठे रहते हैं इनका भी हम

सम्मान करें। यह आपकी कार्यवाही तैयार करने की पूरी व्यवस्था करते हैं। मैं समझता हूं कि कभी इनके ऊपर इस तरह से टेबिल पर न चढ़े। इसलिये मैं किसी पक्ष की तरफ नहीं स्वयं अपने विवेक से निर्णय से लिया कि सदस्य वहां पर न चढ़े। वहां तक तो आपको अधिकार है ही। आप वहां वेल में आकर विरोध करेंगे। नारे लगाते हैं और पीठ से कहते हैं। मैंने स्वयं अपने स्वविवेक से मैं नेता प्रतिपक्ष जी को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इशारों में नहीं। कल के सन्दर्भ में भी व्यवस्था के प्रश्न में उठाया था श्री नरेश अग्रवाल जी ने माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय हुकुम सिंह जी सबके विचार आये। हम सबने स्वीकार किया कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का जब तक पूरा सम्मान नहीं रहेगा इस सदन में तो यहां पर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए अगर कहीं हम लोगों से कुछ अटपटा सा होता है तो इसके लिये तमाम परम्पराएं हैं, कि बैठ लिया जाता है। आज उस परम्परा का पालन करते हुए भी मैं साढ़े बारह बजे तक सदन को स्थगित करता हूं! आमंत्रित करता हूं कि आप लोग हमारे कक्ष में आये और कुछ वार्ता करें।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सदन का उपवेशन 12 बजकर 15 मिनट पर 15 मिनट तक के लिये स्थगित किया। 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की नदियों पर बने पुलों से टोल टैक्स को समाप्त करने की मांग

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों पर बने पुलों से टोल टैक्स को समाप्त करने की शासन की क्या नीति है ? इलाहाबाद स्थित गंगा नदी पर बने "शास्त्री पुल" और "चन्द्रशेखर आजाद पुल" कब तक टोल टैक्स मुक्त हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश के नदियों पर बने सेतुओं पर पथकर की वसूली नियमानुसार ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित पुल की लागत की वसूली पूर्ण होने अथवा 50 वर्ष की अवधि तक (जो भी पहले हो) किये जाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय मार्ग पर अवस्थित सेतुओं के पथकर की वसूली के सम्बन्ध में भारत सरकार के राजपत्र संख्या-335, दिनांक 27-08-97 के अन्तर्गत शुल्क निष्पादन एजेन्सी द्वारा स्थाई रूप से पथकर वसूल किये जाने का प्राविधान है। अतः इलाहाबाद के राष्ट्रीय मार्ग संख्या-2 पर बने "शास्त्री पुल" और राष्ट्रीय मार्ग सं0-96 पर बने "चन्द्रशेखर आजाद सेतु" पर पथकर की वसूली उपरोक्त प्राविधान के अनुसार स्थायी रूप से चलती रहेगी।

उपरोक्तानुसार।

कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग तथा माल एवेन्यू के सरकारी आवासों का गैर सरकारी उपयोग

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग तथा माल एवेन्यू, लखनऊ में बने सरकारी आवास जो प्रदेश सरकार के मंत्रियों, उच्च न्यायालयों के जजों तथा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिये आरक्षित थे, को निजी ट्रस्ट या राजनीतिक दलों के नाम से आवंटित कर दिये गये हैं या उक्त आवासों को गिराया जा रहा है, जिससे सरकारी आवासों की उपलब्धता में निरन्तर कमी आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों के गैर सरकारी उपयोग को रोकने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जी नहीं। विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास संख्या-1 डा0 राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट तथा आवास संख्या-19 ए, कार्यालय समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 के पक्ष में आवंटित है। माल एवेन्यू स्थित आवास संख्या-11 ए लोक बन्धु राजनारायण ट्रस्ट को, आवास संख्या-4 महत्तम राय सेवा ट्रस्ट को, आवास संख्या-12 नया कार्यालय बहुजन समाज पार्टी को तथा आवास संख्या-7 कार्यालय युवक कांग्रेस आई के पक्ष में आवंटित है। मात्र एक आवास 12 ए माल एवेन्यू जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण अध्यासन हेतु असुरक्षित हो गया था जिसे तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कर्मचरियों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ते आदि की मांग

*3-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते का पचास प्रतिशत जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वेतन में मंहगाई भत्ते के पचास प्रतिशत जुड़ने के उपरान्त आये मूल वेतन (धनराशि) पर मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति, प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भत्तों के लिए केन्द्र से समानता का सिद्धान्त प्रदेश सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को राज्य सरकार वहन करने की स्थिति में नहीं है।

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व से निश्चित करने की योजना

*4-डा0 अजय तोमर-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में कौन-कौन से धर्म/जातियां सम्मिलित हैं ? राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं ? वर्तमान में प्रदेश के किस- किस अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत किया गया है ? क्या सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)-

प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम, ईसाई सिख, बौद्ध, पारसी व जैन सम्मिलित हैं।

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 17 सदस्य नियुक्त हैं।

वर्तमान में उ0 प्र0 अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष के एक-एक एवं उपाध्यक्ष के दोनों पदों पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को नामित किया गया है। सदस्यों में पारसी समुदाय को छोड़कर अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों को नामित किया गया है।

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा-3(2), में यह व्यवस्था है कि आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 17 अन्य सदस्य होंगे। इस व्यवस्था में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था नहीं हैं।

उपर्युक्त आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान

*5-श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के अवशेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2007-08 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा देय राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत् किया गया है :-

1-अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिए रु0 122.50 प्रति कुन्टल

2-साधारण प्रजातियों के लिए रु0 125.00 प्रति कुन्टल

3-अगैती प्रजाति के लिए रु0 130.00 प्रति कुन्टल

निजी चीनी मिलों की रिट याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-11-2007 के अनुपालन में रु0 110.00 प्रति कुन्टल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान किया जा रहा है।

दिनांक 11-02-2008 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

	देय गन्ना मूल्य	भुगतान	अवशेष	भुगतान प्रतिशत
निगम क्षेत्र	180.99	51.24	129.75	28.31
सहकारी क्षेत्र	387.04	162.36	224.68	41.95
निजी क्षेत्र	3024.81	2345.17	679.64	77.53
योग-	3592.84	2558.77	1034.07	71.22

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु चीनी मिलों पर दबाव बनाया जा रहा है।

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने एवं उपभोक्ताओं को तेल उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

*6-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किया जाने वाला मिट्टी का तेल कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जबकि कालाबाजारी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ? क्या सरकार कालाबाजारी को रोकने एवं उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा और मूल्य पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से एल0पी0जी0 कनेक्शन रखने वाले कार्ड धारकों को 03 लीटर तथा बिना गैस कनेक्शन धारकों को 05 लीटर मिट्टी तेल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। ए0पी0एल0 के नये कार्ड अधिकाधिक बन जाने के कारण कहीं-कहीं निर्धारित मात्रा में मिट्टी का तेल राशनकार्ड धारकों को नहीं मिल पा रहा है परन्तु सभी कार्डधारकों को मिट्टी के तेल का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। कालाबाजारी में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध होने की कोई सूचना नहीं है।

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने एवं उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन के आदेशानुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू है तथा अगस्त 2007 से जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक उचित दर की दुकानों पर कैम्प कराकर प्रतिमाह निश्चित तिथि पर कार्डधारकों को वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। वितरण में दोषी पाये जाने वाले विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में यमुना पर बैराज बनाने की योजना

*7-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में यमुना पर बैराज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में यमुना पर बैराज बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में गोवर्धन कस्बे से मदिरा की दुकानों को स्थानान्तरित करने की मांग

*8-श्री पूरन प्रकाश-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोबर्धन के अन्दर श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा को करोड़ों भक्तजन एवं परिक्रमार्थी आते हैं और यहां गोबर्धन में शराब के ठेकों के चलने से उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है ? क्या सरकार शराब के ठेकों को गोबर्धन कस्बे से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यह सही है कि श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा को भक्तजन आते हैं, किन्तु उन्हें शराब के ठेके से कोई असुविधा नहीं होती और न ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है क्योंकि कोई भी मदिरा की दुकान परिक्रमा मार्ग पर स्थापित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र मद्य-निषेध क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिये वहां आबकारी की दुकानें लगभग 20 वर्षों से भी अधिक समय से संचालित हैं। शराब के ठेकों को

यदि गोवर्धन कस्बे के बाहर स्थानान्तरित किया जाता है तो सरकार को न्यूनतम लगभग रु0 1.82 करोड़ के राजस्व की क्षति होने एवं कस्बे में अवैध शराब माफियाओं के सक्रिय होने की आशंका है। राजस्वहित में एवं जनता को मानक मदिरा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुये गोवर्धन कस्बे की दुकानों को कस्बे से बाहर स्थानान्तरित करना उचित न होगा।

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आहरण वितरण का कार्य समाप्त कराने के निर्देश

*9-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वित्त बजट अनुभाग-1 के आदेश संख्या-बी-1-1704/दस-1999 दिनांक 21 अप्रैल, 1999 में आहरण एवं वितरण का कार्य लिये जाने हेतु पद रिक्त होने की दशा में समकक्ष वेतनमान के अधिकारी को डी0डी0ओ0 कोड आवंटित करने हेतु शासनादेश में व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो जनपद एटा, बलरामपुर, कानपुर देहात, हरदोई, लखीमपुर खीरी जनपदों में तैनात प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जो "समूह ग" के कर्मचारी हैं, को डी0डी0ओ0 कोड आहरण वितरण हेतु आवंटित किया गया है एवं वित्त विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारियों से आहरण वितरण का कार्य समाप्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी हां।

वित्त विभाग द्वारा प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी नामित नहीं किया गया है।

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आहरण वितरण का कार्य समाप्त कराये जाने के निर्देश समाज कल्याण विभाग को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या आदि की जानकारी

*10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के अनुरूप बी0पी0एल0 के कार्ड नहीं बने हैं ? क्या इसके कार्डों की संख्या बढ़ाने तथा इस वर्ग के लिये अधिक अनाज आवंटन के लिये भारत सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? क्या सरकार इस दिशा में भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय से सम्पर्क करके बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या आबादी के अनुरूप बढ़ाने एवं अधिक अनाज आवंटित करने की मांग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या भारत सरकार द्वारा 106.79 लाख निर्धारित है और इस निर्धारित संख्या के अन्तर्गत बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड बने हैं।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त कार्ड दिये जाने के लिए असमर्थता व्यक्त की गयी है।

भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा लक्ष्य बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने की कार्य योजना

*11-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहरों की सफाई तथा उनमें सुधार करके उसके टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। प्रदेश में जल स्रोत यथा जलाशयों एवं नदियों में जल उपलब्धता के अनुसार नहरों के संचालन हेतु बनाये गये रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने हेतु रबी एवं खरीफ फसल से पूर्व मरम्मत एवं सिल्ट सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाकर कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम ऐठा हुसेनपुर में सभी बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम ऐठा हुसेनपुर में गरीबी रेखा व अन्त्योदय के कितने कार्ड बने हैं तथा कितनों का अनाज कोटेदार को

पिछले एक वर्ष से दिया जाता है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम ऐठा हुसेनपुर में सभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को जो कार्ड धारक भी हैं पिछले कई माह से अनाज नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाज का वितरण ठीक प्रकार से कार्ड धारकों को कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम ऐटा हुसेनपुर में बी0पी0एल0 के 55 तथा अन्त्योदय के 24 राशन कार्ड प्रचलित हैं। उक्त समस्त राशन कार्डों पर खाद्यान्न पिछले एक वर्ष से दिया जा रहा है।

जी नहीं, सभी बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है।

खाद्यान्न का वितरण प्रतिमाह राशन कार्ड धारकों को नामित पर्यवेक्षकीय अधिकारी की उपस्थिति में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में ओ0बी0सी0 के मानचित्रकार के बैकलाग के अन्तर्गत उपलब्ध पदों की जानकारी

2-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में बैकलाग भर्ती-2007 के अन्तर्गत विज्ञापित अन्य पिछड़ा वर्ग के मानचित्रकार के 16 पदों के सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ? क्या प्रमाणित सूची पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 धारा-6 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना में आपके विभाग के पत्रांक 7323 व्यघ/6225 व्यघ/07 लखनऊ दिनांक 22-11-07 के पत्र में उत्तर दिया गया है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है ? यदि हां, तो ओ0बी0सी0 के मानचित्रकार के 16 पदों के सापेक्ष कितनी संख्या घटी या बढ़ी है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लोक निर्माण विभाग में बैकलॉग भर्ती 2007 के अन्तर्गत 02 अनु0जा0, 05 अनु0 जनजा0 एवं 16 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद समाचार-पत्र में विज्ञापित कराये गये थे। बैकलाग भर्ती हेतु अधिसंख्य पदों की पुनः समीक्षा की गयी, जिसमें अनु0जा0 के 02 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 पदों का औचित्य नहीं पाया गया। अतः पद उपलब्ध न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, उक्त वर्ग के पदों की विज्ञप्ति की अभ्युक्ति में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

ओ0बी0सी0 के मानचित्रकार के बैकलाग के अन्तर्गत पद उपलब्ध नहीं हैं।

जनपद बागपत के सभी ब्लाकों में स्थापित नलकूपों की संख्या एवं खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

3-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के सभी ब्लाकों में कितने-कितने राजकीय नलकूप दिसम्बर, 2007 तक स्थापित हो चुके हैं इनमें से वर्तमान में कितने राजकीय नलकूप चालू स्थिति में हैं तथा कितने खराब हैं ? खराब नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-बागपत के सभी विकास खण्डों में दिसम्बर, 2007 तक कुल 342 राजकीय नलकूप स्थापित किये गये हैं।

उपरोक्त 342 नलकूपों में से 94 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं, 24 नलकूप असफल हैं एवं 2 नवीन नलकूपों का ऊर्जीकरण शेष हैं इस प्रकार 120 नलकूप विभिन्न कारणों से चलित नहीं हैं। शेष चलित 222 नलकूपों में से दिनांक 27-12-07 की बन्दी के अनुसार 04 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 02 नलकूप विद्युत दोष से (कुल 06 नलकूप) अस्थायी रूप से बन्द थे।

अस्थायी रूप से बन्द सभी 6 राजकीय नलकूपों को दोष मुक्त कराते हुए चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नकछेद पुत्र प्रसाद ग्राम प्रधान अचलपुर विकास खण्ड-जामों, जनपद-सुल्तानपुर के पत्र पर कृत कार्यवाही

4-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर, उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित नकछेद पुत्र प्रसाद ग्राम प्रधान अचलपुर सुल्तानपुर का शिकायती पत्र दिनांक 15-1-07 जो गांव सभा अचलपुर में प्रधान के फर्जी मोहर हस्ताक्षर से बी0पी0एल0 सूची के अपात्रों को राशन कार्ड बांटने की शिकायत के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

श्री नकछेद पुत्र प्रसाद ग्राम प्रधान अचलपुर विकास खण्ड-जामों, जनपद-सुल्तानपुर के पत्र पर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा उप जिलाधिकारी गौरीगंज के स्तर से शिकायतकर्ता को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा खण्ड विकास अधिकारी जामों को भी पत्र दिनांक 21-6-07 द्वारा प्रधान ग्राम सभा अचलपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त करने को कहा गया। खण्ड विकास अधिकारी, जामों की आख्या दिनांक 13-7-07 द्वारा अपात्रों का नाम निरस्त करके पात्रों के चयन की कार्यवाही पूर्ण करने की जानकारी दी गयी है तथा प्रधान के शिकायती-पत्र का निस्तारण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण के आदेश

5-श्री सुखलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र, पीलीभीत में बीसलपुर रोड से गाजीपुर कुण्डा गांव देवहा नदी पर निर्मित पुल के दोनों तरफ से सम्पर्क मार्गों के अपूर्ण होने के कारण निष्प्रयोज्य पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोनों तरफ अपूर्ण सम्पर्क मार्ग को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सेतु का निर्माण सेतु निगम द्वारा पूर्ण किया जा चुका है, परन्तु नदी का प्रवाह अभी भी पुल से दूर बरखेड़ा की तरफ बह रहा है जिससे पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्गों (सम्पर्क मार्गों) का निर्माण नहीं कराया जा सका।

नदी की धारा स्थिर न होने के कारण आई0आई0टी0, रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा नवाबगंज साइड में पहुंच मार्ग अभी न बनाये जाने का सुझाव दिया गया है तथा उनके द्वारा दी गयी राय के आधार पर सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं। इस टीम की निरीक्षण आख्या/संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त एवं वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में स्थित बघला नहर के सभी टेल पर पानी पहुंचाने की मांग

6-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में बघला नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाने के कारण तहसील बारा के मौहरिया तथा कुशला ग्राम सहित लगभग पचास

गांव असिंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में टोंस नदी (इलाहाबाद) पर लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में स्थित बघला नहर खण्ड इलाहाबाद के सभी टेल पर पानी पहुंच रहा है। टेल पर स्थित मौहरिया ग्राम सहित सभी ग्रामों की सींच हो रही है। इसलिए टेल पर स्थित ग्रामों में सिंचाई की कोई समस्या नहीं है।

बघला नहर के कमाण्ड में कुशला नाम का कोई ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि मौहरिया सहित सभी ग्रामों में वर्तमान व्यवस्था से सींच होती है।

जनपद इलाहाबाद से सुल्तानपुर की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की जानकारी

7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद से सुल्तानपुर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे बसों के संचालन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

यह राष्ट्रीय मार्ग है, जिसके रख-रखाव हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है।

क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत 30-06-08 तक किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जनपद के फाफामऊ बाजार से लखनऊ रोड पर मिलाने वाले बसना नाले पर बने पुल के पुनर्निर्माण की जानकारी

8-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के फाफामऊ बाजार से लखनऊ रोड पर मिलाने वाले बसना नाले पर बना पुल बहुत ही पुराना व जर्जर हालत में है जिससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो उक्त पुल का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। इस सेतु से आवागमन प्रतिबन्धित है। आवागमन इसी राष्ट्रीय मार्ग संख्या-96 पर निर्मित सेतु से हो रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम-किन्हाबर से धनमऊ मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

9-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में वर्ष 2005-2006 व 2006-2007 में ग्राम किन्हाबर से धनमऊ मार्ग के पेन्टिंग हेतु धनराशि आवंटित हुई थी जिसका कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पेन्टिंग कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2005-06 में किनहाबर से धनमऊ मार्ग के पेन्टिंग कार्य हेतु कोई स्वीकृति नहीं हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम किन्हावर से धनमऊ मार्ग के निर्माण हेतु रु0 36.75 लाख की पेन्टिंग स्तर तक की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्रथम सतह लेपन तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

द्वितीय सतह लेपन का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के ग्रा0 नं0 शिम्भू ब्लाक सुल्तानगंज से जरामई मार्ग तक के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

10-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ग्रा0 नं0 शिम्भू ब्लाक सुल्तानगंज से जरामई तक के मार्ग पर वर्ष 2004-2005 व 2005-2006 व 2007 में पेन्टिंग स्तर तक कार्य स्वीकृत हुआ था जिसका कार्य वर्तमान में अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, वर्ष 2005-2006 में स्वीकृत हुआ है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

स्व0 राम कृष्ण नलकूप चालक की बेवा श्रीमती रामप्यारी को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर के भुगतान की मांग

11-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के पहले बुध के अता0प्र0सं0-86 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कृष्ण पुत्र मैकूलाल नलकूप चालक की बेवा

श्रीमती रामप्यारी को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, श्री राम कृष्ण पुत्र श्री मैकूलाल, नलकूप चालक की बेवा श्रीमती रामप्यारी को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर की धनराशि रु0 4,981 का भुगतान दिनांक 15-04-2005 को किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में रजवाहों और माइनरों की सफाई की मांग

12-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में जून, 2007 से नवम्बर, 2007 तक कौन-कौन सी नहर अथवा माइनरों की सफाई कराई गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मैनपुरी में माह जून, 2007 से नवम्बर, 2007 तक 8 रजवाहों में 106,05 किमी0 तथा 44 माइनरों में 146.81 किमी0 सफाई कराई गई।

जनपद मैनपुरी के जी0टी0 रोड विछवां से नहर पुल तक सड़क का पेन्टिंग कार्य पूर्ण करने की मांग

13-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में जी0टी0 रोड विछवां से नहर पुल तक सड़क का पेन्टिंग कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-832/35-4-2007 दिनांक 08-06-07 के अनुपालन में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत उपयोग के स्तर तक निर्माण कार्य दिनांक 31-03-08 तक किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-जहांगीरगंज के कोटेदार श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध जांच

14-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-जहांगीरगंज की ग्राम सभा हरदिया जलाल में वर्तमान कोटेदार द्वारा बी0पी0एल0 एवं

अन्त्योदय कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर राशन वितरित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

ग्राम सभा हरदिहा जलाल विकास खण्ड-जहांगीरगंज के कोटेदार श्री गुलाब सिंह के वितरण की जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि उचित दर विक्रेता द्वारा अन्त्योदय कार्डधारकों को 30 कि0ग्रा0 खाद्यान्न रु0 100 एवं चीनी का वितरण रु0 15 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया गया है, जिसके लिए उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध पत्र उपजिलाधिकारी, आलापुर द्वारा दिनांक 08-02-08 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में करछुलिया घाट पर पक्का पुल बनवाने की मांग

15-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-2007 जो जनपद सिद्धार्थनगर में उस्का-सोहान मोहाना मार्ग के कि0मी0 3 में करछुलिया घाट पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

परीक्षणोंपरान्त आगणन गठन की प्रक्रिया में है। स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को अवमुक्त करने की मांग

16-श्री उदयभान करवरिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि जिला प्रशासन द्वारा विकास कार्यों हेतु अवमुक्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासन द्वारा जिलांश मद में रु0 260.80 लाख आवंटित किया गया जिसके सापेक्ष रु0 201.60 लाख जिला प्रशासन द्वारा अवमुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के कैलाश महादेव मन्दिर के पास यमुना नदी पर पुल बनवाने की जानकारी

17-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीर्थ स्थली बल्देव, जनपद मथुरा व पर्यटक स्थली आगरा को जोड़ने वाले सीधे मार्ग पर आगरा शहर के समीप कैलाश महादेव मन्दिर के पास यमुना नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-48/रालोद/विमदल/विस/2007 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

18-श्री सुधीर कुमार-

[1ले सोम0 के अता0 प्र0 सं0-131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-थाना के किसानों की जमीन के मुआवजे भुगतान की जानकारी

19-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में बांसी-थाना लो0नि0 मार्ग में पड़ने वाली जमीन का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो सरकार किसानों का मुआवजा कब तक दिला देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, कुल 92 किसानों के जमीन के मुआवजे के भुगतान अवशेष है। शेष प्रभावित किसानों को नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है।

अवशेष 92 किसानों की जमीन के मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राकल्पित वेतन निर्धारण की मांग

20-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महालेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों भांति स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्राकल्पित वेतन निर्धारण का लाभ दिनांक 1-1-96 से दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में लिये गये सामान्य निर्णय का अनुसरण करने के कारण।

जनपद लखीमपुर खीरी के सटे नेपाल बार्डर पर बांध बनाकर छोड़े गये पानी को रोकने की मांग

21-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखीमपुर खीरी जिले में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बनबसा बांध द्वारा अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखीमपुर खीरी के सटे नेपाल बार्डर पर बांध बनाकर छोड़े गये पानी को रोके जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-लखीमपुर खीरी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु भारत एवं नेपाल राष्ट्रों के बीच समझौते एवं आपसी सहमति के अनुसार क्रियान्वयन पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों के बीच समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं, परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई निर्णयात्मक नीति निर्धारित नहीं हुई है।

जी हां।

खीरी से सटे बार्डर पर ही, अपस्ट्रीम में पन्चेश्वर के पास नेपाल के सहयोग से बांध सहित बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित है।

भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के मध्य सहमति होने पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताना व्यवहारिक न होगा।

जनपद लखीमपुर खीरी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लेपन कार्य हेतु आवंटित धनराशि आदि की जानकारी

22-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने मार्गों के लेपन कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गई है तथा उसमें कितने मार्गों का लेपन कार्य पूर्ण हो गया है और कितने अवशेष है ? सरकार उक्त शेष मार्गों का कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जनपद-लखीमपुर खीरी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 283 मार्गों के लेपन स्तर तक कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तथा उनमें से 72 मार्गों का लेपन कार्य दिनांक 31-01-08 तक पूर्ण हो गया है। 211 मार्ग अवशेष हैं।

अवशेष मार्गों को मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी में गंगा के तट से 200 मीटर के दायरे के जर्जर भवन के परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु अनुमति

23-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में गंगा तट के प्रायः सभी भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं लेकिन 200 मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबन्ध के नाम पर निर्माण तथा परिवर्तन एवं परिबर्धन की अनुमति विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं दिये जाने से जर्जर मकान खण्डहर में तब्दील होते जा रहे हैं ? क्या सरकार निषिद्ध क्षेत्र 200 मीटर को परिभाषित करेगी एवं जर्जर भवन स्वामियों को मकान के निर्माण तथा परिवर्तन एवं परिबर्धन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण को निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, प्राचीन संस्कृति को विलुप्त होने से बचाये रखने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-840/9-आ-3-01-127काम्प/99, दिनांक 11 अप्रैल, 2001 निर्गत किया गया है, जिसमें निहित व्यवस्था के अनुसार गंगा नदी तट से 200 मीटर तक प्राचीन भवनों, हेरिटेज भवनों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के कार्य की अनुमति इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (इण्टेक) से परामर्श पर अनुमति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-840/0-आ-3-01-127काम्प/99, दिनांक 11 अप्रैल, 2001 में उपरोक्त व्यवस्था प्राविधानित है।

जनपद बागपत स्थित रमाला चीनी मिल क्षेत्र के उक्त हिस्से में सड़क का चौड़ीकरण एवं खड़ंजा लगाने की मांग

24-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत स्थित रमाला चीनी मिल जो राज्य मार्ग संख्या-57 दिल्ली-यमनोत्री मार्ग पर स्थित है पर गन्ना सीजन में चीनी मिल गेट पर आने वाले गन्ने की ट्रैक्टर ट्राली व बुग्गी एवं ट्रक आदि के कारण आवागमन बाधित हो जाता है यदि हां, तो क्या सरकार रमाला चीनी मिल क्षेत्र को उक्त हिस्से में सड़क के दोनों ओर 10 (दस) फुट चौड़ा खड़ंजा लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, गन्ना पेराई सीजन में कभी-कभी आवागमन बाधित हो जाता है।

प्रश्नगत मार्ग की लेपित चौड़ाई 7.00 मीटर है तथा किनारों की चौड़ाई लगभग 2.00 मीटर है। इसके अतिरिक्त 10 फुट और खड़न्जा लगाने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में एफ0 एन0 बी0 एस0 मार्ग पर बने वान गंगा बैराज पुल की टोल टैक्स की वसूली

25-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-सिद्धार्थनगर में एफ0एन0बी0एस0 मार्ग पर बने वान गंगा बैराज पर पुल की टोल टैक्स की वसूली अभी तक की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त बैराज के पुल के निर्माण की लागत के आधार पर लगाया गया टोल टैक्स कब तक वसूला जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में ढेबरुआ सेंसनीय मार्ग पर चरगहबा नाले पर पुल का निर्माण कार्य की मांग

26-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में ढेबरुआ सेंसनीय मार्ग पर चरगहबा नाले का पुल कब से निर्माणाधीन है तथा उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माह जून, 2006 से कार्य प्रगति पर है एवं माह सितम्बर, 2008 तक कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागपत के अन्तर्गत गौरीपुर में यमुना नदी पर शाहमल पुल का निर्माण कार्य तथा टोल टैक्स की वसूली

27-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के अन्तर्गत गौरीपुर में यमुना नदी पर उ0प्र0 व हरियाणा को जोड़ने वाले शाहमल पुल का निर्माण कब हुआ था ? इस

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई थी ? इस पर कब से टोल टैक्स लिया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुल पर से टोल टैक्स कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1987 में पूर्ण किया गया था।

पुल पर रु0 523.98 लाख व्यय हुआ है।

दिनांक 23-02-1988 से टोल टैक्स लिया जा रहा है।

नियमानुसार पथकर की वसूली ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित पुल की लागत की वसूली पूर्ण होने अथवा 50 वर्ष की अवधि तक (जो भी पहले हो) किये जाने की व्यवस्था है। इसके पश्चात ही सेतु को पथकर से मुक्त किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 आई0 एल0 कैम्पस ऐशबाग रोड, लखनऊ की समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन विधायक निवास, यू0पी0 आई0एल0 कैम्पस ऐशबाग रोड, लखनऊ में बिजली, पानी व अन्य समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर वर्मा, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का पत्र दि0 8-6-2007 आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विधायक निवास के अध्यासियों से टोकन धनराशि लेकर अनुरक्षण का दायित्व सरकार स्वयं लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 पूर्व विधायक श्री दयाशंकर वर्मा का पत्र दिनांक 18-6-2007 प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र में उल्लिखित यू0पी0आई0एल0 कैम्पस, ऐशबाग रोड, लखनऊ की समस्याओं के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की वस्तुस्थिति से अध्यक्ष, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन विधायक आवास समिति, यू0 पी0 आई0 एल0 परिसर, राजेन्द्रनगर, लखनऊ को अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के ढखरेवा चौराहे से शारदानगर होते हुए बिलरांया मार्ग के चौड़ीकरण की मांग

29-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जनपद के ढखरेवा चौराहे से शारदानगर होते हुए बिलरांया पनवारी मार्ग तक के चौड़ीकरण व उच्चीकरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सड़क का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

यह कार्य सम्प्रति किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में विकास प्राधिकरण द्वारा "पथकर/अवस्थापना निधि" से कराये गये विकास कार्य

30-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 अप्रैल, 2008 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा "पथकर/अवस्थापना निधि" से क्या-क्या विकास कार्य कराये जा रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पथकर निधि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जा सकता है एवं क्या इसकी कोई नियमावली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पथकर निधि से नहीं, बल्कि प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से 02 नाले एवं 01 सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

पथकर निधि का उपयोग निम्न प्रयोजनों पर किया जाता है :--

1-पथकर वसूली से सम्बन्धित कर्मचारियों पर,

2-पर्यावरण सुधार सम्बन्धी कार्य, यथा सफाई रोनिटेशन हरियाली, स्लम सुधार एवं पुनर्वास पर,

3-भ्रमणर्थियों की सुख-सुविधाओं पर।

4-पर्यटकों के उपयोग में आने वाला नगरीय अवस्थापना विकास पर।

5-पर्यटन अवस्थापना पर।

6-टूरिस्ट पुलिस एवं पर्यटक सुरक्षा पर।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जिला योजना से मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में जनपद प्रतापगढ़ का विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये जिला योजना से मार्ग निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 25-5-2007 मा0 मंत्री/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण नियोजन वर्ग, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड प्रतापगढ़ को लगभग 5 करोड़ की लागत के 15 मार्गों की सूची सहित स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जनपद के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर, सदर, गडवारा के लिये उपरोक्त मद में स्वीकृत कार्य के अनुरूप पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये स्वीकृति कब तक निर्गत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

राज्याधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्त कर्मियों का कान्ट्रीब्यूटी प्रोविडेन्ट फण्ड का खाता खोलने पर विचार

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्याधीन सरकारी सेवाओं में अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों हेतु केन्द्रीय कर्मियों की भांति सी0पी0एफ0 (कान्ट्रीब्यूट्री प्रोविडेन्ट फण्ड) का खाता खोले जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित नियमावली कब तक प्रख्यापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

फण्ड मैनेजर व सी0 आर0 के0 की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय अपेक्षित है। फण्ड मैनेजर एवं सी0 आर0 के0 की नियुक्ति की जानकारी भारत सरकार से प्राप्त हो जाने के उपरान्त खाता खोले जाने के सम्बन्ध में यथासमय आदेश/दिशा निर्देश निर्गत कर दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अन्तपुर के कतिपय गांवों में नलकूपों की स्थापना पर विचार

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अन्तपुर, रामचन्द्र पट्टी, सारडीह, अरैला, नोही धनसार, सरमा, सैफाबाद, ढिढुई, दाउदपुर, धूती, सर्वजीतपुर, पारा, लोनियापुर, पूरेसुखचैन, चन्दुवापट्टी, गड़ौलीकला, गड़ौरीखुर्द, असुढ़ी, ब्लाक पट्टी अशोकपुर, होशियारपुर एवं ब्लाक देवसरा में पर्वतपुर सुलेमान, मानापुर, आलाविरदीपुर, रसूलपुर, हैदरपुर, स्त्रीपुर, धौरहरा, चन्दौली, नगर, कादीपुर, सरायभिखारी, आसपुर देवसरा, रामपुर बवरिया, गोविन्दपरु, कबीरपुर, कोटिया, महुली, धरहिया, अतरौरा, मीरपुर, गहबरा, आहोपुर, सेतापुर, मनईपुर में राजकीय नलकूपों की स्थापना कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासनादेश संख्या-2260/07-सिं0-5/20टीडब्लू/05, दिनांक 10-08-07 एवं शासनादेश संख्या-2746/07-27-सिं0-5/20 टीडब्लू/05, दिनांक 07-09-07 में नलकूपों के निर्माण हेतु दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराने के उपरान्त तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने व परियोजना में प्राविधान के अनुसार, जनपद की नलकूप चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत ग्रामों में नलकूपों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किये जाने की व्यवस्था है। चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना (3000) के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में 04 नलकूपों का निर्माण जनपद-प्रतापगढ़ में प्रस्तावित है, जिसमें से विधान सभा पट्टी क्षेत्र का ग्राम बाहुपुर नलकूप निर्माण हेतु चयनित हो गया है, दूसरे नलकूप का निर्माण ग्राम सर्वजीतपुर में प्रस्तावित है, जिसका सर्वे पूर्ण हो गया है जिसे समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नलकूप के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जिला खीरी में गोला-गोकरननाथ से अलीगंज के बीच की सड़क की मरम्मत की मांग

34-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में गोला-गोकरन नाथ से अलीगंज के बीच पूरी सड़क टूट गई है व बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व गन्ना विकास विभाग का है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखीमपुर खीरी के गोसाइन पुरवा से कफारा तक के कच्चे मार्ग को लेपित कराने की मांग

35-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0खं0 रमियां बेहड़ के अन्तर्गत जटपुरवा से गोसाइन पुरवा मजरा कफारा तक पेन्टेड रोड का निर्माण हो गया है किन्तु गोसाइनपुरवा से कफारा तक करीब एक कि0मी0 कच्चा मार्ग है जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोसाइनपुरवा से कफारा तक मार्ग को पेन्टेड करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोसाइनपुरवा से कफारा तक वास्तव में 2 कि0मी0 कच्चा मार्ग है। प्रश्नगत दोनों ग्राम लेपित मार्गों से जुड़े हैं जिनसे आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखीमपुर खीरी सिसैया चौराहा से धोरहरा कफारा निघासन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य

36-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के सिसैय्या चौराहे से धौरहरा, कफारा, ढखेरवा निघासन से पलिया तक मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की कब तक मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सिसैय्या चौराहे से ढखेरवा, निघासन मार्ग किसी योजना में उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सिसैया चौराहा से धौरहरा कफारा, ढकेरवा, निघासन मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा निघासन से पलिया तक मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिस पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है।

सिसैया चौराहे से निघासन तक के मार्ग की मरम्मत का कार्य एक सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से कराया जा रहा है तथा निघासन से पलिया

तक के भाग का चौड़ीकरण एव सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क के मरम्मत कार्य की योजना

37-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के तहसील सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 93 से अम्बेडकर ग्राम बंशिया को जाने वाली लगभग 12 वर्ष पुरानी सड़क की मरम्मत की कोई कार्य योजना विभाग में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के राष्ट्रीय राजमार्ग से अम्बेडकर ग्राम नाला नगरिया तक के मार्ग मरम्मत की मांग

38-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के तहसील सादाबाद में राजवाहा खदौली की पटरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 93 से अम्बेडकर ग्राम-नाला नगरिया तक लगभग 10 वर्ष पूर्व बना मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग के मरम्मत की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। इसलिये इस मार्ग की मरम्मत की कोई कार्य योजना सिंचाई विभाग में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महामायानगर के राष्ट्रीय राजमार्ग से अम्बेडकर ग्राम गोविन्दपुर को जोड़ने वाली सड़क के मरम्मत की योजना

39-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर तहसील-सादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 से अम्बेडकर ग्राम गोविन्दपुर को जोड़ने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण है ? क्या उक्त 15 वर्ष पुराने मार्ग की मरम्मत की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के किसानों की जमीनों के मुआवजे के भुगतान की मांग

40-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी पनघटिया बांध एवं बांसी डुमरियागंज बांध में पड़ने वाली जमीन का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त जमीन का मुआवजा दिलायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बांसी पनघटिया बांध पर 14 ग्रामों का रु0 101.68 लाख का प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष 02 ग्रामों तालनटवा व दुल्ही के रु0 28.164 लाख के भू-प्रतिकर के भुगतान एवं बांसी डुमरियागंज तटबन्ध में पड़ने वाली जमीन के रु0 154.98 लाख के भू-प्रतिकर के भुगतान पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है।

भू-प्रतिकर के भुगतान के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में मदाफरपुर धरौली एवं नरायनपुर-मुजाही क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में वर्ष 2003-04 में बना मार्ग मदाफरपुर धरौली एवं नरायनपुर-मुजाही क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

पैच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मांट ब्रान्च गंग नहर की पुनर्स्थापना परियोजना में पूर्ण हुए कार्यों की जानकारी

42-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मॉट ब्रान्च गंग नहर की पुनर्स्थापना परियोजना जो 2007-2008 में पूर्ण होनी है, पर 31-12-07 तक क्या-क्या कार्य हो चुके हैं व कौन से कार्य अवशेष हैं ? क्या उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने पर इस नहर के समस्त राजवाहों व अल्पिकाओं की टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मांट शाखा गंग नहर की पुनर्स्थापना परियोजना जो वर्ष 2007-08 में पूर्ण होनी है, पर दिनांक 31-12-07 तक निम्नलिखित कार्य हो चुके हैं :--

क्रम	कार्य	मुख्य नहर	यू0 डिस्ट्रीब्यूटरी
1	शाखा पर स्टील गेट लगाना	567.61 वर्ग मीटर	80.30 वर्ग मीटर
2	जी-ब्रिजेज क-पुराने पुलों की पुनर्स्थापना	02 नं0	127 नं0
	ख-पुराने पुलों का नव निर्माण	24 नं0	40 नं0
	ग-पशुघाट की पुनर्स्थापना	10 नं0	--
3	एच-स्क्रेप के रखे कार्यों की पुनर्स्थापना	3 नं0	-
4	इंच-कार्य (मिट्टी का कार्य)	416163.00 घ0मी0	2072179.77 घ0मी0

अवशेष कार्यों का विवरण

क्र0	कार्य	मुख्य नहर	यू-डिस्ट्रीब्यूटरी
1	शाखा पर स्टील गेट लगाना	211.07 वर्ग मीटर	

2	जी-ब्रिजेज		
	क-पुराने पुलों की पुनर्स्थापना	4 नं0	76 नं0
	ख-पुराने पुलों का नव निर्माण	14 नं0	43 नं0
	ग-पशुघाट की पुनर्स्थापना	2 नं0	
	एच-स्क्रेप के रखे कार्यों की पुनर्स्थापना	2 नं0	

जी हां।

लखनऊ के हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाईवे परियोजना के तहत विस्थापितों के पुनर्वासन सम्बन्धी-पत्र पर कार्यवाही

43-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का लखनऊ जनपद में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाईवे परियोजना के तहत होने वाले विस्थापितों के पुनर्वासन संबंधी मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम0/163799/2007 दिनांकित 4-7-2007 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के सादाबाद कस्बे से भुरसान जाने वाले मार्ग से ग्राम महावतपुर को जोड़ने वाली सड़क के मरम्मत की मांग

44-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के सादाबाद कस्बे से भुरसान जाने वाले मार्ग से ग्राम महावतपुर को जोड़ने वाली सड़क बीच से कटकर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मरम्मत का कार्य प्रगति पर है दिनांक 31-03-08 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

45-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के सादाबाद-जलेसर मार्ग से ग्राम उघैना व बावली को जाने वाला मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो इस मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। 31-03-08 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर (हाथरस) के ग्राम इसौदा व बामौर के जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की योजना

46-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर (हाथरस), के सादाबाद-जलेसर मार्ग से ग्राम इसौदा व बामौर के जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

जनपद महामायानगर राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़ार से ग्राम समदपुर जाने वाले मार्ग की मरम्मत की मांग

47-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की सादाबाद तहसील से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 93 के बढ़ार से ग्राम समदपुर जाने वाले जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग के जीर्णोद्धार/मरम्मत की क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद महामायानगर के कस्बा सहपऊ से अम्बेडकर ग्राम खोडा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत की मांग

48-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के कस्बा सहपऊ से अम्बेडकर ग्राम-खोडा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की हालत जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मार्ग की मरम्मत करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ में माननीय विधायकों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था

49-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों को रहने हेतु सरकार द्वारा लखनऊ में एक आवास आवंटित होता है जिसमें विधायकों के ड्राइवर व गनर तथा क्षेत्र के लोगों को बैठने तथा शौच आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती है जबकि अधिकारियों को उच्च कोटि की कोठियां आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों को दो आवास सरकारी गाड़ी ड्राइवर व कार्यालय उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 में विधायकों को रहने हेतु विधायक निवासों में कमरों का एक कक्ष आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार नियमावली, 1963 में मात्र एक कक्ष दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ढकवा पम्प नहर के टेल तक पानी उपलब्ध कराने की योजना

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर पम्प कैनाल के माध्यम से सिंचाई हेतु कमाण्ड क्षेत्र के टेल तक पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ढकवा (इब्राहिमपुर) पम्प नहर के टेल तक पानी उपलब्ध कराने की योजना है।

पम्प नहर को विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 15 कि0मी0 लम्बे ग्रामीण पोषक लाइन के अन्तिम छोर से की जाती है, जिसके कारण कम वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त होती है। फलस्वरूप दो पम्पों में से 10 क्यूसेक की क्षमता के एक पम्प का ही संचालन विद्युत आपूर्ति अवधि में सम्भव हो पाता है। उक्त समस्या के निदान हेतु विभाग द्वारा पम्प नहर से 4.50 कि0मी0 पर ढकवा में ही नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र से पम्प नहर को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। विद्युत विभाग द्वारा पम्प नहर को इस केन्द्र से शीघ्र ही संयोजित कर दिये जाने पर अपेक्षाकृत बेहतर गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध होने की सम्भावना है। उचित वोल्टेज पर विद्युत उपलब्ध होने की स्थिति में स्थापित दोनों पम्पों का संचालन कर बेहतर सिंचाई सुविधा सुलभ कराई जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सिंचाई खण्ड-51 के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान टी0 आई0 के माध्यम से किये जाने की जानकारी

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सिंचाई खण्ड-51 के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 05-06, 06-07 में सम्पन्न कराये गये कार्यों का भुगतान टी0आई0 के माध्यम से लगभग रु0 एक करोड़ बासठ लाख किया गया है, जिसमें 60% कार्य फर्जी है ? यदि हां, तो उपरोक्त वित्तीय वर्ष में की गयी वित्तीय अनियमितता का विशेष आडिट कराने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्ष 2005-06 में 0.43 लाख का भुगतान टी0आई0 के माध्यम से किया गया। वर्ष 2006-07 में टी0आई0 के माध्यम से किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में मात्र रु0 0.43 लाख का ही भुगतान टी0आई0 के माध्यम से किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर शारदा सहायक खण्ड 36, विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वित्तीय वर्षों में कराये गये कार्यों एवं धनराशि का विवरण

52-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड-36 जौनपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पड़ने वाली समस्त नहरों एवं नालों पर वित्तीय वर्ष 05-06 एवं 06-07 एवं 07-08 मे अब तक क्या-क्या कार्य कराये गये हैं और उसके सापेक्ष कितनी धनराशि का उपयोग दिखाया गया है ? क्या उपरोक्त वर्षों में खर्च की गयी सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष अभिलेखों में दर्शाये गये कार्यों के शत प्रतिशत स्थलीय सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा कराने हेतु आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पैक्ट संगठन के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड-36, जौनपुर न होकर शाखा सहायक खण्ड-36, जौनपुर है। इस खण्ड द्वारा, विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में अब धनराशि का विवरण निम्नवत् है:--

वर्ष	कार्य का विवरण	व्यय (धनराशि लाख रु0 में।)
2005-06	1-68.820 किमी0 अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई	5.15
	2-राजबाहों की मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन	8.90
	3-नालों पर कोई कार्य नहीं	शून्य
2006-07	1-79.500 किमी0 अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई	4.71
	2-राजबाहों की मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन	8.00
	3-नालों पर कोई कार्य नहीं	शून्य
2007-08	1-60.275 किमी0 अल्पिकाओं के आंतरिक सेक्शन का कार्य।	5.92
	2-राजवाहों की मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन	5.50
	3-धरौली राजवाहा प्रणाली में आंतरिक सेक्शन का कार्य एवं 18 पक्के कार्य प्रगति में।	20.00
	4-अतरखण्ड ड्रेनेज प्रणाली, सम्बूरा नाला प्रणाली, पीली नदी प्रणाली का पुनरोद्धार का कार्य प्रारम्भ	कोई व्यय नहीं।

जी नहीं।

सिल्ट सफाई का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है। विश्व बैंक द्वारा पोषित कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु विश्व बैंक के मानकों के अनुसार एक वाह्य एजेन्सी स्मैक इण्टरनेशनल है, जो कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य की प्रगति के दौरान एवं कार्य समाप्ति पर गुणवत्ता की जांच कर रही है। अतः अन्य जांच एजेन्सीं से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतापगढ़ की जिला खाद्य सलाहकार समिति की नियमित बैठक हेतु शासनादेश में दिशा-निर्देश की जानकारी

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से न कराने हेतु दोषी कौन अधिकारी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या नियमित बैठक कराने के आदेश भी निर्गत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

शासनादेशानुसार इस सम्बन्ध में समिति का गठन होने के उपरान्त दिनांक 02-06-2006 को जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई थी। माह अक्टूबर, नवम्बर, 2006 में स्थानीय निकायों के चुनाव तथा माह मार्च, अप्रैल, 2007 में विधान सभा सामान्य निर्वाचन आदि की व्यस्तता व आचार संहिता लागू हो जाने के कारण समिति की बैठक की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

नियमित बैठक हेतु शासनादेश में दिशा-निर्देश पहले से ही विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा के इब्राहिमपुर के पम्प नहर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा अभियन्ताओं द्वारा स्थल भ्रमण

54-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा के इब्राहिमपुर पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना विचाराधीन है ? पम्प कैनाल से कितने एकड़ फसल रबी, खरीफ, जायद की सिंचाई हेतु लक्ष्य निर्धारित है और वर्ष 06-07 एवं 07-08 में कितना सिंचाई लक्ष्य प्राप्त हुआ है ? क्या पम्प कैनाल को बिजली की अपेक्षित आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ? यदि हां, तो कितने घंटे प्रति- दिन ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या पम्प कैनाल के संचालन हेतु कोई नियमित कर्मचारी स्थल पर उपलब्ध रहता है और अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधि0 अभियन्ता द्वारा वर्ष 06-07 एवं '07-08 में कब-कब स्थल भ्रमण किया गया ? प्रत्येक भ्रमण का तिथियों का विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ढकवा (इब्राहिमापुर) पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई (एकड़ में) निम्नानुसार है:--

वर्ष	खरीफ		रबी	
	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई
2006-07	124	49	432	222
2007-08	124	47	247 (25-01-08 तक)	193 (25-01-08 तक)

जी नहीं।

औसतन 8 घण्टे प्रतिदिन 03 ट्रिपिंग के साथ लो वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है।

पम्प नहर को विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 15 किमी0 लम्बे ग्रामीण पोषक के अन्तिम छोर से की जाती है, जिसके कारण कम वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त होती है।

पम्प नहर के संचालन हेतु 05 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय नहर शीर्ष पर ही है। वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के भ्रमण की तिथियां निम्नानुसार है:--

वर्ष	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
2006-07	31-03-06	31-01-07	-
2007-08	15-11-07	25-07-07	25-07-07
	18-11-07	01-12-07	01-11-07
	19-11-07		28-01-08
	24-11-07		
	26-11-07		
	01-12-07		
	02-12-07		
	06-12-07		
	12-12-07		
	02-01-08		
	06-01-08		
	10-01-08		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद लखीमपुर खीरी के पचपेड़ी घाट का पुल के निर्माण की मांग

55-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत पचपेड़ी घाट का पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो पुल की लम्बाई तथा लागत क्या है ? उक्त पुल के निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है, उक्त पुल का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता।

शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर की सफाई/देनदारियों हेतु धनराशि आवंटित करने की मांग

56-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर को सफाई हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या मा0 मंत्री को यह भी जानकारी है कि वर्ष 2003-04 से 2006-07 के मध्य कुल 2318302/-रु0 शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर की देनदारियां शेष हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार देनदारियों के भुगतान हेतु धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर की नहरों की सफाई हेतु अब तक रु0 63.33 लाख की धनराशि विभागीय मद में आवंटित है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड को जिलास्तर से शाहजहांपुर जनपद में रु0 24.86 लाख, बरेली जनपद में रु0 3.10 लाख तथा हरदोई जनपद में रु0 32.21 लाख कुल धनराशि रु0 60.7 लाख सफाई/पुर्नस्थापना कार्यों हेतु आवंटित की गयी है।

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के मध्य शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर की कुल देनदारियां रु0 52.85 लाख हैं।

बजट की उपलब्धता को देखते हुये नियमानुसार धनावंटन करने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के सरयू नहर खण्ड 3, 4, 5 के अन्तर्गत माइनरों पर स्वीकृत धनराशि

57-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत वि0 स0 क्षेत्र मनकापुर में सरयू नहर खण्ड-3, 4, 5 के अन्तर्गत वर्ष 2003 से 2007 तक कौन-कौन से माइनरों पर

कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ ? क्या सभी माइनरों पर समयानुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कराये गये कार्यों के मानक एवं गुणवत्ता की जांच भी करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2003 से 2007 तक प्रश्नगत खण्ड सरयू नहर खण्ड-3 गोण्डा व सरयू नहर खण्ड-5 गोण्डा के कार्यक्षेत्र में बेनीपुर रजवाहा, चांदपुर रजवाहा एवं बभनान रजवाहा में निर्माण कार्य कराया गया है, जिन पर कुल रु0 448.18 लाख प्राक्कलित धनराशि के अनुसार व्यय किया गया, विवरण निम्नवत् है:--

1-बेनीपुर रजवाहा लम्बाई 14.29 किमी0 लागत रु0 222.22 लाख।

2-चांदपुर रजवाहा लम्बाई 8.035 किमी0 लागत रु0 85.00 लाख।

3-बभनान रजवाहा लम्बाई 6.70 किमी0 लागत रु0 140.96 लाख।

सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा का कार्य क्षेत्र उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में नहीं है।

कार्य प्रगति पर है।

कराये गये कार्यों का निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किये जाने के साथ ही मानक एवं गुणवत्ता का परीक्षण परियोजना में स्थापित गुण नियन्त्रण मण्डल फैजाबाद के नियन्त्रणाधीन गुण नियन्त्रण खण्ड बस्ती द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा एवं सरयू नहर खण्ड-5 गोण्डा द्वारा कराये गये कार्यों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा क्रमशः दिनांकः-16-01-2008 से 20-01-08 एवं 03-07-07 से 04-07-07 तक की गई है और कार्यो की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है।

हमीरपुर खन्डौरा के शिवपुर माइनर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होने की जानकारी

58-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर खन्डौरा, कलापतपुर, पवई, आजमगढ़ के अन्तर्गत शिवपुर माइनर जो कि 20 वर्ष पहले निर्मित हुई थी, में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शिवपुर माइनर के किमी0 5.05 तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के राजकीय नलकूप संख्या-76 की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक कराने की मांग

59-श्री लल्लू सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के 76 एफ0जी0 जमुनीपुर तथा 81 एफ0जी0 रजपलिया नलकूप की अण्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन टूटने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उक्त टूटी हुई पाइप लाइन को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत ठीक कराने अथवा नई पाइप लाइन लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद फैजाबाद के राजकीय नलकूप संख्या-76 फर्जी जमुनीपुर एवं 81 एफ0जी0 रजपलिया नलकूप की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण विधिवत् सिंचाई नहीं हो रही थी। वर्तमान में इन दोनों नलकूपों की पाइप लाइन की मरम्मत करा दी गई है तथा विधिवत् सिंचाई हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में प्रमुख आवासीय योजना प्रियदर्शिनी नगर के निवासियों की सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि पर निर्माण कराने की मांग

60-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या आवास एवं शहरी विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में प्रमुख आवासीय योजना प्रियदर्शिनी नगर, उन्नाव, शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी थी ? जिसमें निवासियों की सुविधा के लिये नर्सिंग होम, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, विद्यालय, शापिंग सेन्टर आदि हेतु भूमि आरक्षित की गयी है ? यदि हां, तो आरक्षित भूमि किन-किन व्यक्तियों व संस्थाओं को आवंटित की गयी, क्या आवंटन के उपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कराने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार योजनान्तर्गत रेस्टोरेंट की आरक्षित भूमि श्रीमती पूनम शुक्ला पत्नी श्री ज्ञानेश चन्द्र शुक्ला को सेक्टर-डी में विद्यालय की भूमि, फादर पिन्टो

को सेक्टर-बी में प्राइमरी स्कूल एवं सेक्टर-सी में नर्सरी स्कूल का आवंटन उनके प्रबन्धक श्री सी0पी0 सिंह को तथा सेक्टर-डी में निर्मित 16 दुकानों का आवंटन नीलामी पद्धति से किया गया है, जिनमें से 13 आवंटियो द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है।

आवंटन के पश्चात् भूमि फ्री-होल्ड हो जाने पर निर्माण अवधि की समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना ब्लाक जहांगीराबाद मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का कराने की मांग

61-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर ग्राम शेखपुर गड़वा से ग्राम ढ़क्का (ढक्का) तक मार्ग लगभग साढ़े तीन कि0मी0 विधान सभा क्षेत्र स्याना, ब्लाक जहांगीराबाद पर खड़न्जा ऊबड़-खाबड़ एवं जर्जर है जिसके कारण ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या मा0 मंत्री जी उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के शिवाली बुलन्दशहर मार्ग में लेपन कार्य की मांग

62-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के शिवाली बुलन्दशहर मार्ग जो जंगलात में होकर एक खड़न्जा का रास्ता जुगसाना खुर्द होकर भिरौली बावनपुर मार्ग को लिंक करता है ? मार्ग की दशा अत्यन्त खराब होने के कारण कृषकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त है।

वर्तमान में यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बुगरासी से ग्राम रुखी भगवानपुर मार्ग पर अस्थायी पीपों के पुल के निर्माण की मांग

63-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर के गांव बुगरासी से ग्राम रूखी भगवानपुर मार्ग पर ग्राम भगवानपुर में हर वर्ष एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगापार से आते हैं ? पुल न होने के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त मार्ग पर पीपों के अस्थायी पुल का निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

बुलन्दशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद के जर्जर मार्ग के लेपन स्तर तक कार्य कराने की जानकारी

64-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुरजपुर टीकरी से गांव गालिमपुर मानपुर मार्ग विधान सभा क्षेत्र, स्याना, बुलन्दशहर विकास खण्ड जहांगीराबाद जर्जर होने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का लेपन स्तर का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा अस्थरा में नहर से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की मांग

65-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी, ब्लाक मगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा अस्थरा में क्या नहर से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार तत्काल व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ का मार्ग देलूपुर से कोहडौर-पट्टी तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की मांग

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ का मार्ग एम0डी0आर0 का देलूपुर से कोहडौर-पट्टी के कि0मी0 29 से कोहडौर तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या 12वें वित्त आयोग अथवा राज्य योजना से उसकी स्वीकृति जनहित में प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सहारा शहर को आवंटित भूमि और उसके मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी

67-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर, लखनऊ में सहारा शहर को कुल कितनी भूमि आवंटित की गयी है और उसका कितना मूल्य प्राधिकरण में कब-कब जमा किया गया है ? क्या यह सही है कि सहारा शहर के कराये गये स्थायी निर्माण का मानचित्र अनुमोदित नहीं है ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1995 में गोमती नगर योजना में लखनऊ-बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन के समानान्तर ग्रीन बेल्ट की 100 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर सहारा को आवंटित की गयी है।

प्रश्नगत भूमि के मूल्य एवं सहारा द्वारा भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जी हां। सहारा द्वारा सहारा शहर का मानचित्र अनुमोदन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 23-12-97 को प्रस्तुत किया गया था, जो नियमानुसार न होने के कारण दिनांक 28-04-98 को निरस्त कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ठखवा-इब्राहिमपुर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

68-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में मार्ग ठखवा-इब्राहिमपुर की स्थिति अत्यन्त जर्जर होने से आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर मार्ग को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सूर्यगढ़ जगन्नाथ सहित निलम्बित दुकानों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को समीपस्थ दुकानों से सम्बद्ध करने की जानकारी

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में दिनांक 3-8-07 से अब तक उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा ग्राम सूर्यगढ़ जगन्नाथ सहित सरकारी सस्ते गल्ले की जिन दुकानों को निलम्बित किया गया था उन निलम्बित दुकानों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को नजदीक के ग्राम सभा के कोटेदारों से सम्बद्ध न करके नियम विरुद्ध दूर के पंचायत क्षेत्रों के कोटेदारों से सम्बद्ध कर दिया गया है जिससे कार्ड धारकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्ड धारकों को नजदीक के कोटेदारों से सम्बद्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं। दिनांक 03-8-07 के उपरान्त निलम्बित दुकानों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को जनहित में समीपस्थ ग्राम सभा के कोटेदारों से सम्बद्ध किया गया है। वर्तमान शासनादेशों के अनुपालन में वितरण कार्य कराया जा रहा है तथा सम्बद्धीकरण में उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

70-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर-बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी के चहलारी घाट पर सेतु निर्माण एवं कार्य पूर्ण होने की जानकारी

71-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर-बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी के चहलारी घाट पर 850 मीटर बृहद सेतु निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2006 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्य का कितना अंश पूर्ण हो चुका है तथा कितना अवशेष है ? अवशेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सेतु का कार्य स्वीकृत है एवं सुरक्षात्मक कार्यों का आगणन स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

चहलारी घाट पर 847.40 मी0 लम्बाई के निर्माणाधीन वृहद् सेतु के कुल 19 कुओं में से सात कुओं पर निर्माण प्रगति में है। सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुंच मार्ग की निविदाएं दिनांक 25-01-2008 को प्राप्त हो गई हैं। निविदाओं के निस्तारण के उपरान्त माह अप्रैल, 2008 में कार्य प्रारम्भ होना सम्भावित है।

अनुबन्ध के अनुसार सेतु निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि 16-02-2010 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के गोमती नदी दघना मऊ घाट पर सेतु निर्माण की मांग

72-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के गोमती नदी दघना मऊ घाट सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 2006 में स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर में चार फाटक रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण

73-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में चार फाटक रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ? इस उपरिगामी सेतु का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चार फाटक रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर की तहसील सदर महाराजगंज के आराजी संख्या-248 के किसानों का प्रतिकर का भुगतान

74-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के पत्र संख्या 3227 दिनांक 9-12-02 जो मुख्य अभियन्ता गोरखपुर लो0 नि0 विभाग को गोरखपुर महाराजगंज मार्ग के किमी0 38 में ग्राम सिरसिया तम्पा-बिरैचा तहसील सदर महाराजगंज के आराजी संख्या 248 के किसानों का प्रतिकर भुगतान विषयक भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अनुपालन में प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

लगभग 50 वर्षों से प्रश्नगत मार्ग निर्मित है तथा लोक निर्माण विभाग के कब्जे में है। अतः भूमि के वर्तमान में अधिग्रहण करने अथवा किसी प्रकार के प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के तहसील सादाबाद में मथुरा-सादाबाद आदि मार्गों के मरम्मत की मांग

75-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के तहसील सादाबाद में मथुरा-सादाबाद मार्ग से अम्बेडकर ग्राम ढकरई तक राजवाहा कुरसण्डा पर बना सम्पर्क मार्ग जीर्ण हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन के सौन्दर्यीकरण की मांग

76-श्री पूरन प्रकाश-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन गिरिराज महाराज के दर्शन हेतु एवं परिक्रमा करने करोड़ों भक्तजन आते हैं ? क्या मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की देखरेख में गोवर्धन के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन गिरिराज महाराज के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन एवं परिक्रमा हेतु आते हैं । अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ गोवर्धन के विकास आदि के कार्य क्षेत्रीय महायोजना के अन्तर्गत कराये जाने प्रस्तावित हैं, परन्तु अभी क्षेत्रीय महायोजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नेशनल हाईवे-2 गोवर्धन तक की क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराने की मांग

77-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मथुरा में नेशनल हाईवे-2 से गोवर्धन तक सड़क निर्माण/मरम्मत इसी वर्ष 2007-08 में कराया गया है उसमें कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि मथुरा नेशनल हाईवे-2 से गोवर्धन तक एवं गोवर्धन गिरिराज महाराज की 21 किमी0 परिक्रमा मार्ग में मानक के अभाव में जगह-जगह सड़क बैठ गयी तथा क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में कराया गया है जिस पर अब तक रु0 310.09 लाख व्यय किया गया है।

जी नहीं। आबादी भाग एवं प्याऊ के स्थान पर पानी भरने से कहीं-कहीं सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसे ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फ्री होल्ड की कार्यवाही के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने की मांग

78-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्री होल्ड की कार्यवाही उ0 प्र0 सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका

संख्या-1557-59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है ? यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय में दाखिल उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में कोई निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र निर्णय कराने हेतु कोई प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1557-59/98 एवं सम्बद्ध अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 26-10-04 में पुनः सुनवाई एवं निर्णय के लिये समस्त याचिकाएं मा0 उच्च न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गयी जिसके अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-32605/91 को विचारोपरान्त अपने निर्णय/आदेश दिनांक 21-03-07 द्वारा निरस्त (डिसमिस) कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में फ्री होल्ड की गई भूमि तथा प्राप्त धनराशि

79-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद लखनऊ एवं गोरखपुर जनपदों में कितनी नजूल भूमि है और क्रमशः उन जिलों में कितनी-कितनी भूमि शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97 दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के अनुसार 1 दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक वर्ष 1999-2000, वर्ष 2000-2001 तक वर्ष 2001-2002 तक फ्री होल्ड की गई ? फ्री होल्ड से उन जिलों में क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि शासन को प्राप्त हुई ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद इलाहाबाद में 55,42,736 वर्गमीटर लखनऊ में 3,06,28,727 वर्गमीटर तथा गोरखपुर में 1,33,38,139 वर्गमीटर नजूल भूमि हैं प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के अनुसार उल्लिखित अवधि में जनपदवार फ्री होल्ड की गयी भूमि तथा प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	फ्री होल्ड की गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	फ्री होल्ड से प्राप्त धनराशि (लाख रुपये में)
जनपद-इलाहाबाद		
दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999	-	-
1999 से 2000	98,190.06	215.57
2000 से 2001	4,45,214.00	1080.20
2001 से 2002	97,097.00	368.46

जनपद-लखनऊ		
दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999	1,17,236.06	163.27
1999 से 2000	60,618.12	38.33
2000 से 2001	62,977.23	30.72
2001 से 2002	18,452.42	48.05
जनपद-गोरखपुर		
दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999	26,471.84	127.59
1999 से 2000	16,575.28	101.32
2000 से 2001	23,454.55	118.00
2001 से 2002	38,044.89	267.16

जनपद बागपत के पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराने की मांग

80-डा0 अजय तोमर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बागपत के सभी पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सर्वे कराकर शेष पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद बागपत में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बी0पी0एल0 के 12959 पात्र परिवारों एवं अन्त्योदय के 7683 पात्र परिवारों को राशन कार्ड सक्षम स्तर से जारी किये गये हैं।

प्रति वर्ष सर्वे के अनुसार अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी द्वारा राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ति निरीक्षकों को हाट निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति

81-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव ने अपने आदेश दिनांक 20-11-06 द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य को पूर्ति निरीक्षकों को हाट निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रोन्नत कोटे की समस्त पदोन्नतियां कर दी गई ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

दिनांक 20-11-2006 को मुख्य सचिव के इस आशय का कोई आदेश प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद की नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही

82-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97 दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के प्राविधान के प्रस्तर-4 के अनुसार लखनऊ एवं इलाहाबाद में कितने पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों तथा कितने उनके द्वारा नामित व्यक्तियों ने नजूल भूमि के फ्री होल्ड हेतु दिसम्बर, 1998-31 मार्च, 1999 तक, वर्ष 1999-2000, वर्ष 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 तक आवेदन किया और क्रमशः कितनी नजूल भूमि को फ्री होल्ड किया गया और कितने आवेदनों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासनादेश दिनांक 01-12-98 के प्रस्तर-4 के अनुसार जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद की नजूल भूमि के फ्री होल्ड के सम्बन्ध में प्रश्नगत सूचना निम्नवत् है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	फ्री होल्ड नजूल भूमि (वर्ग मीटर में)
जनपद-लखनऊ		
दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999	526	1,17,236.06
1999 से 2000 तक	69	60,618.12
2000 से 2001 तक	20	62977.23
2001 से 2002 तक	38	18452.42
	653	2,59,283.83
जनपद-इलाहाबाद		
दिसम्बर, 1998 से 31 मार्च, 1999	2777	--
1999 से 2000 तक	141	98190
2000 से 2001 तक	238	445214
2001 से 2002 तक	9	97097
	3235	640501

जनपद लखनऊ में 65 आवेदन पत्रों पर उत्तराधिकारियों के मध्य विवाद एवं विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी। जनपद इलाहाबाद में कुल 2594 आवेदन पत्रों पर मा0 उच्च न्यायालय से कुछ मामलों में स्थगन आदेश प्राप्त होने, संयुक्त पट्टेदारों के मध्य पारिवारिक बटवारा स्पष्ट न होने, आवेदित भूमि के स्पष्ट रूप से मानचित्र में चिन्हित न होने, उत्तराधिकारियों के मध्य आपसी विवाद होने, स्थल निरीक्षण में मामला लम्बित होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी।

जनपद मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगा नगर योजना में कम्युनिटी सेन्टर बनवाने की मांग

83-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र दिनांक 19-7-2007 कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-165039/2007 जो मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगा नगर योजना के कम्युनिटी सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गंगा नगर योजना के पाकेट ओ0पी0 में कम्युनिटी सेण्टर की भूमि प्रस्तावित है। भूमि पर कब्जा प्राप्त किये जाने हेतु प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत सैदापुर-सिकन्दरपुर होकर बरियावन को जाने वाले मार्ग के निर्माण की मांग

84-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत शहजादपुर से सैदापुर-सिकन्दरपुर होकर बरियावन को जाने वाला मार्ग अत्यन्त खराब हो गया है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष में धन की व्यवस्था करके इस मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के जिला जेल बाईपास के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग

85-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित जिला जेल बाईपास का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त बाईपास का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

86-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कौन-कौन से राजकीय नलकूप चालू हालत में और कौन से खराब पड़े हैं ? प्रत्येक चल रहे नलकूपों से सिंचाई हेतु कितनी एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित है और वर्ष 2006-07 एवं 07-08 में कितनी सिंचाई की गई है ? खराब नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? राजकीय नलकूप कुकुवार हरदोई, नरायनपुर वर्ष 06-07 एवं 07-08 में प्रत्येक माह कितने घण्टे सिंचाई हेतु चला है ? क्या खराब नलकूपों के लिये दोषी का दायित्व भी निर्धारित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में 11 राजकीय नलकूप ग्राम कुकुबार, हरदोई, हंसारा, रायगढ़, बारीकलां-1, भिवानी, भदौना, कांसापट्टी, पूरे भीखा, नादीभेदपुर, बाहुपुर में स्थित राजकीय नलकूप चलित, 02 राजकीय नलकूप ग्राम चन्दौका एवं ग्राम चौखड़ पानी खारा होने के कारण परित्याग श्रेणी में वर्गीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 03 नलकूप ग्राम नरायनपुर, सरायरजई, वारीकला-2 पम्प सेट गिर जाने के कारण बन्द हैं।

वर्ष 2006-07 में पंचायती राज विभाग में नलकूपों के रहने के कारण, उक्त वर्ष के सींच के आंकड़े सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2007 में जनवरी माह से नलकूप पंचायतीराज विभाग से सिंचाई विभाग में पुनः हस्तान्तरण होने प्रारम्भ हुये हैं। अतः खरीफ का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। रबी फसल हेतु 20 हैक्टेयर प्रति नलकूप लक्ष्य निर्धारित किया

गया है। खरीफ फसल में 11 चलित नलकूपों का औसत 19 एकड़ प्रति नलकूप एवं रबी फसल में 25-01-08 तक औसत सिंचाई 30 एकड़ प्रति नलकूप रही है।

पानी खारा होने के कारण फेल 02 नलकूपों को ठीक कराने की योजना नहीं है। अस्थाई रूप से बन्द 03 नलकूपों को सफल करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

वर्ष 2007-08 में राजकीय नलकूप ग्राम कुकवार प्रति माह औसतन 13 घण्टे एवं राजकीय नलकूप ग्राम हरदोई प्रति माह औसतन 45 घण्टे सिंचाई हेतु चला है। राजकीय नलकूप ग्राम नरायनपुर माह सितम्बर में 63 घण्टे चला है उसके पश्चात् पम्प सेट गिरने से बन्द है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

87-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 06-07 में स्वीकृत 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत दूरी तक लेपन सतह तक क्या पूर्ण नहीं हुए हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

स्वीकृत लम्बाई तक कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर के सेक्टर 2 एवं 4 के आवंटियों को कब्जा दिये जाने की मांग

88-डा0 अनिल चौधरी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत सेक्टर-2 एवं 4 के भूखण्ड लगभग एक वर्ष पूर्व आवंटित करते हुए आवंटियों से सम्पूर्ण धनराशि जमा करा ली गई है ? यदि हां, तो अब तक उन्हें कब्जा नहीं दिये जाने का क्या कारण है ? उक्त आवंटियों को कब्जा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका है।

विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कब्जा प्रदान किया जायेगा।

जनपद मथुरा के सब डिवीजन लोअर आगरा कैनाल मथुरा को अपर आगरा कैनाल, मथुरा से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव

89-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में सिंचाई विभाग के सब डिवीजन लोअर आगरा कैनाल मथुरा को अपर आगरा कैनाल, मथुरा से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार को विचारार्थ भेजा गया है ? यदि हां, तो कब एवं स्वीकृति कब तक दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नेशनल हाइवे से फरह, गोबर्धन वाया परखम पैठा आदि तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत

90-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नेशनल हाइवे से फरह, गोबर्धन वाया परखम, झुडावई, सरूरपुर, ओल जाननपट्टी, मगोर्रा, फौडर, लोरिया सौरव, पैठा, गोबर्धन तक सड़क क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग के कुछ कि0मी0 क्षतिग्रस्त है, लेकिन आवागमन बाधित नहीं है।

क्षतिग्रस्त 08.00 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य मार्च, 2008 तक लक्षित है। शेष क्षतिग्रस्त 15.00 कि0मी0 वर्ष 2008-09 में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र से कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत की मांग

91-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र से उतरांव से नींबी थरिया सम्पर्क मार्ग, जलालपुर कस्बा से सिठौली सम्पर्क मार्ग तथा

फूलपुर बहरिया से तिसौरा सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के उतरांव से नीबी थरिया सम्पर्क मार्ग, जलालपुर कस्बा से सिठौली सम्पर्क मार्ग तथा फूलपुर बहरिया से तिसौरा सम्पर्क मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित मार्ग है तथा वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने की मांग

92-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के कौन-कौन से ग्राम अभी तक पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं ? क्या उन सभी मार्गों को पक्के मार्गों से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विकास खण्ड पट्टी में ग्राम कोठियार, रघुनाथपुर, बेलसण्डी, उदईपुर, पारा, उमरपुर, मुरार पट्टी, देवना, बेसार, फत्तूपुर, मुजेठी, देवकली, लखनीपुर एवं परदहा सुमेर अभी तक पक्के सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड शमशाबाद व फतेहाबाद में खराब नलकूपों को ठीक कराने/ रिबोर कराने की मांग

93-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में कितने सरकारी नलकूप लगे हैं तथा कितने सुचारु रूप से कार्यरत हैं ? वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने खराब नलकूपों को ठीक कराने/रिबोर कराने तथा कितने नये नलकूप लगाने का सरकार का विचार है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विकास खण्ड शमसाबाद में कुल 47 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से 27 राजकीय नलकूप कार्यरत नहीं है (12 नलकूप परित्यक्त, 14 नलकूप विफल व 01 नलकूप निर्माणाधीन हैं) तथा 20 राजकीय नलकूप सिंचाईरत है।

विकास खण्ड फतेहाबाद में कुल 68 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से 63 नलकूप कार्यरत नहीं हैं (48 नलकूप परित्यक्त, 13 नलकूप विफल व 02 नलकूप निर्माणाधीन हैं) तथा 05 राजकीय नलकूप सिंचाईरत है।

भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 के आगणन/वर्गीकरण के आधार पर शमसाबाद विकास खण्ड अतिदोहित (ओवर एक्सप्लाईटेड) श्रेणी में है, इसलिए इस विकास खण्ड में नये नलकूप लगाने व नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रतिबन्धित है।

फतेहाबाद विकास खण्ड में विगत में नलकूपों की विफलता एवं भूजल खारा प्रकृति का होने के कारण नलकूप सफल नहीं रहे हैं, इसलिए इस विकास खण्ड में नलकूपों का पुनः निर्माण/नवीन नलकूप निर्माण प्रस्तावित नहीं हैं।

जनपद बागपत के यमुना नदी के किनारे के ग्रामों को कटाव व बाढ़ से बचाने की योजना

94-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ब्लाक छपरौली एवं बागपत के यमुना नदी के किनारे के ग्रामों में यमुना के कटाव व बाढ़ से बचाने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत स्थित पूर्वी यमुना नहर पर क्षतिग्रस्त पुल/पुलिया के निर्माण की मांग

95-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत स्थित पूर्वी यमुना नहर पर वर्तमान में कितने पुल/पुलिया क्षतिग्रस्त/जर्जर/टूटे हुए हैं ? क्या इनके निर्माण/मरम्मत/पुनः निर्माण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक इसका कार्य पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बागपत में स्थित पूर्वी यमुना नहर पर वर्तमान में 3 नं0 पुल क्षतिग्रस्त है।

पुल के निर्माण/मरम्मत, रेगूलेटर्स तथा क्रास ट्रेवेज कार्यों हेतु एक परियोजना प्रस्तावित है।

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मानचित्रकार, रेखाकार के पदों को बैकलाग द्वारा भरने एवं नियुक्ति-पत्र निर्गत करने की मांग

96-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैकलाग भर्ती 2007 में मानचित्रकार, रेखाकार की लिखित व मौखिक परीक्षा सम्पन्न करने के बावजूद आज तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है ? क्या मा0 मंत्री जी एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 में मानचित्रकार का परीक्षा परिणाम घोषित करके नियुक्ति-पत्र जारी करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चयन प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित कर 02 मानचित्रकार एवं 02 रेखाकार के नियुक्ति-पत्र दि0 15-10-07 को निर्गत किये जा चुके हैं।

बैकलाग भर्ती हेतु अधिसंख्य पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पुनः समीक्षा की गयी, जिसमें अनु0जा0के 02 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 पदों का औचित्य नहीं पाया गया। उपलब्ध पदों के सापेक्ष नियमानुसार बैकलाग की कार्यवाही सम्पन्न कर नियुक्ति-पत्र दि0 15-10-07 को निर्गत किये जा चुके हैं।

उपलब्ध पदों के अनुसार मानचित्रकार एवं रेखाकार के नियुक्ति-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने का प्रस्ताव

97-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में रेलवे क्रासिंग पर कितने ओवर ब्रिज बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? सरकार हीरालाल धर्मशाला रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद लखीमपुर खीरी में मात्र एक समपार, संख्या-120 स्पेशल पर उपरिगामी सेतु का प्रस्ताव रेलवे वर्क्स कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने पर यथास्थिति अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ महानगर में अनियमित कालोनियों को नियमित किये जाने पर विचार

98-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में बनी अनियमित कालोनियों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या 5097/9-आ-2001(आ0ब0) दिनांक 26-05-2001 एवं शासनादेश संख्या 5438/9-आ-3-2001(आ0ब0) दिनांक 02-12-2003 निर्गत है, जिनके प्राविधानों के अनुसार लखनऊ महानगर में अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय रजबहों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग चिलबिल रजबहा, जौनपुर रजबहा, रामगंज रजबहा, धरौला रजबहा नहर मार्ग एवं महदहा नारगपुर रामपुर बेला-बेला उपाध्यायपुर नहर मार्ग के विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक क-3/270584 दिनांक 3-7-06 पर प्रमुख अभियन्ता विकास के पत्र संख्या 4988 दिनांक 4-7-06 मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ को तत्काल आगणन प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

चिलबिल रजबहा, जौनपुर रजबहा तथा महदहा नांरगपुर-रामपुर-बेला मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। धरौली रजबहा एवं नारंगपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्ण किया जा चुका है। शेष मार्गों पर मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

पूर्वांचल निधि के राज्यांश से आनापुर एवं बेलसण्डी ग्रामों को लेपित मार्ग से जोड़ने की मांग

100-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल निधि के राज्यांश से वर्ष 2001-02 में स्वीकृत मार्ग आनापुर बेलासण्डी असुढ़ी-पूरेसनाथ-गडौरी, चदुआ पट्टी मार्ग में

कौन-कौन से ग्राम अभी तक लेपन स्तर तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं ? उक्त ग्रामों को लेपन स्तर तक सड़कों से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत स्वीकृत मार्गों में से ग्राम आनापुर एवं बेलसण्डी लेपन स्तर तक की सड़क से नहीं जुड़े हैं। ग्राम गडौरी व चदुंआपट्टी को जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि यह स्वीकृत मार्गों पर स्थित नहीं है।

आनापुर एवं बेलसण्डी ग्रामों को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड आसपुर देवसरा के सभी ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने पर विचार

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के सभी ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ा जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गन्ना का निर्धारित मूल्य एवं भुगतान की दर

102-श्री लल्लू सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गन्ना का निर्धारित मूल्य क्या है ? नवम्बर, 2007 एवं दिसम्बर, 2007 तथा जनवरी, 2008 में गन्ना किसानों को किस मूल्य पर गन्ने का भुगतान किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2007-08 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा देय राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत् किया गया है :-

(1) अनुपयुक्त घोषित प्रजातियां के लिए रु0 122.50 प्रति कुन्टल

(2) साधारण प्रजातियां के लिए रु0 125.00 प्रति कुन्टल

(3) अगती प्रजाति के लिए रु0 130.00 प्रति कुन्टल।

निजी चीनी मिलों की रिट याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-11-2007 के अनुपालन में पेराई सत्र 2007-08 के प्रारम्भ से लेकर अब तक रु0 110.00 प्रति कुन्टल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर-4 के आवंटिओं को कब्जा देने की जानकारी

103-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा गोमती नगर विस्तार योजनान्तर्गत सेक्टर-4 में वर्ष 2003-2004 तथा दिनांक 27-5-2005 को सम्पन्न लाटरी द्वारा लोगों को भूखण्ड आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या आवंटित भूखण्डों पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

स्थल पर अभी विकास कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिए भूखण्डों के कब्जे नहीं दिये गये हैं।

विकास कार्य पूर्ण होते ही आवंटियों को भूखण्डों के कब्जे प्रदान कर दिये जायेंगे।

पूर्व विधायकों के अस्थायी रूप से रहने हेतु बहुमंजिला भवन बनवाने की मांग

104-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व विधायकों के लखनऊ आगमन पर अवस्थान हेतु लखनऊ में एक बहुमंजिला भवन बनवा कर अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा सदस्यों के लखनऊ आवासों पर वातानुकूलित तथा गीजर लगाने पर विचार

105-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल के सभी सदस्यों के लखनऊ आवासों पर वातानुकूलित (ए0सी0) तथा गीजर लगाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

विधान मण्डल के सदस्यों के लखनऊ स्थित राजकीय आवासों में गीजर की व्यवस्था करने विषयक प्रस्ताव विचाराधीन है। वातानुकूलन संयत्र (ए0सी0) लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम् योजना को विकसित करने हेतु अधिग्रहीत भूमि

106-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम योजना को विकसित करने हेतु कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी ? अधिग्रहीत की गयी भूमि का कितना मुआवजा सम्बन्धित भू-स्वामियों को दिया गया तथा इसे विकसित करने पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शास्त्रीपुरम् (सिकन्दरा आवासीय योजना) के अन्तर्गत कुल 695.80 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय घोषित हुआ है तथा घोषित अनिर्णय में से 677.6746 एकड़ भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है।

प्रतिकर के भुगतान हेतु वांछित रु0 2440.52 लाख की धनराशि प्राधिकरण द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा उक्त योजना को विकसित करने पर अब तक कुल रु0 5722.47 लाख का व्यय किया गया है।

आगरा विकास प्राधिकरण को पथकर से प्राप्त आय की जानकारी

107-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण को वर्ष 2006-2007 में पथकर से कुल कितना आय हुई ? प्राधिकरण द्वारा आगरा जिला में इस आय का उपयोग कहां-कहां किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आगरा विकास प्राधिकरण को वर्ष 2006-07 में पथकर निधि से रु0 3873.00 लाख की आय हुई है।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा इस आय का उपयोग विभिन्न स्थलों के विकास एवं उनके रख-रखाव हेतु किया गया है। कार्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 188-190 पर।)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव

108-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आगरा जिला में किसानों की जमीन अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की जानी है तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण:--

ग्राम का नाम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)
* बरौली अहीर, बसई, वगदा, मायापुर, चमरौली, लोरा, दलाल रोड़िया व लकावली	395.5726
* रायभा	33.6544
* चौहटना एवं सदरवन	19.7833
* रनवता	46.986
* छलसर, चौगान व कुबेरपुर	339.42 (लगभग)
* नरायच, मुस्तविल, पोइया, नादऊ व धौरऊ	544.04 (लगभग)
* महुआ रेडा, ढोरा व क्लाल रोड़िया, कुंआ रोड़ा, एत्मतपुर मदरा, हिंगोट रोड़िया व बुढ़ाना मुस्तविल	1300 (हे0 लगभग)

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, आगरा द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण:--

ग्राम का नाम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)
* लखनपुर	36.862
* अरतौनी	152.314
* जऊपुरा	139.415
* पनवारी	239.258

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम पंचायत बगही में अनुसूचित वस्तु विक्रेता की दुकान की जांच

109-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम पंचायत बगही में अनुसूचित वस्तु विक्रेता की जांच वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक एवं तहसीलदार नौगढ़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति द्वारा की गई और अपनी जांच आख्या दिनांक 22-9-07 को उप जिलाधिकारी, नौगढ़ को दे दी है ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर ग्राम पंचायत बगही के अनुसूचित वस्तु विक्रेता की दुकान उप जिलाधिकारी, नौगढ़ द्वारा निरस्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड जोगिया के ग्राम पंचायत बैरवानानकार के कोटेदार के विरुद्ध नायव तहसीलदार उस्का की रिपोर्ट पर कार्यवाही

110-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड जोगिया के ग्राम पंचायत बैरवानानकार के कोटेदार के विरुद्ध नायब तहसीलदार उस्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में गबन/काला बाजारी/इ0सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम करने की संस्तुति दिनांक 7-7-2007 को उप जिलाधिकारी, नौगढ़ को दिया था, परन्तु उप जिलाधिकारी, नौगढ़ ने वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दिनांक 18-7-07 के आधार पर दिनांक 30-7-2007 को निलम्बित किया और पुनः उन्हीं की जांच रिपोर्ट दिनांक 3-9-2007 के आधार पर दिनांक 19-7-2007 को बहाल कर दिया ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, नौगढ़ द्वारा नायब तहसीलदार, उस्का की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोटेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोटेदार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-जोगिया के ग्राम पंचायत, बैरवानानकार के कोटेदार के विरुद्ध जांच करके नायब तहसीलदार उस्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 07-07-2007 उप जिलाधिकारी, नौगढ़ को प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर प्रथमतया सम्बन्धित कोटेदार की दुकान निलम्बित की गयी और उससे स्पष्टीकरण आदि प्राप्त करके एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 19-07-2007 द्वारा दुकान बहाल कर दी गयी, किन्तु उसकी जांच को बन्द नहीं किया गया था। पुनः विधिवत् जांच वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक से करायी गयी, जिसमें विक्रेता गम्भीर रूप से दोषी पाया गया, जिसके आधार पर उसकी दुकान निलम्बित करते हुए ई0सी0ऐक्ट 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना उस्का बाजार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

111-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा परशुरामपुर ब्लाक मगरौरा के कोटेदार श्री गिरिजा शंकर को नियम विरुद्ध कोटा दिये जाने की जांच

112-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का कोटेदार होने के लिये क्या उसी ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो जनपद

प्रतापगढ़ की ग्राम सभा परशुरामपुर ब्लाक मंगरौरा के कोटेदार श्री गिरिजा शंकर, जो ग्राम सभा सूर्यगढ़ जगन्नाथ पूरे कोलाहट के निवासी हैं को ग्राम सभा परशुरामपुर का कोटेदार किस आधार पर नियुक्त किया गया है ? क्या नियम विरुद्ध लाइसेन्स जारी करने वाले के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां। शासनादेश संख्या-2715/29-6-02-162सा0/01, दिनांक 17-08-2002 के अनुसार सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदार को उसी ग्राम सभा का निवासी होना अनिवार्य है।

ग्राम सभा परशुरामपुर, ब्लाक-मंगरौरा के कोटेदार श्री गिरिजा शंकर ग्राम सभा सूर्यगढ़ जगन्नाथ पूरे कोलाहल के निवासी को शासनादेश संख्या-एफ0-3967/29-खाद्य-6, दिनांक 03 जुलाई, 1990 के आलोक में ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 16-05-1995 के आधार पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन किया गया है। श्री गिरिजा शंकर को कोटेदार के रूप में नियुक्ति के समय कोटेदार को उसी ग्राम सभा का होना अनिवार्य नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरिजा शंकर कोटेदार की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 17-8-2002 के पूर्व शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 1990 के आलोक में हुई है।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी में स्थापित नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने एवं सिल्ट सफाई व मरम्मत की मांग

113-श्री लालजी यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में स्थापित नहरों में पानी टेल तक न पहुंचने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बांसी स्थित नहरों के सिल्ट सफाई व मरम्मत आदि मदों में वर्ष 2006 व 2007 में कितना धन खर्च हुआ है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सिल्ट सफाई मद में कोई धन व्यय नहीं हुआ है। मात्र मरम्मत मद में (अनुरक्षण मद) वर्ष 2006 में रुपये 4.37 लाख, 2007 में रुपये 1.65 लाख कुल योग रुपये 6.02 लाख धन व्यय हुआ है।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में रमाबाई रैली स्थल एवं अम्बेडकर मैदान कानुपर रोड, लखनऊ के निर्माण पर व्यय की जानकारी

114-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ व अम्बेडकर मैदान कानपुर रोड, लखनऊ के निर्माण पर अब तक कितना धन किस-किस मद में खर्च हो चुका है तथा कितना धन खर्च किये जाने का आगणन प्रस्तावित है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

रमाबाई अम्बेडकर मैदान के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत कुल रु0 2129.61 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, गेट, मंच, पेडस्टल, पहुंच मार्ग, भूमि समतलीकरण, जनसुविधा, जल निकासी, सीवरेज, जलापूर्ति के मदों में रु0 685.41 लाख का व्यय हुआ है।

अम्बेडकर मैदान, जेल रोड, लखनऊ को मान्यवर, श्री काशीराम जी स्मारक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत रु0 25417.16 लाख के सापेक्ष रु0 5000.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है।

लखनऊ में रमाबाई रैलीस्थल की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि तथा किसानों को मुआवजे का भुगतान

115-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ कितने एकड़ में स्थापित है तथा इसमें कितने किसानों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी है ? क्या सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रमाबाई रैली स्थल लखनऊ की स्थापना 50 एकड़ भूमि पर की गयी है तथा इसमें 25 किसानों (खातेदार) की भूमि अधिग्रहीत की गयी है।

जी हां। सभी 25 किसान/खातेदारों को अभिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर की भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुआवजे का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

प्रदेश में प्रतिवर्ष शीरे का उत्पादन

116-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष शीरे का कितना उत्पादन होता है ? क्या सरकार शीरे से पेट्रोल बनाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गत शीरा वर्ष 2006-2007 में 468.62 लाख कुण्टल शीरे का उत्पादन हुआ था तथा वर्तमान शीरा वर्ष 2007-08 में लगभग 418 लाख कुण्टल शीरा उत्पादित होने की सम्भावना है।

जी नहीं। शीरे से पेट्रोल का निर्माण नहीं होता है, बल्कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-230, दिनांक 03-09-2002 द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 09 राज्यों एवं 04 केन्द्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल में 05 प्रतिशत शीरे से निर्मित एनहाइड्रस अल्कोहल (गैसोहाल/इथनाल) के मिश्रण को अनिवार्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शीरे से पेट्रोल का निर्माण नहीं होता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा गोमतीनगर योजना में सेक्टर-4 का विकास कार्य पूर्ण कर आवंटियों को कब्जा दिलाने की मांग

117-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा गोमती नगर विस्तार योजनान्तर्गत सेक्टर-4 में वर्ष 2003-04 में तथा दिनांक 27-5-2005 को लाटरी द्वारा लोगों को भूखण्ड आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या आवंटियों को भूखण्ड पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा आवंटियों को कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

स्थल पर अभी विकास कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिए भूखण्डों के कब्जे नहीं दिये गये है।

विकास कार्य पूर्ण होते ही आवांटियों को भूखण्डों के कब्जे प्रदान कर दिये जायेंगे।

जनपद गोण्डा के वजीरगंज से करनीपुर, करनीपुर से खीरीडीह, बक्सरा तक निर्माण कार्य की प्रगति

118-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मनकापुर के बक्सरा से बेइलिया होते हुए परमापुर महडवा काली कुण्ड करदा करनीपुर, खीरीडीह होते हुए वजीरगंज तक का मार्ग लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वजीरगंज से करनीपुर तथा खीरीडीह से कालीकुण्ड तक का भाग पूर्व से लेपित स्तर तक बना है। करनीपुर से खीरीडीह एवं बेइलिया से बक्सरा तक के भाग में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष भाग किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत लकड़ी के क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण की मांग

119-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत लकड़ी के क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण हेतु शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत लकड़ी के पुल वजीरगंज झिलाही मार्ग के कि0मी0 10 में 40 मीटर स्पान का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जो हल्के वाहनों के लिये यातायात हेतु उपलब्ध है। भारी वाहन इस पुल के 10.00 किमी0 अपस्ट्रीम में 26 मी0 तथा 15.00 किमी0 डाउन स्ट्रीम में 36 मीटर लम्बे निर्मित सेतुओं से होकर गुजरते हैं। खारी बावली-मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग के किमी0 6.00 में 50 मीटर स्पान का तथा इसी मार्ग के कि0मी0 18.00 में 45 मीटर स्पान का लकड़ी का पुल स्थित है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त मार्गो से हल्के वाहनों का आवागमन हो रहा है।

जनपद मेरठ में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द कराने की मांग

120-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद मेरठ में कितनी शराब की दूकानें स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि जनपद मेरठ में अनेक दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान में मेरठ जनपद में देशी शराब की 91 मूल दुकानें तथा 15 उप दुकानें, विदेशी मदिरा की 70 दुकानें तथा बियर की 73 दुकानें, कुल 249 दुकानें स्वीकृत एवं संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(01 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री इमरान मसूद को सदन की सेवा से सम्पूर्ण सत्र के लिये किये गये निलम्बन को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

आज प्रश्नकाल के समय सदन की कार्यवाही में, बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। कुछ हमारे माननीय सदस्य रिपोर्टर टेबिल पर चढ़ गये थे। हमको थोड़ा आघात लगा, हमने तात्कालिक तौर पर निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य रिपोर्ट्स टेबिल पर चढ़े, उन्हें सदन की कार्यवाही से जब तक सदन चलता है, तब तक निष्कासित किया जाता है। लेकिन मैं पुनः अपनी भावनाओं को कहीं न कहीं दलीय नेताओं की भावनाओं से जोड़ते हुए, ऐसी परिस्थिति में हमने दल के नेताओं से निवेदन किया कि ठीक है, प्रदर्शन हों, वेल के अन्दर हों, टेबिल पर चढ़ने की प्रवृत्ति रोकी जाय तो अच्छी परम्परा बने। टेबिल पर कोई नहीं चढ़े, वेल के अन्दर अपना प्रदर्शन करें, यह एक अच्छी परम्परा कायम करने के लिये सभी दलीय नेताओं ने आश्वासन दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। परम्पराओं का पालन करने की कहीं न कहीं सबके मन में कचोट है। सभी दलीय नेताओं की भावनाओं का आदर करते हुए मैं भावुकता के रूप में उन सदस्यों का निष्कासन समाप्त करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस आशय का प्रस्ताव लायें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिस सदस्य को निष्कासित किया गया है, उनका निष्कासन वापस लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो निष्कासन वापस लिये जाने विषयक प्रस्ताव किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य यदि सदन में न हो तो वह वापस आ जाये।

नियम 300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष-

अभी तय हुआ है कि आज नियम 300 की सूचनाएं हम लोग नहीं सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष का श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर विचार आना है और ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं आज न ली जायें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्व श्री त्रिलोक चन्द्र (पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा), बीजू पटनायक, मोहम्मद शकील अहमद, शिव कैलाश, शमशाद अहमद हाजी, डा0 श्याम किशोर, श्री भोला सिंह, श्री अब्दुल हलीम खां तथा श्री बृजपाल सिंह यादव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र का 27 दिसम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री त्रिलोक चन्द्र का जन्म 2 दिसम्बर, 1935 में ग्राम जलीलपुर, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री त्रिलोक चन्द्र वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र छतारी (अ0जा0), जिला बुलन्दशहर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर (अ0जा0), जिला बुलन्दशहर से क्रमशः जनता पार्टी तथा लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1980-84 में सातवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री त्रिलोक चन्द्र वर्ष 1978-79 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति रहे थे। वे श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रि-मण्डल तथा श्री बनारसी दास मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। उन्होंने 5 सितम्बर, 1985 से 29 नवम्बर, 1989 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए वे विभिन्न समितियों के पदेन सभापति भी रहे। वे भारत कृषक समाज के सभापति भी रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री त्रिलोक चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बीजू पटनायक का 12 दिसम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे। श्री बीजू पटनायक का जन्म 7 मार्च, 1962 में ग्राम देवचन्द्रपुर, जिला गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री बीजू पटनायक वर्ष 2002 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र सादात (अ0जा0), जिला गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बीजू पटनायक राजनीतिक आन्दोलनों में जिला कारागार, गाजीपुर तथा जौनपुर में बारह दिन बन्दी रहे थे। वे हॉकर लेबर यूनियन, जौनपुर के अध्यक्ष थे। सामाजिक कार्यों में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया था। राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेलों में कुश्ती उन्हें प्रिय थी।

श्री बीजू पटनायक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद शकील अहमद का 24 दिसम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री मोहम्मद शकील अहमद का जन्म 1927 में लखनऊ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री मोहम्मद शकील अहमद वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ (पश्चिम) से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मोहम्मद शकील अहमद वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आ गये थे। वे काकोरी काण्ड में जेल गये थे। वे लखनऊ नगर निगम में कार्यकारिणी सदस्य तथा इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे थे। वे उर्दू के उपन्यास लेखक भी थे।

श्री मोहम्मद शकील अहमद के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कैलाश का 8 जनवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री शिव कैलाश वर्ष 1969 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र सिद्धौर (अ0जा0), जिला बाराबंकी से क्रमशः संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री शिव कैलाश वर्ष 1952 से राजनीति से जुड़े थे। वे विभिन्न आन्दोलनों में 9 बार जेल जा चुके थे। कृषि सम्बन्धी कार्यों एवं किसानों की समस्याओं में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री शिव कैलाश के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शमशाद अहमद हाजी का 10 जनवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री शमशाद अहमद हाजी का जन्म 22 जून, 1934 को हुआ था।

श्री शमशाद अहमद हाजी वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फराबाद, जिला सहारनपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शमशाद अहमद हाजी वर्ष 1972 से 1988 तक ग्राम प्रधान तथा वर्ष 1974 से 1975 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे। वे गन्ना डायरेक्टर भी रह चुके थे।

श्री शमशाद अहमद हाजी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 श्याम किशोर का 13 जनवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। डा0 श्याम किशोर का जन्म वर्ष 1918 में ग्राम गन्धौली, जिला सीतापुर में हुआ था। वे होम्योपैथी में स्नातक थे।

डा0 श्याम किशोर वर्ष 1969 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर, जिला सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। डा0 श्याम किशोर नगरपालिका, सीतापुर के अध्यक्ष भी रहे थे। वे सीतापुर के अनेक क्लबों के सदस्य रहे थे। उन्होंने मद्य निषेध तथा शिक्षा प्रचार में विशेष कार्य किया था। उनकी कवितायें तथा लेख पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्ष 1955 में उनकी "हमारा देश" नामक पुस्तक प्रकाशित हुए। वे साप्ताहिक समाचार-पत्र 'देहात दर्पण' के सम्पादक थे। काव्य में उनकी विशेष रुचि थी।

डा0 श्याम किशोर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भोला सिंह का 22 जनवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री भोला सिंह का जन्म 27 मई, 1928 को ग्राम बिगहिया, जिला इलाहाबाद में हुआ था।

श्री भोला सिंह, वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सोरांव, जिला इलाहाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र सोरांव, जिला इलाहाबाद से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री भोला सिंह, श्रीमती जानकी विद्यालय और राधानगर विद्यालय इस्माइलगंज, केशवनगर के संरक्षक तथा सदस्य रहे थे। वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष थे। वे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। राजनीति और व्यापार में उनकी विशेष रुचि थी तथा धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन उन्हें प्रिय था।

श्री भोला सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अब्दुल हलीम खां का 08 फरवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री अब्दुल हलीम खां का जन्म 1 सितम्बर, 1927 को कस्बा किठौर, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अब्दुल हलीम खां वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र खरखौदा, जिला मेरठ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अब्दुल हलीम खां, श्री बनारसी दास मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। उद्योग एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें राजनैतिक पुस्तकों का अध्ययन प्रिय था। श्री अब्दुल हलीम खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृजपाल सिंह यादव का 10 फरवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री बृजपाल सिंह यादव का जन्म सितम्बर, 1921 में ग्राम गौरामई, जिला बदायूं में हुआ था। श्री बृजपाल सिंह यादव वर्ष 1867 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र उसेहत, जिला बदायूं से जनसंघ पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित

हुए थे। श्री बृजपाल सिंह यादव को जनसम्पर्क में विशेष रुचि थी। कृषि सम्बन्धी कार्यों में भी उनकी दिलचस्पी थी। श्री बृजलाल सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने स्थानों पर खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया गया)

पाकिस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो का 27 दिसम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष की थीं।

दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की और मुस्लिम देशों की पहली महिला शासक बनी श्रीमती बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून, 1953 को कराची में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा कराची में हुई थी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका और ब्रिटेन गई। वहां उन्होंने हावर्ड और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में कानून, दर्शन, राजनीति, कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई की। आक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान वे 1976 में आक्सफोर्ड यूनियन की अध्यक्ष बनीं। वे इस प्रतिष्ठित यूनियन की पहली एशियाई महिला अध्यक्ष थीं। उनके पिता पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक थे। उनके बाद श्रीमती भुट्टो ने पार्टी की कमान सम्भाली। वे वर्ष 1988 में पहली बार तथा वर्ष 1993 में दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधान मंत्री बनीं।

श्रीमती भुट्टो दक्षिण एशिया की एक कुशल राजनीतिक नेता थीं। वे कट्टरपंथियों की धमकी के आगे कभी नहीं झुकीं। उनमें कठिनाइयों से जूझने का विशेष जज्बा था। वे लोकतंत्र, विश्व शांति और भारत-पाक मैत्री के लिये कृतसंकल्प थीं।

श्रीमती बेनजीर भुट्टो के निधन से विश्व ने शांति एवं सद्भावना के लिये प्रयासरत एक महान नेता खो दिया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हमारी और हमारे दल तथा सदन की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को इस गम को सहने की संदेश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेगा।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है, उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, बड़ा दुःखद है कि आज प्रजातंत्र में हिंसा को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं न कहीं स्थान मिल रहा है, किसी धर्म में भी हिंसा को स्थान नहीं दिया गया। मान्यवर, यह चिन्ता की बात है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अगर हिंसा का शिकार होंगे, लोक प्रतिनिधि अगर हिंसा का शिकार होंगे तो फिर राजनीति में भय का वातावरण बनता चला जायेगा और हम सब लोग कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम जितना भी सुरक्षा का इन्तजाम कर लें लेकिन जनता का चुना हुआ वह प्रतिनिधि जिसे जनता के बीच में जाना होता है वह हर वक्त असुरक्षित रहता है। हमारी सुरक्षा तो जनता है और इस बात पर हरदम चिन्ता हुई हिन्दुस्तान ने तो कम से कम विशेषतौर से इस बात पर चिन्ता की कि हिंसा को जो जन्म दे रहा है जहां से हिंसा पनप रही है कम से कम वहां पर इसे रोका जाये पूरे विश्व ने इस बात को कहा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है इसमें कोई शक नहीं कि बेनजीर भुट्टो जी की लोकप्रियता कोई कम थी, उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की भी लोकप्रियता अपने आप में बहुत थी और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई हम सभी खुद शॉक्ड हो गये, हम सभी स्तब्ध रह गये, हम सब यह सोच भी नहीं सकते थे, टी0वी0 पर देखते थे कि भाषण करके उतरी और दो मिनट के अन्दर सबके बीच से चली गयी सबको उसका बड़ा दुःख हुआ है और हिन्दुस्तान तो हर वक्त इस बात को कहता रहा है आज हम लोग उसके बहुत बड़े शिकार हो गये है। इस बात से हम लोग चिंतित रहते हैं रोजाना यह निकलता है कि आतंकवादी इस प्रदेश में सक्रिय हो गये हैं इस प्रदेश में सभी को चिन्ता है। मैं तो कहता हूं कि इस पर सभी को चिन्ता करनी चाहिए, मैं तो कहता हूं कि इस पर दलों से उठ कर, हम इसको राजनीतिक में नहीं लाना चाहते हैं दलों से ऊपर उठकर हम सबको भी इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि आखिर इस आतंकवाद से कैसे छुटकारा पाया जाये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम अपने दल की तरफ से आश्वासन देते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जो भी कदम उठायेगी, समाजवादी पार्टी उनको सहयोग देती रहेगी। हम चाहते हैं इसके लिये पूरे प्रदेश में इस चीज को गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं फिर से उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके शोक संतप्त परिवार को यह सदमा सहने की शक्ति दे। मेरे और मेरे दल की तरफ से यह संवेदना श्रीमन् पहुंचवाने का कष्ट करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बेनजीर भुट्टो लोकतंत्र की अत्यन्त हिमायती, लोकप्रिय, विश्वस्तरीय नेता थी। आतंकवाद जिससे आज पूरा विश्व चिंतित है और अपना देश उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। उस आतंकवाद ने एक विश्व प्रसिद्ध लोकतंत्र की हिमायती नेता की हत्या कर दी। यह लोकतंत्र के लिये भी बहुत दुःखद है, शान्तिप्रिय लोगों के लिये चिन्ता का विषय है और भारत के लिये बहुत बड़ी क्षति है। आज भारतीय महाद्वीप में भारत के चारों ओर जितने भी पड़ोसी देश हैं वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब आतंकवाद की गिरफ्त में हैं। आतंकवाद सत्ता संघर्ष को और सत्ता को प्रभावित कर रहा है, ऐसी स्थिति में भारत के प्रति मित्रता का भाव रहने वाला विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में जहां लोकतंत्र के बहुत ही प्रखर और शक्तिशाली हिमायती नेता का निधन भारत के लिये बहुत दुःखद है। मान्यवर, क्योंकि अब भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है आतंकवाद से और अपने पड़ोसी देशों की अशांति से और आप देखें कि सभी पड़ोसी देशों में आतंकवाद ही अशांति पैदा किये हुए है। मान्यवर, इस संकट की घड़ी में, इस असुरक्षा की स्थिति में एक जो भारत के प्रति मित्रता का भाव रखती थी, जो शांति प्रिय थी और जो शांति की बहाली की पक्षधर थी, वह आज हमारे बीच में नहीं रही। मान्यवर, वे अपने देश पाकिस्तान में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिये सतत् प्रयत्नशील थी। उन्होंने बहुत सारे कष्ट झेले। मान्यवर, उनका निधन निश्चित रूप से हम सबके लिये अत्यन्त दुखद घटना है। उनका निधन शांतिप्रिय नागरिकों के लिये सबसे बड़ी क्षति है। मान्यवर, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रीमती बेनजीर भुट्टो के निधन पर दुख व्यक्त करता हूं और अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोकाकुल परिवार को और पाकिस्तान की जनता को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पाकिस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो जी ने लोकतंत्र की बहाली के लिये संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह दो बार पाकिस्तान की प्रधान मंत्री बनी थीं और यह कल्पना मात्र बड़ा मुश्किल सा लगता है कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में, जो राजनीति की बहुत बड़ी उम्र नहीं मानी जाती है, वह भी पाकिस्तान जैसे देश में जहां कट्टरपंथियों और रूढ़िवादियों का दबदबा है उस राष्ट्र की प्रधान मंत्री बनी थीं। उसके बाद उन्हें दुबारा 40 वर्ष की आयु में प्रधान मंत्री की बागडोर सौंपी गयी। मान्यवर, जिस समय उन्हें निर्वासित किया गया था या जब वह दूसरी बार प्रधान मंत्री बनी थीं वह दोनों परिस्थितियां थीं जिसमें पाकिस्तान के लिये बहुत बड़ा संकट का काल था। क्योंकि उस समय वहां के लोकनायक भुट्टो साहब को फांसी दे दी गयी थी। पाकिस्तान जल रहा था और उस स्थिति में बेनजीर भुट्टो जी ने वहां पर न केवल शांति, अमन और चैन की स्थिति को कायम करने का काम किया था बल्कि पाकिस्तान को एक नई दिशा देने का काम किया था क्योंकि वह सैनिक शासन का दौर था। मान्यवर, एक बाप ने अपनी सहादत दी थी और बेटी ने लोकतंत्र की बहाली के रास्ते को आगे बढ़ाया था। मान्यवर, एक बार फिर जब वहां सैनिक शासन और मार्शल लॉ से बाहर निकलने के लिए जद्दोजेहद चल रही थी उस समय बेनजीर भुट्टो जी की लोकप्रियता का ग्राफ जो था उसमें वह सबसे आगे निकल रही थी। मान्यवर, जिस समय वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाकिस्तान आयी थीं उनका वहां ऐतिहासिक स्वागत हुआ था। वह संकेत करता था इस बात का कि आने वाले चुनाव में वह पाकिस्तान की प्रधान मंत्री फिर बनेगी। वह दुबारा नहीं हो पायी और लोकतंत्र की बहाली जो लोग नहीं चाहते थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। मान्यवर, उनकी हत्या विवाद का विषय बनी हुई है। यह कहा जाता है कि उनको गोली लगी है, फिर यह कहा जाता है कि उनको किसी बम विस्फोट में मारा गया। मान्यवर, जो कुछ भी हुआ उसमें बेनजीर भुट्टो की आवाज खामोश हो गयी। लोकतंत्र के हक के लिये लड़ने वाली एक मजबूत आवाज खामोश हो गयी। मान्यवर, वे एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थीं और एक मुस्लिम राष्ट्र में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में उस देश की प्रधान मंत्री बनी थीं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किये थे जिन्होंने उनको महान बना दिया था। मान्यवर, उस समय भारत में अल्पायु में राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री बने थे और एशिया का वह जो एक दौर था वह गुजर गया।

मान्यवर, मैं उनके असामयिक निधन पर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और दृढ़ता के साथ पूरे संकल्प के साथ यह कहना चाहता हूं कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जायेगी। पाकिस्तान में सैनिक शासन का अंत होगा और लोकतंत्र की बहाली होगी। मैं इस आशा और विश्वास के साथ बेनजीर भुट्टो जी के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह आशा व्यक्त करता हूं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिये उठी हुई यह मशाल बुझने नहीं पायेगी। क्योंकि अगर लोकतंत्र वहां समाप्त हो गया तो भारतवर्ष, उससे निसंदेह उसकी आग भारत को कभी न कभी जलाती रहेगी।

श्री कौकब हमीद-

माननीय अध्यक्ष जी, बेनजीर भुट्टो, कौन जान सकता था जब वह 1971 में अपने पिता जी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो जो उस जमाने के प्राइम मिनस्टिर थे पाकिस्तान के, उनके साथ वह शिमला आयी थी और बड़ी लोकप्रिय रहीं। 18 साल की उम्र में जब वह यहां आई और उसके बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई और वह 35 साल की उम्र में प्राइम मिनस्टिर बनी तो उन्होंने डाटर आफ दि ईस्ट नाम की पुस्तक लिखी जिसमें पूरी कहानी उन्होंने बतायी जो उनके पिता जी के साथ पूरे परिवार के साथ उस दौर में हुई जब उनको फांसी हो रही थी और कल जो उनकी पुस्तक आई है जो उनकी आटोबायोग्राफी है मान्यवर, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जब मैं लन्दन से पाकिस्तान वापस आऊंगी तो क्या हालात सम्भव हो सकते हैं और जो सम्भव हुए उन्होंने बाकायदा लिखा है। तो मैं उस शहीद को श्रद्धांजलि देता हूं जिसे यह मालूम होने के बावजूद कि मेरा हश्र क्या होगा बम फटेगा मैं मर जाऊंगी रहूंगी या नहीं रहूंगी लेकिन उन्होंने वह ताकत रखी और पाकिस्तान को बहाल करने से अपनी जो उनके यहां आतंकवाद का एक जोर है उसको बहाल करने से वह पाकिस्तान आने से नहीं रुकी। मैं श्रद्धांजलि देता हूं अपनी दल की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पाकिस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो का 27 दिसम्बर, 2007 को निधन हो गया। वह लगभग 54 वर्ष की थीं। दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की और मुस्लिम देशों की पहली महिला शासक बनीं। श्रीमती बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून, 1953 को कराची में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा कराची में हुई थी। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका और ब्रिटेन गयीं। वहां उन्होंने हार्वर्ड और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में कानून, दर्शन, राजनीति, कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई की। आक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान वे 1976 में आक्सफोर्ड यूनियन की अध्यक्ष बनीं। वे इस प्रतिष्ठित यूनियन की पहली एशियाई महिला अध्यक्ष थीं। उनके पिता पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक थे। उनके बाद श्रीमती भुट्टो ने पार्टी की कमान संभाली। वे वर्ष 1988 में पहली बार तथा वर्ष 1993 में दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधान मंत्री बनीं।

श्रीमती भुट्टो दक्षिण एशिया की एक कुशल राजनीतिक नेता थीं। वे कट्टरपंथियों की धमकी के आगे कभी नहीं झुकी। उनमें कठिनाइयों से जूझने का विशेष जज्बा था। वे लोकतंत्र, विश्वशांति और भारत-पाक मैत्री के लिये कृतसंकल्प थीं।

श्रीमती बेनजीर भुट्टो के निधन से विश्व ने शांति एवं सद्भावना के लिये प्रयासरत एक महान नेता खो दिया है। इनके शोक संवेदना में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय कौकब हमीद ने जो संवेदना व्यक्त की है इनकी संवेदनाओं का संदेश मैं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि उनकी आत्मा की शांति के लिये माननीय सदस्य 2 मिनट मौन खड़े हो जायें।

(सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमर मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को जिला कारागार, गोरखपुर में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-7 दिनांक 25 जनवरी, 2008 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर का टेलेक्स संदेश दिनांक 7 फरवरी, 2008, जो इस सचिवालय में दिनांक 11 फरवरी, 2008 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचित किया गया है

कि श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को अपराध संख्या 70/93, धारा 406 आई0 पी0 सी0, थाना नौतनवां, अपराध संख्या 93/93, धारा 147, 323, 504, 506, 353 आई0 पी0 सी0, थाना नौतनवां, अपराध संख्या 91/93, धारा 506 आई0 पी0 सी0, थाना नौतनवां तथा अपराध संख्या 87/93, धारा 448 आई0 पी0 सी0, थाना नौतनवां, महराजगंज के अभियोग में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के आदेश, दिनांक 6 फरवरी, 2008 के अनुसरण में जिला कारागार, गोरखपुर में दाखिल किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 13 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 13 फरवरी, 2008 को नियम 311 के अन्तर्गत सीमित संख्या में सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 13 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>फरवरी, 2008</u>

13 बुधवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

3-(क) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा)।

(ख) "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 का पुनः पारण।

14 गुरुवार 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित

प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।"

15 शुक्रवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार 18 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
21 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
22 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2008

01 शनिवार 02 रविवार	बैठक नहीं होगी।
03 सोमवार 04 मंगलवार 05 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

06 गुरुवार (महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

07 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

08 शनिवार, 09 रविवार } बैठक नहीं होगी।

10 सोमवार, 11 मंगलवार } वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपरान्ह

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

13 गुरुवार विधायी कार्य।

14 शुक्रवार असरकारी कार्य।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की विभिन्न सूचनाओं को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव से पूर्व सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं। महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय का प्रस्तुत होना

है। अभी निर्णय हुआ था कि दलीय नेताओं की कुछ नियम-311 की सूचनाएं हैं, उनको सुन लिया जाये तब इसको सुना जाये। लेकिन अगर आप लोग सहमत हों तो पहले संशोधन प्रस्ताव ले लें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तात्कालिक विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के 42 लाख कृषक परिवार इससे प्रभावित हैं। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिये हमने केवल 10 मिनट की मांग की थी, उसे आपने स्वीकार भी कर लिया था अगर इस सदन में 10 मिनट भी उन परिवारों के बारे में कहने का समय नहीं मिलेगा तो हम यहां किस लिये आये हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि ऐज इट इज इसे कल ले लें और आज जैसे बात हुई है उसके अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन ले लें और उस संशोधन में माननीय नेता बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वह ठीक नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें, पूरा हमारा जनपद और पूरा हमारा मण्डल केवल गन्ने की कृषि पर आधारित है। उन्हीं के भेजे हुए हम लोग हैं यहां पर, गन्ना कृषकों के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहां बैठे हुए हैं। अगर हम उनकी बात भी नहीं रख सकते तो हम क्या करेंगे। आखिर क्या बात है हमने कल आपसे आग्रह किया, आपने आज के लिये कह दिया और आज भी 10 मिनट के लिये अपनी बात नहीं कर सकते तो इससे क्या फायदा है, कल हम सदन में नहीं रहेंगे, हमारी भी दिक्कत है इसलिए हम चाह रहे थे कि गन्ना कृषकों की समस्याओं के बारे में अपनी बात रख लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर ज्यादा जरूरी है तो मा0 नेता प्रतिपक्ष संशोधन रख लें, उसके बाद आपका ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 नेता प्रतिपक्ष से हमने आग्रह कर लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

हमारी भी बात मान लीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

कभी-कभी हमारी भी बात मान लिया कीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा आप भी रिजिड हो गये हैं। हमारा अनुरोध यह है कि मा0 नेता प्रतिपक्ष का बहुत लम्बा भाषण होगा, उसे हम लोग शान्त से सुनेंगे, इसलिये पहले गन्ना कृषकों की समस्याओं पर 10 मिनट सुन लें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, उसके बाद हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब एक निवदेन कर लें, कल निश्चित तौर से आपका ले लेंगे।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड का भी मामला है।

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब बैठ जायें, बात हो गई है, बुन्देलखण्ड पर चर्चा हो जायेगी। चौधरी साहब, कुशवाहा जी आप बैठ जायें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, हमारा कहना है कि या तो पूरा आज ले लीजिए या फिर पूरे मामले कल लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 कौकब साहब, हमारे हुकुम सिंह जी कल नहीं रहेंगे लेकिन आप तो रहेंगे। बेहतर रहेगा कि इनको आज सुन लें और आपका कल ले लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

पहले नेता प्रतिपक्ष का ले लें, उसके बाद आपको भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

एक एडजस्टमेंट हो सकता है, आपकी बात भी सुनेंगे नेता प्रतिपक्ष भी बोलेंगे। तो पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष का ले लें उसके बाद सारी सूचनाएं सुन ली जायें।

श्री हुकुम सिंह-

जिनको हम सुनना चाह रहे थे वह रहेंगी नहीं। क्योंकि बाकी तो हमारे नजदीकी भाई हैं, इनको सुनते रहते हैं। आज मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं, कम से कम उनके सामने अपनी बात रख लेते तो शायद उसका कुछ पालन हो जाता। मान्यवर, बादलपुर भी वहीं है जहां पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गन्ना कृषक हैं तो इनको तो जानकारी है। इसलिए मैं चाह रहा था कि नेता सदन रहें तभी गन्ने के बारे में हम लोगों को मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी, पहले राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपना संशोधन रख लें उसके बाद सुन लिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत) †

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर हमें संशोधन प्रस्तुत करने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है.....

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष से प्राप्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन के प्रस्ताव तथा अन्य सभी मा0 सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जाते हैं।

(प्राप्त संशोधन के लिए देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 191-278 पर)

संशोधन का रूप

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

[1-बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

2-कन्या विद्या धन योजना को यथावत् लागू करने के सम्बन्ध में,

3-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुले आम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने के सम्बन्ध में,

---

† दिनांक 12 फरवरी, 2008 की कार्यवाही से।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

5-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार हेतु योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

6-सैफई में निर्दोष छात्रों पर गोली चलाने वाले मुकेश यादव के हत्यारों को फांसी दिये जाने के सम्बन्ध में,

7-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

9-निरंतर बढ़ रही मंहगाई के सम्बन्ध में,

10-सभी वर्ग के लोगों को आत्म सम्मान की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

11-पूर्व सरकार की भांति डकैतों एवं माफियाओं के उन्मूलन हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में

13-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

14-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे शासकीय काम-काज के सम्बन्ध में,

15-बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारंटी देने के सम्बन्ध में,

16-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

18-सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

19-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

20-गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

22-किसानों के गेहूं की खरीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन एवं किसानों की पेंशन की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

24-पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत फैजाबाद मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

25-फैजाबाद के सोहावल विद्युत पावर हाउस के सम्बन्ध में,

26-जनपद फैजाबाद के सोहावल विधान सभा क्षेत्र के 60 ग्रामों को पुनः सदर तहसील में जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27-सोहावल उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

28-सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

29-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों के सम्बन्ध में,

30-मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के संबंध में, सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

31-प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से पुलिस प्रशासन में जातीय आधार पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

32-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

34-गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में,

35-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

37-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये जाने से रोकने के सम्बन्ध में,

38-सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

39-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

40-वैट जैसे कानून को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

41-रणवीर आफ हीरो छात्र द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के सम्बन्ध में,

42-गन्ना किसानों के बकाया भुगतान दिलाये जाने एवं गन्ना मूल्य कम दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

43-किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-छात्र यूनियनों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में,

45-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोके जाने के सम्बन्ध में,

46-आतंकवादी गतिविधियां रोके जाने हेतु कारगर उपाय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश में वित्तीय, कानून व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारने के सम्बन्ध में तथा

48-विधान सभा द्वारा गत वर्ष पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में।"]

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वह पूरी तरह से गप्प का पुलिन्दा है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं प्रदेश की जनता को कोई संदेश नहीं है, इसे हम बतायेंगे और संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। नेता सदन से भी मैं कहूंगा कि मा0 हुकुम सिंह जी का भी आग्रह मान लें। वैसे मैं बोलता दो घण्टे लेकिन कुछ कम करेंगे जिससे मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 प्रमोद तिवारी, नरेश चन्द्र अग्रवाल और लोकदल के नेता को अवसर मिल जाए। हमने कहा कि यह गप्प का पुलिन्दा है, इसमें प्रदेश की जनता को कोई संदेश नहीं है, एक भी काम कोई बता दें कि यह सरकार ने आम जनता के लिये किया है। आज आम जनता का कोई वर्ग नहीं है तो दुःखी न हो या भयभीत न हो। लगभग 9 महीने होने जा रहा है इसमें किसानों, छात्रों, गरीबों, व्यापारियों के लिये या निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के लिये कुछ नहीं किया गया है, जो उद्योगपति हैं राज्य में पहले से मौजूद थे भी वह पलायन कर रहे हैं। उसका कारण अभी हम बता देगें। अध्यक्ष महोदय, आज व्यापारी असंतुष्ट है, उसकी वजह से आज बुरा हाल प्रदेश का है। वैट कानून लगने से केवल व्यापारियों पर असर नहीं पड़ रहा है, मंहगाई बढ़ेगी, आम जनता पर उसका असर हो रहा है। हमने इसीलिए वैट कानून लागू नहीं किया था और पूरे हिन्दुस्तान में वैट कानून जहां-जहां लागू है वहां का रेवन्यू देखेंगें, उत्तर प्रदेश में हमने वैट कानून लागू नहीं किया था तो हमारे समय का रेवन्यू देखें, अन्तर स्पष्ट हो जायेगा। गप्प का पुलिन्दा ऐसे ही नहीं कह दिया। यह बात बाकायदा आपके माध्यम् से हम बता देंगें कि श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में संवैधानिक प्राविधानों का पूरा-पूरा मजाक है। इसलिए मजाक है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है ? जो आई0ए0एस0 कैडर का नहीं है वह कैबिनेट सेक्रेटरी है। इसका जरूर मुख्य मंत्री जी जवाब दें। गोपनीयता की शपथ ली जाती है, गोपनीयता की शपथ नहीं ली गयी है तो गोपनीय फाइलों को, पत्रावलियों को कैसे देख सकते हैं ? क्या यह संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ थोड़े ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि गोपनीयता की शपथ विधायक, मंत्री लेते हैं। हमारे पास फाइल नहीं आती है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आज ऐसे अधिकारी को कैबिनेट का दर्जा, जो मुख्य सचिव है वह सैल्यूट करता है, लेने आता है और उसके बाद छोड़ने जाता है। आई0ए0एस0 के मन में कहीं न कहीं असंतोष है उदासीनता है, कोई काम नहीं हो रहे हैं। 9 महीने में आपने केवल जांच और जेल भेजने का काम किया। समाजवादी पार्टी के ग्यारह हजार लोग दर्ज मुकदमों में मुल्जिम हैं, जिसमें सैकड़ों ने स्टे लिया है। सैकड़ों जेल गए। कुछ आज तक फरार हैं। केवल जांच करते रहे हैं, विकास से आपका कोई वास्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज यह हालत हो गई है कि अब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। जो भी असफलता, विफलता है उसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। एक बहाना मिल गया पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रह

गया है। तीन-चार पुलिस के लोग ऐसे हैं जिन पर भरोसा है। जो मुख्य मंत्री चाहेंगी, या जो मिनिस्टर चाहेंगे वहीं कहेंगे, वहीं लिखेंगे। जांच के लिए बैठ जाते हैं चीफ सेक्रेट्री, एक कमिश्नर और तीन पुलिस के अधिकारियों का बड़ा विश्वास है। एक डी0जी0 साहब, एक कानून व्यवस्था देखने वाले, एक कारपोरेशन को देख रहा है इन तीन अधिकारियों को बुलाकर जो जांच करते हैं कह दिया जाता है कि जांच में यह लिखें वही जांच करके आ जाती है। अधिकारी लोग गलत फहमी में हैं। आगे चलकर नेता सदन कहेंगी, मुख्य मंत्री कहेंगी कि जांच तो आपने की थी। यही पुनिया साहब के बारे में कहती हैं, कि यह सब पुनिया साहब करता था। मैं ऐसे अधिकारियों से कहना चाहता हूं वह सदन में बैठे हों या बाहर बैठे हों, उनको जेल जाना है, जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। यह मैं आज बता रहा हूं। किसी तरह से नाराज होकर नहीं कह रहा हूं। बड़े-बड़े गैर कानूनी कार्य, असंवैधानिक काम हो रहे हैं. उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हर बात में सी0बी0आई0 जांच करो, उनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हीं का विरोध करके आज हम बैठे हैं। यह समझते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, हमने बला उनके हाथ में दे दी। लेकिन क्या वह नासमझ हैं, उन्होंने वापस कर दिया। पुलिस पर भरोसा नहीं है, यह कहा गया कि यौन शोषण हुआ है, यह मामूली बात नहीं है। जो अधिकारी कहता है कि यौन शोषण हुआ है, वह अपनी पत्नी, अपनी बेटी अपनी बहन के बारे में क्या यही समझता है। यह मामूली बात नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश के उन गरीबों पर क्या बीतती है। इसकी वजह से शादियां नहीं हुई हैं, शादियां वापस हो गई। शादियां तय हो गई थीं लेकिन टूट गई। अगर मैं नाम बताऊंगा तो लम्बा हो जाएगा। नहीं तो आपको लड़की का नाम और गांव तक बता सकता हूं। कौन-कौन काम किया जा रहा है। आपके कापोरेशन का डी0जी0 है, वह दो लड़कियों को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर कालीदास मार्ग पर ले गया और दो घण्टे बिटाया। मैंने बाकायदा खड़े देखा, दूसरे दिन इनकी रैली थी। पहले पता चला कि रैली में उनको खड़ा किया जायेगा। शायद वह नहीं मानी होंगी। तो लिखा लिया होगा जो लिखा लिया होगा। अरे बाप रे। वह तो हम आगे बता देंगें। बैक डेट में क्या-क्या लिखा गया। कालीदास मार्ग पर लड़कियां दो, एस0ओ0डी0जी0 बैठा करके लाया और दो घंटे से अधिक उसी में, अपने कालीदास मार्ग में रही हैं। उनसे क्या लिखवाया गया यह भी पता चल जायेगा। इससे आप यह मत समझिये मुख्य मंत्री जी कि यह आपही के साथ में हैं। जिन अधिकारियों के ऊपर इतना भरोसा करती हैं, यह कहीं न कहीं हम लोगों से भी मिल जाते हैं, कभी-कभी अपने भविष्य के लिये। मैं सत्य बोलता हूं। कभी गलत नहीं बोलता। इसलिये मैं सावधान कर रहा हूं। आपको बहुत खतरा है। इतना खतरा है कि जान कभी भी जा सकती है और दिल्ली की सरकार से आप सुरक्षा मांग रही हैं। आपके पास सुरक्षा की क्या कमी है ? आपको इसलिये बैठाये हैं अन्दर जिससे जनता के अन्दर, जनता के बीच क्या भावना है, क्या परेशानी है वह आप जान ही न पायें। लेकिन [xxx] बहुत बचाया है और लेखपाल से लेकर चीफ सेक्रेट्री और कैबिनेट से सेक्रेट्री के पास इकट्ठा किया आपके जन्म उत्सव पर बता

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहा हूं लिख लो आप सिपाही से लेकर डी0जी0पी0 और लेखपाल से लेकर चीफ सेक्रेट्री तक ने वसूल किया। आपको कितना दिया यह आप जानो। (सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, बिना प्रमाण के आरोप लगाना आपत्तिजनक है।

आबकारी, लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, यह झूठा आरोप है। इसको कार्यवाही से निकलवा दें। (सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह झूठा आरोप है। बिना प्रमाण से आरोप लगाना झूठा आरोप है और सदन की मर्यादा के विपरीत है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इस तरह से झूठा आरोप लगाना सदन की गरिमा के विपरीत है। नेता प्रतिपक्ष को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मान्यवर, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सदन के नियमों में है कि कोई भी आरोप बिना प्रमाण के इस तरह से नहीं लगाये जा सकते हैं। बिना प्रमाण के आरोप लगाये जा रहे हैं। यह नियमों के विपरीत है मान्यवर। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अभी आपके कक्ष में बात हुई कि सौहार्दपूर्ण ढंग से सदन चलेगा। अब हम भी यह कहने लगें कि एक महिला सांसद को नचाने के लिये 30 लाख रुपये दिये गये किसके शासन काल में दिये गये तो क्या होगा ? (मेजे थपथपाई गई।) मान्यवर, यह बात ये वापस लें और इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, क्या-क्या हुआ इनकी सरकार में अगर हम बता दें तो सुन नहीं पायेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं। सिद्दीकी साहब बैठ जायं। माननीय सदस्यगण बैठ जायं। कागज मत लहराइये इस तरह से।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सावधान किया मुख्य मंत्री जी को। कहां ले जाना चाहते हैं इनको। बर्बाद करना चाहते हो। मैं तो सावधान कर रहा हूं। आपके नाम पर वसूला गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ये यहीं होते। उधर नहीं बैठते। अपनी करनी की बदौलत उधर बैठे हैं। यह अपने आप को सावधान करें। अपने लोगों को सावधान करें। जो गुण्डा राज चला है उसके बारे में सोचें। यह अपने आप को सावधान करें। हमें सावधान करने की जरूरत नहीं है। हम अनुशासित लोग हैं। अनुशासहीन लोग नहीं हैं मान्यवर। यह मान्यवर, बिल्कुल गलत बात है। यह स्वयं सावधान हों और अपने लोगो को सावधान करें। हमको इनकी राय की जरूरत नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस तरह से कहना कि कालिदास मार्ग पर लड़की लाकर बैठाई गई। मान्यवर, इस तरह से सदन के नियमों के विपरीत है मान्यवर। दूसरा मान्यवर, 2 जून, 1995 की घटना के आप स्वयं गवाह हैं ऐसे लोग हमें कोई सिखाने का काम करेंगें ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं। नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमने मुख्य मंत्री को सावधान किया है। मैंने आपका नाम नहीं लिया है। यह आपको सावधान नहीं होने देना चाहते हैं वरना बहुत से मंत्री निकाल दिए जाएंगे और बहुत से अधिकारी चले जाएंगे जेल में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं। आप सभी लोग बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नेता सदन को जवाब देने का पूरा अधिकार होगा। मैं मुख्य मंत्री जी को सावधान करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं सावधान कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, बस एक मिनट में एक शेर पढ़ना चाहता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

उनको करारी हार मिली,
जब न इन्हें सरकार मिली, यह सच्चाई है।

एक मा0 सदस्य-

मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठे शान्त रहें। बीच में टोका-टोकी होती है नेता प्रतिपक्ष आप कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नेता सदन को जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

एक चीज निवेदन कर रहा हूं एक आरोप जिसका साक्ष्य नहीं है कि यह वसूली हुई है इतना पैसा दिया गया है इस पर आप भी सोचें आपको लम्बा संसदीय ज्ञान है। मैं इसको कार्यवाही से निकाल रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने अभी आरोप लगाया कि आपके नाम पर वसूली की जा रही है। आपके नाम पर की जा रही है, यह बता रहा हूं आपको दिया या नहीं दिया, अगर दिया तो कितना दिया यह आप जानें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने यह कहा कि दो लड़कियों को कालीदास पर लाया गया तो कहां से लाया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अब यह कहने लगे, कौन कहां लड़कियां लेकर जाता था। यह क्या बात हुई। मान्यवर, आपके कार्यवाही से निकालने के बाद कहा जा रहा है। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं तीन बार मुख्य मंत्री भी रहे हैं। उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यह क्या मैसेज देना चाहते हैं। लड़कियों की बात को कहकर क्या मैसेज देना चाहते है इसकी निन्दा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ आई0पी0एस0 और कुछ आई0ए0एस0 को छोड़कर सबका मनोबल टूटा हुआ है प्रदेश के अधिकारियों का। यह मामूली बात है ? ... (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी को सावधान नहीं करेंगे, यह तो हमारा अधिकार है। कौन सी गलत बात है, जो कार्यवाही से निकालेंगे ? आपने न जाने कितने आरोप लगा दिये, हम पर, शिवपाल पर, हम केवल अनुरोध कर रहे हैं, आम जनता की भावनाओं को समझिये।

श्री लालजी वर्मा-

जो आपने कहा, लड़कियां कालीदास मार्ग पर लाई गयीं, वह गलत है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप सी0बी0आई0 से जांच करा रहे हैं, क्या पुलिस पर विश्वास नहीं है। वहां सरकार ने मना कर दिया कि हम सी0बी0आई0 की जांच नहीं करायेंगे ? मान्यवर, आज आतंकवादी जितने हैं, उत्तर प्रदेश उनका आरामगाह बन गया है और जितने उन्होंने हमले किये हैं, उसकी सच्चाई पुलिस नहीं निकाल सकती है। जो गरीब [× × ×] हैं, उनको पकड़ कर लाते हैं और आतंकवादी के नाम पर उन को जेल में डाला जा रहा है, उनको मुठभेड़ दिखाकर मारा जा रहा है, एक जो आजमगढ़ का था, मुम्बई में था। उनकी जब जमानत हो गयी है तो उन्हीं [× × ×] पर आपने लगा दिया, गैंगेस्टर या गुण्डा ऐक्ट, उनको नहीं निकलने दे रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, आप कह रही हैं कि यहां अधिकारी चापलूसी नहीं कर रहे हैं लेकिन इन अधिकारियों ने आपको झूठी रिपोर्ट देकर अवश्य आपको अन्दर बन्द कर दिया है जिससे आप उनके कारनामें न जान जायें। जब आप इनके कारनामे जान जायेंगी तो आपको कई मंत्री हटाने पड़ेंगे और कई अधिकारी

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हटाने पड़ेंगे। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास प्रमाण है, जो सबसे खतरनाक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसको बी0जे0पी0 के विदेश मंत्री जहाज में लेकर गये थे, उसने बयान दिया है, हमारे खिलाफ, हमारे लड़के के खिलाफ। जो डिप्टी एस0पी0 हो गया था, जो शहीद हो गया है, उसके समक्ष बयान दिया था। हमारे पास रिपोर्ट है, जो इंटेलीजेंस है, उसकी रिपोर्ट है। मेरा नाम है और बाकायदा उन्होंने पुलिस कमिश्नर, दिल्ली को लिखकर दे दिया है कि सावधान रहो और अभी हाल ही में जिसमें लालजी टण्डन जी थे, पुलिस कमिश्नर ने इस बात से सावधान किया है। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने हमें सावधान किया है, बुला करके, बातचीत करके। लेकिन हम जानते हैं, जो अपने जीवन से डरता है, वह सही बात नहीं कह सकता। लेकिन आप तो मरवा रही हैं, लोगों को तो क्या हम समझायेंगे नहीं आपको ?

श्री लालजी वर्मा-

जो मारने का प्रयास किया हो, वह क्या समझायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं तो आलोचना करने आया हूं, आपको आलोचना पसन्द आये तो हमारी बात मान लें। बहुत अच्छी बात है, जो शोर मचाते हैं, वह क्यों शोर मचाते हैं ? बाद में बतायेंगे। तो मान्यवर, इस तरह बाकायदा आतंकवादी कह कर हत्या भी की जा रही है, मुठभेड़ दिखा करके, उनकी बहुत बुरी दशा है। एक उदाहरण हम दे देंगे। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नोएडा का उदाहरण देना चाहता हूं वहां पर तीन मुसलमान जिसमे एक ड्राइवर, दो ट्रान्सपोर्टर का काम करते हैं। कम्पनी पहले नोएडा में थी अब ग्रेटर नोएडा में है। उनसे एक करोड़ रुपये मांगा गया और जब वह नहीं दिया गया तो उन्हें धमकी दी गयी कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। वह हाई कोर्ट चले गये तो हाई कोर्ट के जजेज ने कहा कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाये। तब एक मंत्री ने बकायदा एफीडेविट दिया कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और उसी मंत्री के लड़के ने, यह वहां की जनता कह रही है और लोग हो आये हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां हो आये हैं और मैं भी वहां जाने वाला हूं। हम जायेंगे जनता के बीच। तो एक की उम्र 26 साल थी और दूसरे भाई की उम्र 30 साल थी और एक मस्जिद का इमाम है। इन दोनों की हत्या कर दी है। ड्राइवर था वहां मौके पर वह गवाह था इसलिए उसको भी मार दिया। और तीनों को मारा है। और यह नकल है हाईकोर्ट के जजमेंट की, जो मंत्री ने हलफनामा के अन्तर्गत सुरक्षा दी है वह भी इसमें लगा है। अब बताइये मंत्री का लड़का अन्य कई लोग मुलजिम है। उनकी हत्या कर दी गयी नोएडा में। नोएडा दिल्ली से लगा हुआ है। अब बताइये कि उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हुयी ? मंत्री जी ने हलफनामा सुरक्षा का कैसे दे दिया ? एक करोड़ रुपया क्यों मांगा गया ? मंत्री के लड़के ने क्यों मांगा ? उस कम्पनी का नाम पैराडाइस है। मान्यवर, हम आपका समय नहीं लेना चाहते हैं, पूरा प्रमाण है, हाईकोर्ट के आर्डर से लेकर के 40 दर्खास्तें दी गयी हैं, उनको पढ़ने में देर लग जाएगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसकी एक कापी आपके अध्ययन के लिए भेज देंगे। क्या हो रहा

है उत्तर प्रदेश के अन्दर ? किस तरह से हत्याएं हो रही हैं ? इन हत्याओं का उनके मां-बाप, या परिवारों और रिश्तेदारों को अहसास होता है। मुख्यमंत्री जी आपको इन लड़कों की हत्या करने का अहसास क्यों नहीं है ? मैं जानता हूं कि क्यों नहीं है। मान्यवर, हम शोर नहीं मचाना चाहते हैं। अब यह तो जाने नहीं दे रहे स्वयं नेता सदन को और हम जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं। मान्यवर, 11000 मुकदमें निर्दोष लोगों पर लगाये गये हैं। एक मुकदमे का उदाहरण दे रहा हूं। मान्यवर, अखिलेश के खिलाफ कन्नौज में रिपोर्ट लिखी गयी। एस0पी0 को दर्खास्त दी गयी और ए0एस0पी0, सी0ओ0 को जांच दी गयी। यह जानते थे कि वह सांसद है। दूसरी बात है, कि मेरा लड़का है और कप्तान सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष है उनका बेटा यहां बैठा हुआ है, एम0एल0ए0 है वो। वो पार्टी के अध्यक्ष 76 साल के थे, इन दोनों ने दो साल पहले एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया और 700 रुपये छीन लिए थे।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा टोका-टोकी करने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप बैठे रहिए।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, इनका विरोध 'हरिजन' शब्द पर है। तो यह अखिलेश के नाम है। डी0जी0पी0 का दो दिन के बाद फोन आया कि क्या हुआ था आपने मुझे बताया नहीं तो मैंने पूछा कि आपको पता नहीं ? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि डी0जी0पी0 होकर आपको पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखता हूं। तीन चार दिन बाद फोन आया, मेरे पास कापी है जो दरखास्त दी गयी थी, डी0जी0पी0 बोलते हैं कि वह तो बड़ा बदमाश था, बहुत से उसके ऊपर मुकदमें हैं। तो मैंने कहा कि वह क्रिमनल एस0एस0पी0 से मिला कैसे जबकि उसके ऊपर कई संगीन मुकदमें चल रहे हैं। और यह सही है कि वह एस0एस0पी0 से मिला और अखिलेश और कप्तान सिंह के खिलाफ दरख्वास्त दी गयी। बैठे होंगे डी0जी0पी0 आप पूछिये की क्या कार्यवाही की गयी। वह तो कहते हैं कि केस खत्म कर दिया गया। मैंने कहा कि कब खत्म कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि पहले की यह खत्म कर दिया गया था। मैंने कहा कि आज तक क्यों नहीं कहा। तो यह सच्चाई है। मेरे पास कापी है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दे दूंगा और आप लोग इसको झूठलाना चाहते हो ? आप इसको स्वीकार करो और अगर स्वीकार नहीं करोगे तो आप ही भुगतोगे। इस तरह से झूठे मुकदमें पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इस अभिभाषण में कोई संदेश नहीं है, जनता का इसमें कोई वास्ता नहीं है, केवल चन्द पूंजीपतियों को लाभ मिल रहा है। उन्हें लाभ कैसे पहुंचाया जा रहा है यह भी अध्यक्ष महोदय मैं बता दूंगा। गंगा एक्सप्रेस-वे बनाकर। पांच लेन की बनेगी सड़क। इसका परिणाम यह निकलेगा कि जो असली उर्वरा जमीन है वह चली जायेगी। गंगा के किनारे का पानी जब नहीं रहता है तो वहां पर शाक सब्जियां, फल, खरबूजा, तरबूजा होता है तो सब खत्म हो जायेगा। लाखों एकड़

भूमि किसानों की चली जायेगी, केवल कुछ पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा। उद्योगपतियों ने नक्शे बना लिये हैं। वहां पर सिटी बनेगी, उनको जमीन मिलेगी। गंगा किनारे जो सड़क बन रही है वह किसके लिए बन रही है, पैसा कमाने के लिए बन रही है! सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, शायद पता होगा नेताओं को कि यह योजना सफल नहीं होगी। वहां पर सड़कें नहीं बन पायेंगी। आप देखेंगे कि लाखों किसान कैसे निकल आयेंगे और वह नहीं बनाने देंगे। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समझौता हुआ था। क्या उसमें लिखा है कि कारखाना या अन्य कोई चीज नहीं बनती है तो वह जमीन किसानों को वापस होगी। इसमें लिखा है कि अगर सड़क नहीं बनेगी गंगा एक्सप्रेस वे की, तो वह जमीन किसानों को वापस नहीं होगी। यही असली मुद्दा है। तो यह चन्द उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। एक अन्य सड़क है झांसी से कुशीनगर हाई वे, सहारनपुर से आगरा एक्सप्रेस हाई वे, यह पूरी की पूरी आम आदमी की लूट है किसानों की लागत लुटवा करके, चर्चा है कि हुकूमत करने वालों को कुछ हिस्सा मिलेगा और उद्योगपति को लाभ मिलेगा। जमीन उसकी हो जायेगी। एक्सप्रेस वे बने या न बने, उसको लाभ ही लाभ है और जो यहां मंत्री/सरकार लेगी कमीशन तो उन्हें लाभ ही लाभ है। इनको किसान से, गरीब से कोई मतलब ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि जमीन आज सिकुड़ती चली जा रही है। चार वर्ष से लगातार तीन फीसदी अन्न की पैदावार घट रही है। विदेशी गेहूं लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए इस सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। हमने एलान किया था कि जब कभी अन्न का संकट होगा अकेला उत्तर प्रदेश उसकी भरपाई कर देगा, इसीलिए हमने भूमि सेना का गठन किया था। पहले भूमि सेना का जो गठन किया था, उससे हजारों एकड़ जमीन जो बेकार पड़ी थी वह सही हो गयी और उसमें पैदावार हो रही है, वह जमीन गरीबों को दी जाती है। यह गरीबों के बड़े हमदर्द हैं वह जमीन भी बेंच दिया। बिना जमीन वालों को हम जमीन वाला बना रहे थे भूमि सेना के माध्यम से और वह जो काम करेंगे, उस काम की उन्हें मजदूरी मिलेगी। खेत में अन्न बोने का काम करेंगे और जब पैदावार लायक खेती हो जायेगी, ट्यूबवेल भी लगेगा, सिंचाई का साधन भी होगा, सब कुछ हो जायगा तो जिन किसानों को अभी एलाट नहीं हुई है जमीन वह उनको दे दी जायेगी, यह थी हमारी योजना अन्न बढ़ाने के लिए। अन्न बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? क्या किया ? प्रदेश में गेहूं वही मिलेगा, पी0एल0-480 जिसकी रोटी फट जाती थी, आपको याद होगा पी0एल0-480 गेहूं आया था, सभी खा रहे थे। आज ऊसर दलितों के नाम हो गया, हो सकता है हो गया हो दलित के नाम आप अच्छे से अच्छा कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया कर लीजिए, बर्थ-डे अच्छा मना लीजिए, शान-शौकत से मना लीजिए लेकिन एक दिन वह जरूर सोंचेंगे कि मेरे लिए क्या बना हैं वह जमाना चला गया, लोग कहते थे कि पुराने पाप की वजह से भगवान ने हमें गरीब बनाया है। अब वह नहीं कहता है, अब वह कहता है हम इनकी बराबरी चाहते हैं और आप बराबरी के

बजाये समाज में विघटन करके गैर बराबरी बढ़ाए जा रहे हैं। इतनी नफरत समाज में पैदा की जा रही है। अभी क्या हुआ है पता चलेगा जब आप जायेंगे क्षेत्रों में।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी जगह पर बैठे-बैठे अपनी-अपनी बातें कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें। बैठे-बैठे कोई नहीं बोलता है। यह परम्परा नहीं रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब आपको बोलना हो तो अपनी बातें कह लेना, हम बोल चुकेंगे। नेता सदन बोलेंगे, तो नेता सदन को पर्ची दे देना वह बोल देंगी। तब आप हमारी बात को झूठ साबित कर देना। आप चाहते हों कि हम न बोलें तो हम नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, आप बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इसीलिये हमने कहा था कि सब बड़े घरानों को फायदा हुआ जा रहा है और जनता को थोड़ा सा भी फायदा नहीं हो रहा है। लाखों किसान बेघर हो जायेगा और जो बांदा की हालत है उससे कई गुना बुरी हालत हो जायेगी और किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेगा। प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर हैं वह सब गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वह शहर हमारी ऐतिहासिकता, हमारी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। उन शहरों को आप बरबाद करना चाहते हैं। केवल कुछ चन्द बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे कमीशन लेने के लिए। इसके अलावा और है क्या ? यह किस लिए है ?

अध्यक्ष महोदय, अब कुल किलोमीटर पर आप देखें कि कितना खर्च आयेगा, 42 हजार करोड़ रुपये खर्च आयेगा आप देखें कि किस तरह से धन को बर्बाद किया जा रहा है। आपने पूरा प्रोजेक्ट तो छुपा लिया है, कुछ जो पता चल गया है वह सबके सामने आ रहा है। इससे प्रदूषण पैदा हो जायेगा। इसके खिलाफ रिपोर्ट है। मान्यवर, इसी तरह से 800 एकड़ जमीन निविदा से लेने की पूरी तैयारी है। बकायदा अधिकारी निरीक्षण कर गये हैं। मैंने उस जमीन को किसी तरह से बचाया था सरकार आपकी थी। जमीन को हमने बचाया पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जानता है। हम उसके लिये लड़े हैं। दिल्ली के पुलिस कमीशनर से इस बारे में बात हुई थी। किन-किन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शात रहें। भाषण के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है, यही अनुशासित पार्टी है। उस जमीन को बचाने के लिये हमीं ने पैरवी की थी। एक अधिकारी ने की थी आप उस अधिकारी के पीछे पड़ गये। उस अधिकारी से पूछें कि जमीन कैसे बची। हमने दिल्ली के कमिश्नर से कहकर कार्यवाही कराई। फिर उसके बाद मुकदमा जीत गये। हाई कोर्ट में जीत गये। सुप्रीम कोर्ट में जीत गये। कुछ लोग उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद पी0ए0सी0 बल का इस्तेमाल करके हमने उस जमीन को बचाया था। फरीदाबाद के किनारे, इधर चले आयें वह 800 एकड़ जमीन है। अब उस जमीन को हड़पने के लिये कोशिश हो रही है। 800 एकड़ जमीन हड़प किये जाने की आज साजिश हो रही है। वह जमीन वापस ली गयी थी वह फिर हड़पी गयी तो फिर बड़ी मुश्किलें होंगी। इतना जरूर कहना चाहता हूं। इसलिए अब देखेंगे आप किस तरह से विकास के नाम पर इतने पैसे की कैसी-कैसी योजनायें बनायी जा रही हैं। उन पर धन बर्बाद किया जा रहा है। अब सहारनपुर से आगरा एक्सप्रेस-वे आयेगी, झांसी से कुशीनगर और यह गंगा एक्सप्रेस-वे का मैंने नाम लिया। वे योजनायें कब बनेंगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की विकास दर में कमी आयी है। आज 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य है भारत सरकार का और अभी आपकी विकास दर 5 फीसदी से ज्यादा नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, विकास दर विकास के अनुपात में जोड़ी जाती है। रिलायन्स कम्पनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी हो गयी है। उसका धन और बड़े-बड़े उद्योगपतियों का धन वह आपने जोड़ दिया है।

(सत्तापक्ष की ओर से कई आवाजें रिलायंस को आप ही ने बढ़ाया।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांति बनाये रखें आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आप देखें यह सीखना भी नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि बड़ी अनुशासित पार्टी है। नेता सदन अगर अभी आप यहां पर न होती तो यह सब चुप बैठे होते। आप जब यहां पर आती हैं तो आपको दिखाने के लिये यह लोग इस तरह से विघ्न डालते हैं। बड़े चापलूस लोग हैं। आप चाहें तो इस बात को नोट कर लें अपने जीवन में यह जो इतने चापलूस लोग लगे हुए हैं यह आपको कहां पर पहुंचा देंगे यह देख लीजियेगा।

(सत्तापक्ष की ओर से आवाजें आपको उन्होंने ही विपक्ष में बिठाया है।)

हां, ठीक है, सुन लें, इसीलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं।

(समाजवादी दल के सदस्यों की ओर से मेजों की थपथपाहट)

वाह रे भजनतरियों। अब आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, कैसे यह कर लेंगे ? 2005-2006 का जो प्लान आउट ले था वह 13 हजार 500 करोड़ का था और उपलब्धि इसकी

थी 100 प्वाइन्ट 3 प्रतिशत, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है यह योजना आयोग की रिपोर्ट है। भारत सरकार की रिपोर्ट है। 2006-07 का आउट ले 19 हजार करोड़ और उपलब्धि 103 प्रतिशत। प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि जितना धन था वह पूरा का पूरा खर्च किया उससे ज्यादा खर्च किया है सप्लीमेन्टरी बजट में। अभी 25 हजार करोड़ रुपया आपको मिल रहा है वह हमारी परफारमेन्स का मिला है आपकी परफारमेन्स का नहीं मिला है, यह ध्यान रखना। इतनी अच्छी मेरी परफारमेन्स थी। कोई बहस नहीं करता था, प्लान लेने आप जाते थे अपने कहते थे इसमें कुछ कम कर लो आपको देना कुछ ज्यादा चाहता था। यह 25 हजार करोड़ का हमने पहले एलान किया था कि हमको मिलेगा। मैं जानता था इतनी अच्छी परफारमेन्स जो खर्च किया है। आपने कितना खर्च कर डाला ? पता नहीं कितना खर्च कर डाला अब आपका कितना खर्च पहले तो यही देख लीजिए। आपका खर्च अभी तक सुन लीजिए। हमारे समय में 2004-2005 का 15 प्रतिशत और 2005-2006 में 21 प्रतिशत राजस्व वृद्धि होती गयी और 2006-2007 में 26 प्रतिशत और वर्तमान में अभी तक केवल 6 प्रतिशत है। जनवरी निकल गयी, फरवरी है, बाताइये यह पैसा कहां गया, कहां सड़क बनी है, कहां ओवर ब्रिज बने हैं, कहां पुल बने हैं कहां नहर की सफाई हुई है बता दो कहां हुई है।

(कुछ सदस्यों द्वारा 'हुआ है, हुआ है, अभी रिलीज नहीं हुआ है' कहने पर)

रिलीज किया हो या जो कुछ है, अभी यह रिपोर्ट हमारी नहीं है। 6 प्रतिशत है, जहां 26 प्रतिशत था और उसकी वजह से आपको 25 हजार करोड़ मिला था, हमारी वजह से। वह तो उन्होंने चुनाव की वजह से टाल दिया था दिसम्बर में नवम्बर में हमें देना चाहिए था। यह परम्परा है कि चुनाव के पहले यह यहां आये लेकिन नहीं देंगे, यह परम्परा थी। यह पूरा कार्यकाल मैंने किया है यह हमारी परफारमेन्स थी जिससे 25 हजार करोड़ रुपया मिला था। वह 25 हजार करोड़ आखिर कहां चला गया। आप कहां से विकास कर लेंगे कहां खर्च हुआ ? यह आपके सामने है। कहां उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत तेजी में आगे बढ़ा था उतना ही आपने पीछे ढकेल दिया इस 8-9 महीने में, 20 साल करीब। दो बार पहले रही तब ढकेला और इस बार और पीछे और हम ले आये थे पूरे हिन्दुस्तान में चर्चा थी और उसका परिणाम था कि उद्योगपति आना शुरू हो गये थे। प्रस्ताव हमें मिल गये थे 84 हजार करोड़ के और हमें मिल गया था 36 हजार करोड़ रुपया। 37 हजार करोड़ रुपया मिला था। बताओ आपको अभी तक कितना मिला उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने मुंह मोड़ लिया है और जो हैं उन से इतना कमीशन मांगा जा रहा है कि वह भी जाने वाले है। कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आपसे मिलता रहेगा। जो आपकी धमकी है उसमें देते रहेंगे। वह सब पता है हमको। यहां व्यक्तिगत कहेंगे तो शोर मचा देंगे। वह तो जनता के सामने आ ही जायेगा कभी न कभी किसी समय। यहां नहीं बताने दोगे तो सभा में बतायेंगे। तो हमारे खिलाफ मुकदमा कर देना मानहानि का। यहां नहीं होगा वहां कर देना। यह तो बताना ही पड़ेगा। यह तो मैंने कहा

समाजवादियों से मत टकराओ बुरा हाल हो जायेगा। अभी तो आपने देखा ही नहीं क्या हाल है। जिस तरह से लड़कों पर गोलियां चली हैं और जो बच्चे शहीद हुए हैं, निर्दोष बच्चों को मारा गया हैं एक तो आपके खिलाफ नारा देते हुए शहीद हुआ है। क्या जो लड़का शहीद हुआ है उसको भूलेंगे हम लोग। उसके लिये समाजवादी पार्टी भी नहीं भूलेगी, वह शहीद हुआ है आपके खिलाफ नारे देकर। मेरे और अखिलेश के पक्ष में नारे देकर। आपको इस पर दुख होना चाहिए। देखिये इनको दुख नहीं है। तुम्हारा भाई मरता और सरकार उसको गोली मारती, तब महसूस होता, तब पता चलता, तुम्हारा तो कोई मरा नहीं। तो आज यह हालत हो गयी है मरने वालों की। आज बुन्देलखण्ड में रोजाना 5 लोग भूख के कारण मर रहे हैं। यही आप प्रदेश की हालत करना चाहते हो। हमारे समय में अध्यक्ष महोदय एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस सरकार को इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं। शरद पवार से जब मोहन सिंह जी ने सवाल पूछा था कि यह झूठा प्रचार करने जा रहे हैं, आप बताओ तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी नहीं मरा। क्या नाई आत्महत्या करते हैं। वह क्यों मरा था, उसका ट्रैक्टर छीन लिया, उसका रुपया नहीं दिया। शादी के 4-5 दिन रह गये थे उसकी लड़की के। उसके बाद उसने जब देखा कि रुपया नहीं मिल रहा है तो हम लड़की की शादी कैसे करेंगे। तो उसने फांसी लगा ली। बाद में लड़की की शादी हमने की, हमारे कार्यकर्ताओं ने की और अच्छी शादी की, आप पता लगा लो। हमने सरकार से भी पैसा दिया और हमारे कार्यकताओं ने चन्दा करके उसकी ऐसी अच्छी शादी की कि खाने पीने की और सब व्यवस्थायें भी कीं। उसका ट्रैक्टर उसके मरने के बाद मैंने वापस करा दिया, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला था। इसी तरह बुन्देलखण्ड में एक तिवारी ने आत्महत्या की, उसके लड़के की चिट्ठी हमारे पास है। उसने लिखा है कि समाज में बेइज्जती करने के लिये कुछ नेता हमारे यहां आते हैं। हमारे पास खेती है और घर में 10-12 बोरा गेहूं रखा है। तो यह शरद पवार, कृषि मंत्री का बयान है लोक सभा के अन्दर की उत्तर प्रदेश में एक भी आत्महत्या नहीं हुयी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी बात कह दी कि मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि चीनी इतनी पैदा कर डाली कि हमें बहुत पीछे खदेड़ दिया। गन्ना किसानों के साथ यही हो रहा है कि आपने चीनी मिल को बन्द कर दिया, आप देखिये कितनी चीनी मिल बन्द हैं और 30 जून, 2006 को हमने पूरा भुगतान कर दिया था। जो कोर्ट से स्टे ले आये थे उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे थे और हमने 96 से लेकर जितना बकाया था, 1700 करोड़ हमने गन्ना किसानों को पूरा भुगतान कर दिया। उसके अलावा हमारी नीति के चलते गन्ना किसानों को 1700 करोड़ और लाभ हुआ। हमने अपने समय में 30 रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया। पहले साल 12 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया और तीसरे साल 10 रुपया और ऐसा कम्पटीशन कर दिया कि निजी क्षेत्र की 28 मिल हमने लगाने की शुरुआत की थी और 12-13 लगा ही चुकी थी। उन्हें गन्ना नहीं मिल पा रहा था। अध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा हुआ कि चीनी मिल मालिक

किसान के पास जाता था रुपया ले लो और गन्ना जब चाहे तब देना। पहले दो-तीन बार साल तक यह होता था कि किसान चीनी मिल मालिक के पीछे घूमता था और पैसा नहीं मिलता था। यहां भी सब गन्ना किसान बैठे हैं, सब जानते हैं। ऐसी पालिसी से 140 रुपया प्रति क्विंटल और पडरौना में 160 रुपया क्विंटल और कहीं-कहीं 170-180 रुपया प्रति क्विंटल तक दाम मिला आप पूछिये अब आपने कहा कि हम बेचना चाहते हैं और हमने बेचने की कोई तैयारी भी नहीं की थी। ऐसे ही उन्होंने सुझाव दिया कि इतने का बेचो। आपने कह दिया कि 100 करोड़ रुपये ले लिए अमर सिंह ने, लेकिन हमने उनको चलाया घाटा खा करके, घाटा खजाने का हुआ और उतना रेवेन्यू और बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि गन्ना किसान पहली बार कहने लगा कि इस साल शादी में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि इस साल गन्ना हमारा बहुत मंहगा गया। अब किसान का गन्ना जल गया है और कहीं-कहीं 25-30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना लिया गया हैं आज बरबाद कर दिया किसानों को, गन्ना किसान आज इसीलिए बरबाद हुआ है और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें नहीं लगी तो हालत यह हो जायेगी कि बांदा तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है बुन्देलखण्ड का, पूरे प्रदेश में ऐसा हो जायेगा। क्या वजह है कि 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और 10-12 साल के अन्दर डेढ़ लाख से ज्यादा किसान देश में आत्महत्या कर चुका है। आन्ध्रा में, केरल में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र नम्बर एक पर हैं तब मर रहे थे 24 घंटे में एक और अब मर रहे हैं 24 घंटे में दो। आप ब्याज कम कर देंगे, इससे क्या होगा, एक बार जब किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जायेगा, उसके बाद किसान खुशहाल होंगे और जब भी हम लोग सत्ता में आयेंगे तो पूरा कर्जा माफ करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

तीन साल से सूखा पड़ा था तो इससे पहले क्यों नहीं माफ किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमें यह बता दें कि जवाब तुम्हें देना है या नेता सदन को। जब जवाब नेता सदन को देना है तो फिर क्यों बोल रहे हो। अगर ज्यादा टोकाटाकी करनी है तो नेता सदन करें, हम बैठ जायेंगे। जब हम खड़े होते हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हो, वह भी संसदीय कार्य मंत्री। इसलिए हम आज ऐलान करना चाहते हैं सदन के अन्दर कि जब भी हम सत्ता में आयेंगे पूरा का पूरा कर्जा माफ करेंगे।

(सत्तापक्ष द्वारा टोकाटाकी करने पर)

आ रहे हैं, एक-डेढ़ साल के अन्दर आ रहे हैं, इस गलतफहमी में न रहो, एक ही साल के अन्दर आ रहे हैं, तब पता चलेगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

और यह बैठीं हैं नेता सदन, इन्होंने अमर सिंह से कहा था कि मुलायम सिंह हमारे लोगों को फंसाना चाहते हैं। हम कहना नहीं चाहते हैं कि ढाई क्विंटल विस्फोटक था, कहां से आ रहा था, कौन ले गया ?

(व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

धमकी मत दीजिए, यह धमकी देना ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

थोड़ा सीखो। मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका। अध्यक्ष महोदय, जाओ पूछो पुलिस से कि ढाई क्विंटल कहां पाया गया था। मुझे कोई पता नहीं था। जब तक पुलिस गयी तब तक जीप में दोनों भाग गये, वह कुछ देखना चाहते थे उसको उरई से लखनऊ ला रहे थे, ऐसा नहीं है कि यह मैं हवा में कह रहा हूं मेरे जैसा सदस्य यह नहीं करेगा। आप लोग तो झूठा बयान दे देते हैं और खण्डन भी नहीं करते हैं। आपकी नेता ने अमर सिंह से कहा था कि हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है फिर मैंने अपने को सम्भाला। चूंकि अमर सिंह ने टेलीफोन किया था इसलिए मैं चुप हो गया, तब आप राज्य सभा में थीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीनी मिल बन्द करने से लाखों किसान, मजदूर बर्बाद हो रहे हैं, चीनी मिलें नहीं चल रही हैं। क्या भाटपार रानी, देवरिया, गौरीबाजार, रामकोला व पडरौना की चीनी मिलें चल रही हैं ? निगम की 5, फेडरेशन की 3 और निजी क्षेत्र की एक चीनी मिल बन्द है, यह हालत है तो किसान बर्बाद होगा ही। आप क्यों शोर मचा रहे हैं ? सत्ता में आने पर किसान का कर्ज माफ किया जायेगा। मैंने कहा था दैवी आपदा में जिस किसी किसान का नुकसान होगा, 60 फीसदी अधिकारियों ने लिखा था लेकिन हमने कहा कि किसान का दैवी आपदा में जितना नुकसान होगा वह पूरी की पूरी भरपाई सरकार देगी और हमने बजट से दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

ये चीनी मिलें आपके समय से ही खराब हैं, उनकी हालत तो आपने ही खराब की।

श्री मुलायम सिंह यादव-

संसदीय कार्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा चापलूसी आ गयी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी. आप आगे बढ़िये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, बार-बार संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सावधान करना चाहता हूं कि चीनी मिलों के बन्द होने से किसान भुखमरी के कगार पर है और हजारों मजदूर और लाखों किसान परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जिस इलाके में रहते हैं आज

वहां स्थिति गम्भीर है, सरकार की चीनी की नीतियों के कारण। हमने जो नीति उ0प्र0 के अन्दर बनायी थी उसका पालन नहीं हो रहा है। निजी क्षेत्र के अन्दर कमीशन मांगा जा रहा है ? कौन मांग रहा है, यह आप जानिये ? यह सब बातें क्या हम कहेंगे नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में आज एन0ओ0सी0 देने के लिए कितनी लूट हो रही है, कितना रुपया लिया जा रहा है ? चाहे उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो। एन0ओ0सी0 के नाम पर उगाही की जा रही है। सारी शर्तें पूरी हैं लेकिन एन0ओ0सी0 नहीं मिल रही हैं जब मिश्रा जी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे बस की बात नहीं है, उन्होंने इशारा कर दिया कि ऊपर से यह हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जांच करा दें और अगर यह बात सही न मिले तो मैं इस सदन से और नेता विरोधी दल के पद से इस्तीफा दे दूंगा और बाहर चला जाऊंगा। इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। सारी शर्तें पूरी है लेकिन एन0ओ0सी0 बिना पैसा लिये नहीं दी जा रही हैं यह हम क्या ऐसे ही कह रहे हैं ? तमाम मैनेजर और प्रिंसिपल हमारे भी सम्पर्क में हैं। एक-दो ऐसे हैं जिन्होंने, सच्चाई है मुख्य मंत्री जी कि 2 लाख रुपया दे करके हाथों-हाथ एन0ओ0सी0 ले गये हैं। यह आज हालत है शिक्षा के क्षेत्र में। हम शिक्षा के बारे में कह रहे हैं लेकिन सभी जगह कमीशन इसका मैं बहुत विरोधी हूं। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई रुपया लेता है तो इससे नालायक सरकार कोई नहीं हो सकती है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसको बन्द कीजिए। मैं खुद ही जानता हूं एन0ओ0सी0 नहीं दी गई, हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तब जाकर छात्र इन्तहान दे पाए। उनको मना कर दिया गया तब हाई कोर्ट ने आदेश दिया। भाषण में कहा गया है कि विकास कार्य को राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा क्या यह सच है बताइए। आपके लोग रुपया देकर एन0ओ0सी0 प्राप्त कर रहे हैं इधर के लोगों में एक आध ने दूसरे के माध्यम से भले ही एन0ओ0सी0 प्राप्त की हो। इसकी जांच के लिए आप अगर निष्पक्ष कमेटी बनायें तो सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर राजनीति से विकास कार्य नहीं जोड़ा जा रहा है तो मुख्य मंत्री जी इतने पुल हैं, फ्लाई ओवर हैं, पुलिया हैं, सड़कें हैं कहां निर्माण कार्य हो रहा है बताइए। कुछ में 80 प्रतिशत काम हो चुका है, कहीं 75 प्रतिशत, कहीं 60 प्रतिशत और कुछ ही जगह 25 प्रतिशत काम हो चुका है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर नेशनल सेन्टर बन रहा था। जय प्रकाश नारायण के बारे में पता है आपको आपने तो जिन्दा रहते हुए प्रतिमाएं लगवाई। आज तक हिन्दुस्तान में किसी ने जिन्दा रहते हुए प्रतिमाएं नहीं लगवाई। सारी जमीन स्मारक के नाम पर, जाने कितना जमीन और पत्थर से प्यार है। पहले पत्थर लगाए फिर उनको उखाड़ फेंका, यह जनता की कमाई है।

श्री लाल जी वर्मा-

सैफई में क्या हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अम्बेडकर के नाम से ...

श्री लाल जी वर्मा-

नेता प्रतिपक्ष जब नेता सदन थे तो सैफई के विकास की जब कभी बात होती थी तो कितना तनमना जाते थे। हमारे लिए भी बहुत सी आस्था की चीजें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया उनके बारे में इस तरह की बातें होंगी तो हमारे लिए कठिनाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जिससे किसी भी भावनाओं को चोट पहुंचे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इससे ज्यादा निराधार सच्चाई कोई नहीं हो सकती है। मैंने एक भी इनकी योजना को खत्म नहीं किया यह हो सकता है कि काम स्लो हुआ हो क्योंकि अन्य योजनाओं के लिए भी धन की जरूरत थी। अम्बेडकर गांव योजना हमने ही शुरू की थी। यह जो पुस्तकालय बना यह किसके समय में शुरू हुआ। हमने फिरोजाबाद से लेकर यहां तक कितनी प्रतिमाएं लगवाई। लेकिन जय प्रकाश नारायण के सामने कौन है। वह जय प्रकाश जो हजारी बाग से जेल में बन्द थे किस तरह से जेल से कूदे थे, अंग्रेजों को पुलिस सीधे गोली मार देती। इसलिए कूदे डा0 लोहिया फरार और जय प्रकाश हजारी बाग अब तो चला गया झारखण्ड में, जेल से कूदे। आजादी की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। आखिरी लड़ाई 1982 की हुई। तो यही जय प्रकाश, यही डा0 लोहिया यही नौजवान थे राज नारायण जैसे जिन्होंने पढ़ाई छोड़कर। पूरी एल0एल0बी0 एक साल की बाकी रह गई थी लेकिन यह कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। आखिरी लड़ाई समाजवादियों ने ही लड़ी सब तो गिरफ्तार हो गये, जेलों में बन्द थे। कितनी यातनाएं दी गईं। जय प्रकाश को, कितनी यातना दी गई डा0 लोहिया को। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप रहे हमारे साथ तो आपके आंसू आ जायं। उन जय प्रकाश के नाम पर आपने पुल नष्ट कर दिया। 17 करोड़ स्वीकार ढाई करोड़ खर्च भी हो गया। जितने आप स्मारक बना रही हो उनका केवल हम अम्बेडकर साहब का जरूर आदर करते हैं। अम्बेडकर के बारे में पता है आपको ? (व्यवधान) अगर पता है तो बता दो। उनको राज्य सभा में किसने भेजा ? दो बार चुनाव लड़े। डबल सीटें थीं और डबल सीटों में मान्यवर, मामूली-मामूली वोट से सोशलिस्ट पार्टी आगे और अम्बेडकर साहब हार जाते थे। दो बार हारे। बाई इलेक्शन हुआ तो वहां भी सोशलिस्ट पार्टी और यह दोनों लड़े साथ-साथ। उनको समर्थन वो कर रहे उनको वो कर रहे। हार गये। फिर राज्य सभा में भेजने का सवाल आया। सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों ने और जो अम्बेडकर साहब के विधायक थे उन्होंने मिलकर भेजा था और राज्य सभा में पहुंचाया था। सोशलिस्ट पार्टी ने भेजा था। यह आप पता लगा लें। जरा अपनी बात बता दो। हमने आपको अध्यक्ष नहीं

बनाया। एम0एल0सी0 हमने आपको नहीं बनाया। इसलिये कह रहा हूं इनका इतिहास जान जाओ। मेरा सबसे प्रिय था यह और अब भी है। हां उसी वजह से मैंने इनको यूथ का अध्यक्ष बनाया और नई उम्र में ही इनको एम0एल0सी0 बनाया। तो यह हमारा सबसे प्रिय यह नौजवान था और अब भी है। आपका थोड़े रहेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

आप अभी अगर लोक सभा और विधान सभा में आये तो डा0 अम्बेडकर के कारण आये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं प्यार करता हूं तो क्या परेशानी है। किसे है आपत्ति। इतिहास जान तो जाय कि आपके साथ कौन-कौन बैठे। जब मेरा नहीं हुआ है यह प्यार करने वाले का तो तुम्हारा क्या होगा ? (मेजें थपथपाई गईं।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर मुझे कहा है तो मुझे कहने का अवसर भी दे दें। माननीय नेता प्रतिपक्ष अगर मुझे जवाब देने का अवसर दे दें तो उचित रहेगा मान्यवर। मेरे व्यक्तिगत बारे में कहा। मैंने भी साथ रहकर लड़ाई लड़ने का काम किया है मान्यवर। लेकिन मैंने इसलिये नहीं किया है कि विधान सभा में गुण्डागर्दी होगी और मान्यवर, अगर मैंने मुख्य मंत्री रहते छोड़ा है साथ तो विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ी है। मैंने कोई इस तरह से छोड़ने का काम नहीं किया मान्यवर। (सत्ता पक्ष से मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, भाई साथ में लड़ाई लड़े हैं। लेकिन आज न लड़ें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसको हटाना मत भई। मैं कहूंगा नेता सदन से कि इसको मंत्री बनाये रखना। हटाना मत भई। डर गया। क्यों ? हमारी पार्टी से परिपत्र जाता था कि डा0 अम्बेडकर की पुण्य तिथि और जन्म दिवस मनाइये। मैं अध्यक्ष था पार्टी का। इसलिये मैं कह रहा हूं तो अब अम्बेडकर के बारे में अच्छा बोलें तो नेता सदन आप खड़े होकर बोलों उन्हें क्यों कह रही हैं। हमसे बोलो उन्हें क्यों बता रही हैं।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी जो यह कह रहे हैं हाउस में कि बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के प्रति यह बहुत श्रद्धा रखते हैं, उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और

बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के सम्मान में गोमती नगर में जो हमारी सरकार ने बाबा साहब डा0 अम्बेडकर का स्मारक बनाया था तो इनकी हुकूमत ने वहां की लाइट बन्द कर दी और वहां दस-दस फिट ऊंची घास व झाड़ी खड़ी हो गई थी। यह इनकी श्रद्धा का परिचय है। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप यह सवाल न उठायें तो अच्छा है जिन्होंने वह जमीन हथिया ली है वह जमीन आपको मिल जाती, अगर कोई चला जाएगा। कोर्ट में तो पता चलेगा कौन कितनी जमीन ले गया। वह जमीन कौन लेना चाहता था इससे ज्यादा असत्य कोई बात नहीं हो सकती है। मैंने प्यार किया तो एतराज है। डा0 अम्बेडकर के प्रति हम अपनी सत्यनिष्ठा व्यक्त कर रहे हैं तो एतराज है तो क्या करें बताओ, जो बताओ, सोई बोलें। (हंसी) हमने जल्दी खत्म करने का वायदा किया था। लेकिन 20-25 मिनट बवाल कर दिया। अब क्या आरती उतारने आए हैं इनकी ? पूजा करने आए हैं। हमारा काम है आलोचना करना। सकारात्मक राय देना। आपको मानना है तो मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो प्रदेश भी डूबेगा और आपका घमण्ड भी चूर हो जाएगा। डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाला मैं कभी बोलता नहीं था। कभी देखा, एक शब्द नहीं बोलता था जो बोलना चाहता था वह बोलता था इसी परिसर में। अब अध्यक्ष महोदय, आपने इन्हें आज बुला लिया। हमें तो लगता था यह आयेंगी नहीं। आ गई, इन्हें कुछ समझा रहे हैं तो अगल-बगल के चापलूस इनको समझने नहीं दे रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

चापलूस तो आपको घेरे थे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

कितने हल्के हैं यह संसदीय कार्य मंत्री। हम भाषण दे चुकें तो सवाल पूछ लो।

(कुछ मा0 सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

टोका-टोकी न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

2004-05 में जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ वह था। 2681 करोड़ यह था स्टाम्प का। एक्साइज का मिला था 2685 करोड़ टोटल था 9,211 करोड़। 2006 में 3194 करोड़ एक्साइज का मिला था, 3088 करोड़ और कुल मिला था 11,796 करोड़। 2006-07 में मिला था 4475 स्टाम्प और एक्साइज में मिला था 3751 और टोटल मिला था 14 हजार 46 करोड़, यह हमारा परफारमेंस था। अब पता लगेगा। फरवरी आ गई है अब पता लगेगा इस साल क्या हुआ। जो कमीशन बनती है, लूट होती है, कैसे बना लोगे। हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है लेकिन कुछ बन नहीं पा

रहा है न कोई सड़क है, न कोई वजीफा है, न कोई कन्या धन है। अब अगर लड़के भीख मांगेंगे तो भी परेशानी है उनको जेल भेज देंगे। हमें आप बता दें भीख मांगने में कौन सा अपराध है। अध्यक्ष महोदय, एक हरियाली गरीब आदमी है वह साइकिल से यात्रा करता है पूरे हिन्दुस्तान की, आन्ध्रा प्रदेश तक हो आया है। उसे गुब्बारे कहीं मिल गए, वह गुब्बारे बांधकर रिक्शा चला रहा था उसको मारकर जेल भेज दिया।

अध्यक्ष जी, लेकिन जो लड़का बाहर गुब्बारे फोड़ रहा है, तो बतायें कौन सा अपराध है ? उसे जेल भेज दिया। इसी तरह बेरोजगारी है, लगभग 19 हजार छात्र पुलिस की नौकरी से निकाले गये हैं। आज तक हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं हुआ है ? अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी नहीं बताऊंगा, उसके अनुसार आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, एक जगह आया था, आप उनको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। लड़के दोबारा आयेंगे, मौका मिलेगा तो जिस दिन से वह बर्खास्त हुए हैं, उसी दिन से उनको तनख्वाह दी जायेगी और उसी दिन से उनकी नौकरी मानी जायेगी। आप इस समय बैकलॉग की भर्ती कर रहे हैं, आपकी सरकार का नारा है, "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय", आप समाज ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन इनमें एक भी जनरल जाति का नहीं है, मुसलमानों को रोक है, केवल दलितों और पिछड़े वर्ग के छात्रों की भर्ती की जा रही है। लेकिन भारी रकम दलितों से भी ली जा रही है। इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि लड़कों को इस तरह से बर्खास्त नहीं करना चाहिए, जिनकी शादियां हो गयीं थीं। अध्यक्ष जी, एक कन्नौज का मामला है। कन्नौज का यह लड़का बी0 काम पास है, उसका बाप लकड़ी काटने, मजदूरी करने का काम करता है। उस लड़के ने टाप किया है, रिटेन में और फिजिकल में टाप, रेस में टाप, आप बतायें, उसका क्या कसूर था। वह हाई कोर्ट जायेगा, सुप्रीम कोर्ट जायेगा, तब आपको पता चलेगा। यह जो बैकलॉग की भर्ती हो रही है, मैं मानता हूं कि दलितों को आगे किया जाए, आपको याद होगा, यह आप जानते हैं, 1977 में आरक्षण किया था। आप लोक सेवा आयोग की सी0बी0आई0 जांच करेंगे तो 10 हजार निकलेंगे। मान्यवर, मैंने तो अपने शासन में कह दिया था कि किसानों, छात्रों पर गोली नहीं चलेगी। आपको पता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में नौकरी करता था, हलवाई था और 6 महीने की तनख्वाह की उसकी कमाई थी, लगभग डेढ़ लाख रुपये लेकर आया था, रात्रि हो गयी तो रास्ते में रुक गया और पहली बस से पहुंच गया एटा ब्लाक, थाना-एटा। वह एक हजार रुपये की नोट लेकर चप्पल-जूता खरीदने लगा तो दुकानदार ने कहा कि पास में ठेका है, वहां खुदरा मिल जायेगा। वह वहां गया, उसने जेब से 100 का नोट निकाला लेकिन जेब से निकल आयी गड्डी, उस दुकानदार ने थानाध्यक्ष को सूचना दे दी कि इसके पास हजार-हजार की कई गड्डियां है, वह मिला हुआ था, उसका रुपया छीन

लिया गया और फिर उस नौजवान करमवीर सिंह यादव की हत्या कर दी गयी। जिसने हत्या की उसे लेकर भाग गये फिरोजाबाद। लेकिन कहीं दुकानदार के मुंह से निकल गया कि वह ऐसे-ऐसे हजार-हजार की नोट लाया था।

पूरी गरमा-गरमी होने जा रही थी तो उनको भी मारा तो 50-60 लोग गांव वाले आ गये। तो वह जैसे ही आये तो एक परिवार का दूसरा भाई राम अवतार था आगे बैठा था। उसको गोली मार दी और थाने में 15-20 साल पुरानी जो गाड़ियां होती हैं उन्हें जला दिया और कह दिया कि इन लोगों ने थाना जला दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं, उल्टे उन्हीं को थाना जलाने में जेल में बंद, 500 लोग अतिरिक्त, 25 के नाम रिपोर्ट उनके पीछे छापा, कोई नहीं बचा। पूरा गांव खाली कर दिया जिसकी 4 हजार की आबादी है। आप कभी मौके पर गये ? उपाध्यक्ष जी को सब पता है कि वहां क्या हुआ है। लेकिन हिम्मत नहीं है आपके सामने बताने की। इस तरह से हत्याएं कर दी। संवेदनशीलता होनी चाहिए। यह हालत है। अध्यक्ष महोदय, सैफई में जो गोली चली तो गेट बंद था और ऊंची बाउंड्री है। 462 लड़के एग्रीकल्चर के इम्तिहान प्रेक्ट्रिकल के लिए आये थे। प्रोफेसर आये थे। बी0एच0यू0 के हेड श्री बी0एम0 सिंह थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से श्री अशीष कुमार सिंह और श्री राजेश तिवारी आगरा यूनिवर्सिटी से, कोआर्डिनेटर थे श्री आर0सी0 राम। यह चारों प्रोफेसर थे। जब गेट नहीं खोला तो गेट में गोली मारी गयी, अभी तक निशान है। वह गोली पार निकल गयी और 100-150 लड़के जिनको और कुछ काम था। वह बाहर इंतजार कर रहे थे। गाली देनी शुरू कर दी और ईट मारना शुरू कर दिया। उसके बाद लड़कों ने मुर्दाबाद कहा तो एस0पी0 और ए0एस0पी0 कूद के चला गया पुलिस के सहारे से और जाकर के गोली मारी मुकेश के, अवनीश के और तीसरा बच गया। वह घायल हुआ उसके गोली नहीं चल पायी तो बट से मारा है सुनील यादव को। उसकी कापी से गोली छेद करके लगी इतना छेद है उसका। कापी पूरी खून से रंगी है। खून अभी देख आइये और उन चारों प्रोफेसर ने चैनल में बाकायदा बयान दिया। क्या ऐसा होना चाहिए था। कहीं बता दो एक किलोमीटर दूर कोई बाजार हो, कोई दुकान हो। सैफई के पीछे फसल खड़ी है और गेहूं खड़ा है। लछवाई गांव और हास्टल भी वहां से एक किमी0 से ज्यादा है। एक बस जलाई का आरोप था। वह बस जली है उस कालेज से 3 किमी0 दूर और गोलियां चलाना शुरू कर दिया यहां कालेज में और फिर चले गये सैफई चौराहे पर और वहां छतों और नाई की दुकान पर गोलियां चलाने के निशान देख सकते हैं। पूरे सैफई को घेर लिया। पता चला तो इटावा में प्रदर्शन था वहां थे भागकर के वहां आये तो 9 किमी0 पहले रोक दिया और सैफई का एक भी नहीं। जब एक छोटे अफसर ने कहा कि गोली चलाना गलत था।

तो यह सच है। वह एस0एस0पी0 कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास सीधे फोन आ रहा है कि भून दो। अब गलत या सही क्या है यह जांच कर लो ? यह एस0एस0पी0 इटावा को महाराजगंज के लोग जानते हैं कि यह क्या है, इसको हम भी जानते हैं कि क्या है ? हम यह भी जानते हैं कि इसने सिपाही की हत्या करके कुंए में डाला था। तीन महीने के बाद उस सिपाही की डेड बाडी कुंए से मिली। उसकी जांच हुई और यह जांच आपकी सरकार में समाप्त हो गयी। यह एस0एस0पी0 रहा है इटावा में, सब जानते हैं। आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं उसमें चालीस प्रतिशत, अखबारों में पता लगा लो, उसमें चालीस फीसदी महिलाएं और लड़कियां हैं, रिश्तेदारों पर हमला किया, दोस्तों पर हमला किया। वह पूरा गांव यादवों का है कोई दूसरी जाति का नहीं है। अब यह हो रहा है। अब तो सब जातियों को दुःखी कर रहे हैं, कोई वर्ग नहीं है जो न दुःखी हो। पहले यादवों को शुरू किया अब सभी वर्गों को कर रहे हैं। 80, 85 प्रतिशत यादव हैं और बाकी अन्य जाति के हैं। समाजवादी पार्टी पर विशेष रूप से अत्याचार हो रहे हैं और समाजवादी छात्र गुन्डे हैं, यह मुख्य मंत्री की भाषा है कि इनको कुचल दो, अखबारों में है, कुचलने के लिए। मैं आज जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के छात्र नौजवान उनका सर कोई नहीं कुचल पाया, जब अंग्रेज नहीं कुचल पाया तो यह क्या कुचल पायेंगे ? इमरजेंसी में क्या हमको कुचल दिया था। आज जो कोका ला रही है इससे भी खतरनाक कानून था। नीरज डे एटर्नी जनरल था उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इमरजेंसी का विरोध करने वालों को गोली मार दी जायेगी, तो वह इमरजेंसी का मुकाबला हमने किया है। वह जय प्रकाश का नेतृत्व हमने किया है, राजनारायण जी को इन्दिरा जी ने डिबार कराया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। बूढ़े जय प्रकाश वह फिर नहीं रहे उनकी डेथ हो गयी। इतना प्रचण्ड बहुमत था इन्दिरा जी का सन् 1971 में और 77 में, एक भी कलकत्ता से लेकर चण्डीगढ़ तक कहीं भी कांग्रेस का एक एम0पी0 नहीं जीता। अभी थोड़ी ना पता चलेगा। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि इतना जुर्म इन निहत्थे लड़कों को मारने का नहीं करना चाहिए। चारों तरफ से इम्तिहान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इतने अनुशासित लड़के और इतने अच्छे लड़के हमने नहीं देखे। इम्तिहान की वजह से गेट बंद था। वह डेड बाडी नहीं ले जाना चाहते थे तो पीछे का गेट खुलवाया उन्होंने और पीछे के गेट से किसी तरह अस्पताल ले गये मेडिकल कालेज में। तो आपरेशन अनीस का हो गया अब आठ दिन पहले डिक्लेयर हुआ है कि वह खतरे से बाहर है। आप देखने चले जाओ कोई देखने चले जाओ कि कहां गोली चली है ? प्रोफेसर चारो इम्तिहान ले रहे थे। उन्होंने गेट बंद करा दिया। आप पूछ लें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो गये थे आशीष कुमार सिंह और बनारस के लोग पूछ लेना जो प्रोफेसर थे, हेड थे एग्रीकल्चर के, उनसे पूछ लेना, राजेश तिवारी आगरा यूनिवर्सिटी के गये थे तो यह हालत है। इम्तिहान हो रहा था, दूसरों का और इम्तिहान हो रहा था, कापी अध्यक्ष महोदय मैं आपको दे सकता हूं.....

अध्यक्ष, महोदय, आपको दिखा सकते हैं सबूत है कि किस तरह से हुआ और एस0एस0पी0 ने बाकायदा और एस0एस0पी0 स्वयं गोली चलाता है और उसका कारण मुझे बताया गया था कि क्यों गोली चला रहे थे, कुछ लड़कों ने आसमानी फायर की थी। क्या अध्यक्ष महोदय पता है, गोली कब चलाई जाती है ? पहले चेतावनी दी जाती है, चेतावनी के बाद गर्म पानी फेंका जाता है, फिर चेतावनी दी जाती है। तब आंसू गैस छोड़ा जाता है और उसके बाद, किसी चीज का जलाना या सम्पत्ति को बरबाद करना या किसी को मार डालने का जब कोई कृत्य करता है तब फायर का आदेश दिया जाता है, लेकिन आप आदेश पढ़ लेना, आदेश यह है कि पैरों में गोली मारी जायेगी, पता लगाओ कि सुनील को गोली कहां लगी है ? और जो मुकेश शहीद हुआ उसको गोली कहां लगी ? एक के माथे में गोली लगी है, राम औतार को लगी है गले में तो पहले पता लगा लो कि क्या अधिकारियों ने, और किसने इजाजत दी सैफई में गोली चलाने की ? वहां का डी0 एम0, एस0एस0पी0 और डी0 आई0जी0 तक कानपुर का मजबूर करता रहा कि ए0डी0आई0 दस्तखत कर दे सैफई का, वह सामने खड़ा हुआ था दूर अपने दफ्तर तहसील में, उसने कह दिया कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, चाहे कुछ करिये मैं बैक डेट में निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या के लिये मैं कभी नहीं लिख सकता हूं। तब उसने लिखा आत्मरक्षा के लिये। अब पता लगाना कितना एस0एस0पी0 घायल था, कौन सिपाही घायल था। एक ईंट/पत्थर किसी ने मारी हो बता दो फिर आत्मरक्षा के लिये सफैई में गोली चल जाये। उधर कुशीनगर में राम बहादुर यादव की इसी तरह से मार-मार कर हत्या कर दी तो यह जो हत्याओं का सिलसिला चला है और फर्जी केसों का सिलसिला चला है, और यह भर्ती जो सब जातियों की उपेक्षा करती है। हम आपको बता रहे हैं यह जो लोग यहां बैठे हैं अभी खूब मेजें थपथपाओ, लेकिन जब लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि हमारी जाति को छोड़ दिया है और एक ही जाति को नौकरी दी जा रही है, मैं दलितों के पक्ष में हूं किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, मैं बोल रहा हूं, हमारे पास दलित कम नहीं हैं, पहले तो आपसे ज्यादा जीते थे, अब भी छः पासी और एक जाटव एम0 पी0 आज भी हैं सात हैं, हिन्दुस्तान की किसी पार्लियामेण्ट में इतने हरिजन नहीं जीत कर आये जितने हमारे पास जीत कर आये हैं, पार्लियामेण्ट में। अब इसी तरह से आपको शायद पता चल गया होगा एफ0आई0आर0 किसी की नहीं हुई, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, अभी सैफई की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है अध्यक्ष महोदय, अभी तक रिसीब्ड है थानेदार से, यह अच्छी बात है रिसीब्ड है और अभी तक सैफई में रिपोर्ट नहीं हुई है। यह 17 महिलायें मुसलमानों की उनको मंत्री के सामने बेइज्जत किया गया और एफ0आई0आर0 अभी तक नहीं लिखी गयी। हम तो समय का इन्तजार कर रहे हैं, लॉ कमीशन सूचना मांग रहा है, वह बतायेगा और जगह मांग रहे हैं संवैधानिक वहां भी कह चुके, थाने में लिख कर दे चुके, यह सब नपेंगे और ये सब सच कह देंगे जब जांच होगी, कि साहब मुख्य मंत्री ने नहीं लिखने दिया। तो मैं समझता हूं तो ये एकदम से शोर मचा देते हैं। यह मामूली बात है, इतनी हत्यायें हों, मैं कह रहा

हूं आपके भाई, आपके भतीजे, आपके बेटे की हत्या इस तरह से होती तब महसूस होता और ऐसी मौतों पर आप संवेदनशील नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, जौनपुर में गोली चल गयी। मैं दिल्ली में था। मैंने वहीं से आदेश दिया कि इसको हथकड़ी डालकर जेल भेज दो। मुझे जौनपुर के छात्रों ने बुलाया और सम्मानित किया था। उसे हथकड़ी डालकर ले गये थे। जगदीश नारायण राय साहब को सब पता होगा। मैं वहां कालेज में गया था मेरा उन छात्रों ने आदर किया था। लेकिन इसी तरह से पुलिस ने छात्र को गोली मार दी आप भी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइये मुकदमा कायम करवाइये। पश्चिम के मंत्री जी सदन में मौजूद हैं उन्हें पता है कि 15 लाख, 20 लाख रुपये देने पर फर्जी रिपोर्ट लिखे जाने से वहां के लोग बचे हैं। मेरठ में चार दिन सम्मेलन हुआ था मैं वहां पर था। मुझसे लोगों ने पूछा कि आपको यह कैसे पता चला ? वहां लोगों ने बताया कि जो 15 लाख रुपया दिया था वह दरोगा को गया एस0पी0, एस0एस0पी0, डी0आई0जी0 और आईजी को पैसा गया है। बहुत बड़ी इस तरह से वहां पर रपट लिखे जाने के नाम पर पैसे की उगाही हुई है पश्चिम में। वह सब बताते हैं कि इतना रुपया पुलिस को देकर रपट लिखे जाने से बचे हैं। इसको लेकर जनता में आज हाहाकार मचा हुआ है उससे कोई वर्ग बच नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमने वैट कानून लागू नहीं किया। आपने उस कानून को लागू कर दिया। आप आज केन्द्र से 80 हजार करोड़ रुपये की मांग किसलिए कर रही हैं वह नहीं दे रहे हैं। मैंने तो केवल 18 हजार करोड़ रुपये वहां से मांगे थे उन्होंने नहीं दिये। पहले यह जो बजट में धनराशि है प्राविधानित है उसको तो आप पूरी तरह से खर्च करके दिखाइये। हां आपको तो पत्थर से प्यार है। गरीब लोगों के घासलेट से प्यार नहीं है लोगों के दुखदर्द से प्यार नहीं है। इस तरह से आज जनता की गाढ़ी कमाई का धन बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आप वैट कानून को वापस लें। मुझे याद है चिदम्बरम साहब आये थे यहां हमें मनाने के लिये। हमने तीन कमेटियां बना दी थीं हमने उनसे कहा था कि यह सब तैयार हो जायें तो कोई दिक्कत नहीं। कलकत्ता में दो बार बैठकें हुई थीं सी0पी0आई0 एम0 के वित्त मंत्री वहां के उसके अध्यक्ष थे। तमाम दबाव था लेकिन हमने वैट कानून को लागू नहीं होने दिया। आप वैट कानून भी लागू कर रहे हैं और 80 हजार करोड़ रुपये भी मांग रहे हैं दिल्ली से। वहां के योजना आयोग ने पैसा देने से मना कर दिया है। हमने तो केवल 18 हजार करोड़ रुपये मांगे थे जब वह नहीं मान रहे थे तो हमने उनसे कहा कि केवल 10 हजार करोड़ ही दे दें उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा सूबा है। यह यहां सब जानते हैं कि वह 80 हजार करोड़ रुपये क्यों मांगे जा रहे हैं कहां खर्च होंगे यह सब हम यहां नहीं कहना चाहते हैं। छात्र संघ पर प्रतिबंध। को-आपरेटिव सोसाइटी बनी थी उनको भंग कर दिया गया है। शिक्षा आयोग बना था उसमें कार्यकाल पांच साल से घटाकर दो साल कर दिया गया है। आपने 65 साल की उम्र कर दी है इतना बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। आप सोचते हैं कि यह सब दिखाई नहीं पड़ रहा है सब देख रहे हैं। आपके जमाने में जो नामित हुए थे हमने तो आकर किसी को नहीं हटाया था न ही बीजेपी के समय के लोगों

को हटाया था। आज पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग तख्ती लेकर चले जाते हैं और तो और पुलिस ने बकायदा उनको वहां अंदर आने दिया। जब हम लोग भीख मांग रहे थे तो लाठी और जेल की सजा। जो वहां पर तख्ती लिये हुए थे उनको बड़ी सावधानी के साथ पुलिस ले गयी थी वहां। यहां पर भीख मांगने पर जेल और पिटाई की सजा है। छात्रों की आप देखें किस तरह से पिटाई हुई है। पवन पाण्डेय को एस0एस0पी0, लखनऊ, डी0आई0जी0 और आई0जी0, लखनऊ ने तीन थानों में ले जाकर पीटा है। उसको रात में ले जाया गया और दूसरे दिन रात तक रखा गया और कितने ही छात्र नेताओं की पिटाई हुई है। हम भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं कभी नहीं पीटे गये इस तरह से। पुलिस ले भी गयी तो चना भुजिया खिलाकर शाम को छोड़ दिया। छात्र संघ के चुनावों पर प्रतिबंध, छात्र नेताओं पर गैंगेस्टर ऐक्ट लागू कर दिया है। उन्हें कहा जाता है कि समाजवादी गुण्डे। यह 22 गुण्डे उधर बैठे हुए हैं जो प्रमाणित है उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिये।

समाजवादी गुण्डे यह लड़के छात्र गुण्डे हैं। आज हिन्दोस्तान के अन्दर छात्र आन्दोलन से निकले हुए लगभग 100 लोग हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में हैं। हमारी पार्टी के तो बहुत लोग हैं छात्र नेता। मोहन सिंह, बृज भूषण तिवारी हम जैसे तमाम छात्र नेता थे। छात्र राजनीति करते थे। इसलिए आज सब से बेहतर राजनीति काम वही कर रहे हैं। जब इनको बंदिश की जायेगी तो गुण्डे, दलाल और माफिया और ठेकेदार रुपया ले लेकर के आपको भेंट करेंगे और वह राजनीति में आ जायेंगे। एक दिन ऐसा आयेगा कि आपको भी तबाह कर देंगे। यह हालत है। कोई गरीब नहीं दे पायेगा इतना पैसा, न खर्च कर पयेगा चुनाव इतना मंहगा हो गया है ? अध्यक्ष महोदय कहां ले जा रहे हैं लोकतंत्र को। इसलिए हम आज बोलना नहीं चाहते थे हम जानते थे हमारे बोलने पर इनको बुरा लगेगा। यह हमको नहीं सुनना चाहते, बुरा लगता है, सही बात कहते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। आज दवाइयां हैं ही नहीं, पहले दवाई मुफ्त और तो और मेडिकल कालेजों में दवाइयां नहीं, कहां चली गयीं दवायें कहां चला गया मुफ्त का इलाज मुख्य मंत्री जी दवाइयां नहीं हैं। आप बैठे हो दवाइयां नहीं हैं। दवाइयां नहीं है पर्चा सब, पर्चा सब दिये जा रहे हैं। हम आपको पर्चा दिखा दें तब। वह लिखा हुआ पर्चा दिखा दें तब।

हमारे समय में एक पर्चा लिख दिया था तो उसको मुअत्तल करके मैंने रपट तक लिखवा दी थी। सबने कहा था कि इसको जेल मत भेजिये। पता लगा लीजिए बलरामपुर अस्पताल में एक पर्चा लिख दिया था, वह पर्चा मेरे पास आ गया था। यह पर्चा लिखे जा रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं। कहां मुफ्त इलाज चला गया है ? यह शिक्षा और स्वास्थ्य जो मैंने कहा था। यह सरकारें बहुत ही नालायक बदमाश होती हैं जो इस तरह का काम करती हैं। इस मामले में मैं दुःखी होकर कह रहा हूं। गरीबों के खून का पैसा ले रही है गरीबों की बीमारी का खून का पैसा लिया जा रहा है। यह किसके लिए था मुफ्त इलाज, यह गरीबों के लिए था। बड़े लोग नहीं जिला अस्पताल में छोटे जाते हैं। बड़े लोग बम्बई जायेंगे और दिल्ली बम्बई से चले जायेंगे विदेश तक। हमारे लोग जो

गरीब हैं और जिनके बल पर आप बन जाते हैं उनको बहकाकर, उनका इलाज मुफ्त था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आपके लिए इलाज था गरीब के लिए छोटे लोगों के लिए। बहुत गरीबी है मुसलमानों में, दलितों में अब भी गांवों में। उनके लिए मुफ्त इलाज था। अब मुफ्त इलाज का सारा पैसा कहां जा रहा है ? यह एक आश्चर्य है कि जितना मैंने खर्च किया वह ऐतिहासिक था। जितना मुझे मिला सब खर्च कर दिया उतना दिखाई दिया और इसी तरह से आज हम अब अपनी सरकार के बारे में कहना चाहते हैं 2009 तक बजट घाटे को पूरा करना था। हमने पहले ही कर दिया। पहले साल और फिर दूसरे साल 2600 करोड़ से ज्यादा मिल गया। यह 5 हजार करोड़ जो आपने दिखाये हैं यह हमारी सरकार का है। आपकी परफारमेंस का नहीं है। बजट 31 मार्च, तक सब हो ही चुका था, 31 मार्च तक का जो है उसी में 5 हजार करोड़ बचा है। 31 मार्च के बाद का नहीं है हिसाब किताब अब आपका हिसाब किताब हो जायेगा अगली आने वाले 31 मार्च को। 2600 करोड़ फिर 5 हजार करोड़ का फायदा। जो खजाने का घाटा पूरा करके है, 26 सौ कुछ करोड़ और अबकी है 5 करोड़। हमने बताया 31 मार्च, 2008 तक। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह दुर्दशा हो रही है उत्तर प्रदेश की। लेकिन अब को-आपरेटिव सोसाइटी, अगर किसान पर लाठी पड़े 2 बोरी के लिये कितनी सफाई दोगे यह को-आपरेटिव मूवमेन्ट कमजोर करने के लिए है। हमने को-आपरेटिव मूवमेन्ट को चलाने के लिए ही 65 करोड़ दिया था। ताकि यह सोसाइटियां ठीक से चलें। जिस दिन यह सोसाइटी चल जायेगी, उस दिन किसान की हालत सुधर जायेगी। अभी तो कुछ कम्पनियां फर्जी दवाइयां बेच रही हैं। इसी तरह से खाद भी है और इसी तरह बीज। यह हालत है, अब इसकी आप चिन्ता ही नहीं करते। इसीलिये मैंने कहा था कि चर्चा कर दो और एक कमेटी बैठा दो। पता चल जायेगा किसान की हालत का। को-आपरेटिव सोसाइटी जिस दिन ठीक कर लोगे, मैं राय दे रहा हूं कि उस दिन किसानों की समस्या हल हो जायेगी खाद बीज की। हमारे साथ तो ऐसा किया गया कि हमें हमेशा आलू का बीज मिलता था लेकिन जब किसानों को नहीं मिल रहा है तो हमें भी छोड़ो। कह दिया कि किसी बड़े आदमी को नहीं दिया जायेगा। मैं बड़ा आदमी था, 3 करोड़ 21 लाख सी0बी0आई0 जांच में निकली और आप मुख्य मंत्री की कितनी निकली 53 करोड़, उसका तो 15-16 करोड़ इन्कम टैक्स ही देना पड़ेगा। मंत्रियों ने कह दिया कि आलू नहीं दिया जायेगा। कोई सरकार रही चाहे बी0जे0पी0 या कांग्रेस, हमको हमेशा आलू मिलता रहा है। पहली बार मुझे नहीं मिला और जब मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कहूंगा माननीय लक्ष्मीनारायन जी, हमें नहीं आलू का बीज मिल रहा है, उस पर रोक लगा दी गयी तो आपने किस गरीब को दिया। गरीबों को जाय, कोई बात नहीं है ? लेकिन मुझे यह भी पता है कि हमारे पास जो खुद का बीज था वह ज्यादा पैदावार देगा। फाउन्डेशन के बीजों की पैदावार कम होती है लेकिन हम बीज गरीबों को देते थे। हम सदन को बताना चाहते हैं कि सरकार दे रही थी 1300 रुपया प्रति क्विंटल और हम दे रहे थे लोगों को 600 रुपया प्रति क्विंटल। जब उन्होंने कह दिया 800-900 तो हमने कह दिया

500 रुपया प्रति क्विंटल। यह मैं गरीबों को देता था लेकिन इस साल गरीबों को नहीं दिया जायेगा, कभी रोक नहीं लगी, बाकायदा पहुंच गया, नाम लिख गये पेमेन्ट हो गया और बीज पहुंच गया। लेकिन आपने बीज पर रोक लगा दी और को-आपरेटिव सोसाइटियों को भंग कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख को आप जबरिया हटा रहे हैं, प्रेस के बल पर, अधिकारियों के बल पर। जिस तरह से सुल्तानपुर के डी0एम0 और अन्य अधिकारी हटाये गये, मुअत्तल किये गये, कलम स्वतंत्र है। यदि कोई अधिकारी किताब लिखता है, बहुत सीनियर आई0पी0एस0 हो गया है इंदौर में एस0एस0पी0 है, आप पता लगा लेना, उसने मुझ पर किताब लिखी है और उसका विमोचन किया है राष्ट्रपति डा0 शंकर दयाल शर्मा ने और उसकी अध्यक्षता की माननीय नरसिंहराव जी ने। कई बहुत बड़े नेता थे, सीताराम केसरी से लेकर बहुत बड़े नेता पहली बार विमोचन करने आये थे, इंडिया इंटरप्रिन्योर सेंटर में। वह किताब एक आई0पी0एस0 ने लिखी है। बहुत से अधिकारी बहुत बड़े-बड़े कवि हैं और वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप लेखकों को मुअत्तल करेंगे। आपकी तारीफ लिखते, लेकिन झूठी कैसे लिखते ? अगर राजीव गांधी या इंदिरा जी की, या अन्य किसी की तारीफ कर दिया। क्या राजीव गांधी की मैं तारीफ नहीं करूंगा, उन्होंने कह दिया कि 12-13 प्रतिशत जनता तक पैसा जाता है, बाकी खा लिया जाता है जनता तक पहुंचता ही नहीं। क्या इसकी तारीफ नहीं करेंगे जो सच्चाई बोल दे। यह तारीफ हम लिख देंगे तो हमारे ऊपर आप नाराज हो जायेंगे। आज लेखक बने कोई क्योंकि इसकी कमी होती चली जा रही है। यह कह देना कि कोई भी नहीं जायेगा एस0 डी0 एम0 तक, न जाये कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी फंस गई, हम फंस गये बहुत बुरी तरीके से। आपको खतरा है मुझे खतरा नहीं है, और अगर खतरा है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो नेता अपने जीवन की परवाह करता है वह देश की सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकता। यह परम्परा आप डाल रही हैं कि कोई नहीं जायेगा मुलायम सिंह के पास, बता रहे हैं कि एक हेड कांस्टेबिल और कुछ लोगों ने मुझे किसी तरह से निकाला और करीब चार किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। मैंने अपने समय में, उन्नाव में जाम लगता था मैंने जी0एम0 ट्रांसपोर्ट से कहा कि अगर पूरे प्रदेश में जाम लग गया तो आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इतनी शादियां थीं परसों, शादी वाले थे, बारातें जा रही थीं, हमने सोचा कि हमारी वजह से और जाम लग जायेगा, इसलिए हम मोड़ कर किसी तरह कच्ची मिट्टी की सड़क से निकल करके गये। कोई भी अधिकारी नहीं, यह परम्परा क्या अच्छी है लेकिन आपका आदेश है कि कोई नहीं जायेगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। इस प्रकार का कभी हमने आदेश दिया था। आपको खतरा है और कैसे अधिकारी चापलूसी करके आपका मजाक बनवा रहे हैं। वह मरवा रहे हैं अपनी गोलियों से, आपको छत पर बैठा दिया, पंचम तल पर क्या हो रहा है आपको खबर ही नहीं है। आपके नाम पर कितना भारी रुपया लिया जा रहा है आपको पता ही नहीं है, उसका क्या हिसाब-किताब है, वह कहां ले जाते हैं और आप तक कितना पहुंचाते हैं, कुछ पता ही नहीं है। इस समय दिमाग आसमान पर है, एक यादव से कहता है, अब भी तुम्हे तमीज नहीं है, मैं

देखूंगा। मैं तो अच्छा भी इसको नहीं मानता हूं जो इस प्रकार की धमकी दे सारे ड्राइवर खड़े, पुलिस खड़ी, जनता खड़ी और उसे बीच में अपमानित किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है अब भी समझते हो कि मुलायम सिंह की सरकार है। किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, किस तरह से नाम बदल करके नोएडा में जमीन ली है। कम से कम एक हजार एकड़ जमीन उन्होंने अपने भाई के नाम कैसे ले लिया है ? आज मैं सदन में कह रहा हूं कि जो किडनी का स्कैंडल है उनके घर में था। कोई मुझसे अकेले पूछे तो मैं बता दूंगा कि क्यों दिया था मकान, क्या दोस्ती थी ?

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

बैठे रहो, क्यों परेशान हो ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने बहुत देख लिया, बहुत धीरज रखा, हत्यायें करवाईं, सारे बुन्देलखण्ड को बर्बाद कर दिया। यह कहा गया कि 1500 करोड़ रुपया बुंदेलखण्ड को दिया है। मुझे पता है कि 1500 करोड़ रुपया कौन सा है ? मैंने बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल निधि तय की थी। आपके उत्पीड़न से जब वह किसान मरा तो उसकी लड़की की शादी हमारे कार्यकर्ताओं ने करायी। हम तो लड़कियों को 20-20 हजार रुपया कन्या विद्या धन दे रहे थे उसको आपने बंद कर दिया, हमारे समय में उच्च शिक्षा में कितनी लड़कियां जाती थीं, आज कितनी लड़कियां जा रही हैं, उनकी संख्या घट रही है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने व एक माननीय सदस्य द्वारा खड़े होकर कुछ कहने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बैठिये बहुत बोल रहे हैं, आप लोग शांत रहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आज बी0पी0एल0 के लोगों और गरीबों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। मैंने जो वायदा किया था उससे ज्यादा भाषण हो गया है इसलिए कहना चाहता हूं कि नेता सदन छात्र विरोधी हैं, वह छात्र यूनियन को तत्काल बहाल करें, को-आपरेटिव में जो किया है उन्हें बहाल करें और समय पर चुनाव कराइये और जो रपटें नहीं लिखी गयी हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। बुन्देलखण्ड और जहां उत्तर प्रदेश में

मुसीबत हो वहां पूरा कर्ज माफ करो, इसी सदन में घोषणा करनी चाहिए। एक बार पूरा कर्ज माफ किये बिना कोई हल नहीं है। मान्यवर, आज जनसंख्या बढ़ रही है, अन्न घट रहा है, आपकी कोई योजना अन्न बढ़ाने की नहीं है कि प्रदेश को विदेशी गेहूं खाने से बचा लें।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा कुछ बोलने पर)

जो आप बोल रहे हैं उसको लिखकर दे देना। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि विदेशी अन्न खाना पड़ेगा। आपकी कौन सी योजना है अन्न ज्यादा पैदा करने की ? हमारे पास योजना थी, भूमिसेना थी, इसमें लोग लगे थे और अन्न बढ़ाने और खेती बढ़ाने का काम कर रहे थे सरकारी पैसे से। बदले की भावना से काम न करें। आपने सर्वजनहिताय, सर्वजन सुखाय का नारा दिया लेकिन कुछ जातियां आपकी दुश्मन हो गयी हैं। बलिया में माइनॉरिटी के लोग क्यों आपके साथ नहीं रहे क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है। नोयडा में तीन-तीन मुसलमान लड़कों की हत्या करायी, हत्या करवाने वाले आपके मंत्री बैठे हुये हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इधर इंगित करके कहा है, मुझे इंगित किया है, इसलिए मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मान्यवर, यह मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, मुसलमानों का एक मदरसा इलाहाबाद में है करैली मदरसा। उस करैली मदरसा में हाफिज बेटियों की इज्जत लूटी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ? और आप इलाहाबाद के सर्किट हाऊस में बैठे आराम फरमाते रहे, न उन हाफिज बेटियों के मां-बाप से भी मिले और न ही उस मदरसे में जाने का कष्ट किया। सर्किट हाऊस में बैठे-बैठे एनाउंस कर दिया कि 2-2 लाख रुपया मुसलमानों की हाफिज बेटियों को मुआवजा दे दिया जाये। आप किसानों का कर्ज माफ करने की बात करते हैं। बुन्देलखण्ड में 4 साल हो गया सूखे की स्थिति है लेकिन अभी तक नहीं सोचा, आपने 1989 में एनाउंसमेण्ट किया था कि 10-10 हजार रुपये का कर्ज माफ कर दिया, लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि कर्ज माफ होगा लेकिन कोई कर्ज माफ नहीं हुआ और आपने लोगों को धोखा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि ब्याज सहित एक-एक लाख रुपया किसानों को देना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

श्री मदन चौहान जी, आप उधर इशारा मत करिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गरीब किसानों ने मय ब्याज के उस कर्जे का भुगतान किया है। अभी भी आप जनता को धोखा दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप बहुत सीनियर हैं यह परम्परा भी है कि जो भी कहना पीठ की तरफ कहें। यह लक्ष्मण-परशुराम संवाद नहीं हो रहा है न ही कोई तखत तोड़ा जा रहा है। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि संसदीय परम्पराओं का ज्ञान नहीं है मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सीनियर हैं, विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं जो भी कहना हो पीठ की तरफ कहें सीधे हमें न कहें नहीं तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। पीठ की तरफ संकेत करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

क्या आप भाषण करवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैं भाषण नहीं करवा रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब मैं खड़ा हूं तो यह कैसे बोल सकते हैं ? यह परम्परा है लेकिन इनका परम्परा से क्या मतलब है ? बागपत में एक मौलवी इलियास हाजी ने कहीं कहा कि 6 महीने में सरकार चली जाएगी उस मौलवी पर एन0एस0ए0 लगा दिया गया। उसको बन्द कर दिया गया। चौराहे पर मारा पीटा और बाद में एन0एस0ए0 लगाकर जेल भेज दिया। ऐसा इमरजेन्सी में होता था। इस समय अघोषित इमरजेंसी है। यह सत्ता के नशे में हैं यह नशा अपने आप उतर जाएगा। हमारी जरूरत नहीं है। हम तो केवल अपनी बात रखेंगे। हमने कहा था कि 6 महीने नहीं बोलेंगे लेकिन उसके बाद जब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब हम निकलेंगे तो आपको पता चलेगा। हम कभी बाहर से भीड़ नहीं इकट्ठा करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाजवादियों से जो टकराया वह खत्म हुआ है आज तक का इतिहास है। लड़कों पर जो जुल्म हुआ है, जो खून बहा है याद कीजिए आप यहां बैठे रहिए लेकिन हम बैठने वाले नहीं है। यह [x x x] इस बात को कहते हुए मैं अपना भाषण बन्द करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दलीय नेताओं को 10-10 मिनट व अन्य सदस्यों को पांच-पांच मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

इस पर संशोधन उपस्थित किए गए माने जाएंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो शब्द उचित न हों, अमर्यादित हों, असंसदीय हों उसको दिखवाकर निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से सोच समझकर निकलवाइए। मैंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है। सरकार बदमाश, निकम्मी है यह मैंने कहा, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

टीक है ध्यान रखेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी रखी जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 फरवरी, 2008 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षों के अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ के पुराने महानगर के घोसियाने मुहल्ले में अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति से फैल रहे संक्रामक रोग को रोकने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों के कतिपय गांवों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सर्वेश सिंह की आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने एवं गुणवत्ता में मनमानी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवां को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री अब्दुल कलाम की संतकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत सांडे का पुल एवं मोदहा घाट पर बने अधूरे पुलों का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की उन्नाव की सदर तहसील के ग्राम घनश्याम खेड़ा मजरा कोटरिहा में विगत 20 वर्षों से निवास कर रहे लोगों को घरों से बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा जनपद में सैया फतेहाबाद रोड के लिये शमसाबाद नगर पालिका के बाहर बाई पास बनाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद में राजकीय इण्टर कालेज के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर स्थित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद के [illegible] कटरा मोहल्ले में स्थित लीला कुञ्ज अपार्टमेंट के [illegible]करण की कार्यवाही रोकने तथा पीड़ितों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद-बलरामपुर के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षों के अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[मान्यवर, बहुत ही खेद के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत आने वाले विशाल संरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्र में बेशकीमती वृक्षों की अवैध कटान यथा सागौन, एवं सकशाल एवं खैर की अवैध तस्करी ने इस विशाल क्षेत्र को लगभग निर्जन सा बना दिया है।

प्रदेश सरकार अरबों रुपये की वार्षिक क्षति उठाकर पर्यावरण सन्तुलन हेतु जिस कल्याण कारी योजना को जारी किया है उस योजना को उसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी वन माफिया राजनैतिक प्रभावशाली व्यैक्तित्व तथा पुलिस प्रशासन एवं एस0एस0पी0 की मिली भगत से प्रदेश सरकार को भीषण आर्थिक क्षति पहुंचायी जा रही है।

अतः आपसे हमारी मांग है कि इस सम्बन्ध में हमारे जनपद के सभी वन क्षेत्रों की सघन काम्बिंग शासन स्तर से कराकर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

लखनऊ के पुराने महानगर के घोसियाने मोहल्ले में अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति से फैले संक्रामक रोग को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

लखनऊ के पुराने महानगर के घोसियाने मोहल्ले में जल संस्थान के अधिकारियों की अर्कमण्यता एवं लापरवाही के कारण अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति होने के कारण संक्रामक रोग लगातार फैल रहा है। लगभग 50 से अधिक लोग उल्टी एवं दस्त की चपेट में हैं और पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। महानगर स्थित भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय में अनेक रोगी भर्ती हैं। अनेक स्थानीय लोगों का कहना है कि 4-5 दिनों से इलाके में सीवर युक्त पानी की आपूर्ति हो रही है, नालियां जाम हैं और सफाई कर्मी सफाई करने के लिए आते ही नहीं हैं। मैंने इस विधान सभा के पिछले सत्र में मध्य विधान सभा क्षेत्र राजाजीपुरम क्षेत्र में दूषित जलापूर्ति की शिकायत की थी किन्तु वर्तमान नगर विकास मंत्री जी के द्वारा मुझे उत्तर दिया गया कि पानी की दूषित सप्लाई कहीं पर भी नहीं हो रही है, यदि सरकार के मंत्री विषय को हल्के ढंग से न लेकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों पर अंकुश लगाने का कार्य करें तो जल संस्थान से दूषित पेयजल की आपूर्ति रोकी जा सकती है।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब दूषित पेयजल की आपूर्ति रोकने के लिए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों के कतिपय गांवों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ करना चाहता हूं। जनपद-बांदा के ब्लाक जसपूरा तिन्दवारी बड़ोखनखुर्द में ग्राम नारायणबुघेड़ा, पचकोरी हरवंशपुरवा गुरुगवां, शंक्करपुरवा, मजरा मादादेव, बंशीडेरा पाईडेरा, कछारडेरा मजरा नरी तथा बरेवीकला, वटगन भवानीपुर, आमचौली, गौरीखुर्द बोधीपुरवा काशीपुरवा दौलतपुरवा, महडिया आदि ग्रामों में सड़क न होने से हजारों लोग परेशान रहते हैं। जनहित में सहूरपुर बंशीडेरा सम्पर्क मार्ग कानाखेड़ा नारायण सम्पर्क मार्ग रामपुर भवईघाट-बुघेडा सम्पर्क मार्ग मधैली-गौरीखुर्द हरबंशपुरवा सम्पर्क मार्ग सिन्धकला गुरगयां सम्पर्क मार्ग गपोधीपुरवा छोटा पुरवा सम्पर्क मार्ग दौलतपुर सम्पर्क मार्ग काशीपुर सम्पर्क मार्ग हड़िया सम्पर्क मार्ग, चटत्रन सम्पर्क मार्ग, चरिवारा पचुल्ला सम्पर्क मार्ग, भवानीपुर-चल्ला सम्पर्क मार्ग, चकला सम्पर्क मार्ग तथा बल्किग बरेटाकला बतरौली सम्पर्क मार्ग बनवाना आवश्यक है जिससे लोगों का आना-जाना रहता है। बरसात के दिनों में लोगों को सड़कों के अभाव में बीमार लोगों का इलाज नहीं करा पाते हैं जिससे धनजन की हानि होती है।

अतः लोक महत्व के उपरोक्त सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु मा0 लोक निर्माण मंत्री से स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें।]

आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने एवं गुणवत्ता में मनमानी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद आजमगढ़, अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सगड़ी अन्तर्गत आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग पर 15 कि0मी0 से ग्राम छत्तरपुर चकिया में वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री सड़क योजना से 1900 मी0 लेपन कार्य स्वीकृत हुआ था। वह कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है इसी तरह तहसील सगड़ी के अन्तर्गत नरहन लालघाट मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य कराया जा रहा है। तमाम शिकायतें की गयी कि निर्माण में मिट्टी भराई का कार्य मानक के विपरीत कराया जा रहा है। इसी तरह जनपद आजमगढ़ के गोरखपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में टाउन एरिया जीवनपुर में नाले पर बना पुल जर्जर हो गया है। आवागमन बाधित है, यह उपरोक्त कार्य जनहित में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कराया जाना अति आवश्यक है। जहां पर गुणवत्ता ठीक नहीं है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय नहीं तो स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त होगा और कोई बड़ा आन्दोलन भी खड़ा हो सकता है यह जनहित एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल अधूरे कार्य को पूर्ण कराने एवं गुणवत्ता में मनमानी करने वाले अभियंताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत छपिया में प्रा0 स्वा0 केन्द्र मसकनवां को उच्चकृत कर सी0एच0सी0 करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था परन्तु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक मसकनवां प्रा0 स्वा0 केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य जनहित में चालू नहीं किया गया है। मेरे द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के दूसरे मंगलवार हेतु अतारांकित प्रश्न सं0-4 के उत्तर के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जनपद गोण्डा में प्रा0 स्वा0 केन्द्र मसकनवां को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है परन्तु मेरी निश्चित जानकारी है कि मा0 मंत्री जी द्वारा सदन में गलत उत्तर दिया गया है। आज तक उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र उच्चीकृत करने का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत उत्तर देकर सदन की अवमानना की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उच्च स्तरीय जांच करवा कर गलत उत्तर देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं प्रा0स्वा0 केन्द्र मसकनवां को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य चालू कराने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सन्तकबीर नगर के मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत सांडे का पुल एवं गोड़हा घाट पर बने अधूरे पुलों का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल कलाम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद संत कबीर नगर स्थित विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल अन्तर्गत कई पुल धन के अभाव में अधूरे पड़े हैं। मान्यवर, सांडे का पुल व गोड़हा घाट पर बना पुल जो अधूरे बने हैं। यहां तक कि एप्रोच भी नहीं बना है जिससे काफी लोगों को आने-जाने में असुविधा हो रही है। स्थानीय अधिकारी धन का अभाव की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु अधूरे पुल का कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाय। दोनों तरफ एप्रोच बनवाया जाय जिससे आवागमन सुचारु रूप से चल सके। उक्त कार्य न होने से स्थानीय लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है। यह लोक महत्व का महत्वपूर्ण विषय है।

अतः इस पर तत्काल धन उपलब्ध कराकर अधूरे कार्य को पूर्ण कराने, एप्रोच [illegible] बनाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

उन्नाव की सदर तहसील के ग्राम घनश्याम खेड़ा मजरा कोटरिहा में विगत बीस वर्षों से निवास कर रहे लोगों को घरों से बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय, जनपद उन्नाव के तह0 सदर के ग्राम घनश्याम खेड़ा मजरा कोटरिहा में विगत 20 वर्ष पूर्व तात्कालीन ग्राम प्रधान ने अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के ग्राम वासियों को जिनके पास निवास की कोई जगह नहीं थी घर बनाने हेतु ग्राम समाज की जमीन का आवंटन किया उस भूमि पर ग्रामवासी अपने पक्के व कच्चे मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं विगत कुछ दिनों पूर्व तात्कालीन तहसीलदार सदर ने सभी निवासियों को नोटिस भेजी जिसमें भवन छोड़कर जमीन खाली करने व जुर्माना अदा करने की बात कही उक्त नोटिस से घबराकर सभी निवासी तहसील दिवस में प्रार्थना-पत्र दिये और अपने पट्टे दिखाये परन्तु समस्या का निस्तारण न हो सका भवनों में निवास करने वाले व्यक्तियों के परिवार में दर्जनों लोग हो गये हैं। यदि भूमि खलिहान या अन्य श्रेणी में दर्ज है और उस जमीन पर आवासीय है तो भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर समस्या का निदान आवश्यक है। कृपया जांच कराकर कार्यवाही कराने का कष्ट करें जिससे जनता में व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके। कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराने का कष्ट करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा जनपद में सैया फतेहाबाद रोड के लिये शमसाबाद नगर पालिका के बाहर बाईपास बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद में नगरपालिका शमसाबाद में से ग्वालियर, कानपुर, कलकत्ता को भारी ट्रैफिक जाता है साथ यह आगरा महानगर को राजस्थान से जोड़ता है, मुख्य बाजार से आवागमन रहने के कारण हर समय जाम की स्थिति रहती है एक बाई पास जो सैया फतेहाबाद रोड के लिये शमसाबाद नगरपालिका के बाहर बने इसकी आवश्यकता है। संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

फैजाबाद में राजकीय इण्टर कालेज के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से फैजाबाद में राजकीय इण्टर कालेज के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने से लगने वाले घन्टों जाम से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

फैजाबाद के रेलवे स्टेशन के राजकीय इण्टर कालेज के पास रेलवे क्रासिंग का यह मार्ग कचेहरी एवं मुख्यालय जाने का महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां पर फैजाबाद जं0 होने के कारण हमेशा किसी न किसी ट्रेन का आवागमन एवं ट्रेनों के सटिंग का कार्य होने के कारण अक्सर रेलवे फाटक बन्द रहता है जिसके कारण कोर्ट कचेहरी एवं मुख्यालय जाने हेतु लोगों को घन्टों खड़े रहना पड़ता है और आवागमन अत्याधिक होने के कारण घन्टों जाम लगा रहता है जिसके कारण छात्र समय-समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं एवं लोगों को कचेहरी जाने में विलम्ब होता है। जनहित में इस रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोरखपुर में श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए भवन की व्यवस्था तथा पीठासीन अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, विगत 4 वर्षों से गोरखपुर के श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में कोई भी पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं है। पीठासीन अधिकारियों के न होने के कारण, इन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न्यायालयों में विचाराधीन करीब 7 हजार से अधिक विवादों का निस्तारण नहीं हो रहा है। पूर्वान्चल के हजारों-हजार मजदूरों को न्याय न मिल पाने के कारण, न सिर्फ उनका उनके मालिकानों के द्वारा आर्थिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है, बल्कि उनके पारिवारिक सदस्यों का जीवन नारकीय हो गया है।

श्रीमन न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण दोनों ही न्यायालय 3 कमरे के एक छोटे से किराये के मकान में स्थित है, जहां किन्हीं परिस्थितियों में अगर किसी माननीय न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति भी हो जाती है तो वे या तो वहां कार्य प्रारम्भ नहीं करते हैं अथवा बहुत शीघ्र अन्यत्र चले जाते हैं। 3 कमरों के इस कार्यालय कक्ष में जज वादकारी, अधिवक्तागण एवं प्रतिवादी उपस्थित होते रहे होंगे तो वहां की स्थिति का एहसास किया जा सकता है।

दोनों ही न्यायालय श्रम विभाग द्वारा संचालित होते हैं। गोरखपुर महानगर में श्रम विभाग द्वारा संचालित एक बहुत बड़ा रोजगार कार्यालय (एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज) है, जिसके बहुतेरे कमरे खाली पड़े हुए हैं। बड़ी सुलभता के साथ दोनों ही न्यायालयों को इस भवन में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

अतः दोनों न्यायालयों में पीठसीन अधिकारियों की नियुक्ति एवं न्यायालयों के लिए समुचित भवन व। आवश्यकता के लोकहित को देखते हुए कृपया उत्तर प्रदेश कार्य प्रक्रिया नियमावली के नि५म-301 के तहत सरकार को सदन के पटल पर जवाब रखने हेतु निर्देशित करें।]

इलाहाबाद के नया कटरा मोहल्ले में स्थित लीला कुंज अपार्टमेन्ट के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकने तथा पीड़ितों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद के नया कटरा मुहल्ले में स्थित "लीला कुंज आपर्टमेन्ट" को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये ध्वस्त किया जा रहा है। प्राइवेट बिल्डिर से 38 मध्यम वर्ग के नागरिकों ने भवनों को वैध मानकर खरीद कर कई वर्षों से रह रहे हैं जिसे अब अवैध कहकर गिराया जा रहा है।

ए0डी0ए0 के संरक्षण में यह अवैध निर्माण होता रहा। निचले कर्मचारियों द्वारा नोटिस सूचना देने पर भी बड़े अधिकारी बिल्डर के साथ सांठ-गांठ करके कुंभकर्णी नींद सोते रहे और आज एकाएक जागकर बेगुनाह लोगों के जीवन भर की खून-पसीने की कमाई को ध्वस्त करने पर तुले हैं कल बाहरी दीवालें तोड़ने के बाद आज भी आने वाले हैं। इससे लोगों में भारी दहशत एवं भविष्य की असुरक्षा व्याप्त है। जनता में भारी आक्रोश है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल ध्वस्तीकरण कार्यवाही रुकवाने, बिल्डर से भवन मालिकों को रुपया वापस दिलाने तथा सरकार से पीड़ितों का पुनर्वासन कराये जाने की मांग करता हूं।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 फरवरी, 2008 को नियम 311 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री राम सेवक, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमीता सिंह, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अशोक सिंह, श्री शिव बालक पासी, श्री राजा राम त्यागी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिह, चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री माधो पासवान, श्री शिव गणेश लोधी, श्री पंकज मलिक, श्री संजय कपूर एवं श्री विनोद चतुर्वेदी की बुन्देलखण्ड में किसानों के लिये पर्याप्त मात्रा में कृषि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की सरकार द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के आश्वासन के बाद भी अभी तक भुगतान न किये जाने के कारण गन्ना किसानों की हो रही दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की प्रदेश में भयंकर बिजली की किल्लत से हाई स्कूल इण्टर के परीक्षार्थियों, व्यवसायों और किसानों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी तथा डा0 अजय तोमर की बागपत में दिनांक 26 जनवरी, 2008 को अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ मामूली कहासुनी के बाद हाजी इश्तियाक के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा रासुका तामील किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री राजेश यादव, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री मिथिलेश कुमार, श्री जोखू लाल यादव, श्री राम बिशुन आजाद, श्री उदयराज यादव, डा0 पी0 के0 राय तथा डा0 आर0 ए0 उस्मानी की प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान मिल मालिकों द्वारा न किये जाने एवं दिनांक 12 फरवरी, 2008 को किसानों पर लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी और पांचवीं सूचना को एक साथ कर रहा हूं।

बुन्देलखण्ड में किसानों के लिये पर्याप्त मात्रा में कृषि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड वालों में हमारे दल के सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह तय नहीं हुआ था।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने चर्चा नहीं स्वीकार की है। इसलिये ग्राह्यता के सम्बन्ध में सिर्फ सम्बन्धित सदस्यों को ही सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सही कह रहे हैं। मैंने ग्राह्यता पर ही कहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बुन्देलखण्ड वाली में औचित्य वाली सूचना को भी क्लब कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, हुकुम सिंह जी, ओम प्रकाश जी, पहले तय हुआ था कि 311 की सूचनायें आज नहीं ली जायेंगी। मैंने कहा था कि ग्राह्यता पर सुन लिया जायेगा आप सबकी सहमति से। दस-दस पांच-पांच मिनट महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बोलना है तो ग्राह्यता पर कह रहे हैं तो कहने दीजिये। कोई चर्चा नहीं हो रही है हम चर्चा नहीं करा रहे हैं।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के अन्दर अकाल की स्थिति है और इस बात को सरकार स्वीकार भी कर चुकी है। अकाल के कारण बुन्देलखण्ड में ढाई सौ से जयादा मौतें हो चुकी हैं। बुन्देलखण्ड की स्थिति कालाहांडी से भी बदतर है। नहरें सूखी हैं। कुओं में पानी नहीं है, हैण्डपम्प चलाओ तो एक बूंद पानी नहीं निकलता है। पूरे खेत सूखे पड़े हैं। अगर बुन्देलखण्ड के किसी क्षेत्र में चाहे ललितपुर हो, झांसी हो, बांदा हो, उरई हो, महोबा हो, चित्रकूट धाम हो किसी भी क्षेत्र के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। आपकी कोई सूचना नहीं है। जैन साहब को सुन लेने दीजिये।

एक सदस्य-

300 क्लब कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

300 कैसे क्लब हो जायेगा ? 311 की तो क्लब हो सकती है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी नियम 300 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सूबे से सम्बन्धित एक सूचना है। हमारी एक प्रार्थना है उसको उसी के साथ क्लब कर दीजिये जिनके सूचना पर दस्तखत है उन्हीं को सुन लीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय सदस्य अशोक चन्देल वहीं के हैं भुक्त भोगी हैं अगर वह बोलना चाहते हैं तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह तय हुआ था कि बुन्देलखण्ड के बारे में 311 में सुन लेंगे। 300 की सूचना स्थगित हो गई हैं तो क्लब कैसे हो जायेंगी।

श्री अशोक चन्देल-

जो बुन्देलखण्ड के विधायक हैं उनको तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अगर लड़ाई में एक स्वर नहीं बन पा रहा है कि भिन्न-भिन्न लोग बोलेंगे तभी संतुष्ट होंगे। एक कोई माननीय सदस्य बोल लें पांचों लोग बोलेंगे तो नहीं हो पायेगा। (व्यवधान) आप लोग तय कुछ करते हैं और करते कुछ हैं।

श्री अशोक चन्देल-

बुन्देलखण्ड पर आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं बुन्देलखण्ड पर सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष-

बुन्देलखण्ड पर ही सुन रहे हैं। इस तरह हाथ पटकने से नहीं सुनूंगा।

श्री अशोक चन्देल-

अगर नहीं सुनेंगे तो हम विरोध करेंगे। क्यों आप बुन्देलखण्ड पर नहीं सुन रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जिनकी सूचना है उनको आप समय दे दें। विषय भी आप ले रहे हैं। आपकी इतनी उदारता है।

श्री अध्यक्ष-

समय के एडजेस्टमेंट के लिये भी हमने दलीय नेताओं से सिफारिश की थी। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना है। दो सदस्य बोल लें नरेश अग्रवाल जी आप दो सदस्य बता दें। एक यह प्रदीप जैन जी हो जायेंगे और एक विशम्भर प्रसाद निषाद हो जायेंगे।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, मैं बता रहा था ढाई सौ से ज्यादा लोगों ने बुन्देलखण्ड में आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। शासन और सरकार की यह मंशा रहती है कि किसी भी हाल से यह बात प्रदर्शित न हो कि यह मौत भूख से या बेकारी से हुई है। लेकिन अगर आप सारे अखबारों को

देखें सारे क्षेत्रों को देखें तो सारी की सारी मौतें, ढाई सौ मौतें जो हुई हैं यह भूख और बेकारी से हुई हैं आज बुन्देलखण्ड की स्थिति यह है कि भौगोलिक विषमता के कारण नहरें सूख रहीं हैं जमीन के ऊपर पानी नहीं है जमीन के नीचे पानी नहीं है। मान्यवर, कुयें सूखे पड़े हैं, नहरें सूखी पड़ी हैं, कल-कारखाने, उद्योग नहीं हैं, बुन्देलखण्ड के अन्दर 40 फीसदी से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन करने वाले लोग जो अन्य महानगरों में जाते हैं, वे गम्भीरतम् बीमारियां लेकर आ रहे हैं। मान्यवर, केन्द्र से जो पैसा वहां के लिये आ रहा है, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे रसोई योजना, चाहे गेहूं वितरण की योजना हो रोजगार गारण्टी योजना हो, वह अन्तिम गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। मान्यवर, झांसी में जब सरकार की एक रैली हुई थी, उस रैली के दूसरे दिन एक गरीब आदमी की शहर के एक दलित क्षेत्र में भूख के कारण मृत्यु हो गयी। प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, जिस परिवार के अन्दर भुखमरी से एक व्यक्ति ने दम तोड़ा था, उससे लिखवा लिया कि वह 6 माह से बीमार था। मान्यवर, हम राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते लेकिन वहां पर लोग निरन्तर भूख से मर रहे हैं, प्रतिदिन 5 से लेकर 7 आदमी बुन्देलखण्ड में दम तोड़ रहे हैं। वहां के किसी भी स्टेशन पर चले जाइये, बुन्देलखण्ड के लोग अपने घर छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं। उम्मीद थी कि बजट में कोई तात्कालिक या दीर्घकालिक राहत के लिये घोषणा होगी लेकिन दुर्भाग्य से जो पिछली योजनायें थी, जो पैरा मेडिकल कालेज वहां स्वीकृत था, वाहवाही लूटने के लिये पैरा मेडिकल कालेज का नाम बदल कर कांशीराम पैरा मेडिकल कालेज कर दिया गया, जबकि पहले से वह स्वीकृत था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के लोग, जो उद्योग-शून्य है, खेती शून्य है, जल शून्य है, जो मर रहे हैं, भाग रहे हैं, आज आप बुन्देलखण्ड के अन्दर देख रहे हैं, टी0 वी0 और मीडिया में भी आ रहा है कि जमीन फट रही है, हमने हमेशा मांग की है कि जब तक अलग प्रान्त नहीं बन सकता, जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात आप करते हैं, बुन्देलखण्ड के लिये अलग से एक मंत्रालय बना दें क्योंकि आपकी मंशा वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने की होगी लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके बजट के अन्दर इसका कोई प्राविधान नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि आप बुन्देलखण्ड को इस तरह की राहत दिलवा दें कि जो लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, वह नहीं मरें, आत्म-हत्या न करें, पलायन न करें, धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, आप भली-भांति अवगत हैं, जो बुन्देलखण्ड की स्थिति बताई है, बहुत ही भयावह और दयनीय है और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज नल सूखे पड़े हैं, नहरें चल नहीं रही हैं, बांधों में पानी नहीं है, इन स्थितियों और परिस्थितियों में सरकार ने जितनी घोषणायें की हैं, वह सब दीर्घकालिक घोषणायें हैं, त्वरित राहत के लिये कौन से कदम आप उठा

रहे हैं जिससे त्वरित रूप से उनकी भूख मिट सके, पानी मिल सके और उनका जीवन बच सके ? मान्यवर, हम हैण्डपम्प की बात कहना चाहते हैं, जो हैण्डपम्प लग रहे हैं, उसमें भी हमें शासन की तरफ से निर्देश किये जा रहे हैं कि केवल इन बस्तियों में देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, उन पर भी 10 प्रतिशत देना पड़ रहा है, तब सम्बन्धित व्यक्ति के दरवाजे पर जायेगा, फिर लग पायेगा। इन परिस्थितियों में जब सूखा पड़ा है तो शासन को चाहिये कि वह हैण्डपम्प को फ्री कर दे और मांग के अनुसार विधायकों को इसके लिये स्वतंत्र किया जाये कि वह आवश्यकतानुसार जहां चाहें, हैण्डपम्प लगवा सकते हैं। मान्यवर, एक विधायक को दूसरे जिलों के लिये जितने हैण्डपम्प दिये जा रहे हैं, उतने ही बुन्देलखण्ड में रहने वाले विधायकों को भी दिये जा रहे हैं, इसका कोटा 2 से 3 गुना बढ़ाया जाय। मान्यवर, घोषणायें हो रही हैं लेकिन कोई भी राहत सामग्री नहीं जा रही है। मान्यवर, अब ऋण माफी की बात है। मान्यवर, हमारा कहना है कि कर्ज माफ कर दिया जाये तो आपने कहा कि 300 करोड़ रुपये आप बुन्देलखण्ड के लिये दे रहे हैं। लेकिन उसके सापेक्ष सिर्फ 100 करोड़ रुपये रिलीज करेंगे तो उससे क्या होगा। तो मेरा कहना है कि आपको पूरा का पूरा 300 करोड़ रुपये एक साथ देना चाहिए। दूसरा मान्यवर, वहां के अधिकारियों और शासन की मंशा इतनी खराब है कि जब वहां पर महामहिम राज्यपाल दौरे पर गये तो उन्हें दो ऐसे गांव दिखाये गये जो पूरी तरह से पहले से ही विकसित थे उनमें एक आदर्श गांव था और दूसरा अम्बेडकर गांव था और वह जनपद बांदा से 5-7 कि0मी0 दूरी पर थे। वह विकसित गांव थे और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गयी है। उन्हें गुमराह करने और वास्तविक स्थिति से दूर रखने की कोशिश की गयी है। हमारा केवल इतना अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड के लिये त्वरित रूप से कोई राहत योजना बनायी जाये और कर्ज माफ करने की घोषणा की जाये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुन्देलखण्ड के सूखे के विषय में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका धन्यवाद। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय नेता जी ने बुन्देलखण्ड में सूखे की स्थिति की जानकारी हेतु दो समितियां भेजी थी। एक माननीय अहमद हसन जी की अध्यक्षता में और दूसरी हमारी विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री माता प्रसाद जी की अध्यक्षता में समिति वहां पर गयी थी। उन्होंने गांव-गांव देखा। हम तो वहीं के रहने वाले हैं। वहां पर हजारों एकड़ खेत बिना बोये पड़े हैं। किसानों ने जानवरों को छोड़ दिया है। तालाब, कुएं सूखने से पशु मर रहे हैं। किसी ने थोड़ी फसल बो ली है तो उसके लिये पानी नहीं है। मान्यवर, पूरी तरह से महामारी होने की आशंका वहां पर है क्योंकि न तो वहां पर कुएं में, न तालाब में पानी है और न पीने के लिये शुद्ध पानी है। बुन्देलखण्ड में बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। कर्ज के बोझ से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मान्यवर, जो किसान कर्ज लिये थे उनकी

वसूली बैंकों द्वारा की जा रही है जबकि वसूली रोक दी गयी है तथा साहूकार का जो कर्ज किसानों ने ले रखा है तो वह साहूकार उस कर्ज से भी धन वसूल कर रहे हैं। मान्यवर, मानिकपुर ब्लाक में दो भाई 15-15 दिन के अन्तर में भूख से मर गये वहां पर तहसीलदार या एस0डी0एम0 तक देखने नहीं गये। इतनी विषम स्थिति है। वहां के अधिकारी केवल मीटिंग्स में व्यस्त रहते हैं। न तो खाने का तथा पीने के पानी का इंतजाम है न ही पशुओं के चारे का और जो हैण्डपम्प लगाये भी जा रहे हैं वह 60-80 फीट पर लगाकर छोड़ दे रहे हैं। ठेकेदार केवल अपने बजट लेने के लिये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो चेक वितरण किया जा रहा है उसमें जो 100-200 दे देता है तो उसका भुगतान कर दिया जाता है नहीं तो नहीं किया जाता है। कोई चेक भुगतान भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो विकास कार्य मशीनों से कराये जा रहे हैं, चाहे सड़कों का काम किया गया या खनन विभाग का जो काम किया गया सब मशीनों से हो रहा है। मान्यवर, जिस काम को मजदूर कर सकते हैं उसको मजदूरों से कराया जाये लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर बड़े-बड़े ठेकेदार पहुंच गये हैं, बड़ी-बड़ी कम्पनियां पहुंच गयी हैं। वहां का मजदूर लाखों की तादात में पलायन कर रहा है। वहां पर यमुना नदी है तो यमुना नदी में तटबंध बनाकर गंगा नहर की तरह एक नहर बना दी जानी चाहिए। साथ ही सूखा पीड़ित बड़े किसानों की तरफ भी व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर तो खाने के लिये भी इंतजाम नहीं है तो वहां पर अगली फसल आने तक खाने का तथा पीने का पानी का इंतजाम किया जाय और खेती के लिये खाद और बीज दिये जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तय हुआ था कि एक विषय पर केवल दो ही लोग बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें। बात आ गयी है।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमें कुछ नहीं मिला तो सरकार को निर्देश दे दें कि वहां पर हर गांव में कफन उपलब्ध करा दें।

श्री लालजी वर्मा-

यह कांग्रेस का काम है।

* श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि साढ़े तीन साल पहले यहां पर सूखा नहीं था, हरियाली थी। अभी अध्ययन दल गया, मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूं उन्होंने चाहे देर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याद किया कि बुन्देलखण्ड में सूखा भी है। हजारों मौतें वहां पर हो चुकी हैं। वहां हाल यह है कि अगर औरत मरती है तो उसे बदचलन कहा जाता है और आदमी मरता है तो उसे बीमार बता दिया जाता है। कोई आदमी जाने को तैयार नहीं है। कृष्ण कुमार की मौत हुई, उसके ऊपर कर्ज है। उसने भारत के प्रधान मंत्री को पत्र भेजा है, यहां उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है आज से आठ महीने पहले कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब वह मर गया तो वहां पर दस किलो चावल और पन्द्रह किलो गेहूं भेजा जाता है। माननीय हमारे नसीम भाई गये थे, मैं उनकी मीटिंग में गया था स्वयं वहां पर। कुछ अधिकारी गलत आंकड़े पेश कर रहे थे तो मैंने आपके माध्यम से कहा था कि आप उनसे पूछिये। मैंने उनसे पूछा कि मैं चारागाह देखना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि कोई चारागाह नहीं है केवल दो कैम्प बनाये हैं। हमारे साथ मजाक हो रहा है। ठीक है हम अल्पमत में हैं और आप पक्ष में हैं, सत्ता में हैं लेकिन एक चीज समझ लें कि आज किसी की हैसियत नहीं है आप लोगों की, या अध्ययन दल भेज दीजिये या बुन्देलखण्ड के अन्दर सभा कर लीजिये। आपने जो बुन्देलखण्ड के साथ किया है वह आपने भोगा है और जो आप करेंगे वह भी आप भोगेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरे हमारी नोटिस है यह ओम प्रकाश जी कहां से आ गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, मैं दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वह जिन सदस्यों को राज्यपाल के अभिभाषण पर बुलवाना चाहते हैं उनके नामों की सूची हमें दे दें। मैं उन सदस्यों को बुलवा लूंगा।

श्री ओम प्रकश सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एक हजार का चेक दे रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है उसे रोकने का काम करें। दीर्घकालिक योजनाओं की घोषणा की है लेकिन आज तत्काल राहत की आवश्यकता है। पशु मर रहे हैं, आगे मरेंगे उनके चारे के कैम्प ब्लाक और तहसील पर बनवा दें। लोग अपना पशु वहां डाल जायें और उन्हें मुफ्त चारा मिले। मान्यवर, इसके अतिरिक्त साहूकार के कर्जे से कैसे बचे यह देख लें क्योंकि कर्ज से किसान आत्महत्या कर रहा है। इस पर शासन विचार कर लें यहीं तत्काल आवश्यकता है।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आपकी तरफ से दो लोग बोल चुके हैं। बात आ गयी है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपको पता है मैं बोलता नहीं हूं केवल सुझाव देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव तो आप बोलकर ही देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सिर्फ सुझाव ही दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रतिनिधि मण्डल श्री दिग्विजय सिंह के साथ और मैं स्वयं शरद पवार जी से मिला था। उन्होंने जो बात कही है मैं बहुत गम्भीरता से और आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक बुन्देलखण्ड के बारे में, यह बात मैं चार दिन पहले की बता रहा हूं, पैकेज की मांग केन्द्रीय कृषि मंत्री को नहीं मिली है। अगर आपने कृषि मंत्री को दी है तो उस कापी को और उसकी तारीख दोनों को बता दीजिएगा। शरद पवार जी से मैं और दिग्विजय सिंह जी मैं बता रहा हूं मिला था, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी मान्यवर, मेमोरेण्डम या कोई भी मांग कृषि मंत्रालय भारत सरकार को नहीं प्राप्त हुई, अगर हुई हो तो उसकी प्रतिलिपि सदन में उपलब्ध करा दें और एक मुझे दे दें। मैं भी कम से कम कह सकूं कि यह देखिये मांगा गया है।

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, सम्भवतः 21 सौ कुछ करोड़ रुपये की धनराशि है, उस पैकेज का हमने वहां प्रस्ताव भेजा है, उसकी कापी मैं माननीय तिवारी जी को आपके माध्यम से उपलब्ध कराये देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं फिर कह दूं, उन्होंनें जिक्र भी किया था कि कृषि मंत्री जी किसी सम्मेलन में आये थे और वह मुंह जबानी कह रहे थे लिखित नहीं दे गये हैं उन्होंने नाम भी लिया था चौ0 लक्ष्मी नारायण जी का, कि वह आये थे, लेकिन लिखित में नहीं दे गये हैं।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय तिवारी जी मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपको एक प्रति माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप उसको अभी हमें दे दें और मैं फिर कहना चाह रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय तिवारी जी, कितना असत्य बोलेंगें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मैं एक बात का जवाब और चाहता हूं मान्यवर, कृषि बीमा योजना लागू है, कृषि बीमा योजना तब लागू होती है जब ताल्लुका या एक इलाके में पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाये तो पूरे गांव को मिलती है। बुन्देलखण्ड में सिर्फ एक गांव ही नहीं मान्यवर, ताल्लुका ही नहीं, पूरे के पूरे जिले तबाह हो गये हैं तो यह कृषि बीमा योजना के अर्न्तगत आता है और आज तक कृषि बीमा योजना से एक पैसा भी बुन्देलखण्ड को नहीं गया है। कारण, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो अपना हिस्सा जमा करना था, प्रीमियम के रूप में वह आज तक नहीं जमा हुआ है। जमा हुआ हो तो उसकी रसीद आपको दिखा दो और उसकी एक कापी मुझे दे दों। मान्यवर, करोड़ों रुपये जो बीमा कम्पनी से मिल सकता है सिर्फ लापरवाही से नहीं मिला है, इसलिए कि जो प्रदेश सरकार को अपना अंश जमा करना था, वह प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। मैं तो सिर्फ सुझाव के रूप में सत्यता रख रहा हूं और मुझे बता दें कि कब जमा किया है प्रीमियम उसकी भी तारीख बता दें। तीसरी बात मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि एक हजार लोग तो मर गये हैं, मान्यवर, जब तक आपका राहत कार्य पहुंचेगा, किसने आत्महत्या की, कौन कैसे मरा, यह किसी से छिपा नहीं है मान्यवर, कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, लम्बी कहानी है, तत्काल इसको प्रारम्भ करना चाहिए और बुन्देलखण्ड का एक ही इलाज है मान्यवर, वहां की समस्या जो हैं वह इस तरह की है कि जब तक उसको एक अलग राज्य का बिल आप इस सदन में नहीं लायेंगें तब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा इसलिए उसे लायें तब तक तात्कालिक राहत के तौर पर एक मेमोरेण्डम कृषि मंत्री जी को दे दें और जो दिया है वह मुझे भी दे दें, मैं ले जा कर उनको दे दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ा है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने जिक्र में इस बात का इशारा किया कि केवल एक साल से नहीं, विगत तीन, साढ़े तीन वर्ष से सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन मान्यवर, तीन, साढ़े तीन वर्ष से जब सूखा पड़ा तो माननीय विश्वम्भर निषाद जी उस समय इधर बैठा करते थे और मंत्री भी थे, तब इनको बुन्देलखण्ड का सूखा नजर नहीं आया। मान्यवर, केवल एक जिले को छोड़कर,

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज इनको बुन्देलखण्ड की जनता से कोई वास्ता नहीं है,

श्री अध्यक्ष-

जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप लोग शान्त हो कर उनकी बात को सुनें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बात ठीक नहीं है। मान्यवर, जब इन लोगों को अवसर मिला तब तो वहां कुछ किया नहीं और आज जब हमारी सरकार बनी, हमने इस तथ्य को स्वीकार किया कि बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ा है और उसी के चलते मान्यवर, 12-09-2007 को समस्त बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। मान्यवर, हमने केवल सूखाग्रस्त ही घोषित नहीं किया है। बल्कि जो अन्य राहत की कार्यवाही की हैं, उनका विवरण मैं बता देता हूं। आप लोग कृपया सुन लें। सूखाग्रस्त घोषित जनपदों के जिलाधिकारियों को सूखे से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु रु0 07-07 करोड़ उनके निवर्तन पर रखने के आदेश दिये गये।

बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जनपदों के कृषकों को रु0 13385.51 लाख का कृषि निवेश अनुदान वितरित किया गया है।

सूखाग्रस्त जनपदों में विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में पेयजल की समस्या तथा बीमारियों की रोकथाम तथा पशुओं के चारे तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गयी है:--

क्र0 सं0	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	जल निगम	7896.89 लाख
2	सिंचाई विभाग (राजकीय नलकूपों की मरम्मत)	645.40 लाख
3	सिंचाई विभाग (पम्प नहर की मरम्मत)	1152.10 लाख
4	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (उर्जीकरण हेतु)	5641.42 लाख
5	स्वास्थ्य विभाग	1182.68 लाख
6	लघु सिंचाई (कूपों को गहरा करने हेतु)	752.86 लाख
7	पशुधन विभाग	1286.93 लाख
8	रिमोट सेंसिंग (भूगर्भ जल का पता लगाने हेतु)	52.65 लाख
	योग:--	18610.93 लाख

भूगर्भ जल स्तर का पता लगाने के लिये रिमोट सेन्सिंग से सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा हैण्डपम्पों के रिबोर तथा मरम्मत तथा नये हैण्डपम्प लगाने एवं ब्लास्टिंग द्वारा कुओं को गहरा करने के कार्यों की समीक्षा शासन स्तर के सम्बन्धित विभागों द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में समाचार पत्रों में छप रही गरीब किसानों की कर्ज व भूख से हो रही मौतों की खबरों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से नियमित रूप से आख्या प्राप्त की जाती है। अभी तक कर्ज एवं भूख से किसी भी कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है तथापि मा0 सदस्यगणों द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित व्यक्तियों की आत्महत्या के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिये विभिन्न योजनाओं विशेषकर नरेगा के अर्न्तगत प्रत्येक ग्राम में एक कार्य अवश्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा नरेगा के अर्न्तगत कार्य करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 100/- रु0 की दर से मजदूरी अनुमन्य की गयी है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि रोजगार चाहने वाले लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है तथा कोई पलायन नहीं हो रहा है। असहाय एवं निराश्रित जिनका कोई सामाजिक सहारा नहीं है, ऐसे लोगों की भुखमरी की समस्या के निवारण हेतु सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करके ऐसे व्यक्तियों को पके-पकाये भोजन की सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखाग्रस्त जनपदों में राहत कार्यों के संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 12-12-2007 द्वारा खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गयी है, जिसके अर्न्तगत प्रत्येक ग्राम में एक कुन्तल गेहूं एवं एक कुन्तल चावल का भण्डार आरक्षित कर आवश्यकतानुसार निराश्रित/असहाय व्यक्तियों को 15 किलोग्राम प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी की गयी है। इसके अतिरिक्त सूखे से प्रभावित जनपदों में पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम/देखभाल तथा पशु कैम्प लगाकर उनके चारे-भूसे एवं पानी की व्यवस्था हेतु रु0 1286.93 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

इतना ही नहीं बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के सूखाग्रस्त जनपदों में सूखे के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विभिन्न विभागों की मांगों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार रु0 7016.00 करोड़ का सूखा राहत पैकेज भारत सरकार को भेजा गया है तथा रु0 2797.00 करोड़ का एक ऋण राहत पैकेज भी भारत सरकार को भेजा गया है, जिसके अर्न्तगत पूर्व में लिये गये ऋणों पर ब्याज की माफी, कतिपय दशाओं में ऋण की माफी तथा भविष्य में लिये जाने वाले ऋण के ब्याज पर चार प्रतिशत की दर से सब्सिडी एवं नाबार्ड सहायतित स्कीमों में सुनिश्चित सब्सिडी की आदि की व्यवस्था हेतु मांग की गई है।

(व्यवधान)

(श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा यह कहे जाने पर कि ''मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विवरण दिया है वह सब गलत है। वहां की जनता तत्काल राहत चाहती है।'')

श्री अध्यक्ष-

पहले आप लोग उनकी पूरी बात सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बुन्देलखण्ड का शोषण किया है। मान्यवर, यह पहली सरकार है कि जिसने बुन्देलखण्ड के लिये कुछ करने का काम किया है।

मान्यवर, इनके दल की एक जांच कमेटी वहां गयी थी बांदा जनपद के पड़वी गांव में, वहां हर जाति के लोगों ने इनकी कमेटी को वहां से खदेड़ दिया और उनसे कहा कि आपकी यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा हम लोगों के कल्याण के लिये हर तरह का कार्य किया जा रहा है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, अब आप लोग वहां जब वोट मांगने के लिये जायेंगे तो पता चल जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात पूरी हो जाने दें।

उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सूखाग्रस्त 09 जनपदों में सूखा राहत कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी राहत के पद सृजित कर अधिकारियों की तैनाती की गयी है तथा प्रत्येक जनपद में चलाये जा रहे सूखा राहत कार्यो का निरीक्षण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को भी नामित किया गया है तथा मुख्य सचिव द्वारा सूखा राहत कार्यों की प्रायः प्रत्येक मंगलवार को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाती है, इतना ही नहीं मुख्य सचिव एवं राहत आयुक्त स्वयं सूखाग्रस्त जनपदों का समय-समय निरीक्षण, दौरा कर रहे हैं। इससे सिद्ध है कि सरकार सूखा पीड़ितों के प्रति बेहद संवेदनशील है।

इसके अतिरिक्त मंत्रि-मंडल के एक वरिष्ठ साथी माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी जिम्मेदारी दी गयी है और वह बुनदेलखण्ड मण्डल के हैं और जब इनके सभी विधायक अलग से मंत्री जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि ऐसा इंतजाम

आज तक कभी देखने को नहीं मिला था। इतना ही नहीं अभी जैन साहब, प्रमोद तिवारी जी और विवेक सिंह जी मान्यवर, किस बात का रोना रो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के पास हमने मेमोरण्डम भेजा उसके बाद भी केन्द्र की सरकार ने कोई कार्यवाही आज तक करने का काम नहीं किया है और केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के चलते ही विदर्भ में लोगों की मृत्यु हो रही है। प्रमोद तिवारी जी पहले उनको देखने का काम करिये।

(संसदीय कार्य मंत्री के कथन से असन्तुष्ट होकर श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव आदि समाजवादी पार्टी के सदस्य 'ऐसे नहीं चलेगा' कहते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज बुन्देलखण्ड की जनता ने 29 जनवरी को झांसी में इस बात का सबूत प्रदर्शित करने का काम किया जब लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी में विश्वास व्यक्त करने का काम किया। मान्यवर, यह विश्वास यह साबित करता है कि यह सरकार बुन्देलखण्ड के लिए बड़ी योजनायें लेकर आई है। आज वहां पर बांदा में मेडिकल कालेज की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पालीटेक्निक कालेज की स्थापना यह बुन्देलखण्ड के लिए है और इसके साथ ही साथ वहां के किसानों को जो कर्जा का ब्याज है उसको माफ करने की व्यवस्था हमने बजट में करने का काम किया है। मान्यवर, जब वहां की जनता इनको भगा रही है गांव-गांव से तब यहां आकर यह नाटक करने का काम कर रहे हैं। वहां की जनता आज इस बात के लिए बहुजन समाज पार्टी की और इस सरकार की वाहवाही कर रही है कि जिस तरह से सूखाग्रस्त क्षेत्रों से निपटने के लिए इस सरकार ने व्यवस्था की है। बहन मायावती जी ने स्वयं जाकर इस काम को देखने का काम किया है और उनके नेतृत्व में बुन्देलखण्ड के पूरे विकास की कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, जहां तक बुन्देलखण्ड के विभाजन का सवाल है, अलग राज्य बनाने का सवाल है। मान्यवर, उसके लिए माननीय प्रमोद तिवारी जी केन्द्र में आपकी सरकार है। संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार वहां पर प्रस्ताव लायेगी और उसके बाद जब हमसे अपेक्षा करेगी तब हम उसको विधान सभा से पास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार जिस दिन प्रस्ताव भेज देगी उत्तर प्रदेश से उसी दिन पास कर दिया जायेगा।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका नहीं है, आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके बाद भी जब इनके पास कुछ रह नहीं गया तो आकर सदन को अव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। आज इनके पास बुन्देलखण्ड के लिए कुछ है नहीं। मान्यवर, ग्राम्य विकास मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि बुन्देलखण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ढाई-ढाई सौ अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इस तरह से बुन्देलखण्ड की जनता के हितों को ध्यान में रखने का जिम्मा स्वयं मुख्य मंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है। हमारा प्रयास है कि भूखे और सूखे के कारण कोई भी व्यक्ति मरने न पाये। इस बात के लिए यह सरकार तत्पर है, कार्य कर रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

बुन्देलखण्ड में लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार का मेमोरेन्डम तक केन्द्र सरकार को नहीं गया है, इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये।)

(समाजवादी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर धरना देकर बैठ गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, यह दैवी आपदा है और इस दैवी आपदा से हम सब लोग मिलकर कोई रास्ता निकालें और ज्यादा से ज्यादा मदद करें। लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे समय पर ऐसा भाषण नहीं दिया जाता है और यह कह देना कि अभी तक कोई रिपोर्ट आत्महत्या की नहीं है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हम सहयोग करने को तैयार हैं, ऐसे समय में सबसे अपील की जाती है सब लोग बैठकर इसका समाधान दें वहां के भी विधायक बैठे हैं। लेकिन यह कहना, कि बुन्देलखण्ड का बंटवारा हो जाय तो क्या आप इसे नक्सलाइट को सुपुर्द करना चाहते हो। आज झारखण्ड की हालत क्या है, छत्तीसगढ़ की हालत क्या है और थोड़े दिन में देखना उत्तराखण्ड की हालत क्या होगी ? वहां माओवादी थोड़ा-थोड़ा अपने ठिकाने बना रहे हैं। इस समय पूरे देश की एकता को खतरा है इसलिये हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन आपका यह पूर्वांचल बन जायेगा, उस दिन पता चल जायेगा कि झारखण्ड से लेकर, आन्ध्रा होते हुये सब एक हो गये हैं। मेरा मानना है कि जितना छोटा सूबा होगा, उसकी उतनी ही ढीली पकड़ होती है और बड़े सूबे की पकड़ मजबूत होती है इसलिये हम इसका विरोध करते हैं कि बंटवारा नहीं होना चाहिये लेकिन आप इस तरह से, कि जहां दैवी आपदा है उस पर

चाहे आप हों चाहे यह हों, यह बंटवारे का मामला कहां से आ गया ? आज तो सवाल इस बात का है कि हम क्या-क्या करें, हमारे विधायक क्या करें आप ऐसी रिपोर्ट मांगें। लेकिन आप ऐसा भाषण दे रहे हैं कि साढ़े तीन साल में कुछ पता नहीं लगा। हमने तो साढ़े तीन साल में इतना काम दिया था एक भी मजदूर और गरीब खाली नहीं था, सबको काम मिला हुआ था, इसलिए कोई भूख के कारण नहीं मरे थे। इतनी सड़कें, इतने पुल और इतने तालाब, इसमें सब लगा दिया था अध्यक्ष महोदय। आप जरा देखा करो, ऐसा भाषण संसदीय कार्य मंत्री नहीं दे सकता, न ही कोई मंत्री दे सकता है। यह कह देते कि हां सूखा है, मौतें हो रही हैं इसलिए ऐसे समय में सहयोग की अपील की जाती है। इसमें भी कहीं आलोचना या समालोचना होती है। भावनायें सबकी हैं और वहां बुरी हालत है। ऐसी स्थिति में आप बुन्देलखण्ड के बंटवारे की बात कहकर बच जायेंगे और यह कहना कि वहां आत्महत्या नहीं हुयी, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। यह पूरा हिन्दुस्तान जानता है आपकी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, केन्द्रीय सरकार के लोग भी गये, हमारे भी गये, आप सर्वदलीय समिति भेजिये और हम पूरा सहयोग करेंगे। हम तो कोशिश यहां तक करेंगे कि हमारे जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, जो विधान सभा द्वारा चुने गये हैं, उनको कुछ राहत दी जाय हम लोगों ने अपनी तनख्वाह से 10-10 हजार रुपया मुसीबत में देने के लिये दिया है उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बी0एस0पी0 या बी0जे0पी0 का सवाल नहीं है। यह दैवी आपदा है और इस दैवी आपदा में हम सबको मिल करके सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये। लेकिन यह भाषण देना, कि साढ़े तीन साल कहां गये थे, चार साल कहां गये थे और बंटवारा का मैं समर्थन करता हूं, वह बंटवारा कह करके चले गये। चौपट कर दिया है जिन लोगों ने झारखण्ड, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ बनवाया। आज कितने लोग वहां मारे जा रहे हैं। पूरा नक्सलाइट का वहां एका हो गया है और जब आन्ध्रा के लोगों ने कहा, माओवादियों ने कहा कि हमारे नेतृत्व में काम करो और मौज करो तो इन नेता ने मना कर दिया कि हम नहीं कहेंगे। आप कोई गम्भीर घटना कर दोगे। तो उसके बाद उन्होंने गम्भीर घटना कर दी जिसमें 15 पी0ए0सी0 के जवान मारे गये। उसके बाद मैं आज भी कहना चाहता हूं और मैंने तब भी कहा था सदन में, कि यह नक्सलाइट एक सिद्धान्त है कि गरीबी से जघन्य जो मुसीबतें हैं, उनको उकसा कर यह अपने साथ लेते हैं तो उसका विकल्प हमको आपको मिलकर देना है कि नक्सलाइट न आने पायें। बंटवारा कर दो पता चल जायेगा, देखिये माओवादी आपके पूर्वांचल में कितने घुसे हैं, वह कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी पकड़ मजबूत है, यह विशाल प्रदेश है, हम उन्हें कामयाब नहीं होनें देंगे। इसलिए मान्यवर, इस तरह के भाषण बहुत अशोभनीय हैं और हम लोगों को शर्म लगेगी कि जहां दैवी आपदा हो वहां पर इस तरह के मुद्दे न उठाये जायें। बुन्देलखण्ड के विधायक हैं, आप 10-10 हजार रुपये जो तनख्वाह से दे रहे

हो और 5 लाख रुपये उसके लिए दिये हैं जो शहीद हुए हैं। चाहे वह मुकेश हो, हीरो हो, चाहे रणविजय सिंह यादव हो। मुसीबत में हम उनके परिवार के साथ हैं। हीरो के पास तो घर ही नहीं है, वास्तव में वह लड़का हीरो ही था, कोई घर नहीं है, उसका बाप सब्जी बेच करके पेट भरता है। इस प्रकार से जो मर रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति पूरे सदन की होनी चाहिए यह मेरी राय है। हम सहायता के लिए तैयार हैं, हम अपने विधान परिषद् के सदस्यों को भी बुलायेंगे और उनसे भी कहेंगे कि सहायता आप भी दें। अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझा दें, ऐसे मौके पर ऐसे भाषण नहीं दिये जाते हैं बल्कि अपील की जाती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मुद्दे उठाये थे कि सरकार ने क्या-क्या किया ? केवल यही बातें मैंने उसमें रखने का काम किया अब अगर सरकार ने जो-जो किया है उसे भी सदन में न रखे तो क्या यह उचित होगा। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि सदन में जो हमने सूचना प्राप्त की है और जो जिलों से सूचना आई है, उसके अनुसार मैंने जवाब दिया है। सरकार ने जो काम किया है, उसके अनुसार हमने जवाब दिया है। हमने जो किया है अगर हम वही सदन में न रखें तो यह कहां से उचित होगा। अगर उसको भी यह नहीं सुनना चाहते हैं तो कैसे काम चलेगा। यह स्वयं भी जानते हैं कि इसी का परिणाम है यह, मा0 चन्देल सिंह वगैरह भी जाते हैं और जब यह लोग मा0 सिद्दीकी साहब से अलग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सरकार बहुत कर रही है। मान्यवर, अब बचा क्या, अगर हम कुछ कहें ही न तो कैसे काम चलेगा। हम यह मानते हैं कि यह दैवीय आपदा है, हम इसमें सहयोग चाहते हैं और अगर इस आपदा से निपटने में कोई कमी रह गई हो, कहीं शासन का अनुदान मिलने में कोई शिकायत है तो उसे बताइये, हम उसके हिसाब से कार्यवाही करने का काम करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकट को हल करने का समय है, इसलिए अगर आप ही सर्वदलीय बैठक कर लें तो सभी को संतुष्टि भी हो जाये। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सभी लोग चलें अपने-अपने आसन पर बैठ जायें, यह दैवीय आपदा है इसमें सभी लोग सहयोग करें और सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, इसके लिए सुझाव दें, उस पर विचार-विमर्श करें।

(नेता विरोधी दल के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही है और सीधे-सीधे मेरा उससे सम्बन्ध है इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपने कहा कि एक समिति गई, तो मान्यवर, मैं उस समिति का सदस्य था, प्रत्येक गांव में जहां हम लोग गये लोगों ने अपनी पीड़ायें बतायीं, सरकार अगर इस प्रकार का रवैया अख्तियार करना चाहती है तो यह शर्मनाक है और आपने कहा कि कार्यवाही करेंगे तो मान्यवर, शिकायत की गई कि जो आपने राहत वितरण के चेक दिये हैं, उन चेकों को ले जाने पर बैंक में दलाली ली जाती है और आप कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है। मान्यवर, इस प्रकार का जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी न दें।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, अपनी सूचना पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। अब मैं इसका निस्तारण कर रहा हूं। इस सूचना पर श्री नरेश अग्रवाल साहब, मा0 चौधरी साहब, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 प्रमोद तिवारी जी व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना मैं अग्राह्य करता हूं।

सरकार द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के आश्वासन के बाद भी अभी तक भुगतान न किये जाने के कारण गन्ना किसानों की हो रही दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

अगली सुचना श्री हुकुम सिंह जी व अन्य मा0 सदस्यों की हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, लगभग 42 लाख परिवार उत्तर प्रदेश में हैं जो गन्ने की खेती पर निर्भर हैं और इसमें से 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास गन्ने की पैदावार की आमदनी के अलावा उनके पास कोई साधन या अन्य आय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उन परिवारों को 2006-2007 का जो पेराई सत्र था उसका भी भुगतान न हो यह भी असमंजस की स्थिति हो कि भुगतान किस दर पर होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह परिवार कैसे गुजारा कर रहे होंगें ? किसान का अपना खर्च, बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उन बच्चों की शिक्षा का खर्च, व्याह-शादी करनी हो उसका खर्च। साल भर तक उस परिवार ने अपना गुजारा कैसे किया है उसकी कल्पना कोई कर सकता है क्या ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर कर सकते हैं तो सार्थक प्रयास होना चाहिए कि भुगतान हो जाए। आज असमंजस की स्थिति बन रही है। माननीय मंत्री जी को पता होगा कि जून, 2007 में कार्य-स्थगन के माध्यम से मैंने प्रश्न उठाया था और यह मांग की थी कि मय ब्याज के 31 जुलाई, 2007 तक भुगतान करिये, आपने कहा था कि 31 जुलाई तक तो नहीं लेकिन मय ब्याज के 31 अगस्त, 2007 तक यह भुगतान हो जायेगा।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता जी, अच्छा लगा कि आप वहां बैठ करके मुस्कुराये तो सही। मान्यवर, इस मुस्कान के साथ कुछ गंभीरता चाहता हूं और इस बारे में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग भी चाहता हूं। यह प्रश्न वास्तव में करोड़ों लोगों के जन-जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज वह परिवार प्रभावित है ही, समस्त उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जून, 2007 में जब सवाल उठाया उस समय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन इस सदन के सामने दिया कि 31 अगस्त, 2008 को पूरा का पूरा भुगतान कर दिया जायेगा। आखिर उस आश्वासन की कुछ सीमा होगी, इस पर विचार भी किया गया होगा ? उसके बाद सत्र आया, हर सत्र में पूरी गंभीरता के साथ सवाल को उठाया जाता रहा लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा, उन आश्वासनों का पालन नहीं हुआ। कारण क्या रहे होंगें, यह तो आप जानें ? कारण यह रहा कि जितना दबाव देना चाहिए, जितना सकारात्मक काम होना चाहिए उतना दबाव नहीं बन पाया। अब मैं चाहता हूं कि इस बारे में भुगतान तो हुआ ही नहीं, भुगतान के साथ-साथ गन्ने का मूल्य दर, अब भुगतान हो तो किस दर पर हो यह भी प्रश्न पैदा हो गया। वर्ष 2006-2007 के बारे में जिस वक्त सरकार ने घोषणा की थी 125-130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जायेगा और वर्तमान सरकार ने उस दर में संशोधन नहीं किया फिर उस दर से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, मिल वालों को क्या अधिकार था उसे न मानने का ? उत्तर आ सकता है कि मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश था। तो पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी समझ में यह नहीं आया कि किस आधार पर कौन से फैक्ट उनके सामने आ गये थे कि एकतरफा निर्णय दे दिया कि 110 रुपए प्रति कुंतल का भुगतान होगा। वह कह सकते थे 80 रुपए में होगा, 140 रुपए में होगा यह 110 रुपए की इकोनामी कहां से ले आए। वहां पर सरकारी वकील खड़ा होगा वह क्या कर रहा था उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भी होंगे गन्ना आयुक्त भी होंगे उन्होंने कोई तथ्य नहीं रखे। आज क्या हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया और उस पर अपनी टिप्पणी भी की कि उच्च न्यायालय का यह आदेश तर्क संगत नहीं है यह भी कहा कि किस आधार पर यह 110 रुपये कर दिया गया यह समझ से परे बात है। उस आदेश के स्थगन के बाद जो राज्य सरकार का घोषित मूल्य 125-130 रुपए प्रति कुंतल का था वह लागू हो गया लेकिन सरकार का आदेश लागू होने के बाद आज भी पर्चियों पर 110 रुपए का मूल्य डाला जा रहा है यह सर्वोच्च न्यायालय की

अवमानना तो है ही सदन का भी मजाक है और सरकार का भी मजाक है। मैं पूछना चाहता हूं कि 110 रुपए का मूल्य किस आधार पर डाला जा रहा और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 125-130 रुपए प्रति कुंतल पर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने धनराशि बताई थी कि इतने करोड़ रुपये बाकी हैं यह बकाया वर्ष 2006-2007 का है। वर्ष 2007-2008 का पेराई सत्र समाप्ति की ओर है फरवरी का महीना आ गया है दो महीने बाद पेराई सत्र समाप्त हो जाएगा लेकिन इसके पहले वाले सत्र का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। आपने वर्तमान पेराई सत्र का मूल्य घोषित किया मुख्य मंत्री जी ने पत्रकारों के समक्ष और आपने यहां इस सदन के समक्ष आकर जहां तक मुझे स्मरण है रिकार्ड में है 125 रुपए व 130 रुपए का भाव घोषित किया उन आदेशों के खिलाफ कोई स्टे नहीं है आपकी घोषणा वर्तमान में मौजूद है उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर भुगतान बैंक में क्यों नहीं जा रहा है। मंत्री जी कह देते हैं कि जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं जिलाधिकारियों के आदेश का हम क्या करें, गरीब किसान क्या करे उन आदेशों को लेकर हम खाद की दुकान पर राशन की दुकान पर चले जाएं और सौदा करें हम उनसे कह दें कि यह जिलाधिकारी के आदेश हैं। जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है उन पर तो ब्याज चढ़ रहा है किसानों के ट्रैक्टर खड़े किये जा रहे हैं, उनके खिलाफ आर0सी0 जारी की जा रही है और किसानों को 14-14 दिन के लिए हवालात में बन्द किया जा रहा है। इससे ज्यादा दुःखद बात क्या हो सकती है। तहसीलदार और जिलाधिकारियों को कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए कि जिन किसानों का मिलों पर पैसा बकाया है उनको हवालात में नहीं बन्द करना चाहिए। एक सरकार थी मैं भी उसमें मंत्री था जिसने आदेश किया था कि जब तक किसान के एक-एक पैसे का भुगतान नहीं हो जाएगा कोई भी विभाग उससे पैसा नहीं मांगेगा। बिजली विभाग जिस तरह से बिल ला-लाकर चस्पा कर रहा है और रिकवरी भेज रहा है। किसानों के पास तो अब देने के लिये है नहीं।.कहां से दें ? भुगतान न पहले का है न अब का है। यह आपने आंकड़े बता दिये कि 11 हजार करोड़ का भुगतान हमने कर दिया। आप बतायें कि 11 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कितने किसानों को कर दिया और किस दर पर कर दिया ? आप सोचते हैं कि 80 रुपये की दर से भुगतान कर दिया तो हो गया। 80-85 रुपये की दर से भुगतान करके आप सन्तुष्ट हो गये। उसे 80-85 रुपये के हिसाब से तो उसकी डीजल का खर्चा भी नहीं निकलता जो उसने खरीद कर अपने गन्ने की फसल की परवरिश की। मान्यवर, सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक इकाई है, एक यूनिट है और जो भी मिल वाले हैं यहां पर वो उत्तर प्रदेश में जो कानून है नियम है, शुगर केन ऐक्ट भी है उसके तहत वो काम करते हैं। गर काम करते हैं, तो फिर मिल मालिक का विवेक कैसे काम कर रहा है। एक मिल वाला 110 रुपये के रेट दे रहा है और दूसरा 80 रुपये के हिसाब से दे रहे है और पूर्वांचल की तो कुछ मिलों की मेरी जानकारी है कि मिल मालिक 70-75 रुपये का रेट दे रहे हैं। तो क्या यह गन्ना कानून का उल्लंघन नहीं है। अगर यह

गन्ना कानून का उल्लंघन है तो उनके खिलाफ कार्यवाही एक जनरल मैनेजर को जेल भेजकर के नहीं होती। उनके खिलाफ कार्यवाही तो उनको जेल भेज कर होती है। मान्यवर, निश्चित रूप से कब तक इसके ऊपर कब तक कोई शान्त बैठा रहेगा। आन्दोलन और खून खराबा भी होना है लेकिन जब अपनी जिन्दगी का सवाल आ जायेगा, अपने जीवन का प्रश्न आ जायेगा तो यह भी होगा। मान्यवर, इसके साथ-साथ समस्या और भी खड़ी है और बहुत विकट समस्या है। हमारी इस मजबूरी का इतना नाजायज फायदा उठाया जा रहा है मान्यवर, वह इससे सिद्ध है। अपवाद छोड़कर उत्तर प्रदेश में कोई आज मिल ऐसा नहीं उसका क्रय केन्द्र ऐसा नहीं जहां घटतौली न हो रही हो। पहले किसान आवाज उठाता था अपनी। एस0डी0एम0 भी जाते थे, कुछ विधायक को भी अधिकार दिये जाते थे और आज उस विवशता का कि मेरे खेत में गन्ना खड़ा है मेरे पास कोई रास्ता नहीं मैं अकेले ले जा नहीं सकता उसको। कोल्हू में कोई दाम नहीं उसके। उसका फायदा उठा करके बीस-बीस प्रतिशत की घटतौली हो रही है। इस प्रकार से उत्पीड़न वहां पर हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं। सरकार जैसी चीज का कोई नामो निशान वहां पर न रहा हो और घटतौली के साथ-साथ माननीय मंत्री जी यह जानकारी कर लीजिये। यह आपका विभाग, केन कमिश्नर कौन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं जिला स्तर के अधिकारियों के बारे में कह सकता हूं कि जो आपके ज्वाइंट डायरेक्टर जो केन कमिश्नर के पद पर बैठे हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो किस तरह से मिल करके मान्यवर, आज प्राइवेट टेकेदार बिल्कुल कानून के ऐक्ट के खिलाफ उसका वायलेशन करते हुए मिल वालों ने लगा दिये कि जब डिस्ट्रेस सेल है गन्ने की मजबूरी विवशता गन्ने की बिक्री हो रही है तो जाओ तुम सब लोग सेन्टर खोल लो। वह टेकेदार 70 रुपये में गन्ने खरीद कर मिल मालिकों को सप्लाई कर रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है ऐसा। ऐसा तो हुआ था पहले भी कि जब गन्ने के दाम बहुत बढ़ गये थे और मिल वालों में बहुत होड़ लगी थी गन्ना खरीदने की तो उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर गन्ना खरीदा। यह तो हुआ। हालांकि वह नियम विरुद्ध हुआ था। लेकिन इस बार तो उसका शोषण इस हद तक हो रहा है कि वह 70 रुपये में गन्ना दे रहा है और इसलिये दे रहा है कि गन्ना खड़ा रह जायेगा उसका। ऐसी स्थिति में आप जानेंगे कि मुख्य जो उसकी आमदनी का स्रोत है वह गन्ना है और गन्ने की हालत ऐसी है और ऊपर से प्रकृति का प्रकोप मान्यवर। प्रकोप भी कोई सामान्य नहीं पिछले डेढ़ महीने से जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाला पड़ा है गन्ने की हालत क्या हो गयी है। मंत्री जी चलें चलकर देखें आंखों में आंसू आते हैं देखकर। उसका जो अगाला होता है जो चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे वह पूरा सूख गया और उसका प्रभाव नीचे तक आया आप गन्ने के खेत में खड़े हो जायें तो वहां बड़ी बदबू आती है। इतनी सड़न पैदा हो गई है। कोई काम किया आपने ? कहां जायेंगे वो। मिल वाले की मार, सरकार निष्क्रिय, प्रकृति की मार। आत्महत्या नहीं करेगा वो तो क्या करेगा। वसूली जारी। आदेश बराबर नहीं। वसूली में कमी न आये। पुलिस भी जायेगी, अमीन भी जायेगा, तहसीलदार भी

जायेगा, नायब भी जायेगा, जीप भी जायेगी, ट्रैक्टर खींच कर लायेगी। यह मैं केवल इस माननीय सदन का समय बर्बाद करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरे मन की पीड़ा है जब हम जाकर देखते हैं हम जैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं भगवान की कृपा है, लेकिन जिनके पास केवल खेत है उस खेत के ऊपर न जाने वह कब तक का वायदा कर आये हैं बेटियों की शादी का, बेटे की शिक्षा का, गेहूं खीदने का, वह कहां जायेगा। आंकड़े आपने दे दिये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। मुझे खुशी है। 11 हजार करोड़ थे दे दिये 6-7 सौ करोड़ बचे हैं वह भी हो जायेगा। अगर आप हिसाब लगायें सरकार द्वारा निर्धारित दर से, उस दर के अनुरूप कितना भुगतान हुआ है कितना बाकी है, यह देखते तो समझ में आता कि संवेदनशीलता दर्शायी है। मैं दोष देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं मैं आग्रह करना चाहता हूं अगर इस समस्या का समाधान करना है तो गम्भीरता से करें आज मिल वाले के पास पैसे की कमी नहीं है। यह सब उनकी नौटंकी है। क्योंकि मान्यवर, गन्ना आज ऐसी फसल है जिसका एक भी भाग खराब नहीं जाता है। पहले गन्ने का सिर्फ रस काम आता था। अब गन्ना पेरने के बाद बगास निकलता है जिसे हम लोग खोई बोलते हैं आज बगास गन्ने से महंगी जा रही है। गन्ने का रेट 125 रुपया है तो बगास 150 रुपया, 160 रुपया कुन्तल तक जा रही है। पेपर मिल वालों को मिल वाला बेच रहा है। मान्यवर, रस राड जिसे मैली बोलते हैं नीलाम हो रही है बाकायदा भट्ठों में कोयले की जगह उसको जलाया जा रहा है। शीरा सारी डिस्टलरी इस पर मुनास्सिर है कोई सात रुपया कुन्तल खरीदने को तैयार नहीं होता था। आज कहां जा रही है। पहले फेंकना पड़ता था। आज वह सोने के रूप में बिक रहा है, चांदी के रूप में बिक रहा है। आप कहते हैं मिल वालों को नुकसान हुआ है केवल चीनी के दाम दिखाकर वह हमको धोखा देने का प्रयास करता है। अगर आप उस मिल मालिक का लेखा-जोखा ले लें तो वह मिल मालिक एक पेराई सीजन में उस मिल की कीमत के बराबर पैसा कमा रहा है और दूसरी मिल स्थापित करने की क्षमता रख रहा है। मान्यवर, शिकायत मुझे उन लोगों से है जिन लोगों ने गन्ना नीति में परिवर्तन करके, चीनी नीति में परिवर्तन करके कुछ घरानों को नाजायज फायदा पहुंचाया और सबसे ज्यादा शोषण आज किसान का कर रहे हैं और वही घराने कर रहे हैं। जिनको नौ-नौ तरह की, दस-दस तरह की छूट मिल रही है। आपने उस छूट को समाप्त किया लेकिन नेगोशिएशन चल रह हैं कि उस छूट को कैसे बहाल किया जाए। उनमें इतनी क्षमता है वह करा सकते हैं। प्रभावित कर सकते हैं। घटतौली की बात मैंने कही, मैं फिर कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने फायदा सरकार से सबसे ज्यादा उठाया है वह शोषण भी किसान का सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उनकी दो-चार इकाई पर जाकर छापा मरवा दें। देखें उनकी घटतौली पकड़ी जाती है या नहीं पकड़ी जाती है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैंने कुछ बिन्दु बहुत संक्षेप में आपके सामने रखे और मैं इस उम्मीद के साथ रख रहा हूं कि केवल उत्तर प्रत्युत्तर में लोकतांत्रिक जो हमारी जिम्मेदारी है उसके दायरे में सीमित न रहें बल्कि समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। समस्या का समाधान यही है कि जो रेट घोषित है उस रेट के आधार पर

भुगतान तुरन्त करायें, घटतौली को समाप्त करायें। प्राइवेट ठेकेदार जो खरीद रहा है उस पर बन्दी लगायें। यह किसान को आश्वासन दें कि तुम्हारा एक-एक गन्ना मिल को जायेगा। जब तक गन्ने की पेराई पूरी नहीं होगी मिल को बन्द नहीं होने दिया जाएगा। जिन किसानों का पैसा बाकी है जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा वसूली को तुरन्त स्थगित किया जाए यह मेरी मांग है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने मुझे 311 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा सारी बात तो आ गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सुन लें मान्यवर, जो बातें माननीय हुकुम सिंह जी ने कही हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं ग्राह्यता पर पांच मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मुझे भी समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

दीनानाथ जी आपकी कोई नोटिस तो है नहीं, आप बैठ जाएं आपके दल से गौरीशंकर जी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल ग्राह्यता पर अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ 25 पर है कि 'वर्तमान पेराई सत्र में कुल 142 मिलों में गन्ना पेराई का कार्य होगा।' लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि इस वर्ष 142 चीनी मिलों में देवरिया, पड़रौना और रामकोला ये चीनी मिले नहीं चली हैं। जो निजी चीनी मिलें चली हैं वह समय से नहीं चली हैं, जो चीनी मिलें दिसम्बर और जनवरी में चली हैं, उससे किसानों को नुकसान हुआ है। हम गेहूं के लिए आस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ देखते हैं। जो किसान गन्ना सप्लाई करके गेहूं बो सकता था, देर से चीनी मिलें चलने के कारण वह गेहूं नहीं बो सका है। मान्यवर, जो मेरा दूसरा बिन्दू है, आपने राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात और कही कि हम शुगर काम्प्लेक्स बनायेंगे, हम इस बयान का स्वागत करेंगे, मंत्री जी ने पिछली बार कुछ संकेत भी दिये थे लेकिन जब तक इसकी समीक्षा नहीं की जायेगी, चीनी मिलों की समीक्षा नहीं की जायेगी, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जब रिकवरी की बात आती है तो महाराष्ट्र सबसे आगे खड़ा होता है। महाराष्ट्र की क्वालिटी और सप्लाई दोनों ही बेहतर है। लेकिन हमारी चीनी को श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा कोई लेने वाला नहीं है। हमें ध्यान देना होगा कि हमारी

क्वालिटी खराब क्यों है ? मान्यवर, तमिलनाडू 1200 कुन्तल पैदा करता है और उत्तर प्रदेश की आज भी औसत पैदावार 600 कुन्तल है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इस बात पर मंत्रि-मण्डल में समीक्षा जरूर होनी चाहिए क्योंकि जो चीनी मिलों की समस्या है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे भुगतान हो, पहले 31 अगस्त की तारीख थी, उसके बाद कहा गया कि ब्याज सहित भुगतान होगा और आज हम लगातार किसी न किसी रूप में उसकी डेट बढ़ा रहे हैं, इसका कोई समाधान होगा या नहीं ? अधिष्ठाता महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। शाहजहांपुर में पुवायां चीनी मिल पर 4 करोड़ 31 लाख पिछले साल का बकाया है और लगभग 10 करोड़ इस वर्ष का बकाया है। जनरल मैनेजर को रिकवरी करनी होगी लेकिन सहकारी चीनी मिलों का क्या होगा, उनके मैनेजरों का क्या होगा, उनको क्या सजा देंगे। आखिर समस्या तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए हमारे प्रदेश की गन्ना नीति की समीक्षा होनी चाहिए और क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। हम मंत्री जी से इतना आश्वासन जरूर चाहते हैं कि जब तक उनके क्षेत्र का पूरा गन्ना पेरा न जाए तब तक चीनी मिल बन्द नहीं होनी चाहिए। यह आश्वासन भी हम मा0 अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहते हैं कि किसी प्रकार की रिकवरी और उत्पीड़न की कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ नहीं होगी जो किसान कर्जदार हैं, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार को पैसा देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

(सपा के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी तरफ से एक नोटिस आई है, उस पर जिसके हस्ताक्षर हैं, उनको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक बहुत ही गम्भीर विषय आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है और मैं इसकी ग्राह्यता पर ही अपने आपको सीमित रखूंगा। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जो कभी गन्ना प्रोडक्शन के लिए, शुगर प्रोडक्शन के लिए पूरे हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर था, महाराष्ट्र से भी आगे जा चुका था लेकिन आज गन्ना जिस तरह कौड़ियों के दाम पर बिक रहा है, यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, आप स्वयं इस बात को अनुभव करते होंगे और माननीय मंत्री जी भी इस बात को अनुभव करते होंगे कि गन्ने की स्थिति यह हो गयी है कि आज गन्ना किसान गन्ना काटता नहीं है उसे खड़ा रखना चाहता है क्योंकि उसकी कटाई के लिए भी उसको खर्च नहीं मिलता। मिल उसको पैसा नहीं देती है और जिस रेट पर वह गन्ना बिक रहा है तो इससे किसान आगे के लिए गन्ना बोना बंद कर देंगे तो जो राजस्व उत्तर प्रदेश को होता था उसमें बहुत बड़ी

कमी आएगी। गन्ने की जो मिलें हैं मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको देखें कि क्या कारण है और ऐसा कौन सा आधार बना कि आपने 110 रुपये पर उसकी कीमत तय कर दी। आपका सरकारी वकील वहां पर खड़ा रहा वह नहीं बोला। तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यह पूरे उत्तर प्रदेश के राजस्व का मामला है और राजस्व हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाता है। चाहे पश्चिम के जिले हों या पूर्वांचल के जिले हों उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन राजस्व में बहुत बड़ा योगदान करता है। इन चीजों पर मैं आपका ध्यान खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके रेट पर ध्यान दिया जाना चाहिए और चीनी मिलों में गन्ने के पेराई सत्र तब तक चले जब तक कि पूरे गन्ने की पेराई न हो जाये। जब पूरे गन्ने की पेराई हो जाये तब ही मिल को बंद करने की अनुमति दी जाये। ऐसा नहीं है कि मिल मालिक सही मायने में नाटक करते हैं। गन्ने से निकलने वाले रस के अलावा भी गन्ने से अन्य तमाम चीजें बनायी जाती हैं उसके हिसाब से वह घाटे में नहीं बल्कि लाभ में होते हैं। घाटे में तो गन्ना किसान रहता है। अपना सबकुछ देने के बाद भी उस गन्ने की फसल में मेंटेनेंस में जो खर्च हुआ होता है वह नहीं निकाल पाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ह, नियम-311 में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसलिए नियम-311 में नोटिस दी गर्य है। मेरा कहना है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये। यह बहुत गम्भीर विषय है और विषय की गम्भीरता के अनुरूप ही सत्तापक्ष और विपक्ष का ध्यान जाना चाहिए और शासन को गम्भीरतापूर्वक इसमें अच्छा निर्णय लेना चाहिए ताकि गन्ना किसान जिस तरह से भुखमरी के कगार पर आ गया है उस स्थिति में हम उन्हें राहत दिला सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी हमारे दो विधेयक भी हैं। यह तय हुआ था कि केवल 30 मिनट इसमें समय लगेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मेरे पास जो सूची आयी है उसमें जिनके हस्ताक्षर हैं उन्हें 2-2 मिनट में सुन लेते हैं। श्री दीनानाथ जी बैठ जाइये, इसमें आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह संवेदनशील होती तो गन्ना किसानों की समस्याओं पर जरूर विचार करती। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश का गन्ना किसान का आज जिस तरह से शोषण हो रहा है इस सरकार से पहले किसी भी सरकार में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना शोषण नहीं हुआ है। जब यह सरकार बनी तो किसानों को उम्मीद थी कि यह लोकतांत्रिक सरकार होगी, किसानों के हितों के लिए काम करेगी लेकिन इस सरकार ने गन्ना मूल्य पर पानी फेर दिया और आज गन्ना किसान रो रहा है। गन्ना किसान की क्या स्थिति है ? गन्ना किसान खेतों में मेहनत करता है, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, धूप में गन्ने की खेती करता है। वह व्यवसायिक खेती करता है। गन्ना किसान के पास केवल एक ही व्यवसायिक फसल है। अगर यह सरकार चेतती तो जब पहली बार सदन बैठा था तो गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि 31 अगस्त तक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो जाएगा। 2007-2008 के पेराई सत्र में पिछली सरकार ने 130/- रुपया प्रति कुन्तल के हिसाब से गन्ना मूल्य का भुगतान किया था तो आज क्या स्थिति आ गयी है कि निजी मिल मालिक कोर्ट में चले गये और 110/- रुपये प्रति कुन्तल भुगतान का आदेश ले आये। सरकार ने किसानों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा। आज मैंने सवाल किया था तारांकित प्रश्न संख्या-5 में जिसका जवाब आया है कि 15-11-2007 के आदेश के अनुपालन में 110/- रुपया प्रति कुन्तल का भुगतान करेंगे। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन शुगर मिलें हैं-बभनान, खतौली और बजाज शुगर मिल। यह किसानों का शोषण कर रही हैं। गन्ना किसानों ने पचास से साठ रुपया प्रति कुन्तल के हिसाब से बेचा है। इसमें गन्ना किसान गरीबी की रेखा के नीचे चला गया है और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो शुगर मिलों ने जिस तरह से शोषण किया है, 88/- रुपया प्रति कुन्तल के हिसाब से गन्ने का भुगतान किया जा रहा है, गन्ना पर्ची में 110/- रुपया प्रति कुन्तल के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो यह क्यों नहीं हो रहा है। कई बार सदन में उठाया गया कि ब्याज सहित भुगतान करेंगे लेकिन वह भी नहीं कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आजाद जी अब आप बैठ जायें। कई सदस्य हैं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि गन्ने के बकाये का भुगतान करा दें।

(व्यवधान)

*श्री ओम प्रकाश "ओ0पी0" सिंह-

मान्यवर, यह सदैव परम्परा रही है कि अगर कोई नोटिस दी जाती है तो उसपर दो एक सदस्य ग्राह्यता पर बोलते हैं। यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा स्वीकार कर ली जाय तो फिर पक्ष के लोगों को भी मौका दिया जाय। इधर के लोगों को वंचित क्यों किया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता-

जिन लोगों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं उनको सुना जाना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार की ओर से उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री जी इन्हें अधिकृत कर दें।

*श्री मिथिलेश कुमार-

मान्यवर, सभी लोगों ने यह बोला कि गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान करा दिया जाय। प्राइवेट चीनी मिल को बंद कर दिया जाय। यहां पर सरकार में दो मंत्री ऐसे हैं, एक तो गन्ना मंत्री और एक सहकारिता मंत्री इनकी चीनी मिलों पर भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष का भुगतान बकाया है और इस वर्ष का भी भुगतान नहीं हो रहा है। किसान परेशान हैं, डीजल महंगा हो गया है तो क्या इन दोनों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, पिछले वर्ष का बकाया था और इस वर्ष का भी लगभग आठ करोड़ दस लाख का बकाया है। इस वर्ष का आठ करोड़ दस लाख रुपया परसों तक बकाया था, एक रुपया गन्ना पेमेण्ट नहीं गया। कल जब हम लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया तो लाठी चार्ज के लिए पुलिस बुला ली गई, किसान परेशान है, फैक्ट्री नो-केन हो रही है, फैक्ट्री रोज पांच घण्टे नो-केन हो जाती है, सरकार के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, मशीनरी चलती है, स्टीम उसकी बॉयलर की खराब होती है लेकिन सरकार का गन्ना भुगतान देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पुवायां चीनी मिल के अवशेष का तत्काल भुगतान करा दिया जाये।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री उदयराज यादव एवं डा0 आर0ए0 उस्मानी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट दीनानाथ कुशवाहा जी को अपनी बात कह लेने दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है यह आपके दल की तरफ से अंतिम वक्ता होंगें।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं देवरिया जनपद से सम्बन्ध रखता हूं, देवरिया जनपद पूरे प्रदेश में गन्ना के लिए जाना जाता है। हमारे जनपद में पांच चीनी मिलें थीं पांच चीनी मिलों में गौरी बाजार चीनी मिल पहले ही बन्द हो गई, इस बार बैतालपुर, देवरिया चीनी मिलें बन्द हो गईं। 31 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चीनी मिलों को बंद करने का निर्णय लिया। पहली तारीख से लेकर के आज तक देवरिया मिल पर लगातार किसानों और मजदूरों का धरना प्रदर्शन जारी है। देवरिया के जिलाधिकारी ने प्रदेश सरकार को तीन बार पत्र लिखा कि अगर ये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी मिलें नहीं चलीं तो देवरिया का प्रशासन चलाना मुश्किल हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गन्ने का दाम हमारी सरकार ने जो पिछले तीन साल के अन्दर बढ़ाया तो इस वर्ष गन्ने का क्षेत्रफल 13 फीसदी बढ़ गया और देवरिया का वर्ष 2006-2007 का 3 लाख 83 हजार कुन्तल गन्ना बढ़ करके छः लाख कुन्तल हो गया है और हालात वहां के यह हैं मान्यवर कि किसान 20 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना बेचने के लिए मजबूर है और देवरिया का गन्ना बैतालपुर और सिसवा-खड्डा चीनी मिल को आवंटित कर दिया गया है। देवरिया से खड्डा की दूरी 90 किमी0 है और गन्ने की ढुलाई का खर्च 30 रुपया प्रति कुन्तल है बैतालपुर का छः लाख कुन्तल जो गन्ना है उसमें से ढाई लाख कुन्तल गन्ना जो है बैतालपुर चीनी मिल का और ढाई लाख कुन्तल गन्ना खड्डा चीनी मिल को आवंटित किया गया है और केवल ढुलाई में ही करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां के गन्ना किसान और मजदूर दोनों ने देवरिया चीनी मिल के गेट पर मीटिंग किया और उन्होंनें कहा कि देवरिया चीनी मिल के मजदूरों का एक करोड़ 75 लाख रुपया सत्र 2006 का जो है 58.1 लाख।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दीनानाथ कुशवाहा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

4.6 लाख, रिकार्ड 14.1 लाख, ओवर टाइम पुराना है 6.40 लाख और सत्र 2003 का रिटेलिंग एलाउन्स 66 लाख 68 हजार, बोनस 5 लाख 20 हजार और कुल मिला करके जो है एक करोड़ 76 लाख रुपया मिल मजदूरों का, गन्ना किसानों का बकाया है। आज जो है देवरिया और भटनी दोनों चीनी मिलों के हजारों मजदूर जो हैं विधान सभा गेट के सामने धरने पर बैठे हैं और मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा एक मित्र राम कृपाल वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वह अपने लड़के की पढ़ाई इलाहाबाद में करा रहा है और लड़का जो है पी0सी0एस0 की तैयारी कर रहा है, जिस दिन यह चीनी मिलें बन्द हुई थीं उसके आंखों में आंसू थे और वह रो पड़ा मान्यवर कि हम अपने लड़के को कैसे पढ़ायेंगें। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मान्यवर कि 750 मजदूर देवरिया चीनी मिल में काम कर रहे हैं मुश्किल से 108 मजदूर परमानेण्ट हैं, 516 मजदूर सीजनल हैं, 126 मजदूर कैजुअल हैं डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं मान्यवर, कि सरकार ने इन मजदूरों को वी0आर0एस0 भी नहीं दिया और मिल भी बंद कर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दीनानाथ जी मैंने आपका सूची में नाम न होने के बावजूद आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया, अब आप अपनी बातें समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, देवरिया का गन्ना किसान आज अपने गन्ने को जला रहा है छः लाख कुन्तल गन्ने में से मान्यवर, 12 हजार कुन्तल गन्ने की पेराई है और इस पेराई सत्र का आधा समय बीत गया है। मान्यवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में किसान पूरा का पूरा गन्ना खेतों में जलाने को मजबूर होगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, नहीं तो यह स्थिति होगी कि वहां का किसान पूरा का पूरा गन्ना खेतों में जलाने के लिये मजबूर होगा। आज वहां यह भी स्थिति है कि प्राइवेट लोग गन्ना कृषकों से उनका उत्पाद 30 रुपये, 35 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दीनानाथ जी अब आप बैठ जायें। आपकी सभी बातों का समाधान माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में कर देंगे।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, घटतौली भी बड़े पैमाने पर हो रही है जिसका हश्र यह है कि गन्ना किसान को मात्र 58 रुपये ही मिल पाते हैं। वह घटतौली का शिकार हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

घटतौली वाली बात पर भी वह कह देंगे। आपका नाम सूची में भी नहीं था फिर भी हमने आपको बुला लिया है।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिये यह सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ताकि उनको बकाये का पूरा भुगतान मिल सके, घटतौली न हो।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मेरे बड़े भाई माननीय हुकुम सिंह जी ने इस विषय पर बोलने की शुरुआत की थी। उनसे हमारा रिश्ता भी है। वह भी आर्मी में रहे हैं मैं भी रहा हूं। लेकिन आर्मी के लोग इतना असत्य नहीं बोलते हैं जितना वह बोल गये। मान्यवर, शाहजहांपुर के एक माननीय विधायक ने यह बात कह दी कि गन्ना मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी की चीनी मिले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर बता दो कि वह मिल कहां है और उसका कब्जा दिला दो ताकि मैं मिल मालिक कहलाऊं और इस तरह की सूचना की परिधि में मैं भी आ जाऊं। मान्यवर, मेरे

बड़े भाई काफी योग्य हैं, विद्वान हैं और जहीन हैं। जहीन मतलब अक्लमंद काफी हैं। लेकिन जाने क्या हो गया है कि इतने जहीन हैं कि चेहरे पर खराश है, आईना बदल रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कभी इधर आये कभी उधर गये।

मान्यवर, यह समस्या नई नहीं है। आपने किसी पर आरोप लगा दिया। वह आरोप आप हम पर क्यों लगा रहे हैं। जो आपके बगल में बैठे हैं उन पर आरोप लगायें। मान्यवर, विरासत में हमें वर्ष 2006-2007 का 3005 करोड़ रु0 का बकाया भुगतान करने के लिये मिला था। लेकिन हम उससे भागे नहीं हैं। उस बकाया धनराशि में से जो कल तक की स्थिति है निगम की, सहकारी और निजी क्षेत्र की तीनों का मिलाकर बता रहा हूं कि 646.72 करोड़ रुपया बाकी चल रहा है। वह भी शीघ्र ही भुगतान कराने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि जून, 2007 में मैंने आश्वासन दिया था कि 31 अगस्त, 2008 तक सारा बकाया भुगतान करवा देंगे। यह कार्यवाही में है। मैंने इसको तुरन्त लिखा भी है। वह आप दुरुस्त कर रहे हैं वह अलग बात है।

माननीय हुकुम सिंह जी मेरी बात को सुन लें। हमने कहा था कि हमारा पूरा प्रयास होगा। उनके खिलाफ कार्यवाही की बात भी मैंने कही थी। यह मैंने कहा था कि 31 अगस्त, 2008 तक पूरा भुगतान कराने के लिए बाध्य करेंगे। जो आश्वासन दिया था उसमें 70 लोगों के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गयी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी जो सदन में आश्वासन देते हैं उसको पूरी करने की एक परिपाटी है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था वह कर रहे हैं। एक चीनी मिल के अधिशासी को जेल भेजा गया। चार के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी है। दबाव का जहां तक सवाल है, दबाव इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि 70 के विरुद्ध आर0सी0 जारी की जाय। बार-बार हाईकोर्ट गये हाईकोर्ट से स्थगन लाये उसको जाकर हमने उस स्टे का वैकेट कराया। अभी एक बात माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि उच्च न्यायालय से 2006-2007 को 110 रुपये भुगतान करने का आदेश किया गया, इसकी पैरवी ठीक से नहीं की गयी। क्षमा कीजिएगा 2006-2007 के लिए यह आदेश नहीं है। यह 2006-2007 के लिए माननीय उच्च न्यायालय से जो आदेश हुआ था वह एसएमपी के भुगतान करने का आदेश हुआ था और यह आदेश हुआ था कि एक कमेटी बना दी जाय और वह कमेटी आब्जर्व करे और जब तक वह कमेटी अपना फैसला नहीं देती अन्तरिम आदेश का, तब तक एसएमपी के जो रेट भारत सरकार ने निश्चत किये थे वह उस हिसाब से भुगतान किया जाय। मान्यवर, उस पर हम 2006-2007 पर हम एसएमपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गये और पूरी पैरवी करने पर सर्वोच्च न्यायालय

ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को स्थगित कर दिया जो उच्च न्यायालय ने एसएमपी का आदेश किया था और कमेटी का आदेश किया था उस आदेश को रोक दिया और आज भी वह स्टे है। कल तारीख थी अगली तारीख मुझे याद नहीं है कब है। यह आपको जानकारी नहीं थी वह मैं बता दूं। जहां तक 110 का सवाल है, 110 का जो भुगतान है वह चालू जो पेराई सत्र है उसके लिए 110 रुपये माननीय उच्च न्यायालय ने भुगतान निर्धारित किया है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 122 रुपये, 125 रुपये, 130 रुपये तक था। यह घोषणा की थी और यह आदेश किया था कि जो 110 रुपये का भुगतान का माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उस पर भी हम सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी पर गये हैं। जो विचाराधीन है। प्रदेश सरकार कहीं भी उदासीन नहीं है। सच बात माननी चाहिए। कभी बड़े भाई आप तो हौसला बढ़ाइये। सही काम कर रहे हैं तो कह दीजिए कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। यह कह देना कि पैरवी नहीं हुई यह उचित नहीं है और सही भी नहीं है। जहां तक वर्तमान पेराई सत्र के बारे में मैंने बता ही दिया अभी एक बात आपने और कही कि 80-85 रुपये इस सत्र में गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। मान्यवर, सभी लोग बैठे हैं। एक-एक सदस्य कोई भी एक पर्ची 110 रुपये से एक रुपया भी कम की लाकर दे दे तो सम्बन्धित जो जिम्मेदार होगा उसको जेल भेजने का काम करेंगे। आप मुझे एक रुपया भी कम की रसीद उपलब्ध करा दें। आपने कहा कि बांदा में गन्ना नहीं होगा, क्षमा कीजिए जितना गन्ना आपका होगा उतना गन्ना कम से कम हमारा भी लगा होगा। हम भी गन्ना किसान हैं हमें भी पर्ची मिलती है हमें उसका दर्द मालूम है। घटतौली की बात है घटतौली के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं। यह पहली सरकार है जिसने गन्ने की घटतौली पर यह निर्णय लिया है कि जो घटतौली करने वाले केन्द्र होगें, जो जिम्मेदार लोग होगें उनके विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कार्यवाही होगी। आपने छापा मारने की बात कही, हम आपकी बात से सहमत हैं। आपको पता चलेगा, चाहे पूरब में हों, चाहे मध्य में हों, चाहे पश्चिम में हों। पश्चिम से जितने आप जुड़े हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जुड़ा हूं। वहीं पढ़ा लिखा, वहीं नौकरी की और पार्टी का भी काम किया, अपने जीवन के 21 साल मैं पश्चिम में ही रहा हूं। पूरब से भी मेरा सम्बन्ध है और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से मेरा सम्बन्ध है। तो कहीं भी इस तरह की बात अगर आप बता देगें, स्पेसिफिक बता देगें, चुपचाप बता दें कि फलां जगह भेजना है तो दूसरे दिन छापा पड़ जायेगा। आपको मालूम होगा, मुझे मालूम होगा और ऐसे अधिकारियों को हम यहां से भेजेंगे कि वहां के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब आप बताइये कि हम कहां-कहां भेजें।

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अब इतना खोलकर कहेंगें तो वह सावधान हो जायेंगे। अब आप अलग बैठकर मुझे बता दीजियेगा। सिरोही साहब आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मान्यवर, गन्ना अधिकारियों की मिलीभगत की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर घटतौली पकड़ी जायेगी तो गन्ना

अधिकारियों की मिलीभगत हम मान लेंगे और उनके खिलाफ जांच कराकर दोषी गन्ना अधिकारियों के विरुद्ध भी हम कार्यवाही करेंगे। जब आप चुपचाप बतायेंगे तो हम यहां से भेजेंगे, अगर वहां घटतौली मिलेगी तो इसका मतलब है कि उनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेगें। चीनी मिलों के नुकसान की बात आपने कही, नीति में परिवर्तन की बात आपने कही और आपने कहा कि कुछ घरानों को फायदा दे दिया। आप भी जानते हैं और मैं तो जानता ही हूं कि हमारा किसी घराने से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने कहा इधर भी सुना है बात चल रही है। सुना तो आपने भी नहीं है, मैं जानता हूं कि आपने सुना नहीं है वह तो आपने कह दिया, अब आप कह देंगे निश्चित जानकारी की बात, तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन इतना मुझे अधिकार है कि जो आपके दिल की बात है, वह आपके चेहरे पर है। लेकिन आपने सुना नहीं है केवल मुझे आगाह किया है, मैं उससे सहमत हूं। हमारी सरकार ने कतई किसी घराने को फायदा देने का काम नहीं किया है बल्कि पुरानी जो पालिसी थी, किसी को फायदा देने की, उसको ड्राप करने का, उसको विदड़ा करने का काम किया है। इसके लिये तो आप धन्यवाद कह दीजिये। खैर चलिये, माननीय खन्ना जी ने एक बात कही है, यह जो चीनी मिलों की बात कहीं है उसे मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कल तक सभी चीनी मिलें, कुल मिलाकर 129 चीजी मिलें चल रही थीं। पिछले वर्ष 12 फरवरी को 126 चीनी मिलें ही चली थीं। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 3 चीनी मिलें ज्यादा चली हैं। आपने एक चीनी मिल की जो बात की है शायद पडरौना या कहां की बात की है, वह उम्मीद है कि फरवरी में ही चल जायेगी, ऐसी आशा मैं करता हूं और एक बात माननीय खन्ना जी आपने और कही, कि जब तक सारा गन्ना चीनी मिलों तक न पहुंच जाय उस क्षेत्र की चीनी मिलें न बंद की जायें। इस चीज का मैं आश्वासन देता हूं कि जब तक एक-एक गन्ना खेत में खड़ा है, तब तक चीनी मिलें नहीं बंद की जायेंगी, नहीं बंद की जायेंगी, नहीं बंद की जायेंगी, कतई नहीं बंद की जायेगीं। आप इससे आश्वस्त हो जाइये, कतई बंद नहीं होंगी, आप इससे निश्चिन्त हो जाइये। माननीय गौरीशंकर जी ने बताया कि बड़ी गंभीर समस्या है, समस्या तो है, इससे सभी को निपटना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, सहयोग आपका भी चाहिये और जितने माननीय सदस्य हैं, पूरे सदन के, उनका भी चाहिये और मान्यवर, आपका भी चाहिये। इससे निपटना है, पिछले साल 2006-2007 का जो है, मुझे उम्मीद है, शीघ्र ही यह निपट जायेगा और इस साल भी जो भुगतान हुआ है अभी तक, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे पास 11-2-2008 तक की फीगर है, तो यह 14 दिन पूर्व की है। मान्यवर, कुल जो भुगतान देय है, वह 3592.84 करोड़ रुपये है, जो भुगतान किया गया है वह 2558.77 करोड़ रुपये है तथा जो भुगतान शेष है वह 1034 करोड़ रुपये लगभग है, यह 14 दिन पूर्व की सूचना है। प्रयास यही है कि शीघ्र ही इसका भी भुगतान कर दिया जाये। जो सरकारी वकील की बात गौरी शंकर जी ने बतायी है, उसके बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया है। आजाद जी ने कहा कि 88 रुपये में गन्ना खरीदा जा रहा है तो मैंने उसके बारे में भी कह दिया कि रेट से एक रुपए

भी कम की पर्ची हमें ला करके दे दो। कहा गया है कि कुछ चीनी मिलें बन्द हैं, कुछ चल रही हैं तो मान्यवर, यह सही है, सहकारी चीनी मिलों का जहां तक सवाल है, वह निरन्तर घाटे में चल रही हैं, सुव्यवस्थित व्यवसाय नहीं कर पा रही हैं और भविष्य में भी सुव्यवस्थित व्यवसाय कर पाने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके दायित्वों में उनकी परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सक्षम स्तर पर की जा रही है। चीनी निगम की जो चीनी मिलें हैं वह भी निरन्तर घाटे में हैं, और काफी प्रयास करने के बाद कई वर्षों से वह घाटे में ही चल रही हैं। घाटा भी इतना कि हर साल एक सीमा से बाहर हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनका निजीकरण करने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया जा चुका है, साथ में यह प्रयास है कि किसानों को किसी स्तर पर कोई कठिनाई न हो। जहां से किसानों का गन्ना उठाया जाता था, वहां से उठाया जा रहा है, यदि कहीं ऐसा न हो रहा हो तो उसे आप बता देंगे, हम उसकी व्यवस्था करायेंगे। जहां तक श्रमिकों की बात है, इसको भी हम देख लेंगे हम चाहेंगे उन्हें भी कोई नुकसान न हो लेकिन इसके लिए हम अभी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं। इस प्रकार से मान्यवर, जो बिन्दु माननीय सदस्यों ने उठाये थे मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया है और मान्यवर, यह अग्राह्य करने योग्य है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो आपने पुरानी नीति कुछ घरानों को फायदा पहुंचाने की थी के बारे में स्पष्ट कर दिया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कार्यवाही में देख लीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कुछ अच्छी बात भी सुनने की आदत डालिये, आप समझते हैं कि सारी खराब-खराब बातें ही आयेंगी। हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक चर्चा चली थी चाहे कहीं से भी चली हो और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है, तो अच्छी बात है ऐसी बात सदन में आ गई है। हमने कहा था कि प्राईवेट सेंटर चल रहे हैं और 70 रुपये के भाव से गन्ना खरीद करके वह किसानों का शोषण कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया है। जिन किसानों का गन्ने का भुगतान बाकी है, उनसे सरकारी देयों की उगाही चल रही है, उनको आप स्थगित करेंगे जब तक कि उनके मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया है। मान्यवर, बुद्धिमान आपने हमें बताया है लेकिन बुद्धिमान आप ही हैं कि बिना कुछ किये आधे घण्टे का भाषण दे दिया। कोई समाधान भी तो होना चाहिए था किसी बात का, किसान आज तहसील में बन्द हैं, उनके ट्रैक्टर खींचे जा रहे हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है। उनके बारे में तो स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए था कि जब तक भुगतान नहीं हो जायेगा तब तक किसी किसान के खिलाफ उत्पीड़ात्मक कार्यवाही नहीं होगी। यह आश्वासन इस

बात का आना चाहिए कि प्राइवेट सेण्टर गन्ना शुगर केन ऐक्ट की धाराओं के उल्लंघन में मिल मालिक चला रहे हैं ताकि किसानों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर के 70 रुपये में गन्ना खरीदा जाए। 2-3 बातें कही थी, उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप कह सकते थे, आप अभी कह सकते हैं, हम फिर से धन्यवाद दे देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो मैंने कहा है हमारे बड़े भाई माहिर हैं उसको तोड़-मरोड़ करके प्रस्तुत करने में कि आपने यह कहा, आपने वह कहा। मान्यवर, आपने भी सुना है, कार्यवाही में भी है। जहां तक ठेकेदारों की बात कहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी, इसी तरीके की कोई भी जानकारी यदि माननीय सदस्य को है तो बता दें। उसमें जरूर कार्यवाही करेंगे। जहां तक वसूली की बात है इस समय मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, जब तक मुझे पूरी सूचना और जानकारी नहीं मिल जाती। मैं ग़लत आश्वासन न देता हूं न दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

नियम-311 में इस संदर्भ में दो सूचनायें प्राप्त हुई थीं, मैंने सभी पक्षों को सुना है और माननीय मंत्री के जवाब को भी सुना है। मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना मा0 श्यामदेवराय चौधरी जी की है।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे नहीं बोलना है, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे-'खरास चेहरे पर है और आईना बदलते हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति नहीं है:--

"इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं,
जिस तरह टूटे हुये ये आईने हैं,
आपके कालीन देखेंगे कभी,
आज तो ये पांव कीचड़ में सने हैं।"

और मान्यवर, इतने फर्जी आश्वासन, इतने झूठे आश्वासन जिसमें आश्वासन भी शरमा जाये और फर्जीगीरी भी शरमा जाये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इनको अंधेरे का अंदाजा नहीं है।
"तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन,
तुमको खतरे का अंदाजा नहीं है,
हमको खतरे का अंदाजा है लेकिन,
हमारे घर में दरवाजा नहीं है"

(इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

*श्री अम्बिका चौधरी-

उनको दरवाजों की कोई जरूरत नहीं है जिनकी अपनी दीवारें परदे की तरह हिलती हुई नजर आती हैं। उनको मान्यवर, दरवाजों की जरूरत क्या है, आपकी दीवार हर जगह परदे की तरह हिल रही है और कहां से कहां दरवाजा बनेगा ? अभी आपको अंदाजा लगेगा जब ये कई दरवाजे खुल जायेंगे।

(श्री हुकुम सिंह ने सरकार पर गन्ना किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

(श्री दीनानाथ कुशवाहा के खड़े होकर कुछ बोलने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कुशवाहा जी, सारी बात आ गयी है और जब मुशायरा समाप्त हो गया तो सारी बात समाप्त हो गयी। अब बैठ जाइये।

बागपत में दिनांक 26 जनवरी, 2008 को अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ कहा सुनी के बाद हाजी इश्तियाक के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा रासुका तामील किये जाने विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, महत्वपूर्ण बिन्दु मैं देने जा रहा हूं। सदन के लिए गौर की बात है कि जो 26 जनवरी, 2008 तकरीबन 2-3 बजे दिन का यह वाक्या है। बागपत का चौराहा, एक वैन में दो शख्स एक तो हारून सिद्दीकी और एक सिपाही शराब पी रहे थे, ये दिन का वाक्या है, सबने देखा है कि शराब पी रहे थे और हाजी इश्तियाक भी बागपत का रहने वाला है और हारून भी वहीं का रहने वाला है। वहां आया और उन दोनों को कुछ लेन-देन की बात थी, एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वह कुछ जमींन का कारोबार करता है हाजी इश्तियाक और हारून तब्लीगी जमात का आदमी है और तब्लीगों में जाता रहता है, उसकी कुछ दुकाने भी है। तो हारून ने कुछ पैसे का जिक्र किया तो उसने कहा कि कहां दे दें तुम्हारे तो खुद ही मजे आ रहे हैं। मजे तो हमारे आ रहे हैं और हमारी सरकार चलेगी 15 साल, वह इत्तिफाक से हारून सिद्दीकी बागपत का शहर बन सभा अध्यक्ष है तो उसने कहा कि हमने सुना है कि 6 महीने में खत्म हो जायेगी। यह डायलाग दोनों का हुआ है। सारा वाकयात बताते हुए एक रिपोर्ट लिखाई गई थाने में हारून सिद्दीकी की तरफ से कि हाजी इश्तियाक ने कहा है कि मुख्य मंत्री को 6 महीने में मार डालेंगे। सोचने की बात यह है कि एक तो शराबी का बयान शराबी को ड्राइविंग लाइसेन्स भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एलाउड नहीं है। दूसरे वह बाकायदा नशे में था उस वक्त उसने बयान किया। हाजी इश्तियाक को 26 तारीख को रात को करीब 10.30-11 बजे उठा लिया सुबह जब हम लोगों को पता चला तो 15-20 आदमी एस0पी0 से मिले उन्होंने हमसे मुलाकात की उन्होंने उनसे भी बात की और हम लोगों से भी बातचीत की एस0पी0 ने यह कहा कि इसकी जांच करा लेते हैं और ऐसी कोई बात होती है तो हम आपको बता देंगे उन्होंने जांच कराई और जांच में उसके घर से तलाशी में 82-83 हजार रुपये और पासपोर्ट मिला जिसे पुलिस ने वापस भी कर दिया। मेरा कहना यह है अगर वह गैर कानूनी थे तो पुलिस उनको वापस ही नहीं करती। शाम को हमें पता चला कि 3.00 बजे के करीब पुलिस हाजी इश्तियाक को जेल भेजने जा रही है हम लोग 4.00 बजे विधायक के साथ थाने आ गए और बगैर नारे लगाए थाने पर बैठ गए। हमने कहा कि हमें भी गिरफ्तार कर लो हमारे साथ 5-7 हजार आदमी थे हम वहीं बैठ गए वहां पर एस0पी0आर0ए0 व सी0ओ0 आए उनसे वार्ता हुई विधायक जी की भी बात हुई उन्होंने यह कहा कि हम सुबह तक इसे जमानत पर छोड़ देंगे हम लोग इसे मान गए और चले गए सुबह जब हम लोग जमानत करवाने गए लेकिन सुबह एक दरखास्त और दी गई कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाय। मान्यवर, धारा 505/2 में नार्को टेस्ट न कभी देखा और न ही सुना गया है। नार्को टेस्ट का प्रार्थना-पत्र एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट तक अभी टहल रहा है। यह वाकया 26 तारीख का है आज 13 तारीख होने जा रही है उसका निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा हाजी इश्तियाक को 26 तारीख को गिरफ्तार किया गया बीच में मेरठ में डी0आई0जी0 साहब के कहने पर पुलिस अधीक्षक ने उसे बुलाया वहां जो भी बात हुई हो जहां भी रहा हो लेकिन उसे 28 तारीख तक जेल नहीं भेजा गया जहां भी रखा गया हो। सी0जे0एम0 बागपत ने इस पर अपनी टिप्पणी भी करी है। जब हमने फिर कोशिश की दरखास्त दिया तो उन्होंने यह कहा कि यह हाजी इश्तियाक अबूधाबी व कतर गया था इसलिए उस पर एन0एस0ए0 थोप दिया गया जो रेटीफिकेशन के लिए यहां आया होगा। क्या अबू धाबी और कतर जाना मना है। क्या मुसलमान कतर नहीं जा सकता है। जो यहां पर बैठे हुए हैं वह जानते हैं कि जमात और तबलीग में अकेले नहीं जाते हैं बाकायदा जमात होती है। तबलीग में मुखिया बनता है और इस सबकी इजाजत निजामुद्दीन हेड क्वार्टर में ली जाती है वह 150 साल से चल रहा है। जमातें अमेरिका में अरब में और पूरी दुनियां में जाती हैं और हमें तो यह मालूम है हम हिन्दुस्तान में रहने वाले हैं जब वो हिन्दुस्तान में आती है और किसी ऐसे गांव में आती है कि जहां कम आबादी का मुसलमान होता है तो उन जमातों के खाने के लिये हिन्दू भाई उनके खाने का इंतजाम करते हैं तो यह तो इस परम्परा के लोग हैं और आपने उस पर एन0एस0ए0 लगा दिया और अब उसे आतंकवादी घोषित करने की तैयारी हो रही है। 26 तारीख के बाद आज 13 तारीख इतने दिन हो गये कोई पुरसाहाल नहीं। मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं दो चीज कि क्या मुसलमान नहीं जा सकता कहीं केहरा या दुनिया के किसी हिस्से में और या तबदीकी होना गलत बात है कोई आदमी कह दे कि सरकार

आज गिर जायेगी तो वह आतंकवादी बन जाता है और उस पर 505 मान्यवर, आप कहें गौर करें कि यहां तो मैं वकील नहीं हूं। यहां वकील भी होंगे। 505/2 के मुकदमें के अन्दर नारको टेस्ट भी लगवा रहे हैं, एन0एस0ए0 भी लगवा रहे हैं और 25-26 दिन भी हो मान्यवर, उसके बाद मान्यवर, दो तारीख को हम लोगों ने वहां पंचायत करी बागपत के अंदर जो रिपोर्ट है वह आपके यहां है। तकरीबन दो लाख आदमी वहां आया है और हिन्दू मुसलमान बैठकर वहां मिलकर सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बैठें। बीच में एस0एस0पी0 भी आये डी0एम0 भी आये और उन्होंने भी हमें यह कह कर कि हम आपको बताते रहेंगे हम वापस नहीं ले सकते और मान्यवर, अकेले पूछ लीजिये यह मानते हैं कि गलत हुआ कोई वजह नहीं है हम वापस कैसे लें और मान्यवर हम नौ बजे तक चौधरी अजीत सिंह भी वहां पर थे। हम सारे लोग वहां मौजूद थे। चौधरी साहब ने उन सब लोगों से बात करी है। दो तीन बार आये हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाले। क्योंकि आदमी इतना था वहां उस वक्त। मान्यवर, अब सिर्फ सोचने की बात यह है कि अब आतंकवाद पैदा क्यों हुआ। इससे पहले मान्यवर, इसी सदन में आपने मुझे संरक्षण दिया था। कि आपने सिवालखास के अन्दर मुसलमानों की एक शादी में एक हजार अज्ञात आदमी कहीं दुनियां में ऐसा देखा न सूना कि एक हजार अज्ञात आदमी। तो मान्यवर, यह हो क्या रहा है ? एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब यह जवाब देंगे तो किस अंदाज में देंगे। मैं इस सदन में यह दावा कर रहा हूं। आप अकेले हमें यहां बैठा दीजियेगा और आप खुद या अपने किसी आदमी को हारून सिद्दीकी का अता पता कि वो क्या करते हैं वो किस तरह का आदमी है, यह जाकर देख लीजिये और आकर अध्यक्ष जी को बता दीजियेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि यह पार्टी वाले जायं, यह पार्टी वाले जायं। आप ही जाइयेगा और आप ही तय कर लीजियेगा। क्योंकि आपका मैं नाम नहीं लूंगा आपका एक राज्य सभा मेम्बर वहां पहुंचे थे परसों यह पता लगाने और बहुतों से मिले भी हैं वो और मान्यवर यह आज विषय है 311 का और मेरी आपसे गुजारिश है कि सारे नियमों को खत्म करके स्थगित करके आप इस पर चर्चा करायें।

* डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने 311 के इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, जहां 26 जनवरी को पूरा देश राष्ट्रीय पर्व मना रहा था। पूरे देश और प्रदेश में खुशियां मनाई जा रही थीं। वहां एक ऐसी घटना ने एक ऐसे व्यक्ति ने जो हर समय नशे में रहता है ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वहां राष्ट्रीय पर्व को उन हालात से गुजरना पड़ा है कि वहां के लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि यहां हो क्या रहा है। मान्यवर, सारा प्रदेश का खुफिया तंत्र सारे देश का खुफिया तंत्र मैं यहां तक भी कहना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार से एक बहुत काबिल अधिकारी प्रमुख सचिव के रूप में यहां आये हैं। उनके ऊपर बड़ा विश्वास किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है उन सबको भी कहीं संज्ञान में यह नहीं आया कि मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में इस तरह का कोई बयान दे दिया गया है, मुख्य मंत्री के विषय में कोई ऐसी बात कह रहा है। मान्यवर, केवल एक व्यक्ति के कहने से और वह भी सामाजिक रूप से मान्यवर जैसा नवाब साहब ने कहा है कि अगर सामाजिक रूप से आप उस व्यक्ति के बारे में पता कर लें। अगर ऐसे व्यक्ति की सूचना पर किसी व्यक्ति को जेल भेजने का काम और वह भी 505/2 के तहत किया जाता है और ऊपर से नारको टेस्ट मान्यवर, नारको टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें आदमी जो कुछ सोचता है। मैं डाक्टर हूं बाकी और भी डाक्टर साथी हमारे यहां सदन में बैठे हैं। नारको टेस्ट का मतलब है कि अगर कोई चीज हम दिमाग में वैसे भी सोच लें। मैंने सोच लिया कि मैं अमेरिका तीन बार घूमने जाऊंगा क्लिंटन से हाथ मिलाने जाऊंगा।

बेनजीर से मिला था तो नार्को टेस्ट में यह सारी बातें आ जायेंगी। इस तरह के नार्को टेस्ट का मतलब कोई हंसी मजाक नहीं है। नार्को टेस्ट दिमाग के कम्प्यूटर को खोलने का काम करता है। केवल इस बात के लिए कि यह सरकार 6 महीने में गिर जायेगी। अभी नेता प्रतिपक्ष कहकर गए हैं कि एक साल नहीं तो डेढ़ साल में सरकार बदल जायेगी। यह कौन का इंसाफ है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं कि यह बहस के साथ-साथ आप इस पर निर्णय भी दें कि रासुका हटाई जाए और उस बेगुनाह आदमी को उस हाजी आदमी को जो धर्म का प्रचारक व्यक्ति है जो धर्म का प्रचार करता है और जो बेगुनाह है उस व्यक्ति को जेल से मुक्ति दिलाने का काम आप करेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मीनारायण)-

मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं सरकार को एक साल चलना है या डेढ़ साल चलना है।

श्री कौकब हमीद-

मंत्री जी, यह नान-सीरियल मैटर है। यह डी0पी0सी0 खाद आई या नहीं आई, यह मैटर नहीं है किसी की जिन्दगी का मैटर है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, किसी का अफवाह फैलाना भी जुर्म होता है और अगर ऐसी कोई अफवाह फैलाई जाए जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो यह और ज्यादा जुर्म होता है। फिर भी मान्यवर उन पर जिस आधार पर एन0एस0ए0 लगाई गई है। मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने जिस बात को कहा है उसको दिखवा लिया जायेगा और जैसा उचित होगा नियमों के अनुसार वही किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

दिखवा लीजिएगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अफवाह फैलाना न फैलाना कानूनन जुर्म है, बिल्कुल है तो मान्यवर, जिसने अफवाह फैलाई वह तो हारून सिद्दीकी है उसके खिलाफ क्यों नहीं लगवाई। अब दिखवा रहे हो। आपको सब पता है आपको कोई सुराग नहीं मिला आप ढूढते रहे हैं अगर अफवाह फैलाने पर धारा लगानी है तो हारून सिद्दीकी पर लगाओ। उसने नशे के अन्दर अफवाह फैलाई। आप गौर करो माननीय मुख्य मंत्री जी चार बार मुख्य मंत्री रही हैं। आपने उन्हें इतना छोटा बना दिया कि हर मोहल्ले के अन्दर हर दुकान के अन्दर उनको मारने की साजिश हो रही होगी। यह तो आपके अध्यक्ष ने फैलाया है।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवाने की बात कही है।

श्री अब्दुल कलाम-

यह गम्भीर मामला है इसको हल्केपन से ले रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने इस बात का बता दिया फिर भी जो बात उठाई गई है इसको पुनः दिखवा लिया जाएगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पुनः दिखवा लेंगे। मैंने कोकब साहब को सुना, अजय तोमर जी को सुना मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-311 में नहीं आता है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं अग्राह्य कर चुका हूं।

* चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, प्रदेश की सबसे बड़ी नेता जिसकी हत्या की साजिश बागपत में रची जा रही है। हमारी सारी एल0आई0यू0 इंटेलीजेंस क्या कर रही थी ? लोकल अधिकारी क्या कर रहे थे उनको जानकारी तक नहीं हुई। यह किसी आम आदमी की हत्या की बात नहीं प्रदेश की मुख्य मंत्री की हत्या की बात हो रही थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

फिर दिखवा लेंगे कहा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने कहा है इसको दिखवा लेंगे।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11 सन् 1966 में धारा 20 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 20 में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में-

(क) खण्ड (कक) में उपखण्ड (iii) निकाल दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ककक) किसी व्यक्ति को, जो केवल जमा करने के लिये किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य बनता है और

उसने समिति से कोई ऋण व्यवसाय नहीं किया है, मतदान का अधिकार तभी होगा यदि उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिये नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिये समिति में कम से कम एक हजार रुपये जमा धनराशि अनुरक्षित किया हो।"

3-मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (7) में, शब्द "छः माह" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "एक वर्ष और छः माह" रख दिये जायेंगे। धारा 29 का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007

(जैसा कि इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ प्रेषित किया गया था और जो दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के आर्टिकिल 174 और नियम-250 में जो प्राविधान है, उसकी टेक्निकल्टी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, जिस तरह से विधान सभा ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको पारित करके भेजा और 3 महीने तक विधान परिषद् में प्रवर समिति के सुपुर्द होने के बाद भी प्रवर समिति की बैठक न कराकर अब यहां ला रहे हैं, इसी पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि नियमावली, संविधान या किसी भी कानून में जो प्राविधान बनाये गये हैं, उनको पढ़ने के तरीके बनाये गये हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि उनके पीछे जो तरीका बताया गया है, हर चीज को शब्दशः नहीं पढ़ा जा सकता है, इसकी मंशा क्या थी और इसकी मंशा से यह स्पष्ट है कि दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, यदि नहीं पारित हो तो क्या प्राविधान हो और प्रवर समिति को सुपुर्द होने पर 3 महीने और 6 महीने उसकी बैठक न करायें और 3 महीने बाद पुनः प्रस्तुत कर दें तो यह संविधान और नियमावली की भी अनदेखी हो जायेगी। मंत्री जी ने प्रवर समिति की बैठक नहीं बुलायी और कह रहे हैं कि जैसा पारित किया था, वैसा ही पारित कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में इन नियमों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता कि प्रवर समिति के सुपुर्द तो यह हो गया और प्रवर समिति के प्रभारी स्वयं माननीय मंत्री जी हैं, उसकी बैठक बुलायी नहीं और कहते हैं कि वहां पारित नहीं हुआ और मान्यवर, जिस दिन यहां से पारित हुआ था, उस दिन की स्थिति आज है। 75 संशोधनों के साथ यह विधेयक लाया गया था और फिर बिना किसी संशोधन के हड़बड़ी में रखा जा रहा है।

मान्यवर, यह बिना विचार किए हड़बड़ी में और उन्हीं अविचारित संशोधनों के साथ ज्यों का त्यों रखा जा रहा है तृतीय पार्ट के लिए वह खतरे ज्यों के त्यों हैं। मान्यवर, हमारे यहां जितने कानून उपलब्ध हैं वह अपराध पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त हैं और उनसे आतंकवाद और तमाम अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। मान्यवर, इसका दुरुपयोग वैसे ही होगा जैसे मान्यवर, पार्लियामेट में वाक्या ने इसका बड़ा समर्थन किया था और तमिलनाडु में सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ इसका उपयोग किया गया था। इसी प्रकार से यह कानून किसके-किसके खिलाफ होगा मैं उसका नाम आज नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी हड़बड़ी में यह पारित कराना चाहते हैं और राजनैतिक द्वेष के कारण इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरजेंसी से भी सख्त प्राविजन इसमें लागू करने का प्रयास किया गया है। यह बहुत खतरनाक है। मैं आग्रह करता हूं कि इसको आज पारित करने के लिये न रखें, इसको आज वापिस ले लें और प्राविधानों को ठीक करके इसको सदन में ले आयें। आपको पारित कराना है आपके पास बहुमत है आप पारित करा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चौधरी साहब ने नियम 250 का हवाला दिया। नियम 250 में सभापति के सम्बन्ध में है। जहां तक संविधान के 197 अनुच्छेद में लिखा है कि "धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन"। इसमें संविधान में यह दिया है कि अगर किसी विधेयक का 3 महीने से ज्यादा बिना पास किए हुए या उस पर बिना निर्णय लिए हुए बीत गये हों तो वह पुनः तृतीय पाठन के लिए यहां पर आएगा तो उसी शक्तियों के अनुरूप

विधान सभा में यह विधेयक आया है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह प्रदेश के हित में है। प्रदेश के गुण्डा, माफिया जो हैं, उनके विरोध में है। इसलिए मान्यवर, हम चाहेंगे कि इसको पारित कराने की कृपा करें।

(विरोध स्वरूप श्री अम्बिका चौधरी ने अपने सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 जो इस सदन द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 फरवरी, 2008 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण इस प्रकार है।

पहली सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा शहर में दूषित पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की प्रदेश में खराब बिजली मीटर के उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 500 यूनिट बिजली का बिल वसूलने का आदेश निर्गत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में पाले के कारण हुयी फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर स्थित थाना बिहारीगढ़ के ग्राम सुन्दरपुर के श्री सलीम अहमद के घर आगजनी के कारण हुयी मौत से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा के ग्राम अफलेपुर निवासी राजाराम जायसवाल के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की बुन्देलखण्ड में गरीबों के लिए बी0पी0एल0 की सूची शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक एवं पुलिस शौर्य पदक प्राप्त प्रदेश के अधिकारियों, अर्द्धसैनिक पुलिस बल के जवानों को सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में

है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी पर निर्मित कोडरी पुल को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नौवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद में सरयू नदी में शेरवा घाट पर पीपे का पुल न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी

2-श्रीमती सीमा द्विवेदी

3-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी

4-श्री सुरेन्द्र प्रताप मिश्र

5-श्री सुन्दर लाल लोधी

6-श्री सर्वेश सिंह

7-श्री राम विशुन आजाद

8-श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह

9-श्री अब्दुल कलाम

10-श्री लालजी यादव

11-चौधरी सत्यपाल सिंह

12-डा0 अजय तोमर

13-श्री अनूप कुमार गुप्ता

14-डा0 राजेन्द्र सिंह

15-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

16-श्री काशीराम

17-श्री यशपाल सिंह चौहान

18-श्री कादिर राणा तथा

19-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

13 फरवरी, 2008

राजेन्द प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर।)

वर्ष 2006-2007 में पथकर से प्राप्त धनराशि से कराये गये विकास कार्य

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन (रुपये लाख में)
1	2	3
1	शिल्पग्राम के निकट जल संस्थान की पाईप लाईन शिफ्टिंग का कार्य (जल निगम)	37.00
2	ताजगंज वार्ड शमशाबाद स्थित कावेरी बिहार से सराय पुख्ता तक नाले का कार्य	15.90
3	ताजमहल गेट पर बैरियर, बैरिकेटिंग व स्पीड ब्रेकर का कार्य	14.01
4	जनेसर रोड से जगदम्बा कालेज होकर कैनाल तक सड़क व नाली निर्माण (भीम नगरी)	30.00
5	रामबाग चौराहे से स्ट्रैची ब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण व नाली तथा सेन्ट्रल वर्ज का निर्माण कार्य	207.15
6	दिल्ली गेट से आर0बी0एस0 चौराहे तक रोड का चौड़ीकरण एवं बी0एम0एस0डी0सी0 का कार्य	50.00
7	एम0जी0 रोड से नवल किशोर जाने वाले मार्ग पर सेण्ट्रल वर्ज का निर्माण	0.84
8	संजय प्लेस में आजाद पेट्रोल पम्प के पास सीवर का सुधार कार्य (आगरा नगर निगम)	20.00
9	सूरसदन व देवरी रोड के नाला निर्माण हेतु (जल निगम)	250.00
10	सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा ताज के पूर्वी गेट कार्यों में प्रयुक्त वन विभाग की भूमि का प्रतिकर	52.00
11	जे0पी0 तिराहे से ताजमहल के पूर्वी गेट तक लाईनिंग शिफ्टिंग का कार्य (जिलाधिकारी)	48.43
12	केदार नगर शंकरगढ़ पुलिया से पृथ्वीनाथ फाटक तक सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण	65.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
13	तहसील से पंचकुईया चौराहा होते हुये नालबंद तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था	80.00
14	बिचपुरी रोड का 4 लेन चौड़ीकरण व नाला निर्माण कुल लागत रु0 525.00 लाख	100.00
15	अवन्तीबाई चौराहे से सदर थाना होते हुए ग्वालियर रोड तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य	84.38
16	वाटर वर्क्स चौराहे से ताजब्यू होटल तक यमुना किनारा मार्ग के रख-रखाव का कार्य	15.00
17	हाथीघाट रेलवे ब्रिज के पास किले के पीछे पत्थर की ईंटों का खड़ण्जा लगाने का कार्य	4.52
18	बिजली घर चौराहे से बुद्ध बिहार बस स्टेण्ड होते हुए ऑलिया रोड तक सड़क व नाली सुधार कार्य	126.34
19	महात्मा गांधी मार्ग पर हरीपर्वत चौराहे से भगवान सिनेमा तक जल संस्थान के रख-रखाव मेन हाल उठाने का कार्य	2.15
20	महात्मा गांधी मार्ग व अन्य के वार्षिक रख-रखाव का कार्य	15.00
21	बिजली घर चौराहे से काठ की पुलिया का सुदृढ़ीकरण	50.00
22	पृथ्वीनाथ फाटक से शंकरगढ़ पुलिया केदारनगर तक प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य	25.00
23	टी0डी0आई0 सिटी से ट्राईडेन्ट तिराहा, शास्त्री चौराहे से ए0डी0आर0डी0आई0 चौराहा आर0ओ0बी0 से खेरिया एयरपोर्ट तक निर्माणाधीन मार्ग विभाजक पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य	199.00
24	महात्मा गांधी मार्ग यमुना किनारा मार्ग, शमशाबाद मार्ग पर कैट आई एवं डेलीनेटर पोस्ट, कैन्टीलीवर एवं ओवर हेड रैक्टो रिफलैक्टिव बोर्ड लगाने का कार्य	75.00
25	सदर स्थित लाइब्रेरी की बाउन्ड्रीवाल का कार्य (लोक निर्माण विभाग)	1.25
26	बैटरी बस डिपो में शेड की मरम्मत, नये शेड का निर्माण, मरम्मत सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था वर्कशाप फ्लोर का निर्माण, टाइम आफिस का निर्माण, विद्युत शवदाह गृह एवं बैटरी बस डिपो के मध्य पार्टीशन वाल का निर्माण	20.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
27	आगरा परिक्षेत्र में देशी/विदेशी पर्यटकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु होर्डिंग्स लगाने का कार्य	38.00
28	सुरक्षा एजेन्सियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु दशहरा घाट एवं ताजमहल के पार्श्वभाग में अतिरिक्त प्रकाश बिन्दु लगाने का कार्य	5.00
29	ग्यारह सीडी स्मारक निकट महताब बाग तक सड़क सुधार व सौन्दर्यीकरण मार्ग प्रकाश एवं प्राचीन मस्जिद कच्छपुरा का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य एवं पर्यटक सुविधा	25.00
30	मरियम टाम्ब की सम्पर्क मार्ग सुधार एवं पर्यटक सुविधायें	10.00
31	ताज रोड पर पर्यटन कार्यालय में पर्यटन केन्द्र का विकास कार्य	5.00
32	आगरा किला में आधुनिक शौचालय का निर्माण ए0एस0आई0 एवं ए0डी0ए0 की वित्तीय सहभागिता के आधार पर (13+13=26 लाख)	26.00
33	स्मारकों पर नये आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु ए0एस0आई0 को भुगतान	20.00
	योग :-	1716.97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये प्राप्त संशोधन के लिए पीछे पृष्ठ 104 पर।)

2 श्री ओम प्रकाश सिंह,
श्री सुरेश कुमार खन्ना
तथा
श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही।

[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-समाज की आस्था व श्रद्धा के केन्द्र श्री राम को लांछित और अपमानित करने हेतु पेरियार द्वारा लिखित 'सच्ची रामायण' को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में,

2-भारतीय समाज की आस्था एवं भारतीय संस्कृति की केन्द्र गंगा नदी को प्रदूषित एवं अस्तित्वहीन करने तथा प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने व किसानों की 2-3 फसली उपजाऊ जमीन से भूमिहीन करने वाली एक अवैज्ञानिक परियोजना-गंगा एक्सप्रेस वे को निरस्त करने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश के गन्ना किसानों के पूरे भुगतान एवं उत्पादन वृद्धि एवं पेराई से परेशान गन्ना किसानों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में,

4-बुन्देलखण्ड के 7 जिले, सोनभद्र व चन्दौली के वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों का शत-प्रतिशत कर्ज माफ करने, सभी को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किये जाने, कुपोषण से ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं वृद्धों की स्वास्थ्य सुविधा व पोषण आहार व्यवस्था के सम्बन्ध में,

5-पशुओं को मुफ्त चारे की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने, आतंकियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने, आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों पर रोक लगाने एवं सिमी को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

8-आलू किसानों की समस्याओं का समाधान करने, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं नहरों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पाले से नष्ट फसलों का मुआवजा देने के सम्बन्ध में,

10-नोएडा एवं आगरा के किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण न करने के सम्बन्ध में,

11-परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों, परिवहन निगम के बस अड्डे एवं निगम बसों के रूटों को निजी हाथों में न देने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में बढ़ते अपराध विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अपराधियों एवं माफियाओं के द्वारा हत्या और लूट को रोकने के सम्बन्ध में,

13-भूजल के गिरते जलस्तर को रोकने और सुधारने के सम्बन्ध में,

14-प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के सम्बन्ध में,

15-नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने एवं पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

16-छात्र संघों की बहाली के सम्बन्ध में तथा

17-किसानों की फसल बीमा को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं उसकी कमियों को सुधार कर सभी लाभान्वित किसानों को त्वरित भुगतान के सम्बन्ध में।"

3 श्री प्रमोद तिवारी,
श्री रामसेवक,
श्री आर0पी0एन0 सिंह,
श्री शिव बालक पासी,
श्रीमती अमीता सिंह,
श्री अजय कपूर,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री प्रदीप माथुर,
श्री संजीव दरियाबादी,
श्री प्रदीप जैन आदित्य,
श्री विवेक कुमार सिंह,
श्री संजय कपूर,

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने तथा उनका उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में,

2-अफसरशाही बेलगाम हो गई है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह बन्द होने के सम्बन्ध में,

5-अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

श्री राजाराम त्यागी,
श्री शिव गणेश लोधी,
श्री अजय पाल सिंह,
श्री अशोक सिंह,
चौधरी रवीन्द्र प्रताप,
श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला,
श्री माधो पासवान,
श्री विनोद चतुर्वेदी तथा
श्री पंकज मलिक।

6-उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के नाम से अलग-अलग राज्यों के गठन किये जाने के सम्बन्ध में,

7-विगत 5 वर्षों से बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे को देखते हुए पुनर्वास के लिये बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

8-पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुए बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

9-बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश की बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गई है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अंतर आ गया है जिसके कारण प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। ग्रामीण अंचलों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

14-अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर एवं मथुरा बिजनौर आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गई है। कैरोसीन/मिट्टी का तेल रु0 35-40/- प्रतिलीटर बिक रहा है, और उर्वरक रु0 500/-प्रति बोरी बिक रही है। कन्ट्रोल

रेट पर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं, और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बिक रहे हैं, पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

16-किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुए समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

17-गन्ना किसानों को रु0 175/-प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

19-बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-शुगर मिल पडरौना एवं शुगर मिल रामकोला खेतान को शीघ्र चलाया जाय और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-जनपद कुशीनगर में रोजगार गारन्टी योजना में व्यापक पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं मानक निदेशकों के अनुपालन न होने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-जनपद गोरखपुर के सरदार नगर स्थित शुगर मिल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य किसानों को न देकर रु0 75/-प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

23-जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील-सदर नौगढ़ में पिठनी घाट एवं करधुलिया घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

24-जिला सहकारी बैंक, सिद्धार्थनगर के किसानों का जमा धन को वापस दिलवाये जाने के सम्बन्ध में,

25-जनपद रायबरेली में संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र सतांव व सरेनी में रिमाडलिंग योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पुरवा व मौरावां ब्रांच की नहरों की सफाई कार्य हेतु दिये गये 109 करोड़ रु0 का अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-जनपद बिजनौर में विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

27-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र अमेठी में राशन कार्ड अपात्रों को न देकर पात्र व्यक्तियों को दिये जाने के सम्बन्ध में,

28-उद्योग शून्य जनपद सिद्धार्थनगर में उद्योग लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

29-जनपद कानुपर नगर में हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

30-बुन्देलखण्ड में किसानों के कर्जे माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

31-जनपद झांसी एवं बांदा में सूती मिल लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

32-बुन्देलखण्ड के किसानों का पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

33-जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र बघरा में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-बुन्देलखण्ड में चेक डैम बनवाये जाने एवं ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

35-बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

36-लघु सीमान्त किसानों की तरह मध्य एवं उच्च किसानों को सूखा राहत सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

37-म0 प्र0 सरकार से वार्ता कर बुन्देलखण्ड की नहरों में किसानों को सिंचाई राहत दिये जाने के उद्देश्य से पानी खोले जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

38-जनपद कानपुर नगर की जे0के0 काटन/जूट मिल को खोले जाने के सम्बन्ध में,

39-कानुपर नगर जनपद का सीवर सिस्टम ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में,

40-कानपुर नगर जनपद की जर्जर सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

41-कानपुर नगर जनपद की विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

42-जे0एन0यू0आर0एम0 योजना को जनपद कानपुर नगर में लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

43-जनपद रामपुर की मिलक तहसील में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

44-जनपद रामपुर के मिलक विलासपुर मार्ग को हाट मिक्स से बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

45-जनपद रामपुर की मिलक तहसील के सेजनी नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

46-पथपुरी चनपुर मार्ग, जनपद रामपुर में पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

47-जनपद रामपुर के विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

48-जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर की तहसील भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

49-ग्राम पिपलिया मिश्र, तहसील बिलास, रामपुर में इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

50-ग्राम सिलई बड़ा गांव, तहसील मिलक, रामपुर में इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

51-बुन्देलखण्ड को अलग राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,

52-जनपद झांसी में जल स्तर सर्वेक्षण के रिमोट सेंसिंग कार्यालय को पुनः झांसी में खोले जाने के सम्बन्ध में,

53-झांसी मेडिकल कालेज में अकाल की स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों के लिये निःशुल्क दवाओं का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

54-न्यूरोलॉजी विभाग एवं कैंसर विभाग, झांसी मेडिकल कालेज में तत्काल प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में,

55-मान्यता पर खतरा होने के कारण मानक के अनुसार झांसी मेडिकल कालेज में स्टाफ एवं लेक्चरर की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

56-जनपद झांसी एवं बुन्देलखण्ड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके पर्यटन योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

57-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये स्वीकृत उच्च मेडिकल कालेज, जो झांसी से स्थानान्तरित कर दिया गया है, का निर्माण पुनः झांसी में प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में,

58-जनपद झांसी में 220 के0वी0ए0 का पावर हाउस तत्काल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

59-बुन्देलखण्ड में भुखमरी रोकने के लिये बुन्देलखण्ड कैडर बनाकर सभी नौकरियों में बुन्देलखण्ड के लोगों को आरक्षण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,

60-बुन्देलखण्ड में उत्पादित होने वाली बिजली के लिये बुन्देलखण्ड ग्रिड बनाकर बुन्देलखण्ड के लोगों को प्राथमिकता के तौर पर बिजली दिये जाने एवं बाकी नेशनल ग्रिड को दिये जाने के सम्बन्ध में,

61-जनपद झांसी के ऐतिहासिक झांसी ताल एवं आतिया ताल के सौन्दर्यीकरण हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

62-बुन्देलखण्ड में 500 नये नलकूपों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

63-बुन्देलखण्ड के महोबा में एवं पाली में पान उद्योग, झांसी में सूती मिल, कालपी में हाथ से बनाया जाने वाला कागज उद्योग, ललितपुर में वन औषधि उद्योग के लिये विशेष योजना बनाये जाने एवं सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में,

64-झांसी सूती मिल कर्मचारियों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

65-बुन्देलखण्ड वित्तीय राज्य निगम को बन्द न किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

66-बुन्देलखण्ड में उद्योगों के लिये नई सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में,

67-झांसी महानगर के कर्मचारियों को बी श्रेणी का मकान भत्ता एवं सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,

68-झांसी में आयुर्वेदिक कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देकर वहां पर रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

69-झांसी अन्तर्राज्यीय बस अड्डा का उच्चीकरण करके उसका तत्काल क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में,

70-जनपद झांसी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को ठीक कराये जाने एवं नई टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

71-झांसी के रस्का, भगवन्तपुरा, गुरपुरा, रानीपुर, चिरगांव क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

72-झांसी नगर निगम में इंजीनियर एवं कर्मचारियों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

73-झांसी नगर निगम के सभासदों को मानदेय एवं भत्ता मिलने के लिये 74वां संशोधन लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

74-बुन्देलखण्ड में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

75-स्प्रिंगक्लर्क सेट पर दस प्रतिशत की सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में,

76-झांसी में सरकारी विद्यालय/कालेज भवनों जो जर्जर हालत में हैं, का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

77-महारानी लक्ष्मीबाई के बंशजों को प्रदेश में राजकीय सम्मान दिये जाने के सम्बन्ध में,

78-जनपद झांसी में जर्जर ग्रामीण मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में,

79-जनपद झांसी में शिक्षा, कृषि, पुलिस एवं अन्य विभाग में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

80-झांसी मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में,

81-विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड-जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, बाजार शुक्ल में पूर्ववत् की भांति विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

82-देवकली रजबहा एवं कटेहरी रजबहा में पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

83-राजकीय डिग्री कालेज मुसाफिरखाना में कला संकाय की कक्षायें चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

84-विगत कई वर्षों से चलाई जा रही सरयू नहर परियोजना जो अभी अपूर्ण है, उसे पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

85-जनपद सिद्धार्थनगर के किसानों के गन्ने की सप्लाई तुलसीपुर व अटवमा में लगी मिलों में सप्लाई सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

86-जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी में महाविद्यालय तथा विकास खण्ड-बढ़नी एवं शोहरतगढ़ में बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

87-माओवादी, आतंकवादी एवं आई0एस0आई0 की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सिद्धार्थनगर के बार्डर क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

88-जनपद सिद्धार्थनगर के लखनापार बाग में अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि के मुआवजे का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में,

89-ताज एक्सप्रेस हाइ-वे के अंतर्गत किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं केन्द्र शासित प्रदेश हरियाणा के पैकेज/ गंगा एक्सप्रेस-वे पैकेज के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में,

90-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्थल मथुरा एवं वृन्दावन नगरपालिका क्षेत्र से प्रवेश कर तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

91-मथुरा एवं वृन्दावन में यमुना नदी पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट द्वारा उत्सर्जित जल को प्रवाहित करने के लिये नगरपालिका के स्थान पर जल निगम इकाई, मथुरा द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में,

92-उत्तराखण्ड बंटवारे के बाद धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण स्थल मथुरा एवं वृन्दावन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के लिये पांच सौ करोड़ रु0 का विशेष पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

93-इलाहाबाद में नजूल भूमि पर पुश्तैनी रूप से बसे कमजोर वर्ग के सागर पेशावासियों को 100 वर्ग गज जमीन निःशुल्क दिये जाने अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04-1-1987 को उ0प्र0 सरकार बनाम पी0डी0 टण्डन आदि में दिये गये निर्णय के अनुसार पुनर्वासन न होने तक न उजाड़े जाने के सम्बन्ध में,

94-इलाहाबाद में जे0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में निवासित लोगों को 50 वर्ग गज भूमि या आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

95-गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

96-राजकीय आस्थान की भूमि पर बसे मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों को बड़े-बड़े पूंजीपतियों अथवा 01 दिसम्बर, 1998 की नजूल नीति के समान फ्रीहोल्ड नीति बनाकर नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

97-माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में,

98-उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का निजीकरण न करने तथा निगम को सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

99-गंगा एक्सप्रेस-वे को आवासीय बस्तियों/गांवों/मोहल्लों से न गुजारने/निर्माण करने के सम्बन्ध में,

100-शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाना चाहिये तथा पड़ोसी राज्यों के बराबर मानदेय/वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

101-जो जूनियर विद्यालय अनुदान सूची में छूट गये हैं उन जूनियर विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में।"

4 श्री कौकब हमीद,
चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
श्री पूरन प्रकाश,
श्री कादिर राणा,
डा0 अजय तोमर,
श्री अब्दुल वारिस खां,
श्रीमती विमलेश सिंह,
डा0 अनिल चौधरी,
चौ0 सत्यपाल सिंह तथा
श्री मदन भैया।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश के समस्त डार्क घोषित विकास खण्डों की स्थिति बुन्देलखण्ड जैसी है इन विकास खण्डों में पेयजल, सिंचाई, भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने हेतु विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्राथमिक विद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी को अविलम्ब पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में

3-ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत दिये जाने व बिजली विभाग में लाइनमैन, कनिष्ट अभियन्ता स्वास्थ्य में पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

4-पालीटेक्निक विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम की व्यवस्था प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर किये जाने का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश के पूरे सिंचाई तंत्र नहर, राजबाहा, माइनर व गूल (नाली) को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के पांच वर्षीय प्रास्पेक्टिव प्लान में शामिल किये जाने एवं नहरी तंत्र की सफाई नियमित होकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

6-नवसृजित जनपदों में सहकारी बैंक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

7-गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण रोककर राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को 8 लेन अथवा 12 लेन किये जाने के सम्बन्ध में,

8-राजकीय कर्मचारियों के रुके भत्ते/नगदीकरण बहाल किये जाने एवं केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति षष्ठम् वेतन आयोग का गठन किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9-गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान ब्याज सहित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के आलू किसानों के हितों को देखते हुए किराया नियंत्रण लागू किये जाने एवं बन्द पड़े शीतगृहों को चलाने एवं आलू भण्डारण क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

11-गेहूं व अन्य फसलों का लाभकारी मूल्य किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में भूख व कर्ज से आत्महत्या कर रहे किसानों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

13-सूखा व बाढ़ पीड़ित किसानों का कर्ज ब्याज सहित माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

14-व्यावसायिक शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-खाद्य पदार्थों तथा दूध, खोया में मिलावट पर नियंत्रण हेतु कठोर कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के गरीब मछुवारों को पर्याप्त मात्रा में मछुआ आवास दिये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश को बाढ़ से बचाने हेतु नेपाल एवं उत्तराखण्ड से आने वाली नदियों में डैम्प बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-रोजगार बढ़ाने हेतु प्रदेश में कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योग गांव-गांव में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में वृद्धा, विधवा तथा विकलांग पेंशन 400 रुपये किये जाने के सम्बन्ध में तथा

20-प्रदेश मे बुनकरों को रोजगार बढ़ाने के लिये ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में।"

5 श्री डी0 पी0 यादव तथा श्रीमती उमलेश यादव।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-

1-विधान सभा क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान जनपद बदायूँ में विद्युत के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान जनपद बदायूँ में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

3-जनपद बदायूँ का औद्योगीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान जनपद बदायूँ में खराब पड़े नलकूपों के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान जनपद बदायूँ में महिला पोलिटेक्निक अथवा महाविद्यालय न होने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र बिसौली एवं सहसवान जनपद बदायूँ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र सहसवान एवं बिसौली जनपद बदायूँ के परिवहन समस्या के सम्बन्ध में तथा

8-जनपद बदायूँ में पड़ी हुई हजारों एकड़ असिंचित भूमि के सिंचाई हेतु नई नहर निकालने के सम्बन्ध में।''

6 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार की भांति बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में,

2-उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार की भांति कन्या विद्या धन देने, किसान दुर्घटना बीमा देने के सम्बन्ध में,

3-जनपद बांदा में यमुना नदी पर बैराज बनाकर किसानों को गंगा नहर की भांति यमुना नहर बनाकर सिंचाई व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश के कश्यप, निषाद, बिन्द समाज के लोगों को मछुआ आवास उपलब्ध कराने हेतु जिला योजना में प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-उत्तर प्रदेश के कश्यप, निषाद, बिन्द समाज को बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन, नदी फेरी घाट का पट्टा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

6-उत्तर प्रदेश के निषाद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

7-उ0 प्र0 में कश्यप, निषाद, बिन्द समाज को पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव जी की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु दिनांक 10 मार्च, 2004, 31 दिसम्बर, 2004, 16 मई, 2006, 06 नवम्बर, 2006, 12 जनवरी, 2007 को भारत सरकार को भेजी गई सिफारिश को ब0स0पा0 सुप्रीमों मुख्य मंत्री जी द्वारा 06 जून, 2007 को कैबिनेट की बैठक में पास कर उपरोक्त प्रस्ताव निरस्त किये जाने की सिफारिश प्रस्ताव भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश में मोची जाति द्वारा जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रम संख्या-67 में दर्ज है द्वारा प्रमाण-पत्र न बनवा कर अनुसूचित जाति (चमार) का जाति प्रमाण-पत्र बनाकर सरकारी नौकरियों में व अन्य लाभ लेने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-बुन्देलखण्ड में स0पा0 कार्यकर्ताओं एवं जनता के ऊपर लिखाये गये फर्जी मुकदमों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-बुन्देलखण्ड के समस्त सूखा पीड़ित किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ किये जाने तथा खाने-पीने एवं पानी की व्यवस्था व पशुओं के चारे की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-बुन्देलखण्ड के समस्त सूखा पीड़ित किसानों को अगली फसल की बुआई हेतु निःशुल्क खाद, बीज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर मत्स्य आखेट पर रोक हटाये जाने एवं वन्य जीव विभाग द्वारा उत्पीड़न बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-जनपद वाराणसी में नाविकों एवं पर्यटकों के ऊपर लगाये गये वैट को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14-गंगा नदी, तलहटी, कटरी क्षेत्र को विकसित कर कटरी विकास निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-नोयडा से बलिया तक आठ लेन का गंगा हाई-वे बनाये जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

16-अम्बेडकर पार्क की भांति प्रदेश के प्रमुख महानगरों में एकलब्य पार्क बनवाने एवं मूर्ति स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी बांदा में किसानों को सिंचाई हेतु 100 राजकीय नलकूप लगवाने एवं पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कराये जाने एवं ग्राम गड़रिया, अमारा, वेन्दा, जौहरपुर, नरी, सवादा, साड़ी, खप्टिहाकला, दुरेड़ी, मटौध ग्रामीण, कनवारा, अमलीकौर, अमलोर, आदि के सभी मजरों, पुरवों एवं उसरा डेरा, चटगन, डिघवट, नई बस्ती, शंकरपुरवा मथुरापुरी, भूरागढ़ के मजरा पहाड़िया, बजवा डेरा तथा चौकीपुरवा, हूसीपुरवा, हरवंश पुरवा, गुरगवां, बछेउरा, परसौड़ा आदि गांव में एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-चिल्ला में राजकीय इण्टर कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में,

20-उत्तर प्रदेश के सभी चौकीदारों को शस्त्र लाइसेंस दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

21-उ0 प्र0 के सभी पी0 आर0 डी0 एवं होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन ड्यूटी एवं 100/- रुपया प्रतिदिन दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

22-शिक्षा मित्रों को अध्यापकों की तरह नियमित कराये जाने एवं पंचायत मित्र तथा आशा बहू को राजकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

23-जनपद बांदा में यमुना नदी पर बारा-गलौली के बीच पान्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने एवं

इछावर-बिन्दौर के बीच पान्टून पुल बनवाये जाने एवं चन्द्रावल नदी पर पड़ोहरा के नीचे पुल बनवाने के सम्बन्ध में,

24-केन नदी से हो रही कटान को रोकने हेतु ग्राम-पैलानी में दियावानी बाबा की मजार को बचाने हेतु एवं खप्टिहाकला, सिन्धनकला, तारा, चटगन, चिल्ला को बचाने हेतु पत्थर पिचिंग कराने के सम्बन्ध में,

25-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में सहूरपुर-बंसीडेरा, कानाखेड़ा नरावढ़, बुधेड़ा, बोर्धापुरवा, छोटा पुरवा, काशीपुरवा, दौलतपुर, पहड़िया, चहितारा पचुल्ला, चटगन, भवानीपुर, चिल्ला, चकला लौमर, बरेठी कला, बम्बिया दतरौली आदि सम्पर्क मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

26-मत्स्य विभाग में मछुवा पद पर निषाद, कश्यप, बिन्द समाज के लोगों का आरक्षण कर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-जिला चिकित्सालय बांदा में सिटी स्केन सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं महिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसपुरा, तिन्दवारी में रिक्त डाक्टरों एवं स्टाफ की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-बुन्देलखण्ड के सभी तहसील दिवसों एवं क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में ज्यादातर अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में,

29-उ0 प्र0 में ब0स0पा0 सरकार द्वारा जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्षों का गलत ढंग से पुलिस दबाव बनाकर अविश्वास कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के ग्राम-भूरागढ़ के मजरा पहड़िया, बजवा डेरा, खप्टिहाकला के मजरा अहिरनपुरवा, बाढ़ पीड़ित नयी बस्ती, ग्राम अमारा के मजरा, रामलाल डेरा, घीहाडेरा, ग्राम बरेहटा के मजरा, दिप्पा डेरा, गड़रिया के मजरा बड़ा खोढ़, छोटा खोढ़, चन्ना डेरा, भूरा का डेरा, नरायन डेरा, नोनहा डेरा, ग्राम तारा के मजरा बजरंगी डेरा, फूलचन्द्र निषाद का डेरा तथा ग्राम इच्छावर के मजरा पन्डवन डेरा, पुसवा डेरा में 250 से अधिक आबादी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में तथा

31-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के ग्राम साड़ी, झंझरीपुरवा, पथरी रेहुटा, बरेहटा, खप्टिहाखुर्द, नरायढ़, नांदा देव, अमलोर, बंशी डेरा, डिघवट, चकचटगन में पी0 एच0 सी0 अस्पताल एवं पशु चिकित्सालय खोलवाये जाने के सम्बन्ध में।"

7 श्री इमरान मसूद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद सहारनपुर में प्रदेश में लगातार हो रही गरीबी व भुखमरी के कारण आत्महत्याओं पर कोई ठोस कार्यक्रम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद सहारनपुर में गन्ना मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान तुरन्त कराने के सम्बन्ध में,

3-जनपद सहारनपुर में प्रदेश के लाखों बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

4-जनपद सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निजी बसों का संचालन रोकने के पश्चात करीब चालीस हजार बेरोजगारों की समस्या के सम्बन्ध में,

5-जनपद सहारनपुर में प्रदेश में दूषित वैट प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव न दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद सहारनपुर में काष्ठ कला (फर्निचर) उद्योग को वैट के दायरे में लाकर लाखों मजदूरों को बेरोजगार किये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद सहारनपुर में सहारनपुर में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद सहारनपुर में ग्राम सागाठेडा, थाना गंगोह, सहारनपुर में एक घर के पांच लोगों द्वारा आत्महत्या किये जाने के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद सहारनपुर में प्रदेश में नगरपालिकाओं/नगर निगमों द्वारा संचालित पशु वधशालाओं को आधुनिक किये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में हो रही धांधली को रोकने के सम्बन्ध में,

11-जनपद सहारनपुर में ग्राम छुटमलपुर, फतेहपुर, नानका, गंदेवडा, पुवॉरका ब्लाक मुजफ्फराबाद को मिलाकर नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद सहारनपुर में ग्राम छुटमलपुर में डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13-जनपद सहारनपुर में ग्राम मिर्जापुर/कुरडीखेड़ा में हवाई पट्टी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद सहारनपुर में ग्राम रसूलपुर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति हेतु किसानों की उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद सहारनपुर में ग्राम खुजनावर में सामुदायिक केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-जनपद सहारनपुर में ग्राम कुरडीखेड़ा ब्लाक मुजफ्फराबाद में पेयजल योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद सहारनपुर में ग्राम पांडली ब्लाक सढौली कदीम में पेयजल योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में,

18-जनपद सहारनपुर में घाड क्षेत्र ब्लाक मुजफ्फराबाद/सढौली कदीम में सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

19-जनपद सहारनपुर में ग्राम मिर्जापुर/गांढा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-जनपद सहारनपुर में ब्लाक मुजफ्फराबाद/सढौली कदीम में वन गुर्जरों के पुनर्वास के सम्बन्ध में,

21-जनपद सहारनपुर में ग्राम बिहारीगढ़, रायपुर, मिर्जापुर, बेहडा सन्दलसिंह, धौलाकुआं में बिजलीघर 33 के0वी0ए0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-जनपद सहारनपुर में मां शाकुम्बरी देवी को जाने वाली नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23-जनपद सहारनपुर में घाड क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों पर गिरते भू- जल स्तर को रोकने के लिये चेक डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

24-जनपद सहारनपुर में ग्राम हिन्दुवाला/डाडल/ख्वासपुर में बरसाती नदी द्वारा कटाव रोकने हेतु तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-जनपद सहारनपुर में घाड क्षेत्र में समस्त पेयजल योजनाओं पर जनरेटर लगाये जाने के सम्बन्ध में,

26-जनपद सहारनपुर में बादशाही बाग से मोहण्ड को जाने वाले वन मार्ग को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में,

27-जनपद सहारनपुर में ग्राम बादशाही बाग में राजकीय इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

28-जनपद सहारनपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज खोले जाने के सम्बन्ध में,

29-जनपद सहारनपुर में ग्राम कलसिया में बालिका इण्टर कालेज व महिला पालिटेक्निक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

30-जनपद सहारनपुर में नगर सहारनपुर में सीवर लाइन व पेयजल लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

31-जनपद सहारनपुर में कल्पना टाकिज से मण्डी समिति तक जाने वाले मार्ग को डिवाइडर लगाकर व वन वे किये जाने के सम्बन्ध में,

32-जनपद सहारनपुर में चिलकाना रोड से देहरादून रोड वाया नुमाइश कैम्प में जाने वाले मार्ग को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में,

33-जनपद सहारनपुर में नगरपालिका सहारनपुर जैन मन्दिर से लेकर कुतुबशेर तक आने वाले मार्ग में डिवाइडर चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में,

34-जनपद सहारनपुर में काष्ठकला उद्योग को बचाने हेतु मण्डी रोड व खाताखेड़ी आदि लगने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक क्लैस्टर बना कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

35-जनपद सहारनपुर में काष्ठ कला उद्योग से जुड़े मजदूरों के परिवारों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाये जाने के सम्बन्ध में,

36-जनपद सहारनपुर में सहारनपुर नगर में बने अम्बेडकर स्टेडियम को सुन्दर किये जाने के सम्बन्ध में,

37-जनपद सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट्स कालेज हेतु भूमि अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में,

39-जनपद सहारनपुर में नगर सहारनपुर के चौराहों को सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

40-जनपद सहारनपुर में आम के बाग पाले के कारण सूखने पर किसानों की आर्थिक मदद के सम्बन्ध में,

41-जनपद सहारनपुर में गन्ने की फसल पाले के कारण सूखने पर किसानों की आर्थिक मदद के सम्बन्ध में,

42-जनपद सहारनपुर में ग्राम खैरी मढती/ढाबा/अकबरपुर बॉस, ब्लाक सढौली कदीम में पेयजल योजना लगाने के सम्बन्ध में,

43-जनपद सहारनपुर में ग्राम गणेशपुर, सुन्दरपुर, बिहारीगढ़, तोत्ता टाण्डा, टाण्डा मानसिंह खुशहालीपुर में हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

44-जनपद सहारनपुर में कस्बा रामपुर से ग्राम सागाटेडा मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

45-जनपद सहारनपुर में देवबन्द मंगलोर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

46-जनपद सहारनपुर में सीडकी चौराहे से झबरेडा मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

47-जनपद सहारनपुर में सीडकी चौराहे से वाया लाखनोर नागल व पेपर मिल तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

48-जनपद सहारनपुर में अम्बाला रोड भाऊपुर की पुलिया से चिलकाना रोड तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

49-जनपद सहारनपुर में अम्बाला रोड भाऊपुर की पुलिया से कुम्हारहेड़ा गंगोह रोड तक सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

50-जनपद सहारनपुर में ग्राम रेडीमलकपुर से छिदवना तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

51-जनपद सहारनपुर में ग्राम थरोली से नाले की पटरी-पटरी बिडवी शुगर मिल चौराहे (गंगोह रोड) तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

52-जनपद सहारनपुर में मानकमऊ नहर के पुल से वाया रेडीमलकपुर से कस्बा रामपुर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

53-जनपद सहारनपुर में ग्राम नन्हेडा गुर्जर में डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

54-जनपद सहारनपुर में कस्बा तीतरो में तालाब की दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

55-जनपद सहारनपुर में अम्बेटा में पेयजल योजना बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

56-जनपद सहारनपुर में कस्बा बेहट में पेयजल योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

57-जनपद सहारनपुर में ग्राम उमाही कोट्टा की दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

58-जनपद सहारनपुर में ग्राम शेखपुरा कदीम में पेयजल योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

59-जनपद सहारनपुर में गंगोह से लखनौती मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

60-जनपद सहारनपुर में ग्राम कुण्डा से सनौली तक बांध पर सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

61-जनपद सहारनपुर में पिलखनी डिस्टिलरी द्वारा लगभग तीस गांवों का पानी दूषित होने के कारण पेयजल संकट दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

62-जनपद सहारनपुर में गंगोह को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,

63-जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगोह में पवित्र ककराली सरोवर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

64-जनपद सहारनपुर में ग्राम बुड्ढाखेड़ा ब्लाक सरसावा में 33 के0वी0ए0 बिजली घर के सम्बन्ध में,

65-जनपद सहारनपुर में ग्राम महेश्वरी कला में ब्लाक सरसावा में 33 के0 वी0ए0 बिजली घर के सम्बन्ध में,

66-जनपद सहारनपुर में ग्राम पटनी, ब्लाक सरसावा राजवाहे की पटरी वाया महेश्वरी कला रण्डोल से मलकपुर तक सड़क निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

67-जनपद सहारनपुर में ग्राम सैफन, ब्लाक सरसावा वाया गुम्टी होते हुए कलसिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

68-जनपद सहारनपुर में भोजपुर गुर्जर से वाया मरोडगढ से टौली, कलसिया तक सड़क निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

69-जनपद सहारनपुर में पैरागपुर, ब्लाक सरसावा से वाया भोजपुर से माल्लाहेडी तक सड़क निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

70-जनपद सहारनपुर में ग्राम पैरागपुर में ब्लाक सरसावा में विद्युतीकरण की जर्जर हालत में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

71-जनपद सहारनपुर में ग्राम भाऊपुर में बड़ी नहर होते हुए न्यू ईरा अकेडमी सहारनपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

72-जनपद सहारनपुर में सहारनपुर बडगांव मार्ग का चौड़ीकरण व ऊंचीकरण के सम्बन्ध में,

73-जनपद सहारनपुर में काष्ठकला उद्योग के संरक्षण हेतु स्पेशल इकनोमिक जोन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

74-जनपद सहारनपुर में बडगांव से सहारनपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

75-जनपद सहारनपुर में बडगांव से रामपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

76-जनपद सहारनपुर में रामपुर से अम्बैटा मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

77-जनपद सहारनपुर में ननौता से गंगोह मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

78-जनपद सहारनपुर में बरसी से तीतरो मार्ग का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

79-जनपद सहारनपुर में मवीकला, चुनैटी, मवीखुर्द, कांकरकुई, छिदवना, निवादा, फतेहपुर के किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में,

80-जनपद सहारनपुर में मवीकला गांव की 90 वर्ष की बूढ़ी औरत समेत 60 लोगों पर फर्जी मुकदमें के सम्बन्ध में,

81-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में,

82-बागपत जनपद के हाजी इस्तयाक को फर्जी तरीके से रासुका में निरुद्ध करने के सम्बन्ध में,

83-प्रदेश में गुर्जरों को विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में,

84-जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में एक बहुउद्देशीय भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

85-जनपद सहारनपुर की पुलिस को गाजियाबाद की तरह नई जीप, मोटरसाइकिल व स्वचालित हथियार दिये जाने के सम्बन्ध में,

86-जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में नये आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में,

87-जनपद सहारनपुर के सभी थानों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में तथा

88-जनपद सहारनपुर में हथनी कुण्ड बैराज से यमुना नहर पर माईक्रो विद्युत परियोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।"

8 डा0 आर0 ए0 उस्मानी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश के इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल तक विद्यालयों की मान्यता शीघ्र दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-कश्यप, निषाद, गोड़िया, भर, राजभर, प्रजापति, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम कपड़िया, अंसारी, नद्दाफ, बेहना, मंसूरी समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने हेतु,

3-धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आठ प्रतिशत थानों में तैनाती के सम्बन्ध में,

4-साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर फर्जी आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

5-कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने तथा अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में,

6-बेरोजगारी भत्ता योजना को यथावत् लागू करने के सम्बन्ध में,

7-कन्या विद्या धन योजना को यथावत् लागू करने के सम्बन्ध में,

8-गरीबों के गम्भीर रोगों के इलाज के खर्च के सम्बन्ध में,

9-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों के सम्बन्ध में,

10-गन्ना कृषकों को गन्ने का मूल्य बढ़ाने एवं गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में,

11-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण तथा गन्ने की घटतौली रोके जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद लखीमपुर-खीरी की नगर पालिका परिषद् लखीमपुर में चारों तरफ के गाँवों जिसमें भिदनियाँ, रामापुर, सलेमपुर, राजापुर, चनपुरा, छाउछ, पहाड़ापुर, मीरपुर, मेहवागंज, सेगांरपुर, उदरहना आदि ग्राम पंचायतों को मिलाकर लखीमपुर को महापालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर पूरे प्रदेश को 24 घण्टे बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में,

14-व्यापारियों के ऊपर लगाये गये वैट को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

15-बुन्देलखण्ड में किसानों की आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,

16-हज यात्रा से वापस आये हाजी साहबान को खजूर व पानी न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में,

17-55-श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में बड़ागाँव के बड़ेहरा, अलीगंज नकहा, फूलबेहड़, सुन्दरवल को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

18-55-श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र के पाँचों ब्लाकों, फूलबेहड़, नकहा, बिजुआ, बाँकेगंज, लखीमपुर में कोई डिग्री कालेज नहीं है प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक-एक (डिग्री) राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में,

19-ब्लाक नकहा जिला-लखीमपुर के ग्राम बेल्हौरा, चाऊपर पड़री, गौड़वा, गोड़ियाना, नौव्वापुर, गदियाना व खानीपुर आदि गाँवों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

20-ब्लाक फूलबेहड़ जिला खीरी के ग्राम-मेंहदी, राजापुर, परसेहरीकलाँ, चौराढ़िया गाँवों को पक्के मार्ग द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

21-55-श्रीनगर विधान सभा के पाँचों विकास खण्डों में उच्च स्तरीय अच्छे चिकित्सालय नहीं हैं इसलिये विकास खण्ड नकहा, रमियाँबेहड़, बिजुआ, बाँकेगंज फूलबेहड़ में 100 शय्या वाले अस्पतालों के निर्माण के सम्बन्ध में,

22-लखीमपुर से निघासन मार्ग पर पचपेड़ी घाट के ऊपर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

23-लखीमपुर जनपद के ग्राम-चफन्दी तथा चौरढ़िया में पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में,

24-लखीमपुर जनपद के विकास खण्ड-बिजुआ की असेवित न्याय पंचायत अषाढ़ी में असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज दाउदपुर खीरी की स्थापना हेतु शीघ्र ही अनुदान अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश के सभी कर्बला तथा कब्रिस्तानों तथा ईदगाहों की चाहर दीवारी के निर्माण के सम्बन्ध में,

26-जनपद-खीरी तथा सीतापुर के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-उ0 प्र0 के सभी कच्चे घरों को पक्के घर बनवाने हेतु 40,000 रु0 प्रति आवास देकर सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के सभी किसानों का ऋण माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

29-जनपद बदायूँ में छोटे सरकार साहब तथा बड़े सरकार साहब की जियारतों के विकास के लिये दो करोड़ रु0 का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

30-जनपद लखीमपुर खीरी की मथना मजार को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

31-जनपद खीरी के शहर लखीमपुर में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

32-उ0 प्र0 के माननीय सदस्य, विधान सभा एवं पूर्व तथा भूतपूर्व सदस्यों के निधन के उपरान्त पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

33-पूरे उ0 प्र0 के मोअल्लिम उर्दू के डिग्री धारकों को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-पूरे उ0 प्र0 में पशुओं के व्यापारियों का साम्प्रदायिक तत्वों एवं उ0 प्र0 पुलिस द्वारा उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

35-मुस्लिम समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों का लोक सभा तथा विधान सभाओं में उचित भागीदारी हेतु आरक्षण का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में,

36-मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे जुल्म एवं अत्याचारों को रोके जाने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की तरह मुस्लिम समाज अत्याचार निवारण अधिनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

37-मुस्लिम समाज के दबे कुचले एवं पिछड़ेपन को देखते हुये सरकारी नौकरियों एवं प्राइवेट सेक्टर में बीस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

38-जनपद-लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिलों को मिलाकर तराई प्रदेश बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

39-मा0 विधायकों की सुरक्षा खतरे को देखते हुये सभी विधायकों को कोई श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में।"

9 श्री राम बिशुन प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :-

1-किसानों के हित में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में बढ़ रहे हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, अपराधों पर तत्काल नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

3-जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर से सटे जनपद चन्दौली के नौगढ़ व शिकारगंज क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये एवं राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

4-स्व0 पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी सपारोह योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं एवं स्वीकृत परियोजना पर स्वीकृत धन को खर्च कराकर परियोजनाओं को पूर्ण कराया जाये तथा इसमें किये जा रहे दुरुपयोग को रोके जाने के सम्बन्ध में,

5-नक्सल प्रभावित जनपद चन्दौली को एवं नगर पालिका परिषद् मुगलसराय को कम से कम 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-नक्सल प्रभावित जनपद चन्दौली को विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद चन्दौली में कानून व्यवस्था बनाये जाने हेतु जिले के सर्वांगीण विकास एवं नक्सल गतिविधियों पर अंकुश हेतु, एवं तत्काल जिला मुख्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के अन्तर्गत नवनिर्मित 30 बेड का महिला अस्पताल में डाक्टर एवं स्टाफ आदि की तत्काल नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद चन्दौली के कुण्डा तथा मिल्कीपुर पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10-एशिया की सबसे बड़ी पम्प कैनाल नारायनपुर के नहर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद चन्दौली के जर्जर चन्द्रप्रभा बांध को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद चन्दौली के नौगढ़ में कर्मनाशा नदी पर स्वीकृत किये गये पुल कौंबाघाट का निर्माण तत्काल प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

13-वाराणसी जनपद के नगर पालिका परिषद् रामनगर में गंगा नदी के तट पर बन रहे पक्के शास्त्री घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सकलडीहा के अन्तर्गत एक नये विकास खण्ड तारा जीवनपुर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड चन्दौली के अन्तर्गत एक नया विकास खण्ड बबुरी का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

16-मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में सकलडीहा मार्ग पर रेलवे लाइन पर कुटा गेट पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-चन्दौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दौली टाउन एरिया में चन्दौली सैदपुर मार्ग पर रेलवे लाइन पर एक ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-जनपद वाराणसी एवं चन्दौली की सीमा के अन्तर्गत पड़ाव चौराहे पर सौन्दर्यीकरण एवं जल निकासी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-पूर्व में रेलवे सेटलमेन्ट बोर्ड मुगलसराय द्वारा मान सरोवर तालाब पर पक्का घाट का निर्माण प्रारम्भ कराया गया था, अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में छात्र संघों पर लगाये गये प्रतिबंध को तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में पिछड़ी जाति के गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान तत्काल दिये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22-नरायनपुर पम्प कैनाल की गंगा नहर के टेल पर नरवन परगना से ग्राम डेडगांवा, पूरी सिखटा सरवल जमालपुर आदि दर्जनों ग्रामों के जो जमनिया पम्प कैनाल के हेड पर स्थित है, ग्रामों के किसानों की कृषि भूमि सिंचाई के लिये जमनिया पम्प कैनाल से जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में,

23-जनपद चन्दौली में पूर्व जी0टी0 रोड पड़ाव से पचफेड़वा मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के ग्रामों का समग्र विकास किया जाये तथा उनके सम्मान में ग्राम में उनकी मूर्ति लगाई जाने के सम्बन्ध में,

25-नगर पंचायत रेलवे मुगलसराय को समाप्त कर दिया गया है, उसे पुनः गठित किये जाने के सम्बन्ध में,

26-जनपद चन्दौली के कर्मनाशा नदी पर कोनियागाय घाट पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

27-जनपद चन्दौली के गढ़ई नदी व चन्द्रप्रभा नदी से तीनों तरफ से घिरे बबुरी क्षेत्र के कई दर्जनों ग्रामों के किसानों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई हेतु हवक बबुरी माइनर मे नरायनपुर पम्प कैनाल को गंगा नहर की माइनर जोगवा बुद्धवार व बउरी हसरपुर माइनर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में तथा

28-जनपद चन्दौली में एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी चन्दासी के जर्जर सड़कों का नवीनीकरण एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।"

10 श्री कृष्ण गोपाल पटेल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-56-निघासन में शारदा नदी के कटान से जिला पीलीभीत व लखीमपुर खीरी की सीमा से लगे गांव-गोविन्दनगर व अन्य गांवों के कटान को रोकने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में,

2-56-निघासन में मोहना नदी जो नैपाल से आती है उसके कटान से प्रभावित ग्राम बाराभूजी, इन्दिरानगर, सूरतनगर के कटान को रोकने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में,

3-दुधवा नेशनल पार्क के जानवरों से किसानों की फसल व ग्राम-वासियों की शारीरिक क्षति को रोकने के लिए पार्क के चारों तरफ तार की बैरीकेटिंग किए जाने के सम्बन्ध में,

4-लखीमपुर से बिलरांया मार्ग को जोड़ने के लिए शारदा नदी पचपेड़ी घाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-निघासन में जोरा नाले पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराया जाय जिससे खैरीगढ़, शीतलापुर, उद्योग नगर, पचपेड़ा ग्रामों को सीधे सिगाही-टाउन एरिया से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

6-पलिया में शारदा नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य को तेजी से कराया जाय जिससे जल्द आवागमन शुरू किए जाने के सम्बन्ध में,

7-पलिया से निघासन स्वीकृत मार्ग का कार्य तेजी से कराया जाय जिसके कारण क्षेत्र के वासियों को हो रही परेशानी से जल्द निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

8-निघासन से बिलरांया मार्ग व तिकुनियां कौडियाला घाट जो सिक्खों का तीर्थस्थल व गुरूद्वारा है तक सड़क निर्माण कार्य तेजी से कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-पलिया से सम्पूर्णानगर होते हुए खजुरिया गोविन्दनगर मार्ग जो जर्जर हालत में है जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है आये दिन दुर्घटना होती है जिसका चौडीकरण कराकर बनवाने के सम्बन्ध में,

10-चन्दन चौकी से गौरी फण्डा मार्ग जो स्वीकृत है जिस पर कार्य की प्रगति नगण्य है पत्थर पड़ा है यह रोड

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेपाल बार्डर तथा थारु जनजाति के गांवों को जोड़ती है जिसका निर्माण अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-नगरपालिका पलिया की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित है कोई निर्धारित समय नहीं है कब बिजली आती है और कब चली जाती है जिससे जनता में विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रशासन से टकराव की स्थिति बनी रहती है विद्युत आपूर्ति 18 घण्टे समयानुसार सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-मजगई एक बडा कस्बा है जिसमें विद्युत की लाइन 35 कि0मी0 के दायरे में फैली है जिससे आये दिन लाइन खराब रहने से विद्युत बाधित होती है अतः मजगई में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में,

13-किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति का समय निर्धारित करते हुए कड़ाई से पालन किया जाये तथा समयानुसार किसानों को बिना किसी ब्रेक डाउन के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में,

14-निघासन विधान सभा क्षेत्र में खराब विद्युत ट्रान्सफारमरों को बदलकर नये ट्रान्सफारमर लगाये जाये तथा खराब ट्रान्सफारमरों की अवधि का बिल किसानों का माफ किए जाने के सम्बन्ध में,

15-मण्डी विकास परिषद् द्वारा 56-निघासन विधान सभा क्षेत्र की सभी खराब सड़कों की मरम्मत किए जाने के सम्बन्ध में,

16-56-निघासन विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में महिला डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश के सभी चीनी मिलों द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्यों के सम्यक् तथा शत-प्रतिशत गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक पात्रों को बी0पी0एल0 कार्ड का वितरण किया जाये तथा अपात्र व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड निरस्त किए जायं साथ ही लखीमपुर खीरी का कम किया गया खाद्यान्न कोटा बढ़ाकर गरीब लोगों को गेहूं, चावल, चीनी व मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-बहुजन समाज पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुले आम अराजकता एवं आतंक बनाये हुए हैं तथा जनता का शोषण करने के सम्बन्ध में,

20-दुधवा नेशनल पार्क पलिया में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में,

21-जनपद-लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के दोनों तरफ पक्के बन्धे बनाये जाने के सम्बन्ध में जिससे हर वर्ष किसानों की हजारों एकड़ भूमि बाढ़ के पानी से कट जाती है तथा तमाम गांव भी कट जाते हैं, अतः शारदा नदी की तबाही से रोकने के सम्बन्ध में तथा

22-जनपद-लखीमपुर की तहसील पलिया व तहसील निघासन में हुई शारदा नदी में आई बाढ़ के पानी से किसानों की धान व गन्ने की फसल नष्ट हो गयी है नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में ।"

11 श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :--

1-वाराणसी के कैण्ट विधान सभा के अन्तर्गत करीब अर्द्ध शताब्दी पुराना नाला-महमूरगंज से रथयात्रा सिगरा तक चौड़ी सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में,

2-कैण्ट विधान सभा के शहरी क्षेत्रों में काली महाल की सराय फाटक के ध्वस्त सीवर लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन बनाने, बड़ी गैबी विकास प्राधिकरण कालोनी के गलत ढंग से बनी सीवर लाइन के स्थान पर नया सीवर लाइन

नगर के प्राचीनतम बस्ती लहरतारा में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में,

3-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पश्चिमी चहारदीवारी के बाहर से जल निकासी हेतु नाला बनाने के सम्बन्ध में,

4-काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत कन्दवा गांव में स्थित प्राचीन तीर्थस्थान कर्मदेश्वर मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

5-कंदवा गांव के तीर्थस्थान कन्दवां पोखरा में गांव का गंदा नाला गिरने से रोकने व उसकी स्वच्छता को बनाये रखने के सम्बन्ध में,

6-काशी विद्यापीठ ब्लाक में स्थित लोहता स्टेशन के पीछे स्थित धमहापुर व अन्य गांवों में गमनागमन सुगम बनाने हेतु उपरिगामी सेतु निर्माण करने के सम्बन्ध में,

7-वाराणसी स्थित अमरावती, पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विद्यालय के उद्देश्यों में निहित शारीरिक, मानसिक, दृष्टिबाधित व मूक बधिर व्यक्तियों को आवासीय व्यवस्था के साथ विशेष परीक्षण, व्यवसायिक परीक्षण, मनोविज्ञानिक परीक्षण, चिकित्सीय व्यवस्था, शोध व आकलन इकाइयां स्थापित करने के सम्बन्ध में,

8-मोहन सराय रामनगर बाई पास के दोनों तरफ 31 गांवों के कृषि योग्य भूमि को आवास विकास द्वारा लिये जाने की घोषणा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

9-बलिया से नोएडा तक गंगा एक्सप्रेस हाई-वे को निरस्त करने के सम्बन्ध में,

10-महानगर के बिजली कटौती को रोकने के सम्बन्ध में,

11-रोहनिया बाजार को शहरी बिजली देने के सम्बन्ध में,

12-व्यवसायी वर्ग की हत्या, लूट को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम उटाने के सम्बन्ध में,

13-मूल्य वृद्धि व अन्न अभाव से भूख से मरने वाले बुनकरों को बचाने हेतु उचित योजना की घोषणा के सम्बन्ध में,

14-वाराणसी में डीरेका में स्थित राजकीय महिला डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर कक्षायें व विज्ञान व बी0 काम0 कक्षाओं को खोलकर महिला सुदृढ़ीकरण हेतु कदम उठाने के सम्बन्ध में,

15-काशी में सिगरा स्थित स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करने के सम्बन्ध में,

16-काशी के लंका क्षेत्र में स्थित टिकरी गांव के मल्लाहों व निषाद जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए बी0पी0एल0 राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में,

17-टिकरी में गंगा किनारे स्थित मल्लाह बस्ती में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में,

18-काशी विद्यापीठ के पंडितपुर गांव में नियमित व वैध बिजली के बावजूद लकड़ी के खम्भे के स्थान पर सीमेंट के खम्भे गाड़ने के सम्बन्ध में,

19-उ0प्र0 की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के द्वारा विधायकों को 7 करोड़ की सड़क देने की घोषणा को पूर्णरूपेण तत्काल लागू करने के सम्बन्ध में तथा

20-काशी महानगर में अस्सी पर स्थित झांसी की रानी जन्मस्थली पर स्मारक बनाने हेतु ।"

12 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मोती सिंह"

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन में लगने वाले 10 प्रतिशत शासकीय अंश को जनहित में समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा, बाबा बेलखरनाथ धाम में समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों

को शत प्रतिशत कार्ड, राशन, ईंधन, इन्दिरा आवास, हैण्डपम्प, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, बस्तियों में खड़ंजा-नाली, एन0एम0 सेन्टर, आंगनबाड़ी केन्द्र की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

3-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा बाबा बेलखरनाथ धाम में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना तथा उपलब्ध राम अजोर चौरसिया बालिका इण्टर कालेज, पट्टी एवं चन्द्रभूषण शाह राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा में अपेक्षित मानक के अनुकूल कक्षों का निर्माण तथा शुद्ध पेयजल, शौचालय, मुख्य मार्ग से विद्यालय परिसर तक सम्पर्क मार्ग, नियमित प्राचार्य एवं शिक्षकों सहित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में,

4-आगजनी से बचाने हेतु तहसील मुख्यालय पट्टी में फायर ब्रिगेड की स्थापना के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में उपलब्ध राष्ट्रीय महत्व के शहीद स्थल रूरे, भाऊपुर के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी राजस्व ग्रामों में नये प्राथमिक विद्यालय तथा 2 प्राथमिक विद्यालयों के मध्य एक सीनियर बेसिक विद्यालय के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उपलब्ध सभी प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालयों में शौचालय सहित अन्य जनहित की सुविधाओं की स्थापना के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना तथा उपलब्ध कौशल्या भारत सिंह गांधी राजकीय बालिका महाविद्यालय ढ़िढुई पट्टी तथा राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा में विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र पट्टी में एक पालीटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में,

10- विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी विकास खण्डों जो भूमि सुधार निगम एवं कृषि विविधीकरण परियोजना के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अन्तर्गत चयनित किये गये थे, को पुनः आगे की योजना में चयनित करने एवं पूर्व में बनायी गयी सड़कें तथा अन्य निर्माण कार्य को मानकों के अनुसार कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-दुग्ध विकास विभाग द्वारा जनहित में राजकीय डेरी पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापना के सम्बन्ध में,

12-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आवंला उत्पाद के प्रसंस्करण कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में,

13-विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उपलब्ध सभी श्रेणी के राजकीय पशु चिकित्सालयों, स्टाकमैन केन्द्रों, पशु सेवा केन्द्रों के सुगम संचालन हेतु मानक के अनुसार सभी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

14-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गन्ना किसानों की सुविधा के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों में क्रय केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में,

15-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध दाउदपुर झील के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

16-मण्डी परिषद् द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बनायी गयी सभी सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सभी ग्रामों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि एवं फसल उत्पाद बढ़ाने की दृष्टि से राजकीय नलकूपों के स्थापना के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ऊर्जा विभाग द्वारा कृषकों/उपभोक्ताओं को 1 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर तक के विद्युत कनेक्शन बिना किसी बाधा के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में तथा सभी ऐसे ग्राम जहां गांव के अन्तिम घर को विद्युत सुविधा से पोषित नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में,

19-पट्टी मुख्यालय पर उपलब्ध चिकित्सालय को संयुक्त चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में तथा जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय पर ट्रामा सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में,

20-पट्टी विधान सभा क्षेत्र में कृषकों के हित में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21-डा0 अम्बेडकर ग्राम सहित प्रारम्भ से अब तक चयनित सभी ग्रामों में मार्ग प्राकश, पेयजल सहित अन्य सभी सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

22-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में पंचायत भवन की स्थापना के सम्बन्ध में,

23-पट्टी नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत घोषित करने तथा सभी वार्डों में सभी श्रेणी की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

24-सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को जनोपयोगी बनाये जाने की दृष्टि से प्रत्येक माह टास्कफोर्स द्वारा कोटेदारों के वितरण का शत प्रतिशत सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के बने सभी मार्गों को मानक के अनुरूप नवीनीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी वृद्ध, विकलांग, विधवा को शत प्रतिशत पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में तथा शादी अनुदान हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

27-पट्टी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड में स्टेडियम, बहु-उद्देशीय क्रीड़ा हाल, तरण ताल, स्पोर्ट्स कालेज, क्रीड़ा संकुल, सेंथेटिक हाकी स्ट्रोटर्फ, रनिंग ट्रैक, टेनिस कोर्ट, फिजियोथ्रेपी केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में,

28-जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय महत्व के बेल्हादेवी धाम के बहु आयामी विकास के सम्बन्ध में,

29-जनपद प्रतापगढ़ की सई नदी के जल को शुद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

30-पट्टी तहसील मुख्यालय पर वादकारियों की सुविधा की दृष्टि से मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में।"

13 श्री श्यामदेव राय चौधरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख व्यस्ततम जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

2-धार्मिक, तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी में किये जा रहे 8-10 घंटे की विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

3-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के गलियों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

4-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने एवं प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में,

5-दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल कष्ट को दूर किये जानें हेतु बड़े नलकूप तथा मिनी नलकूपों के बोरिंग हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,

6-वाराणसी की बढ़ती हुई आबादी एवं बिस्तार को दृष्टिगत रखते हुए नया जलकल स्थापित करने के सम्बन्ध में,

7-महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शौर्य की प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली अस्सी क्षेत्र में उनकी स्मृति में एक भव्य एवं प्रेरणादायी स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में जबकि उक्त हेतु पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में 90 लाख रुपये की धनराशि प्रदान कर दी गयी है,

8-पूर्वांचल राज्यांश के अन्तर्गत आवंटित 12 लाख रुपये की धनराशि से दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रह्लाद घाट तिराहे पर वर्ष 2002 में स्थापित एक बड़े नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण कर चालू करने हेतु अवशेष 12 लाख रुपये की धनराशि प्राथमिकता के आधार पर अवमुक्त करने के सम्बन्ध में,

9-सर्व विद्या की राजधानी वाराणसी नगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में,

10-वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में प्रस्तावित 220/33 के0वी0 नये सब-स्टेशन जिसका मा0 मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में,

11-प्रत्येक मा0 विधान सभा सदस्य को आवंटित 225-225 नग हैण्डपम्प के समतुल्य धनराशि से दक्षिणी विधान सभा में मिनी एवं बड़े नलकूप के अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में,

12-वाराणसी में गंगा नदी में रामनगर से राजघाट तक मछली मारने, बालू खनन पर लगे प्रतिबन्ध तथा कछुआ सेंचुरी के विरोध में मल्लाह समुदाय द्वारा आन्दोलन के समर्थन में सकारात्मक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में तथा

13-गंगा में बोटिंग तथा अन्य धार्मिक कृत्य हेतु चप्पू चालित तथा मोटर बोट चालित नावों पर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये लगाये गये अत्यधिक शुल्क को अविलम्ब समाप्त करने के सम्बन्ध में।"

14 श्री जगन प्रसाद गर्ग

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-आगरा शहर में हो रही चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी, लूटपाट व अपहरणों को रोकने के सम्बन्ध में,

2-आगरा पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

3-आगरा में सस्ता सुलभ न्याय देने हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में,

4-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में,

5-आगरा स्थित ताजमहल, सिकन्दरा लाल किला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में,

6-आगरा में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

7-आगरा में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत व फर्नीचर निर्माण के सम्बन्ध में,

8-आगरा में बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक, धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में,

9-आगरा में वी0पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज दोनों रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एत्माद्दौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज स्टेशन रोड सहित सम्पूर्ण आगरा के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में,

10-आगरा के तोता का ताल, आगरा कालेज फील्ड के बगल नाले, महाराणा प्रतापनगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल वाले नाले तथा बाल्मिकी बस्ती पीर कल्याणी सहित सम्पूर्ण नालों की नियमित सफाई के सम्बन्ध में,

11-आगरा में पूर्वी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े सैकड़ों हैण्डपम्पों की मरम्मत व रिबोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में,

12-आगरा के मस्ता बगीची क्षेत्र, जौन्स मिल, जीवनी मण्डी क्षेत्र व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजार सहित सम्पूर्ण आगरा के गिरासू विद्युत पोलों तथा खराब ट्रान्सफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में,

13-आगरा में गुड़ की मण्डी से कालीबाड़ी होते हुए शहीद भगत सिंह की मूर्ति से पुरानी इमरजेन्सी तक तथा सम्पूर्ण आगरा की गड्ढा युक्त सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,

15-आगरा के मदिया कटरा, लोहा मण्डी, राजा मण्डी व कमला नगर आदि सम्पूर्ण प्रमुख क्षेत्रों को बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,

16-आगरा के राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आगरा सेन्ट्रल करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17-आगरा की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु डबल फाटक सिकन्दरा, खन्दारी चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा व वाटर वर्क्स चौराहे पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में महाशिवरात्रि, भगवान गौतमबुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धर्म प्रेमियों की भावनाओ का सम्मान करते हुए मांस की दुकानें, वधशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में,

20-जमुना किनारे से एत्माद्दौला तक रोपवे चलाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में गौ-रक्षा कानून का सख्ती से अनुपालन के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण उद्योग, दलित महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में बढ़ोत्तरी मानव अंगों की तस्करी, लूटपाट, डकैती आदि रोकने के सम्बन्ध में,

23-आगरा जनपद में धोबियों द्वारा कपड़े धोने हेतु शहर के नजदीक पर्याप्त हेतु नये घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में,

24-प्रदेश में भू-गर्भ जल विभाग में अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

25-मुख्य मंत्री की 9-9-06 की घोषणानुसार आपातकाल में निरुद्ध जनरक्षकों जैसे लोकतंत्र की बहाली में 18 माह जेल काट चुके लोकप्रिय नेता श्री भवतोष चक्रवर्ती को पेंशन आदि की सुविधा दिलाने के सम्बन्ध में,

26-आगरा महानगर में खटीक पाड़ा (रघुनाथ टाकीज के पास) में अनुसूचित जातियों के लिये प्राइमरी स्कूल एवं बारात घर निर्माण हेतु 21 लाख का अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27-प्रदेश में जनसंख्या को देखते हुये मुख्य आवश्यक वस्तुओं, यथा-गेहूं चावल, आटा, दालें, चीनी, गुड़, चना, सरसों का तेल, वनस्पति घी, रिफाइन्ड आयल, नमक, डबलरोटी, आलू, प्याज की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण एवं पर्याप्त उपलब्धता, घटतौली व अपमिश्रण की रोकथाम आदि के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

28-जनपद आगरा के दीवानी परिसर में माननीय वकीलों के साथ हुई पुलिस प्रशासन की निन्दनीय मार-पीट की घटना के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

29-आगरा महानगर के शहरी क्षेत्रों से टेनरियों, दुग्ध व्यवसाय में जुड़े भैंस, गाय के बाड़ों, मीट आदि के बिक्री केन्द्रों को हटाकर बाहरी बिना भीड़-भाड़ के इलाकों में स्थानान्तरित किये जाने एवं सम्बन्धित लोगों को आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

30-आगरा महानगर में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुये राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों को सड़कों को व नालों के ऊपर पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

31-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा महानगर, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक, धर्मस्थलों को मैट्रो रेल से जोड़ने के लिये धन उपलब्ध करने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा नियमित कार्य लेने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में प्रत्येक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बीमा कराकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

34-किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में धन अनुदान स्वरूप दिलाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश के नारी निकेतन, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

37-प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं की सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं यात्रा व्यवस्था हेतु सरकारी अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,

38-आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय बनाए जाने के सम्बन्ध में,

39-आगरा महानगर में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

40-आगरा महानगर में विद्युत तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत पोल की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

41-आगरा में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई हेतु नये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

42-आगरा महानगर में गरीब लोगों की चिकित्सा हेतु निम्न अस्पतालों में (एस0 एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी) में विस्तार व सुधार के सम्बन्ध में,

43-आगरा में जल निकासी के लिये नाला और नाली व सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण व दूषित पर्यावरण को रोकने के सम्बन्ध में,

45-प्रदेश में अपराधों को कम करने के लिये किसी ठोस तात्कालिक योजना के सम्बन्ध में,

46-प्रदेश के गिरते हुए भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों में शिक्षा स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,

48-प्रदेश में बेसिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

49-आगरा महानगर में स्थायी खराब हैण्डपम्पों को युद्ध स्तर पर ठीक कराने के सम्बन्ध में,

50-आगरा के जूता व्यवसाय की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

51-आगरा में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,

52-आगरा महानगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,

53-आगरा महानगर में टी0 बी0 अस्पताल की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

54-आगरा महानगर को ताजमहल के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,

55-आगरा महानगर में पुराने गन्दे कुओं की सफाई करके उनका पानी पीने के योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,

56-आगरा महानगर में कमला नगर, बल्केश्वर व अन्य स्थानों पर बन्द पड़ी सीवर लाइनों को खुलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,

57- आगरा महानगर में पर्याप्त मात्रा में सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,

58-प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पेट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,

59-आगरा जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने एवं शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

60-आगरा जल संस्थान को सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

61-आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा सैकड़ों नलों से व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने व लाइन लीकेज के ठीक करने के सम्बन्ध में,

62-आगरा महानगर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये हैण्डपम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,

63-आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

64-आगरा महानगर में जनसंख्या बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,

65-आगरा महानगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

66-आगरा महानगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

67-उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने के सम्बन्ध में,

68-आगरा महानगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के सम्बन्ध में,

69-आगरा महानगर में नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण व डूडा द्वारा पार्षद, महापौर, विधायक व जन प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,

70-आगरा महानगर में दसियों कान्वेंट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उन पर सही हाऊस टैक्स न लगाने वाले सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के सम्बन्ध में,

71-आगरा महानगर में नगर निगम कर्मचारियों को बोनस, फंड, पगार आदि समय से उपलब्ध करने के सम्बन्ध में,

72-आगरा नगर निगम में कर्मचारियों की मानक के अनुसार भर्ती के सम्बन्ध में,

73-आगरा महानगर के सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त संख्या में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में,

74-आगरा महानगर में लोहा मण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0 वि0 प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

75-प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को क्लास में कम से कम 50 प्रतिशत तक सफल परिणाम आने पर ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट आदि की सुविधा देने के सम्बन्ध में,

76-आगरा महानगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,

77-प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, अधिकारियों, चिकित्सकों, अभियन्ताओं के निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

78-आगरा महानगर में गंगा नदी से पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

79-आगरा के कमलानगर क्षेत्र में अपराधों को रोकने के लिये थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में,

80-जल निगम द्वारा सन् 2006-07 में विधायक कोटे से जो हैण्डपम्प लगाये थे वे अधिकांश खराब पड़े हैं उन्हें ठीक कराने के सम्बन्ध में,

81-गरीब लोगों द्वारा बनाई व खाई जाने वाली रेबड़ी व गजक सीजनल मिठाई से वैट हटाने के सम्बन्ध में,

82-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अछनेरा के धार्मिक व अति सज्जन व्यक्ति झम्मन सिंह को गलत तरीके से रासुका में बन्द करने को रासुका मुक्त करने के सम्बन्ध में,

83-जिलाधिकारी, आगरा द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की स्वीकृति पर ही शस्त्र लाइसेन्स बनाये जाने व अन्य पार्टी के विधायकों की स्वीकृति से शस्त्र लाइसेन्स न बनाये जाने व पारदर्शी शस्त्र नीति बनाने के सम्बन्ध में,

84-मलिन बस्ती कच्छपुरा, नगला फतुरी नाला, वुडान सैय्यद, वाटर वर्क्स के पास शास्त्रीनगर के पूर्ण रूप से गिराए शौचालयों को दोबारा बनाने के सम्बन्ध में,

85-ग्रीन पार्क कालोनी, तोता का ताल व न्यू राजामण्डी कालोनी के राजामण्डी स्टेशन स्थित पार्क से अवैध कब्जे हटाकर पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में,

86-जमुना किनारा ताजमहल से बल्केश्वर तक बम्बई की तरह घाटों को निर्माण व पार्कों का सौन्दर्यीकरण व लाइटिंग करके चौपाटी बनाने के सम्बन्ध में,

87-ताजमहल से लेकर कैलाश मन्दिर तक जमुना की खुदाई करके (वीयर) पानी को रोकने के सम्बन्ध में,

88-प्रदेश में कार, ट्रक व अन्य चार पहिया वाहनों पर हरियाणा व राजस्थान के समकक्ष रजिस्ट्रेशन टैक्स लगाने के सम्बन्ध में,

89-आगरा जनपद में शहर के नजदीक ट्रान्सपोर्टरों को सस्ती दर पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

90-आगरा जनपद में गाय, भैंसों के मालिकों को शहर के नजदीक सस्ती दर पर जगह दिलाने के सम्बन्ध में,

91-आगरा जनपद में ताजमहल, लालकिला व सिकन्दरा स्मारकों को जमुना में नाव (बोट) के माध्यम से दिखाने व घुमाने के सम्बन्ध में,

92-आगरा जनपद में नाले कूड़े से अटे पड़े हैं, इनकी सफाई पूरी वर्ष एक-एक करके सफाई करने हेतु परमानेन्ट सफाई कर्मचारी लगाने के सम्बन्ध में,

93-आगरा जनपद में मुख्य मार्गों को दबंग लोगों द्वारा खोखे लगाकर अवरुद्ध कर दिया है उनमें से दयालबाग, भगवान टाकीज पुल के पास, रामबाग पुल के पास, आगरा फोर्ट स्टेशन के पास, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज धुलिया गंज सहित सम्पूर्ण आगरा से नाजायज खोखो को हटाने के सम्बन्ध में,

94-आगरा जनपद में नुनिहाई से रेल पटरी पार कर प्रकाश नगर जमुना पार जाने के लिए रेलवे पुल अथवा रेलवे फाटक बनाने के सम्बन्ध में,

95-प्रदेश में वैट की दरें अन्य प्रदेशों के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,

96-आगरा जनपद में विगत 5 वर्षों से हो रहे ताज महोत्सव में फिजूल के नाच गानों पर सरकारी व जनता के धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में,

97-आगरा जनपद में बगैर लाइसेन्स के भगवान टाकीज पुल के नीचे, सुल्तानगंज पुलिया चौराहे के पास,गधापाड़ा तिराहे के पास, किदवई पार्क से उतरकर डा0 दयाल की कोठी के पास व नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने सड़क पर रखकर अवैध रूप से मछली बेचने को रोकने के सम्बन्ध में,

98-प्रदेश में छावनी परिषदों द्वारा कस्बों तथा शहरों से स्थानीय प्रवेश कर हटाने तथा उन्हें प्रदेश फण्ड से सहायता देने के सम्बन्ध में,

99-आगरा जनपद की मोती कुंज व मालवीय कुंज कालोनी सहित प्रदेश की अन्य विस्थापित कालोनी के निवासियों को उनके क्वाटर कम कीमत पर उन्हें ही बेचने के सम्बन्ध में,

100-विगत वर्ष 2006-07 में मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रत्येक विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कराने हेतु दी थी उसे इस वर्ष भी देने के सम्बन्ध में,

101-प्रदेश में बहुत से ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पिता नहीं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है उन्हें या तो सरकारी सहायता देने अथवा उन्हें कोई हल्का श्रम करने की छूट देने के सम्बन्ध में,

102-प्रदेश में बी0एड0 के छात्रों को पुराने पन के आधार पर नम्बर वाई नम्बर सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध मे,

103-आगरा जनपद में बेसिक शिक्षा पाठशालाओं में मिड डे मिल खाने में हो रही धांधली रोकने व बासी व मिलावटी खाने को हमेशा के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में,

104-आगरा जनपद में सड़क पर घूम रहे आवारा पागल कुत्तों व आवारा पशुओं को पकड़कर वेयर हाउस में रखने के सम्बन्ध में,

105-आगरा जनपद के गन्दे लैट्रिन युक्त नाले जो जमुना जी में जाकर मिल रहे जिसके कारण यमुना जी का पानी विषाक्त हो रहा है हजारों की संख्या में मछली मर गयी हैं उन गन्दे नालों को रोकने के सम्बन्ध में,

106-प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों द्वारा बनायी जाने वाली कालोनियों में स्कूल, पार्क, अस्पताल, कम्युनिटी हाल, पानी की टंकी व बिजली घर के लिए भूखण्ड अवश्य छोड़े जाने के सम्बन्ध में,

107-रामबाग चौराहे से टाटा कम्पनी नुनिहाई तक की गड्ढा युक्त सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में,

108-आगरा जनपद के ट्रान्सपोर्ट नगर की सड़कें व नालियां विगत 12 वर्षों से नहीं बनी हैं। पानी की कोई निकासी न होने के कारण जल भराव से साक्षात नरक बन गया है, उन्हें बनवाने के सम्बन्ध में,

109-आगरा जनपद की पालिका नगर कालोनी जमुना पार की सड़कें व नालियां गायब हैं, उनके निर्माण के सम्बन्ध में,

110-आगरा जनपद के मदरसे वाली गली, बजीरपुरा के विद्यार्थियों व वहां के निवासियों को गन्दगी व बदबू से निजात दिलाने के लिए वहां से छोटे कट्टी खाने को हटाने के सम्बन्ध में तथा

111-आगरा जनपद में शरीर का व धन का नुकसान करने वाली नशे के लिए हो रही टिंचर की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15 श्री शिव बालक पासी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-आलू तथा खाद्यान्नों के आधारीय बीजों का उत्पादन कम से कम 20 गुना बढ़ाकर कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाने के सम्बन्ध में,

2-सई नदी (रायबरेली) से (1) ग्राम सभा कचनावां (2) ग्राम सभा पूरवनामन गंगापुर कमवां विकास खण्ड डीह जिला रायबरेली और (3) ग्राम सभा पीरानगर व बरवलिया विकास खण्ड सलोन जिला रायबरेली की हजारों एकड़ असिंचित भूमि को सिंचाई के लिए सई नदी से पम्प नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में,

3- 71 कि0मी0 लम्बी रजबहा डीह जनपद रायबरेली की सिंचाई समस्या के निदान हेतु जौनपुर ब्रान्च से चलाने के स्थान पर सीधे शारदा सहायक पोषक नहर से नया रेगुलेटर बनाकर चलाए जाने के सम्बन्ध में,

4-पेय जल की समस्या के समाधान हेतु (1) ग्राम सभा नुरुद्दीनपुर (2) रामपुरकसिहा विकास खण्ड-सलोन जनपद रायबरेली में पानी की टंकियों के निर्माण के सम्बन्ध में,

5-मट्टन नाला विकास खण्ड छतौह जिला रायबरेली के ग्राम हरी रामपुर टिर्रा (कुंवर मऊ) और (2) ग्राम रजियापुर के पास पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में,

6-लालगंज अझार जनपद प्रतापगढ़ से सलोन जनपद रायबरेली तक अरसे से बनी विद्युत लाइन को लालगंज में बनाकर शीघ्र चालू कराते हुए सलोन विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

7-अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों के पात्र व्यक्तियों को इलाज के लिये अनुमन्य धनराशि दो हजार बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये किये जाने के सम्बन्ध में,

8-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गों के निर्माण में ली जाने वाली भूमि के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिग्रहण और मुआवजा की कानूनी प्रक्रिया लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

9-विकास खण्ड सलोन (रायबरेली) फर्रुखाबाद के बाद प्रदेश के दूसरे नम्बर का आलू उत्पादक क्षेत्र है में आलू आधारित कोई उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में तथा

10-राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डीह और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जिला रायबरेली के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।"

16 श्री मदन चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-कानून व्यवस्था को कारगर ढंग से सम्भालने, व्यवस्था करने तथा फैल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के सम्बन्ध में,

2-कानून व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से लोगों को जानबूझकर गलत मानसिकता, दलगत मानसिकता से जेल भेजने की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में,

3-ग्रेटर नोएडा में सरेआम तीन लोगों की हत्या के सम्बन्ध में,

4-गाजियाबाद में सरेआम बस में हत्या कर 50 लाख लूटे जाने के सम्बन्ध में,

5-गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों के लम्बित भुगतान हेतु कारगर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6-कृषि क्षेत्र में किसानों को खाद, उर्वरक, बीज मुहैया कराने हेतु कारगर कदम उठाने एवं सस्ते दर पर खाद, बीज, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-सिंचाई के क्षेत्र में नहरों, गूलों में पानी की उपलब्धता को प्राथमिकता से सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8-चिकित्सा क्षेत्र में नकली दवाइयों का कारोबार पर तुरन्त अंकुश व आम जनता को दूरदराज क्षेत्रों में डाक्टरों के शोषण, भ्रष्टाचार से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में भी NH-24 पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

10-गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-विद्युत आपूर्ति कम से कम 20 घण्टे सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

12-राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा आम जनता का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र बनाने, पैमाइश करने के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने के सम्बन्ध में,

13-गढ़मुक्तेश्वर में हो रहे अनैतिक, गैर कानूनी अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में,

14-गढ़मुक्तेश्वर में सिम्भावली शुगर मिल द्वारा वायु प्रदूषण व डिस्टलरी का गन्दा रसायनिक पानी को गंगा में डालने से रोकने तथा हो रही पानी पीने से प्रभावित ग्रामों के लोगों को बीमारी से बचाये जाने के सम्बन्ध में,

15-गढ़मुक्तेश्वर में स्थित ग्राम कल्याणपुर व शाहपुर के ग्रामों में स्थित झीलों से अवैध कब्जा हटवाकर पट्टों को निरस्त करवा कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित कर सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

16-गढ़मुक्तेश्वर में सरकारी जमीन को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-बी0 पी0 एल0 लोगों का सर्वे पारदर्शिता से किये जाने के सम्बन्ध में,

18-पिछड़ी जाति के लोगों को शादी (पुत्री) अनुदान राशि मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-दुग्ध उत्पादक को उचित मूल्य दूध का तथा पशुओं की चिकित्सा हेतु ग्राम-ग्राम उचित व्यवस्था तथा पशु मरने से हानि की भरपाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20-बड़ी दुर्घटना तथा आग लगने से होने वाली हानि की आपदा राशि की धनराशि बढ़ाकर उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा

21-गढ़मुक्तेश्वर व गाजियाबाद जनपद में पाले कोहरे से फसल नष्ट हुई का मुआवजा राशि उपलब्ध कराकर किसानों की मदद किये जाने के सम्बन्ध में।"

17 श्री उदयभान करवरिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है :--

1-कंजासा ग्राम में यमुना नदी से हो रही कटान से गांव के अस्तित्व को बचाने के सम्बन्ध में,

2-जगदीशपुर माइनर में लाइनिंग का कार्य एवं 1 कि0मी0 आगे तक बढ़ाकर बचे हुए गांवों-खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

3-समस्त बारा एवं करछना तहसील में लगे नलकूप को ठीक कराकर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम सभा मझियारी विकास खण्ड जसरा, ग्राम सभा झझरा चौबे विकास खण्ड शंकरगढ़, ग्राम सभा ओसा, आंबा, देवरा, विकास खण्ड कौधियारा में नये नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

5-समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

6-बारा तहसील में प्रस्तावित विद्युत परियोजना हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करने के सम्बन्ध में,

7-टोंस नदी से पम्प लगाकर माइनर का निर्माण जारी रजबहा से जोड़कर बीच के सभी गांव तक सिंचाई का पानी देने के सम्बन्ध में,

8-सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र को कम से कम 20 घंटा विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

9-बारा तहसील में प्रस्तावित विद्युत परियोजना से सम्पूर्ण बारा क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में,

10-बारा में प्रस्तावित विद्युत परियोजना में जिन कास्तकारों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है उनके प्रत्येक परिवार को कम से कम 1 व्यक्ति को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-नहरों में टेल तक सिंचाई योग्य पानी देने के सम्बन्ध में,

12-बारा विधान सभा क्षेत्र में इलाहाबाद-रीवां मार्ग तथा इलाहाबाद-बांदा मार्ग के बीच के हिस्से को जलभराव से बचाव कराने के सम्बन्ध में,

13-विकास खण्ड शंकरगढ़ जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, में जल की व्यवस्था हेतु प्रत्येक गांव में ब्लास्टिंग कूप के निर्माण के सम्बन्ध में,

14-ग्राम सारंगापुर विकास खण्ड चाका में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइन को बदलकर शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में तथा

15-जारी बाजार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।''

18 श्री सतीश महाना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :--

1-कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज से 200 एमएलडी वाटरवर्क्स द्वारा आवश्यकतानुसार पानी सप्लाई न करने के सम्बन्ध में,

2-कानपुर गंगा एक्शन प्लान अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से सुचारु रूप से जल संशोधन न होने के कारण दूषित जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

3-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भू-गर्भ जल दूषित होने की समस्या के सुधार के सम्बन्ध में,

4-घरेलू गैस की भीषण कमी के सम्बन्ध में,

5-कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में,

6-मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

7-कानपुर नगर निगम को रिवाल्विंग फण्ड से कानपुर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के सम्बन्ध में,

8-कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,

9-शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में,

10-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में तथा

11-पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में।''

19 श्री लल्लू सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

2-वर्तमान सत्र में गन्ना मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-पर्यटन की दृष्टि से फैजाबाद-अयोध्या नगर का समुचित विकास किये जाने के सम्बन्ध में,

4-आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए फैजाबाद, अयोध्या में विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-आवागमन की समस्या को ध्यान में रखते हुए फैजाबाद राजकीय इण्टर कालेज के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6-जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया के 76 एफ0 जी0 जमुनीपुर, 81-एफ0 जी रजपलिया दोनों नलकूपों के अन्डर ग्राउन्ड टूटी नाली व पाइप लाइन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में,

7-फैजाबाद के विकास खण्ड पूरा के गंगोला माइनर तथा पूरा-मया विकास खण्ड के भदौली माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

8-जल निकासी हेतु अयोध्या में अधूरी सीवर लाइन का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-फैजाबाद-अयोध्या नगर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

10-उ0 प्र0 के विभिन्न विभागों में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

11-पेयजल की समस्या के निदान हेतु नये नलकूप एवं पुराने हैण्डपम्पों को ठीक कराने के सम्बन्ध में,

12-फैजाबाद नगर में जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाली/नाला निर्माण के सम्बन्ध में,

13-बन्धु बाबा मन्दिर पुनहत, पूरा ब्लाक तथा माता संधारमती मन्दिर मया ब्लाक ग्राम पंचायत केशवपुर, फैजाबाद का समुचित विकास कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-फैजाबाद नगर में रकाबगंज हनुमान मन्दिर से चौक होते हुए रीडगंज चौराहे तक सड़क को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन पूरा बाजार के अधूरे कार्य को पूर्ण कर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-फैजाबाद नगर मे सीवर डालने के सम्बन्ध में,

17-जिला चिकित्सालय फैजाबाद एवं श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या में डाक्टरों की नियुक्ति एवं उपकरणों के रख-रखाव के सम्बन्ध में,

18-220 के0 वी0 विद्युत स्टेशन सोहावल के निर्माण के सम्बन्ध में.

19-फैजाबाद-सुल्तानपुर जीर्ण-शीर्ण मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में तथा

20-फैजाबाद मण्डल मुख्यालय पर मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में।''

20 श्री राजाराम त्यागी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड (अग्निशमन) की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

2-शिवगढ़ वि0 खं0 में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

3-महराजगंज वि0 खण्ड के अन्तर्गत हलोर नामक स्थान पर राजकीय इण्टर कालेज में मांग के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

4-रायबरेली जनपद के बछरावां वि0 खण्ड के भवरेश्वर महादेव मन्दिर सुदौली का जीर्णोद्धार कर पर्यटक केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में,

5-रायबरेली जनपद के महराजगंज वि0 खण्ड के जनई नामक गांव में जनमेजय यज्ञ स्थली को विकसित कर पर्यटक केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में,

6-बछरावां विधान सभा के महराजगंज तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

7-बछरावां विधान सभा के वि0 खण्ड मुख्यालय महराजगंज बछरावां व शिवगढ़ में अलग-अलग पालीटेक्निक खोले जाने के सम्बन्ध में,

8-बछरावां विधान सभा में शिवगढ़ से बहुदाकला शिवगढ़ से देहली, महराजगंज से शिवगढ़, तिलेण्डा से हलोर, वहुदा खुर्द से सेहगो वाया पिण्डौली रानीखेड़ा से दुन्दगढ़ तथा हरचन्दपुर से महराजगंज रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-बछरावां विधान सभा के ग्राम सलेथू से हसनपुर तक डामर डाल कर पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-महराजगंज-हैदरगढ़ मार्ग से महराजगंज-शिवगढ़ मार्ग तक वाया हिन्दूगंज पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-बछरावां विधान सभा के शिवगढ़ वि0 खण्ड के अन्तर्गत रीवा बारादरी से बसंतपुर चौड़िया तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-बछरावां वि0खण्ड के तमनपुर से नगराम तक रोड पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-हरदोई वि0खं0 महराजगंज से कुन्दनगंज तक पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-कृषकों को उनके उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ देने के लिये बछरावां मुख्यालय पर कृषि उत्पादन मण्डी समिति हेतु मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी स्थल निर्माण कर मण्डी बनाने के सम्बन्ध में,

15-रायबरेली के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर एक शीतगृह स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

16-जनपद रायबरेली के बछरावां, महराजगंज व शिवगढ़ विकास खण्डों में भारी तादात में फसल व जनहानि करने वाली नीलगायों से क्षेत्र को मुक्त करा कर फसल व जनहानि को बचाने के सम्बन्ध में,

17-रायबरेली जनपद में बिजली व पानी की समस्या से निपटने के लिये योजना बनाने के सम्बन्ध में,

18-महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये वि0खण्ड बछरावां, महराजगंज, शिवगढ़ में कोई योजना न देने के सम्बन्ध में,

19-बछरावां विधान सभा को शिवगढ़ व महराजगंज ड्रेन से जल निकासी व सफाई के सम्बन्ध में,

20-रायबरेली जनपद में महराजगंज उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर 75 शैय्या तक उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21-महराजगंज तथा बछरावां नगर पंचायतों में सीवर लाइन स्थापित करने के सम्बन्ध में,

22-रायबरेली जनपद के महराजगंज व बछरावां में प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बछरावां नगर पंचायत में जल सप्लाई को सुधारने हेतु अन्य एक ओवर हेड टैंक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

24-महराजगंज, वि0खण्ड के अतरेहटा ग्राम में तथा पारा कला ग्राम के पास महराजगंज ड्रेन में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-रायबरेली जनपद के शिवगढ़ वि0खं0 के ओसाह ग्राम में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

26-रायबरेली जनपद की सभी विधवा व विकलांग एवं 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

27-रायबरेली जिले के अन्तर्गत रायबरेली से बछरावां वाया महराजगंज, रायबरेली से महराजगंज शिवगढ़ हैदरगढ़ रायबरेली से बछरावां वाया हरचन्दपुर, महराजगंज, रायबरेली से सहेगो, लखनऊ से अमेठी वाया दुसौती महराजगंज तथा रायबरेली से फैजाबाद गोकुला तिलोई चन्दापुर तक बस चलाये जाने के सम्बन्ध में,

28-रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

29-अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु रायबरेली जिले की प्रत्येक तहसील केन्द्र पर पुस्तकालय की स्थापना एवं उसके खुलवाने हेतु आवर्ती अनुदान देने, पेंशन फण्ड देने तथा नये अधिवक्ताओं को कम से कम चालीस हजार रुपये का अनुदान देने के सम्बन्ध में,

30-बछरावां विधान सभा के अन्तर्गत महराजगंज तहसील मुख्यालय पर राजकीय परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

31-शिवगढ़ विकास खण्ड के नरायनपुर भौसी रोड से असहन तिलेण्डा मार्ग के चक चौराहे तक सड़क को डामरीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

32-बछरावां विधान सभा के बड़चन्दा (मदाखेड़ा) व उदरहरा के मध्य सई नदी में पुल बनाये जाने के तथा उचौरी से पहनासा तक सड़क पक्की करने के सम्बन्ध में,

33-बछरावां विधान सभा की नगर पंचायत बछरावां तथा महराजगंज को आदर्श घोषित करने के लिये,

34-शिवगढ़ वि0 खण्ड मुख्यालय पर स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा

35-राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बी लखनऊ से वाराणसी वाया रायबरेली पर बछरावां रेलवे क्रासिंग व रायबरेली में सिविल लाइन रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

21 श्री राम विशुन आजाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :--

1-उ0 प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-उ0 प्र0 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,

3-उ0 प्र0 में बढ़ती हुई मंहगाई से जनजीवन भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, मंहगाई रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में गन्ना मूल्य 150/-रु0 प्रति कुन्तल किये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में गरीब छात्र-छात्राओं को स्नातक तथा शिक्षा निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त गम्भीर पेयजल समस्या का निदान शीघ्र से शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के निर्बल वर्गों के छप्पर एवं खपरैल मकानों को पक्का मकान निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में बढ़ रहे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए रोकने के लिये योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर को बचाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-विलुप्त हो रहे गिद्ध प्रजाति व कछुआ प्रजाति को बचाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13-पूर्व सरकार द्वारा जनपद गोण्डा में स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-गरीब एवं बेसहारा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद गोण्डा को सर्वाधिक पिछड़ा जनपद मानकर विशेष धन प्राविधान करने तथा उसके सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रम चलाने जाने के सम्बन्ध में,

16-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले वजीरगंज बाजार मसकनवां बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पेयजल समस्या को देखते हुए जनहित में 600 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प निःशुल्क लगवाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19-जनपद गोण्डा में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के महान सेनानायक महराज देवी बक्श सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा जनपद मुख्यालय पर लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

20-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत मनकापुर वजीरगंज और छपिया में महिला अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,

21-देवीपाटन मण्डल मुख्यालय का मेडिकल कालेज, महिला डिग्री कालेज एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में,

22-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वन सीमा से लगे हुए ग्रामों के कृषकों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सर्वे करवाकर पीड़ित कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने एवं बाड़ लगाये जाने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश के कृषकों को सस्ती दर पर खाद, बीज एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-दर्जीकुआ-मनकापुर एवं मनकापुर-नवाबगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में,

25-विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही, वजीरगंज मार्ग पर स्थित चौखट घाट पर पक्का पुल, मसकनवां सिकन्दरपुर मार्ग पर स्थित मनीपुर घाट पर पक्का पुल एवं दुर्जनपुर लिदेहना ग्रन्ट मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-बभनान शुगर मिल का गन्दा पानी मवइया तालाब एवं दतौली शुगर मिल का गन्दा पानी बिसुही नदी और बजाज शुगर मिल का गन्दा पानी चमदही नदी में गिरने से आस-पास के गांवों में प्रदूषित जल फैलने से कृषकों की फसलें एवं जीव जन्तु क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, सर्वे करवा कर प्रभावित ग्रामों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

27-प्रदेश में गेहूं एवं धान के फसलों का मूल्य 1500/-रु0 प्रति कुन्टल कराने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22 श्री अजय कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :--

1-गोविन्दनगर, कानपुर विधान सभा क्षेत्र में लाखों की संख्या में बने मकानों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में,

2-दबौली कानपुर स्थित वाटर वर्क्स को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

3-गोविन्द नगर कानपुर विधान सभा प्रदेश की सबसे अधिक आबादी एवं क्षेत्रफल वाली विधान सभा होने के कारण आवश्यकतानुसार विकास के सम्बन्ध में,

4-कानपुर दक्षिणी का क्षेत्रफल एवं आबादी के अनुरूप नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-घरेलू गैस की भीषण कमी को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में,

7-मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

8-कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,

9-शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में, तथा

10-पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में।"

23 डा0 कौशल किशोर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :--

1-खीरी व ओयल कस्बे के बीच की सड़क जिला पंचायत द्वारा बनवाई गई थी जो टूट कर ध्वस्त हो गई है इसे बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2-अमृतागंज मार्ग पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-खीरी लहरपुर मार्ग पर ग्राम लगुचा से अचम्भे नाथ के पुल तक की सड़क बिल्कुल टूट गई इसकी मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-सैदापुर भाऊ से सैदापुर देवकली की जाने वाली नहर नरैनापुर के पास टूट गई है जिससे सैदापुर देवकली के ग्रामवासियों की सिंचाई बन्द हो गई है, खेती सूख रही है, इसे बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

5-ग्राम नैनेपारा से ग्राम शेयरा तक स्वीकृत पी0एस0जी0एम0वाई0 की सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जमुवारी नदी के पुल से ग्राम बेहजम की सड़क पर केवल पत्थर पड़ा है। इसकी पेन्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-कस्बा खीरी में कन्या इण्टर कालेज नहीं है एक कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

8-लखीमपुर ऐरा मार्ग से कीरतपुर होते हुए बिलहरी होकर सिरैचा तक की सड़क बनावाये जाने के सम्बन्ध में,

9-शिक्षा की दृष्टिकोण से कस्बा ओयल में एक बालिका इण्टर कालेज की अति आवश्यकता है कन्या इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

10-उल्ला नदी पर ग्राम अम्बूपुर बहेरवा घाट व कोलौहरी घाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

24 श्री दीनानाथ कुशवाहा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :--

1-देवरिया, भटनी चीनी मिल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-छोटी गण्डक के किनारे पर स्थित गांवों को बचाने हेतु पक्के तटबन्ध हेतु प्रस्तावित धनराशि अविलम्ब अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-देवरिया के उपरिगामी सेतु का निर्माण जो वर्षों से बन्द पड़ा है, अविलम्ब बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

6-बैकुण्ठपुर पुल के एप्रोच मार्ग का कार्य अति शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-बैकुण्ठपुर पुल के एप्रोच मार्ग के लिये अध्याप्ति भूमि का मुआवजा किसानों में अतिशीघ्र दिलवाये जाने के सम्बन्ध में,

8-देवरिया करौदी मार्ग को एन0एच0 रोड में शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-सोनू घाट, कसया मार्ग को एन0एच0 रोड में शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

10-बसन्तपुर घूसी-सबवट मार्ग पर पक्का पुल या पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

25 श्री अनूप कुमार गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :--

1-विधान सभा क्षेत्र मिश्रित, सीतापुर के अन्तर्गत पिसावां ब्लाक में राजकीय इण्टर कालेज/डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य को पर्यटक स्थल घोषित करने हेतु व सिधौली से मिश्रित रोड का निर्माण हाट-मिक्स पद्धति से कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिश्रित (सीतापुर) में अस्थि रोग विभाग सृजित कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-श्री दिलीप दीक्षित पुत्र विष्णुकान्त निवासी लोधौरा (रमवापुर) थाना मिश्रित (सीतापुर) के ऊपर लगाये गये असत्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अभियोग अ0सं0-67/2008 धारा-307 आई0पी0सी0, 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट अ0सं0-68/2008 थाना मिश्रित अ0सं0-69/2008 थाना मिश्रित को निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

5-महर्षि दधीचि तीर्थ मिश्रित के विकास व ब्लाक परिसर मिश्रित में ग्राम्य विकास से अतिथि गृह निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद सीतापुर, ब्लाक पिसावां के अन्तर्गत ग्राम कालीपाकर से अमिरता सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद सीतापुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रुका कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

8-एन0सी0आर0 नं0-5/2008 व 19/2008 थाना मिश्रित द्वारा असत्य अभियोग दर्ज होने की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।"

26 श्रीमती प्रेमलता कटियार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-कानपुर सहित पूरे प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद को रोकने हेतु कारगर उपायों के सम्बन्ध में,

2-बलिया से नोएडा तक "गंगा एक्सप्रेस हाई-वे" को निरस्त करने के सम्बन्ध में,

3-महिलाओं से जुड़े अपराध रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में,

4-अन्नदाताओं को अन्न अभाव के कारण भूख से मरने से बचाने के सम्बन्ध में,

5-कानपुर के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र की जल निकासी की विकट समस्या को दूर करने के लिए जल निकासी योजना हेतु नालों के निर्माण के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6-पनकी पावर हाऊस के विस्तारीकरण की योजना के सम्बन्ध में,

7-जल स्तर के लगातार नीचे चले जाने के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक योजना के सम्बन्ध में,

8-कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्यानपुर में गौतमबुद्ध पार्क, इन्दिरा नगर में तारामंडल के निर्माण के सम्बन्ध में,

9-कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्यानपुर में अविकसित नये नगरीय क्षेत्र की जर्जर सड़कों के निर्माण हेतु नये योजना के सम्बन्ध में,

10-कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विनायकपुर, कल्यानपुर कलां, खुर्द रावतपुर गांव आदि क्षेत्रों में जल निकासी हेतु चौड़ी सीवर लाइन निर्माण के सम्बन्ध में,

11-ध्रुव की तपस्या स्थली, बाल्मीकि आश्रम तथा 1857 की क्रान्ति स्थल विठूर के जर्जर घाटों के मरम्मत तथा उसके सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

12-कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र को केस्को द्वारा विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

13-मा0 मुख्य मंत्री द्वारा विधायकों को 7 करोड़ की सड़कें देने के सम्बन्ध में,

14-कानपुर मध्य स्थित प्राचीनतम् सीसामऊ नाला की मरम्मत एवं सफाई के सम्बन्ध में,

15-नव विकसित कल्यानपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु खम्भों एवं तार बिछाने के सम्बन्ध में,

16-मा0 विधायकों को मिले 225 हैण्डपम्पों को नगरीय क्षेत्रों में भी अधिष्ठापन के सम्बन्ध में,

17-विठूर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत घोषित करने तथा सभी घाटों, वार्डों में सभी श्रेणी की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

18-सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को जनोपयोगी बनाये जाने की दृष्टि से प्रत्येक माह टास्क फोर्स द्वारा कोटेदारों

के वितरण का शत प्रतिशत सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी विकलांग, विधवाओं को शत प्रतिशत पेंशन स्वीकृत किये जाने एवं शादी अनुदान हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

20-पनकी स्थित हनुमान मन्दिर दरबार को क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए पनकी धाम के बहु आयामी विकास के सम्बन्ध में,

21-गंगा नदी के जल को शुद्ध, प्रदूषणमुक्त कराये जाने के कारगर उपाय के सम्बन्ध में तथा

22-गंगा बैराज से प्राप्त होने वाले 200 एम0एल0डी0 जल के पूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में।''

27 श्रीमती सीमा द्विवेदी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले इण्डिया मार्का-2 के अधिष्ठापन में लगने वाले 10 प्रतिशत शासकीय अंश को जनहित में समाप्त किये जाने तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 50 प्रतिशत सामान्य जाति की बाध्यता को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

2-सुजानगंज ब्लाक तथा महराजगंज ब्लाक में गरीबी रेखा के नीचे के आवास विहीनों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-आगजनी से बचने के लिये मछलीशहर तथा बदलापुर तहसील में फायर ब्रिगेड की स्थापना के सम्बन्ध में,

4-ग्राम पडरी में क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति स्थापना एवं सुन्दरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

5-सुजानगंज ब्लाक के ग्राम इटवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में शहीद स्मारक बनवाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6-सुजानगंज तथा महराजगंज में पेयजल की समस्या से निपटने के लिये 1000 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा के उन सभी गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, तथा

8-महराजगंज ब्लाक में बाबूगंज में 33 के0वी0 स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।''

28 श्री लालजी यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी में नया अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,

2-शोहरतगढ़ से होरिला घाट के अधूरे पुल को पूरा कराये जाने हेतु धन आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र बांसी के तहसील मुख्यालय पर राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

4-नगर पालिका बांसी में बढ़ती आबादी के कारण बाधित आवागमन के निराकरण हेतु बाईपास डुमरियागंज रोड से प्रतापपुर से पुरौला होते हुए मेंहदावल रोड से धानी रोड तक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-बांसी तहसील में मण्डी परिषद् की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

6-सोनखर हाटा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-बांसी-मेंहदावल रोड को चौड़ा करके वैलीहा बाजार के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-फजिहतवा नाला के कि0मी0 3.600 पर निर्माणाधीन सेतु का अवशेष कार्य पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

9-बसन्तपुर हियातनगर गोनहा से बड़हर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र बांसी के पथरा बाजार के आयुर्वेदिक अस्पताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

11-विधान सभा क्षेत्र बांसी की विद्युत कटौती वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।"

29 श्री जावेद अंसारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषयों का उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद जौनपुर को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी घोषित करते हुए पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-जौनपुर में बैल कोल्हू से निर्मित चमेली, बेला, गुलाब आदि के ताजे फूलों से सुवासित गुलरोगन तेल उद्योग, इत्र उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु व्यापार कर/वैट से मुक्त कर उसे बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने तथा दो हार्स पावर की छोटी बिजली की मोटर बिना अधिभार मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-जौनपुर का सिटी रेलवे स्टेशन से 24 घण्टे यात्रियों की सुविधा हेतु सिटी बसों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में,

4-जौनपुर विधान सभा क्षेत्र करंजा कला में छुछा घाट पर पुल का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र करंजा कला में जौनपुर-मल्हनी बैराज रामपुर रोड पर स्थित जहीरपुर नाला (शिकारपुर) पर उच्चीकृत कर नये पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जौनपुर के सिद्दीपुर-कोठवार व कोठवार-भदेठी सड़कों को इसी वित्तीय वर्ष में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7-जौनपुर शहरी क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर भारी संख्या में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने एवं प्रस्तावित तीन नये नलकूप ओवरहेड टैंक निर्मित करा कर पेयजल की नई पाइप लाइनें बिछाई जायें तथा पेयजल संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

8-जौनपुर के शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समय सारिणी निर्धारित कर कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।"

30 श्री सुन्दर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-अम्बेडकर ग्राम जो वित्त वर्ष 2006-07 में मेरे क्षेत्र में राज्य सड़क निधि से मरम्मत हेतु चयन किये गये (अ) स्याना पुगरासी मार्ग से अम्बेडकर ग्राम जलालपुर तक सड़क निर्माण (ब) पुगरासी से रूखी भगवानपुर अम्बेडकर गांव भगवानपुर तक सम्पर्क मार्ग तक (स) तथा अमरगढ़ ऊंचागांव मार्ग से करियारी पिलखनी तक सम्पर्क मार्ग पर धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में,

2-वर्ष 2007-08 में वर्तमान सरकार द्वारा मांगे गये सड़कों एवं रजबाहों ईशानपुर से डक्का सम्पर्क मार्ग तक लेपन, कस्बा खानपुर से तिमरपुर तक लेपन, डकरौली में हनुमान मन्दिर से शिव मन्दिर तक लेपन, गांव परवाना से माजरा खानपुर लेपन, बुलन्दशहर स्याना गढ़ मार्ग से नहर की पटरी प्रेमपुर तक लेपन, ईलना खानपुर मार्ग से सौरामपुर से अभयपुर गांव तक लेपन, गांव श्यौरामपुर से जवासा गांव तक लेपन, खानपुर बसी मार्ग से जरिया गांव तक लेपन, औरंगाबाद जहांगीराबाद मार्ग से शमशाबाद गांव तक लेपन तथा अनूपशहर ब्रान्च नहर की पटरी पुल से गांव कांच रोड तक, बीहटा से रमपुरा तक लेपन, दौलतपुर कलां से लाल सिंह स्वामी के मकान से बरवाला तक लेपन, दौलतपुर कलां से धुधरावाली

गांव तक लेपन एवं मो0 बरवाना से नरसैना गांव तक लेपन कार्यों के प्रस्तावों को स्वीकृत कर धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-नगर स्याना जनपद बुलन्दशहर में विद्युत की व्यवस्था हेतु पुराने विद्युत लाइन को बदलवा कर व स्वीकृत 33 के0वी0 के विद्युत उप केन्द्र को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-दौलतपुर कलां विकास खण्ड ऊंचा गांव जनपद बुलन्दशहर में स्थापित 33 के0वी0 उप गृह (विद्युत) की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में,

5-क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर उच्च कोटि का आम उत्पादक क्षेत्र है तथा जो फल पट्टी क्षेत्र घोषित है, फल पट्टी क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में,

6-क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु किठौर, (ब) लोह परीक्षित गढ़, (स) रामगढ़ माइनर, पवनिहा माइनर, (य) श्योरामपुर माइनर, (र) शमशाबाद बादशाहपुर माइनर, (ल) माकड़ी राजबाहों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

8-विकास खण्ड ऊंचागांव के सभी प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,

9-क्षेत्र के स्याना जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक ऊंचागांव में राजकीय उद्योगों के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

10-नगर अनूपशहर विधान सभा अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर में अनुपयोगी पड़े पीपे के पुल को गंगा नदी पर स्थित गांव बसी बांगर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

11-नगर बुलन्दशहर, विधान सभा क्षेत्र अगौता जनपद बुलन्दशहर में पूर्व में स्वीकृत काली नदी पर पुल को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।''

31 श्री हुकुम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-गंगा एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में,

2-कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

3-कैराना, मुजफ्फरनगर के खराब सम्पर्क मार्गों को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

5-उ0 प्र0 की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के द्वारा विधायकों को 7 करोड़ की सड़क देने की घोषणा को पूर्णरूपेण तत्काल लागू करने के सम्बन्ध में,

6-घरेलू गैस की भीषण कमी के सम्बन्ध में,

7-मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

8-कैराना, मुजफ्फरनगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,

9-भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्ड पम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में,

10-कैराना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में, तथा

11-पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में।"

32 श्री विश्वनाथ

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को डाक्टरों व उपकरणों से सम्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में,

2-फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी बालिका इण्टर कालेज व डिग्री कालेज संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,

3-रहसू जनोबी पट्टी (पुरेनाघाट) पुल का घाघी नदी पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विद्युत आपूर्ति को नियमित व समयबद्ध सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को निःशुल्क व समान किये जाने के सम्बन्ध में,

6-कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

7-गन्ने की पेराई व मूल्य भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

8-कृषि उत्पाद और कारखाना उत्पाद के मूल्य में सन्तुलन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने के सम्बन्ध में,

10-फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र की पक्की (पीच) एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

11-फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र के नहरों व ड्रेनों की सफाई मानक के अनुसार कराये जाने के सम्बन्ध में।''

33 श्रीमती कृष्णा राज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-बलिया से नोएडा तक 'गंगा एक्सप्रेस हाई-वे' को निरस्त करने के सम्बन्ध में,

2-महिलाओं से जुड़े अपराध रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद खीरी में अग्निकाण्ड से राहत हेतु अग्निशमन उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी (खीरी) में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जर्जर सम्पर्क मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

6-नगरपालिका मोहम्मदी नगर पंचायत बरबर में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

7-मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी में ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल बड़खर पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने के सम्बन्ध में,

8-मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्ग से मजरे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद लखीमपुर खीरी, गोला से शाहजहांपुर मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के वि0खं0 पसगवां में उचौलिया कस्बा में गुरुद्वारे पर रोडवेज बस अड्डा होने के सम्बन्ध में,

12-मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पसगवां में मैगलगंज से मढ़िया आश्रम तक अपूर्ण क्षतिग्रस्त मार्ग शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

13-मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।''

34 श्री महेश चन्द्र गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में सिविल एवं फौजदारी में भारी संख्या में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में,

3-जनपद बदायूं में बिजली व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में,

4-जनपद बदायूं में सूखे से उत्पन्न स्थिति एवं भुखमरी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

5-जनपद बदायूं में भूगर्भ जल स्तर गिरने से रोकने के लिये उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

6-बदायूं नगर में सीवर लाइन बनाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद बदायूं में जलाशयों एवं पुराने तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उसे पुनः पुराना स्वरूप प्रदान करने के सम्बन्ध में,

8-बदायूं नगर में काशीराम योजना के अन्तर्गत केवल 4 वार्डों का समग्र विकास न करके सभी 29 वार्डों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-बदायूं अस्पताल में मानक के अनुसार डाक्टर न होने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में,

11-बदायूं नगर में सोत नदी के ऊपर नवीन पुल का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-बदायूं नगर में आवास विकास मार्ग की रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में,

13-बदायूं से ककोड़ा मार्ग ग्राम तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉट मिक्स द्वारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-बदायूं जनपद में धार्मिक महत्व के स्थान कछला के मूलभूत विकास कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

15-बदायूं नगर में एन0एम0एस0एन0 दास कालेज में बी0एड0 की कक्षाओं को गलत ढंग से हटाये जाने के सम्बन्ध में।''

35 श्री अशोक कंसल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद मुजफ्फरनगर में (क्राइम कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है) क्राइम को रोकने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश के अन्दर गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट एवं एस0सी0 एस0टी0 ऐक्ट व रासुका जैसी धाराओं का राजनीतिक दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिये किसी भी प्रभावी योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

3-मा0 न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रदेश के आरा मशीनों को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

4-पूर्व में चलाई जा रही प्राइवेट बसों को बन्द करने के बाद उन मार्गों पर आवागमन हेतु परिवहन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-सफाई की समस्या के समाधान हेतु नगर निकाय एवं अन्य विभागों में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-जनपद मुजफ्फरनगर में आवामगन की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजकीय इण्टर कालेज महावीर चौक के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद मुजफ्फरनगर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद मुजफ्फरनगर पेयजल की समस्या के निदान हेतु खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9-जनपद मुजफ्फरनगर में जल भराव की समस्या के निदान हेतु सीवर/नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद मुजफ्फरनगर में शामली रोड पर काली नदी पर बनाये जा रहे पुल का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालयों में अत्याधुनिक उपकरण एवं विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

12-मुजफ्फरनगर की अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-मुजफ्फरनगर में तालाबों एवं जलाशयों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

14-मुजफ्फरनगर में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल शक्रताल का समुचित विकास कराये जाने के सम्बन्ध में।"

36 श्री यशपाल सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ तहसील में मुंसिफ न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद महामायानगर के पुरदिल नगर में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के राजवाहा सिकन्दराराऊ तथा कवौरा व भदवास माइनर का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-हाथरस के नगर वीर सहाय में अधूरे पड़े 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5-कोतवाली सिकन्दराराऊ में बढ़ रहे कत्ल, लूटपाट, राहजनी एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ को विद्युत कटौती से मुक्त करने के सम्बन्ध में,

7-महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0 की कक्षायें प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में,

8-सिकन्दराराऊ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

9-सिकन्दराराऊ-जलेसर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

10-जीर्ण-शीर्ण रतिभानपुर-भैकरी मार्ग को निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

37 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दर अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दर पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के संदर्भ में,

3-प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश की मण्डियों में व्यापारियों का आड़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में मिड-डे मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृहकर माफ करने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8-प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को पेंशन का कुछ अंश राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-विपक्ष के विधायकों को पी0डब्लू0डी0 की सड़क न देने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में दुधारू पशु के कटान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में जिलाधिकारियों द्वारा शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने पर राष्ट्रीय बचत पत्र की मांग के सम्बन्ध में,

15-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गोकशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

16-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मास प्लान्टों को लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में,

17-मेरठ पशु वधशाला (नगर निगम अन्तर्गत) पर मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन न होने के सम्बन्ध में,

18-मेरठ पशु वधशाला में मेरठ की खपत से ज्यादा पशु काटे जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

19-मेरठ विक्टोरिया पार्क में लगी आग से पीड़ित परिवार के बिलों का भुगतान आज तक न होने के सम्बन्ध में,

20-मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैय्या की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में,

21-मेरठ में नई कालोनी गंगा नहर, लोहिया नगर एवं पल्लव पुरम् में नये थाना खोलने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22-मेरठ मोहल्ला पटेल नगर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में,

23-मेरठ मेडिकल कालेज की टूटी चहर दीवारी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

24-मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,

25-मेरठ स्थित हस्तिनापुर एवं परतापुर कताई मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

26-देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की प्रतिमा जिले में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

27-खेल नीति बनाने के सम्बन्ध में,

28-खेल का सामान बनाने वाली कम्पनियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,

29-कंकरखेड़ा रेलवे क्रासिंग एवं दिल्ली रोड मेवला रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में,

30-मेरठ में 24 घण्टे बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

31-टी0पी0 नगर चौराहे से जैन नगर तिराहे तक नयी सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिये नीति बनाने के सम्बन्ध में,

33-मेरठ नगर निगम में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में, तथा

34-मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।''

38 श्री धनीराम वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में,

2-गेहूं का लाभकारी समर्थन मूल्य 1300.00 रुपये प्रति कुन्तल घोषित करने के सम्बन्ध में,

3-विधवा, विकलांग तथा वृद्धा पेंशन के सभी पात्र लोगों को मिलने और प्रतिमास वर्तमान में मिलने वाली धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

4-स्व-वित्तपोषी सभी शिक्षण संस्थाओं को तथा शिक्षकों आदि पर व्यय का 50% सरकार की ओर से देने के सम्बन्ध में,

5-सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में,

6-कन्या विद्याधन योजना पिछली सरकार की तरह लागू करने के सम्बन्ध में,

7-पिछली सरकार की तरह शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में,

8-जनपद औरैया की विधूना तहसील के ब्लाक अछल्दा में बझेरा, सेऊपुर, दसेरा, कमारा नाले की सफाई के सम्बन्ध में,

9-जनपद औरैया की विधूना तहसील की त्वरित सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत बनायी गयी सड़कों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद औरैया की विधूना तहसील में अछल्दा सल्लूपुर वाया सेऊपुर, पूर्वा फकीरे व मनकौड़ा आदि सड़कें पुनः बनाये जाने के सम्बन्ध में,

11-वर्तमान सरकार के विषेष अभियान के तहत दर्ज फर्जी मुकदमें वापस लेने के सम्बन्ध में,

12-पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा सभी वर्ग के छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति को चालू रखने के सम्बन्ध में,

13-नहरों, रजबहों व माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में,

14-औरैया जनपद की विधूना तहसील में बहने वाले मोहम्मदाबाद रजवाहा, रजवाहा गौसी व कुर्सी माइनर तथा विकपुर भाईपुर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15-हाईस्कूल, इण्टर व महाविद्यालयों की परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पहले से और परीक्षा समाप्ति तक सायं 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति जारी रखने के सम्बन्ध में,

16-बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के सम्बन्ध में,

17-अर्द्ध निर्मित सरकारी इमारतों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

18-भवनहीन पुलिस चौकियों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में,

19-स्थाई मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को ग्रान्ट इन ऐड पर लाने के सम्बन्ध में,

20-सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु शिक्षा मित्रों का वेतन 5000 रुपये प्रतिमाह करने और उन्हें स्थाई करने के सम्बन्ध में,

21-किसान बीमा योजना के अन्तर्गत किसान की पत्नी और वयस्क बेटों को भी बीमा का लाभ देने के सम्बन्ध में,

22-भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी किसान बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में,

23-खानाबदोश जातियों को स्थाई रूप से बसाकर उन्हें रोजगार देने के सम्बन्ध में,

24-किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के सम्बन्ध में,

25-असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई साधनों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

26-घातक बीमारियों का इलाज मुफ्त कराने के सम्बन्ध में,

27-हर हाथ को काम और खेत को पानी देने के सम्बन्ध में,

28-बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

29-फल और सब्जियों के संरक्षण के लिए तहसील स्तर पर शीतगृह बनवाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30-हर स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

31-प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

32-राजस्व ग्रामों के त्वरित विद्युतीकरण के साथ ही उनके नगलों को भी विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में,

33-गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों को कम से कम 2 बल्व फ्री जलाने के सम्बन्ध में,

34-इटावा और औरैया के बीहड़ों का समतलीकरण कराने के सम्बन्ध में, तथा

35-फसल बीमा दुर्घटना योजना की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में।''

39 डा0 पी0 के0 राय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का ब्याज के साथ भुगतान एवं गन्ना मूल्य 150 रु0 प्रति कुन्टल किये जाने के सम्बन्ध में,

3-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी पात्रों को बी0 पी0 एल0/अन्त्योदय कार्ड वितरण समयबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में,

4-बाढ़ बचाव का कार्य मानसून पूर्व पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-किसानों को उचित दर पर गुणवत्ता पूर्ण खाद, बीज वितरण सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के गरीब एवं गम्भीर रोग जैसे हार्ट, किडनी, कैंसर का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के सम्बन्ध में,

7-पूर्व में स्वीकृत विकास योजनाओं को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8-गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं प्रजनन संस्थान सेवरही-कुशीनगर में निदेशक का पद सृजन एवं वित्तीय दशा ठीक किये जाने के सम्बन्ध में,

9-तहसील तमकुही राज में ए0 पी0 तटबन्ध टूटने से आयी बाढ़ से 3 महीने तक प्रभावित लोगों को घर गिरायी, फसल मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

10-तहसील तमकुही राज के सहकारी बैंकों में लोगों की जमा धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा सेवरही में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-तहसील तमकुही राज में मुंसफी न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में, तथा

13-नहरों में अल्पिकाओं में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।"

40 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1-प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये विशेष व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये विशेष कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में सिमी जैसे अराजक संगठन पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिये प्रत्येक जिलों में प्रयोगशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में सिविल एवं फौजदारी के भारी संख्या में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त मा0 न्यायाधीशों के पदों को भरने के सम्बन्ध में,

8-गोमती नदी को तलहटी से सफाई कर उसे प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में,

9-ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण को रोकने के उपायों के सम्बन्ध में,

10-लखनऊ में जलाशयों एवं पुराने तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसे पुनः पुराना स्वरूप प्रदान करने के सम्बन्ध में,

11-लखनऊ में गिरते हुये भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिये ठोस कदम उठाने के सम्बन्ध में,

12-लखनऊ में तृतीय जल-कल बनाने के सम्बन्ध में,

13-लखनऊ में अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान बनाने के सम्बन्ध में,

14-छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के चिकित्सकों की समस्याओं को हल करने तथा निजी प्रैक्टिस करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में,

15-उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में,

16-लखनऊ में सहकारी समितियों के द्वारा बनाई गई अनियमित आवासीय कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

17-छात्र संगठनों के चुनाव पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में,

18-मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में जलापूर्ति हेतु तीन इंच की जगह छः इंच की पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में,

19-लखनऊ में कांशीराम योजना के अन्तर्गत समग्र विकास हेतु सभी 110 वार्डों में समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के 100 बेड का अस्पताल हो जाने के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फलस्वरूप उसमें मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

21-लखनऊ में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ करने तथा छात्राओं हेतु छात्रावास बनाने के सम्बन्ध में,

22-मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में सहादतगंज वार्ड में अस्पताल स्थापित करने के सम्बन्ध में, तथा

23-विधान सभा में घोषित 200 हैण्डपम्प नगरीय क्षेत्रों में अभी तक न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।''

41 श्री वीरेन्द्र सिरोही

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है :--

1-जनपद बुलन्दशहर के गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर दिये जाने के सम्बन्ध में तथा अगौता शुगर मिल द्वारा 14 प्रतिशत ब्याज के साथ गन्ने का भुगतान के सम्बन्ध में,

2-बुलन्दशहर जनपद के अम्बेडकर गाँवों के अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

3-जनपद बुलन्दशहर के ट्रांसफारमर जल जाने अथवा चोरी हो जाने पर 24 घंटे में ट्रांसफारमर किसानों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

4-जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में,

6-अगौता जनपद बुलन्दशहर के अलीपुर चित सौना, लाडपुर, परतापुर स्थित पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद बुलन्दशहर के मिड-डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने एवं गुणवत्ता सुधार के सम्बन्ध में तथा

अगौता क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालयों में चहारदीवारी बनवाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद बुलन्दशहर के माध्यमिक विद्यालयों में प्राध्यापकों के खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में,

9-जनपद बुलन्दशहर में सूखे से उत्पन्न स्थिति एवं भुखमरी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में,

11-जनपद बुलन्दशहर में भूगर्भ जल स्तर गिरने से रोकने के लिये उपाय के सम्बन्ध में,

12-प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के सम्बन्ध में,

13-बुलन्दशहर मेरठ रोड से बुलन्दशहर गढ़ मार्ग का बाईपास तथा काली नदी पर एक पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, तथा

14-जनपद बुलन्दशहर के राजकीय विश्वविद्यालय बी0 बी0 नगर में निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं स्टाफ पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।"

पी0एस0यू0पी0-एल0 21 विधान सभा (36)-12-5-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।